खण्ड-02 सत्र - 02 (भाग-01)
अंक- 20

शुक्रवार 27 नवम्बर, 2015
06 अग्रहायण, 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18(2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

fo"k;&lwph

l=&2 Hkkx¼1½ 'kØokj] 27 uoEcj] 2015@06 vxzgk;.k] 1937 ¼'kd½ vad&20

Ø-l-	fo"k;	i"B
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	3-7
3	तारांकित प्रश्नों के मौखिक	8-52
4	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	52-69
5	अतरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	69-111
6.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (26.11.2015)	112—174
7.	अतरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (26.11.2015)	174—246
8	प्रतिवेदन पर सहमति	247
9	वि ोश उल्लेख (नियम—280)	248—268
10	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	269—271
11	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	271—272
12	विधेयकों का पुरःस्थापन एवं उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	273—279
13	नियम—114 में बधाई प्रस्ताव, चर्चा व पारण	279—297
14	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, चर्चा व पारण	298—335

fnYyh fo/kku lHkk

dh

dk;Zokgh

l=&2 Hkkx¼1½ 'kqØokj] 27 uoEcj] 2015@06 vxgk;.k] 1937 ¼'kd½ vad&20

lnu vijkg~u 2%00 cts leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xks;y½** *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

fuEufyf[kr lnL; lnu esa mifLFkr gq,%&

1. श्री भारद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार भार्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री रघुविन्द्र शौकीन
9. सुश्री राखी बिड़ला
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री सोमदत्त
13. सुश्री अलका लाम्बा
14. श्री आसिम अहमद खान
15. श्री विशेष रवि
16. श्री हजारी लाल चौहान
17. श्री शिव चरण गोयल
18. श्री गिरीश सोनी
19. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
20. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
21. श्री राजेश ऋषि

22. श्री महेन्द्र यादव
23. श्री नरेश बाल्यान
24. श्री गुलाब सिंह
25. श्री कैलाश गहलोत
26. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री अजय दत्त
36. श्री दिनेश मोहनिया
37. श्री सौरभ भारद्वाज
38. श्री सरदार अवतार सिंह कालकाजी
39. श्री सही राम
40. श्री नारायण दत्त भार्मा
41. श्री श्री राजू धिंगान
42. श्री मनोज कुमार
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री एस.के बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
47. सुश्री सरिता सिंह
48. चौ. फतेह सिंह
49. श्री जगदीश प्रधान

fnYyh fo/kku lHkk

dh

dk;Zokgh

l=&2 Hkkx¼1½ 'kqØokj] 27 uoEcj] 2015@06 vxzgk;.k 1937 ¼'kd½ vad&20

lnu vijkg~u 2%00 cts leosr gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xks;y½** *पीठासीन हुए।*

v/;{k egksn; }kjk O;oLFkk

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत। मुझे दो प्रस्ताव मिले हैं। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो दिया है, उसमें उन्होंने विषय लिखा है – दिल्ली विधान सभा में भारत के अधिकारों में हस्तक्षेप से गहराते संवैधानिक संकट से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा करवाने के लिए काम रोको प्रस्ताव पर मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष से नियम 59 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि वे भ्रमपूर्ण विचारों से उत्पन्न काल्पनिक संकट को प्रकाश में लाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी मुझे रूलिंग देने दें। मुझे पूरी रूलिंग दे लेने दीजिए। नहीं आपकी बात मैंने पढ़ कर... नहीं, आपने जो लिख के दिया है, वह मैंने पढ़ लिया है। नहीं, ऐसे नहीं। मैं प्रस्ताव पर रूलिंग दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्या सुश्री अलका लाम्बा, सुश्री राखी बिड़ला, सुश्री भावना गौड़, सुश्री सरिता सिंह सदन के वेल में आयी।)

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अलका जी, राखी जी एक बार वहां बैठे आप। आप अपनी सीट पर जायें। राखी जी, बात सुनिये। राखी जी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए। आप एक बार अपनी सीट पर जाइये। नहीं, ऐसे नहीं चल पायेगा। एक बार प्लीज सीट पर चलिए। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। प्लीज सीट पर जाकर बोलें। हां, मैं बोलने दूंगा। आप सीट पर तो पहुंचिए पहले प्लीज। अलका जी, आप एक बार पहुंचिए। सरिता जी। आप एक बार। आप अपनी सीट पर तो जायें। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप सीट पर जायें। मैं आपको समय दूंगा। आप सीट पर जायें। भई ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। अलका जी, सीट पर जाइये प्लीज। सरिता जी, मैं बार–बार कह रहा हूं। हर बार प्रार्थना कर रहा हूं। आप अपनी सीट पर जाएं। प्लीज। बाहर जाना समाधान नहीं है। ये समस्याओं का समाधान नहीं है। काम रोको प्रस्ताव पर मुझे अपनी रूलिंग तो दे देने दीजिए। मैं अपनी रूलिंग पढ़ूं, फिर उसके बाद। राखी जी, दो मिनट का समय दीजिए। उसके बाद मुझे रूलिंग पढ़ने दीजिए। नहीं, मुझे रूलिंग पढ़ने दीजिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा। (व्यवधान)...भई विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनो। नहीं, कोई महत्वपूर्ण मसला नहीं है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। ये केवल सदन का... ना बिल्कुल नहीं। कोई संविधान की...। मैंने सारा पढ़ा है। सब कुछ देखा है। नहीं, रोज का तमाशा है। ये रोज का तमाशा है। नहीं मैं कुछ नहीं एलाऊ कर रहा हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि वो भ्रमपूर्ण विचारों से उत्पन्न काल्पनिक संकट को प्रकाश में...। भई, मुझे पढ़ लेने दीजिए प्लीज। सरिता जी, मुझे पढ़ने दीजिए एक बार। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा

कि वो भ्रमपूर्ण विचारों से उत्पन्न काल्पनिक संकट...। (व्यवधान)...मुझे कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं सुनूंगा। आपने जो लिख के दिया है, उस पर मैंने फैसला लिया है। बस, उसी पर फैसला ले लिया मैंने। वो एक लाईन ही बहुत है। देखिये मेरी बात सुनिए। एक दाना चावल का वो ही बहुत है जानने के लिए कि चावल किस क्वालिटी का है। मैं पढ़ के सुनाता हूं जो आपने लिख के दिया। हमने भारत के संविधान का अपहरण कर दिया।...

v/;{k egkn; % आप लोग मुझे बोलने तो दीजिए आप अध्यक्ष को अलाऊ नहीं कर रहे है। सरिता जी, आप चुप हो जाइए प्लीज।

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक लास्ट वर्ड जो विजेन्द्र गुप्ता जी, महिलाओं के सम्मान के मामले में कभी एक बार कानून और प्रस्ताव लेकर के आते है तो समझ में आती है...(व्यवधान)।

v/;{k egkn; % मैंने बात सुन ली है। आप दो मिनट रुकिए प्लीज। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष...भई विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं है चलिए मैं अपनी रूलिंग पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं कोई कानटेक्स्ट नहीं लेना चाहता हां बिल्कुल मैं कर रहा हूं। हां, मैं रूलिंग दे रहा हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि ये भ्रम पूर्ण विचारों से उत्पन्न काल्पनिक संकट को प्रकाश में लाना चाहते हैं। उनकी जो भी राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन निराधार तर्कों के आधार पर सदन का काम काज रोककर इसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। मैं न केवल इस सूचना को अस्वीकार करता हूं अपितु श्री विजेन्द्र गुप्ता जी को सलाह देता हूं कि ये ऐसे नोटिस न लाए जो सदन की गरिमा को गिराते है और मैं विजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि पिछले दो दिन, सदन में जो कुछ हुआ है, उसके लिए आप भी

कहीं न कहीं स्वयं जिम्मेदार है और मैं इस नोटिस को रद्द करता हूं ...(व्यवधान) राखी जी, आप बैठिए प्लीज, अपनी सीट पर जाइए प्लीज। मेरा गला दुखने लगता है प्लीज सीट पर जाइए...(व्यवधान)

Jh tjuly flg ¼तिलक नगर½ % अरे विजेन्द्र गुप्ता जी, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। गुप्ता जी, शांत हो जाओ। शोभा नहीं देती ये चीजें आपको सदन चलने दो।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % बैठिए विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी मैं खड़ा हूं आप बैठिए प्लीज बैठिए। मैं नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना कर रहा हूं। संविधान में लिखा है कि अध्यक्ष जी खड़े होकर जब बोल रहे है तो बैठ जाना चाहिए। संविधान में ये भी लिखा है जिस संविधान की आप बात कर रहे है। विधानसभा के अध्यक्ष को कहना कि मानसिक संतुलन खो बैठा है, आपकी जानकारी में है। अखबारों से पढ़ा है। आपको चाहिए था ...वो ही संविधान में लिखा है। संविधान का उल्लंघन किसने किया, चिंता करनी चाहिए सदन को चलाने के लिए। केवल कौन सा बिल? किस कानून से आ गया? उन्हीं विषयों को लेकर चर्चा करनी है। विजेन्द्र जी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए दो मिनट ...(व्यवधान) कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि संविधान के नियम के अनुसार... आप मुझे सदन को चलाने दीजिए प्लीज...तो एक कदम तो आगे बढ़िए एक कदम आगे बढ़ के तो दिखाइए। एक चुना हुआ एमएलए अध्यक्ष के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे। बैठिए

अब आप। मैं कल बिल्कुल शांत रहा हूं। बोला नहीं इस विषय को लेकर, ... नहीं, मैं कोई तथ्य नहीं सुन रहा हूं, ना मैं समय दे रहा हूं। दूसरा, श्री पंकज पुष्कर जी, नियम 54 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्राईवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश सुरक्षित करवाने के संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आपकी जानकारी में भी है, आप बीएसी के मैम्बर है। दो एजूकेशन बिल रखे जा चुके है उसमें गरीबी रेखा से नीचे के एडमिशन्स पर चर्चा होने वाली है इसी सदन में आप उस चर्चा में एजुकेशन के बिल पर उस दिन समय लीजिएगा चर्चा करिएगा। मैंने रूलिंग दी।

Jh idt i"dj % आपने मेरी बात उस दिन भी ध्यान से नहीं सुनी।

v/;{k egkn; % नहीं, मैंने सुन लिया है बिल आ रहा है। ऐजुकेशन का बिल आ रहा है। उस वक्त चर्चा में रखिएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेण्ड...बिल्कुल वही बात है मानने का जो आदेश है, वो भी प्रश्नकाल में इतने महत्वपूर्ण विषय होते है अननेससरी हम समय वेस्ट करते है सदस्यों का प्रश्नकाल रह जाता है। सुश्री भावना गौड़ ...(व्यवधान)। विजेन्द्र गुप्ता जी के प्रस्ताव की जो रूलिंग जो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं मुझे जानकारी दी गई है, सुनाई नहीं दिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा वो भ्रम पूर्ण विचारों से उत्पन्न काल्पनिक संकट को प्रकाश में लाना चाहते हैं। उनकी जो भी राजनीतिक मजबूरियां हो लेकिन निराधार तर्कों के आधार पर सदन का काम काज रोककर इसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। मैं न केवल इस सूचना को अस्वीकार करता हूं अपितु श्री विजेन्द्र गुप्ता जी को यह भी सलाह देता हूं कि वे ऐसे नोटिस न लाए, जो सदन की गरिमा को गिराते है।

rkjkfdr i'uk d ekf[kd mÙkj

v/;{k egkn; % श्री एस.के.बग्गा जी।

Jh ,l-d-cXxk % अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न संख्या 104 प्रस्तुत है :

क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली वैट अधिनियम के अंतर्गत सरकार को वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में कितने तथा वर्ष 2015–16 की प्रथम तिमाही में रिफंड के कितने आवेदन प्राप्त हए;

(ख) इनमें से कितने मामलों में रिफंड दिया गया;

(ग) इनमें से रिफंड के कितने मामले अस्वीकृत किए गए; और

(घ) इन्हें किन कारणों से अस्वीकृत किया गया?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मैं आपको बता चुका हूं पुष्कर जी, मुझे कुछ भी करना पड़े। जो सदन का बिजनेस है जिसमें बीएसी में बैठ कर तय होता है, मेरी बात सुन लिजिए आप उसके सदस्य हैं। प्रश्न काल सबसे जरूरी है और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह विषय हैं। मैं इसकी कॉस्ट पर सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये इतने महत्वपूर्ण विषय है माननीय सदस्य कितनी मेहनत करके विषयों को लाते होंगे और ये कुछ लोगों ने नियम बना लिया है कि इस प्रश्न काल के समय को बर्बाद करना है। मैं किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकता।

मगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। माननीय सदस्य अपना समय बर्बाद करके, इसका अर्थ ये संदेश जाएगा। नहीं अब बैठ जाइए। नहीं कुछ नहीं सुनूंगा इस विषय पर। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ना–ना कुछ नहीं।

mi e|[;e=h % अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 104 का उत्तर प्रस्तुत हैः (क) दिल्ली वैट अधिनियम के अन्तर्गत जो जानकारी मांगी गई है उसका विवरण इस प्रकार है : 2012–13–29773, 2013–14–22968, 2014–15–95286 व 2015–16 (प्रथम तिमाही) 6677

(ख) उपरोक्त में से दिए गए रिफंडों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	2012–13	10621
	2013–14	4977
	2014–15	4169
	2015–16 (प्रथम तिमाही)	146

(ग) उपरोक्त में से अस्वीकृत किए गए रिफंडों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	2012–13	420
	2013–14	48
	2014–15	00
	2015–16 (प्रथम तिमाही)	00

(घ) सामान्यतः व्यापारी द्वारा मांगी गई सूचना व संबंधित दस्तावेज दाखिल न करने पर रिफंड का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा जिन व्यापारियों से रिफंड आवेदन करने वाले व्यापारी ने सामान खरीदा है, यदि ऐसे व्यापारियों ने कर पूरी तरह जमा नहीं किया है या उसको पूरी तरह से एकाउंट फोर नहीं किया है, ऐसे मामलों में भी रिफंड अस्वीकृत किया जाता है।

v/;{k egkn; % हाँ, बोलिए। बग्गा जी पूछिए।

Jh ,l-d-cXxk % अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि एचओडी ने ऑफिसर्स को मना किया है कि रिफंड इश्यू न करें। दूसरा प्रश्न और जिन व्यापारियों की एटीआर 90 से 100 प्रतिशत तक है उनको भी रिफंड क्यों नही मिल रहे?

mi e[; e=h % अध्यक्ष महोदय। किसी विभाग रिफंड को बिल्कुल मना नहीं किया गया है। रिफंड की प्रक्रिया जारी है। जो डयू प्रोसेस है उसको पूरा करके रिफंड दिये जाएंगे और कोई विशेष स्लैब के आधार पर भी कोई रिफंड देने में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई हैं।

v/;{k egkn; % बग्गा जी any supplementary. हाँ जरनैल सिंह जी।

Jh tjuy flg ¼तिलक नगर½ % अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी बताया गया कि जिन व्यापारियों के सप्लायर्स ने वैट जमा नहीं कराया है, उनका भी रिफंड रोक दिया जाता है और ये मुमकिन नहीं है कि जिससे आप माल ले रहे उससे आप पूछे कि आपने वैट जमा कराया कि नहीं कराया इस वजह से काफी सारे केसेज रुके पड़े हैं और उनके ऊपर आगे कोई दिक्कत न आए या पीछे जिनके रुके पड़े हैं, उनका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है या नहीं। जिनके सप्लायर्स ने रिफंड जमा नहीं कराया है, उनका क्या सोल्यूशन है?

mi e|[;e=h % अध्यक्ष महोदय, रिफंड की पूरी प्रक्रिया नियम के अनुसार की जाती है और उसमें अगर कहीं विसंगति है तो मेरी माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि उसको विशेष रूप से संज्ञान में ले आएं। हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर उस प्रक्रिया को ओर सरल और व्यवहारिक बनाएंगे।

v/;{k egksn; % एनी सप्लीमैण्टरी? प्रश्न संख्या 105। श्री राजेश गुप्ता।

Jh jktss'k xqIrk % माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न सं. 105 का जवाब खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं।

क्या **[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार प्रदूषण में कमी लाने के लिए ऐसे उद्योगों को सब्सिडी दे रही है, जो रिसाईकल हो सकने वाले उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को सब्सिडी देने पर विचार कर रही हैं;

(ग) क्या पर्यावरण विभाग एवं उद्योग मंत्रालय का ऐसा कोई ज्वाइंट मैकेनिजम है; जिसमें उद्योग भी चलते रहें और पर्यावरण भी दूषित न हो; और

(घ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h ¼Jh bejku gqlSu½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 105 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मानक स्तरों से अक्सर अधिक पाया जाता है।

(ख) इस तरह का कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

(ग) व (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मास्टर प्लान 2021 एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों को सहमति प्रदान करती है। औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी लगाए गए है। उद्योग इकाई स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगवाए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योग इस तरह से चले ताकि प्रदूषण न फैले। ग्रीन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। सीईटीपी संयंत्रों का संचालन उद्योग विभाग की सहमति से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों की सीईटीपी सोसाइटियां/डीएसआईआईडीसी करती है।

v/;{k egkn; % सप्लीमैण्टरी

Jh jkts'k xqIrk % अध्यक्ष जी। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि सीईटीपी प्लाटस लागए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनको एक्जामिन नहीं किया जाता। तो मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि जब भी इस तरह के कानून आते है जैसे एनजीटी के आए तो फैक्ट्रियां दबादब बन्द होने लगती हैं। तो क्या कोई ऐसा प्लान है इनके पास में कि इनकी टाईम टू टाईम आडिटिंग होती रहे और वो जानकारी पब्लिक में भी आती रहें। क्योंकि ये सवाल हर इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर पैदा होता रहता है।

[kk| ,o vkifr ea=h % इसका रिन्यूअल का प्लान है हर पांच साल में इसे लाइसेंस दिये जाते हैं इंडस्ट्रीज को ग्रीन कैटेगरी ओरेंज कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी को 10 साल में रिन्यूअल किया जाता है जो कि अभी पहले पांच साल के लिए किया जाता था और औरेंज कैटेगरी को पहले तीन साल का था, अब पांच साल कर दिया गया है। इसको रिन्यूअल के लिए। डीपीसीसीस के

अधिकारी इसका टाईम टू टाईम मानिटरिंग करते रहते हैं। जाकर इंस्पेक्शन करते रहते हैं।

Jh jktsa'k xqIrk % अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। मेरा सवाल शायद सही तरीके से पहुंचा नहीं। मेरा यह कहना है कि उदाहरण के तौर पर अभी एनजीटी का आर्डर आया और यह कहा गया कि पोल्यूशन चैक किया जाए कुछ फैक्ट्रिज का कि किस लेवल तक है, उसमें क्या किया जा रहा है और डीपीसीसी ने पूरी तरीके से चैक करे बिना उन फैक्ट्रियों को सील करना शुरू कर दिया। तो मेरा उसी में पूछना है कि क्या हमारे पास में कोई ऐसा मैकेनिजम है कि हम चैक करते रहें कि सीईपीटी प्लाण्ट की आडिटिंग हो या जो एसिड उसके अंदर से निकलता है, उसको चैकर करने के लिए क्योंकि जवाब मुझे ये मिला था कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में चैक करने के लिए स्टाफ नहीं है। तो सोल्यूशन कतई नहीं होना चाहिए कि वो सील हो जाए। इस लिए मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई ऐसा प्लान है?

[kk| ,oa vkifrZ ea=h % अभी ये ऑन लाइन मोनिटिरिंग सिस्टम लगाए जा रहे है इसके लिए। आपको हर 15 मिनट में इसकी जानकारी दी जाएगी। और लगभग 103 पिकलिंग फैक्ट्रिज है जिनमें पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है उनको शिफ्ट करने के आदेश दे दिये गए हैं।

v/;{k egksn; % ऐनी सप्लीमैण्टरी?

pkS- Qrg flag % अध्यक्ष महोदय,

v/;{k egksn; % पुष्कर जी, मैंने आपसे आग्रह किया। एक सैकेंड आप बैठिए।

pk- Qrg flg % अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 105 के संबंध में मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनके संबंध में पोल्यूशन के मापदंडों को तय करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग लिया जा सकता है क्योंकि जो सारी पोल्यूटिड इंडस्ट्री हैं वो सब बॉर्डर क्षेत्रों पर है। अगर हम उत्तर प्रदेश के या जो भी राज्य उससे सटा हुआ है, अगर उसका भी सहयोग लेकर के इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए समय–समय पर ज्वाईंट चैंकिंग दोनों राज्यों के अधिकारियों के द्वारा होती रहे तो शायद हम दिल्ली के अंदर पोल्यूशन पर कंट्रोल करने में एक तरह से सहायक सिद्ध होंगे, दोनों राज्य। ऐसी कोई सरकार की अपनी नीति है?

[kk| ,o vkifr e=h % अभी पोल्यूशन के ऊपर प्रकाश जावडेकर जी के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें यू.पी. से भी हरियाणा से भी पंजाब से भी अधिकारी आए हुए थे, और वहां यह बात हुई कि क्योंकि प्रदूषण की कोई सीमा तो होती नहीं है, हवा कहीं भी जा सकती है। इसलिए इस पर मिलकर काम करने के लिए हमने उनसे कहा है। उन्हें पत्र भी लिखा है और वो भी सहमत है इसके लिए, सरकार ने तो कदम उठा लिया है। अब वहां से जवाब आना बाकी है।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, मैं बार बार प्रार्थना कर चुका हूँ। कुछ आदत बन गई है। मुझे मजबूर मत कीजिए किसी बात के लिए। मैंने कितनी बार प्रार्थना की है कि ये स्टार्ड क्वैश्चन का अवसर बार बार नहीं आता है। सम्मानित विधायक बहुत मेहनत करके स्टार्ड क्वैश्चन लेकर आते हैं, जो दिल्ली की जनता के बहुत अधिक हित में रहते हैं। अधिकारियों को जवाब देने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं दुबारा आपको

चेतावनी दे रहा हूँ।...मैं दुबारा चेतावनी दे रहा हूँ। देखिये, मुझे आप परेशान न करें इस विषय पर। आप बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये।...मैं दुबारा कह रहा हूँ, प्लीज बैठ जाइये आप।...मैंने कब कहा गलती है? मैंने रूलिंग दी है। दो दिन चर्चा होनी है एजुकेशन पर। आप उस समय बोल लें। उस समय ले आइये जो भी लाना चाहते हैं।...नहीं कोई अलग मामला नहीं है। एजुकेशन बिल पर चर्चा होगी, जो भी मामला है उठाइये एजुकेशन पर। मैं एलाऊ करूँगा आपको। ऐसे नहीं चलेगा।...देखिये पुष्कर जी, मैं बार–बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं रूलिंग दे चुका हूँ। नहीं तो मुझे कानून का फिर सहारा लेना पड़ेगा। नहीं आप बैठ नहीं रहे हैं, आधा घण्टा हो गया। ...चलिए मैं under Rule 277(2), I am naming Sh. Pankaj Pushkar

...(व्यवधान)...

Jh lR;Unz tSu ¼LokLF; ea=h½ % Under Rule 277(3)(A), I beg to move that Sh. Pankaj Puskar be suspended from this House for 2 sittings from 27 Nov., 2015.

v/;{k egksn; % स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सदन के सामने है;

2015 जो इससे सहमत हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

मैं दो दिन के लिए पुष्कर जी को...ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बार बार

रिक्वेस्ट की है। एक बार नहीं कम से कम दस बार रिक्वेस्ट की है...दो दिन के लिए सदन से निष्कासित करता हूँ। चलिए। मुझे फिर मार्शल्स का सहारा लेना पड़ेगा, आपका सम्मान इसी में है कि आप स्वयं चले जाइये। मार्शल आयें। पुष्कर जी जल्दी हटायें। मुझे सदन चलाने दीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं सुन रहा हूँ।...

(श्री पंकज पुष्कर को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया)

v/;{k egkn; % प्रश्न सं. 106 श्री अनिल बाजपेयी।

Jh vfuy dqekj cktis;h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 106 प्रस्तुत है

क्या **[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि EDMC ने M/s IL&FS Environment & Services Ltd. के साथ मिलकर गान्धी नगर विधानसभा क्षेत्र में विजय मार्केट के निकट जी.टी.रोड, शास्त्री पार्क में से एण्ड सी रिसाईकिल प्लान्ट स्थापित किया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस प्लान्ट के चलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न वायु, जल, शोर एवं धूल प्रदूषण के कारण इससे सटी हुई गांधी नगर एवं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 लाख लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है; और

(ग) क्या एक्सपर्ट द्वारा जांच होने तक इस प्लान्ट को बन्द रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifrl e=h ¼Jh bejku gqlsu½ % प्रश्न सं. 106 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हाँ।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने M/s IL&FS Environment & Services Ltd. द्वारा 500 मैट्रिक टन प्रतिदिन (एमटीडी) क्षमता का सी. एण्ड डी. प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट को वायु एवं जल अधिनियम के अंतर्गत ली गई समिति प्रमाण पत्र के अनुसार मानकों को अनुपालन करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी उपाय जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/चैनलाइजेशन लगाना पड़ेगा। संयंत्र जो कि प्लांट से निकलने वाली धूल आदि को नियंत्रित करेगा और वायु की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होगी।

(ग) व (ख) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

v/;{k egkn; % बाजपेयी जी।

Jh vfuy dqekj cktis;h % अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मंत्री जी को बड़े स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि शस्त्री पार्क, सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी जनता है, 70 प्रतिशत लोग इससे परेशान हो रहे हैं और वहां पर अगर इस प्लांट को बंद नहीं किया गया, जो जनता सड़क पर उतरेगी, भूख हड़ताल होगी और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जनता के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा। मैं मंत्री जी, आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ।

v/;{k egkn; % आप प्रश्न कीजिए।

Jh vfuy dqekj cktis;h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारा यही है कि

उसको बंद कर देना चाहिए। मैंने मंत्री जी से भी पर्सनली रिक्वैस्ट की है। और किस तरीके से इसको किया गया...अध्यक्ष महोदय, आप भी उधर से निकलते होंगे। बिल्कुल मेन शास्त्री पार्क के जो कि रिहाइश से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है वहां पर। और खुला उल्लंघन है, एनजीटी का भी खुला उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसको बन्द करा दीजिए प्लीज। नहीं तो मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि जनता सड़क पर उतरेगी और मुझे जनता के साथ भूख–हड़ताल पर, आमरण–अनशन पर बैठना पड़ेगा। इसका जबाव चाहिए मंत्री जी आपसे।

[kk| ,o vkifrl e=h % अध्यक्ष महोदय, कल माननीय विधायक जी आये थे, इनके सामने डीपीसीसी के अधिकारियों को भी बुलाया था तो उन्हें कह दिया गया है। वे वहां जाकर निरीक्षण करेंगे। आज गये होंगे। निरीक्षण करके इसकी पूरी रिपोर्ट लाकर देंगे। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है, जिससे एरिया के लोगों को क्षति पहुँचती है या नुकसान पहुँचता है, तो इस पर पूरा एक्शन लिया जायेगा।

Jh vfuy dqekj cktis;h % अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब मंत्री जी के पास अधिकारी बैठे थे, मैं भी आपके साथ था। प्लीज उसको देखिये न कम से कम। आप भी मेरे साथ गये हैं वहां पर।...

v/;{k egksn; % अनिल जी, उन्होंने उत्तर दिया है कि विजिट करते हैं और वहां ऐसा कुछ लगा तो उसको बंद करवाया जायेगा।

प्रश्न सं. 108 श्री श्रीदत्त शर्मा (उपस्थित नहीं)

प्रश्न सं. 109 श्री मनोज कुमार

Jh euk t dekj % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 109 प्रस्तुत है :

क्या **[kk| vkifr ,o i;koj.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कोंडली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर में पशु–वध गृह (स्लॉटर–हाउस), कोंडली में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा गाजीपुर में सेनिट्री–लैंडफिल भी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि गाजीपुर सेनिट्री–लैंडफिल में कूड़ा निर्धारित ऊंचाई से ऊपर पहुंच गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कोंडली विधान सभा क्षेत्र से ही सटे नोएडा में अब एक और पशु–वध गृह (स्लॉटर–हाउस) बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त परिस्थितियों में कोंडली विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार कोंडली विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में क्या ठोस उपाय कर रही है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifr e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 109 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) गाजीपुर में पशु–वध गृह (स्लाटर हाउस) तथा कोंडली में ही सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट स्थापित किए गए हैं परन्तु गाजीपुर में सेनेट्री लैण्डफिल नहीं है। बल्कि खुले में कूड़ा डालने का स्थान है (open waste dumping site) जो कि

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन है। यह स्थल न तो सेनेट्री–लैंडिफिल है और ना ही वैज्ञानिक रूप से डिजाइन्ड है।

(ख) अतः उपरोक्त के संबंध में खुले में कूड़ा डालने के स्थल (open waste dumping site) की निर्धारित ऊँचाई की सीमा निर्धारित नहीं है।

(ग) नोएडा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता।

(घ) जी नहीं। गाजीपुर में कूड़े से ऊर्जा बनाने का संयंत्र शीघ्र ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम की अनुमति/सहमति से पर्यावरण संरक्षण नियम एवं मानकों के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्थापना हेतु सहमति प्रदान कर दी है। इस संयंत्र की कूड़ा ग्रहण की क्षमता 1300 एमटीडी है तथा संयंत्र के सुचारू रूप से चलाने से खुले में कूड़ा डालने के स्थान (open waste duumping site) पर जमा होने वाले कूड़े की मात्रा एवं ऊँचाई नियंत्रित होगी।

v/;{k egkn; % मनोज जी, पूरक प्रश्न।

Jh eukt dekj % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसा अभी उन्होंने बताया कि उसकी कोई भी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी नहीं की गई है और खुले में वह लैण्डफिल बनाया गया है। उसमें चौबीसों घण्टों बिना लगाये इतनी भयंकर आग लगी होती है और उसमें इतना कैमिकल और गैस भरी हुई है, जिससे वहां पर चौबीसों घंटे, यहां तक कि बरसात में भी उसमें धुंआ उठता रहता है, आग लगी रहती है। जिसके कारण पूरी कोण्डली विधान सभा ही नहीं, आस पास के विधान सभा क्षेत्रों में

भी फर्क पड़ रहा है और यूपी के पूरे इन्द्रापुरम और गाजियाबाद का जो क्षेत्र हैं, उसमें भी रहना दुश्वार हो रखा है। दूसरा एक और जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर जो स्लाटर हाउस, एमसीडी ने बनाया है, उसमें इतनी भयंकर बदबू निकलती है कि वहां से निकलना मुनासिब नहीं है। मैंने उसके बारे में कई बार एमसीडी कमिश्नर को भी लिखा है और मिनिस्टर को भी लिखा है कि वहां से निकलना इतना मुश्किल है कि अगर आपने गाड़ी का शीशा खोल दिया तो आपको वोमिटिंग हो जायेगी। उसके सामने हमारा गाजीपुर थाना बना हुआ है जिसको दिल्ली के अंदर अब ये कहा जाता है कि वह पनिशमैन्ट थाना है। अगर दिल्ली पुलिस किसी को पनिश करती है तो उस थाने में ट्रांसफर करती है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि चौबीसों घंटे वहां से बदबू निकलती है। वह जो स्किन है या ब्लड है उसको क्या प्योरिफाई करते है, बर्न करते हैं। स्किन को क्या करते हैं...लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोण्डली विधान सभा क्षेत्र के लोगों का जीवन मुहाल हो रखा है...

v/;{k egksn; % मनोज जी, प्रश्न पूछिए प्लीज।

Jh eukst dqekj % अध्यक्ष महोदय, यह मेरे सुझाव थे कि उस पर कोई कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। लैण्ड फिल की ऊँचाई बढ़ती जा रही है। जो संयंत्र इन्होंने लगाया है, उससे न तो उस कूड़े का खात्मा हो रहा है, बल्कि जो उसमें नया कूड़ा आयेगा, उससे वे एनर्जी बनायेंगे। बाकी 40 प्रतिशत वेस्ट उसी के ऊपर डाला जाएगा। तो वहां की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उधर के लिए लैण्ड फिल और स्लाटर हाउस के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ठोस कदम उठायें।

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifrZ ea=h % सर वह जो डम्पिंग साइट है, वह एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की नहीं है और जो आप बता रहे हैं। कि आग निकल रही है, वह मीथेन गैस बनने से है। अब वहां पर एनर्जी वेस्ट प्लांट लग गया है। उसके अंदर 1300 एमटीडी का जो मेरी जानकारी में है, यह सारा कूड़ा उसमें जायेगा और वहां से लाइट बनाने का प्लांट एमसीडी ने लगा दिया है, जिसमें आज सुबह 12.00 बजे तक 5.99 मेगावाट बिजली बन चुकी थी। रोजाना लगभग 12 मेगावाट बिजली वे बनायेंगे। 13 टन गारबेज रोजाना उसमें खपायेंगे और इस साइट को साफ करने के लिए उन्होंने मुझे बताया है। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % नितिन जी।

Jh fufru R;kxh % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूँ। जो मनोज जी ने बात उठायी, उसी को बढ़ाते हुए कि वह बदबू नहीं है। वहां का जो पूरा का पूरा एन्वायरनमैन्ट, वहां की हवा ऐसी हो गयी है कि हमारे जो ऐसी के क्वायल हैं, सर एसी के क्वायल कॉपर के होते हैं और वहां पर हवा की वजह से हर घर के एसी के क्वायल जल जाते हैं। तो सर, क्या पॉल्यूशन या ऐसा क्या जहर एस हवा में है क्योंकि हमारे फेफड़े तो कॉपर की क्वायल से कमजोर ही होंगे। तो वही हवा हम लोग भी सूंघ रहे हैं, तो क्या उसकी हवा की कोई टेस्टिंग कराई गयी है? सिर्फ बदबू की बात नहीं है, परन्तु उस हवा की वजह से हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है और उससे बचने के लिए क्या स्टैप लिये जायेंगे, इसके बारे में क्या सरकार का कोई विचार है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

[kk| ,o vkifrZ e=h % अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार ने वहां पर 12 लाख वृक्ष लगवाने का इस साल का टारगेट था, जिसमें से 8 लाख लगवा दिए गए हैं और 4 लाख बाकी हैं जो कि लगवा दिए जायेंगे। हवा के प्रदूषण को ठीक करने के लिए।

v/;{k egkn; % नहीं बस एक सप्लीमैन्टरी। हो गया मनोज जी।

v/;{k egkn; % प्रश्न सं. 110 श्री गुलाब सिंह।

Jh xqykc flag % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 110 प्रस्तुत है :

क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब की दुकानें खोलने व बंद करने के लिए क्या नियम है;

(ख) आबकारी नियम का उल्लंघन होने पर दुकानों को सील करने की समय–सीमा क्या है; और

(ग) नियमों को तोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो विवरण।

v/;{k egkn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 110 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) शराब की दुकानें दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 दिल्ली आबकारी नियम 2010 तथा लाइसेंस की नियम एवं शर्तों के अनुसार खोली जाती है। (गाइडलाइन्स संलग्न हैं)

(ख) आबकारी नियम का उल्लंघन होने पर दुकानों को सील करने की सयम सीमा का निर्धारण दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम 2010 में नहीं किया गया है।

(ग) नियमों को तोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ CCS (CCA) Rules 1965 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) ऐसा कोई मामला वर्तमान में सामने नहीं आया है जिसमें किसी अधिकारी ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 एवं दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन किया हो। फरवरी 2015 में एसीबी के छापे में कुछ गोदामों व दुकानों में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद दो निरीक्षकों व दो कांस्टेबलों को निलंबित किया गया था और विभागीय जाँच के अंतर्गत चार्जशीट किया जा रहा है।

TERMS AND CONDITIONS FOR THE GRANT OF LICENCE IN FROM L-10 (RETAIL VEND OF INDIAN LIQUOR AND FOREIGN LIQUOR IN PRIVATE/PUBLIC SECTOR IN SHOPPING MALLS OR AT SHOPPING COMPLEX AT AIRPORT).

Licences in Form L-10 for the retail sale of various brands of Indian Liquor and Foreign Liquor etc. as approved or registered by the competent authority in the National Capital Territory of Delhi shall be granted in accordance with the following terms and conditions :

1. ELIGIBILITY TO HOLD LICENCE

1.1 Licence shall be granted to the following :

(a) Companies registered under the Companies Act, 1956;

(b) Partnership firms registered under the Partnership Act, 1932;

(c) Co-operative Societies registered under the relevant Co-operative Societies Act;

(d) Sole proprietors

(e) Delhi Tourism & Transportation Development Corporation, Delhi State Civil Supplies Corporation, Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation and Delhi Consumer Corporation Wholesale Store hereinafter called the Public Sector.

EXCEPTION

(i) No person or his family member interested in any distillery, brewery winery or bottling plant holding L-1 and L-9 licence for the wholesale Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor respectively shall be eligible for this licence. For the purpose of this, a person interested in any distillery, brewery, winery or bottling plant includes every person interested in the business of such distillery or brewery or winery or bottling plant as a member of co-operative society, director, partner, agent or employee.

(ii) Only one licence shall be granted to a company, partnership firm and a co-operative society. They shall not be eligible to apply and hold more than one licence in any case. For sole proprietors, one licence shall be granted for the family and no other family member shall be

eligible to hold any other L-10 licence. However, this condition shall not apply to public sector.

(iii) Holder of L-10 licence shall not be eligible for any other wholesale or retail licence. However, this condition shall not apply on public sector.

1.2 **(a) Private Sector :** The applicant for L-10 licence should be in actual physical possession of a shop (hereinafter referred as "the proposed shop") measuring 500 sq. feet and above carpet area in a shopping mall situated at Commercial plots approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc. or at shopping complex at Airport.

(b) Public Sector : The applicant for L-10 licence should be in actual physical possession of a shop (hereinafter referred as "the proposed shop") measuring 750 sq. feet and above carpet area in a shopping mall situated at Commercial plots approved by the local bodies including DDA/MCD/NDMC, etc. or at shopping complex at Airport.

A shopping Mall may be defined as a centrally air conditioned air conditioned place where a number of shops are located in a building or a set of building with interconnecting walkways, on same or different floors with common passage area for the buyers/visitors including the atrium or foyer, having parking facility.

1.3 The proposed shop should be a pucca building.

1.4 The applicant, in case of sole-proprietorship and one of the partners in case of a partnership firm must be a resident of Delhi. In case of companies/firms, offices must be registered in Delhi with any Government

agency (Sales Tax/Income Tax, etc.) for more than five years. In case of cooperative societies, it must be registered with the Registrar, Cooperative Societies, Delhi for more than five years.

1.5 No L-10 vend shall be located within 100 meters from the following:

(a) major educational institutions

(b) religious places

(c) hospitals with fifty beds and above.

Provided that the condition of hundred meters shall apply for licenses granted after the commencement of these rules.

Provided also that if any major educational institution, religious place or hospital with fifty beds or above comes in to existence subsequent to the establishment of the retail vend of Indian Liquor, foreign Liquor, or country liquor, the aforesaid distance restrictions shall not apply.

Explanation I - For the purpose of clause (a) above major educational institutions would mean middle and higher secondary schools, colleges and other institutions of higher learning recognized by the Government.

Explanation II - For the purpose of clause (b) above, a religious place would imply a religious place having a pucca structure with a covered area of more than 400 square feet.

Explanation III - The measurement of distance shall be the shortest traversable distance, from the mid point of the actual main entrance/ door of the premises proposed for license to mid point of the actual main door/entrance of the building of the places mentioned in clauses (a) (b) and (c) above.

2. PROCEDURE TO APPLY

2.1 Applications in the prescribed from (Annexure-I) along with other relevant documents for licence shall be made to the Deputy Commissioner of Excise, Delhi (hereinafter referred as "the Deputy Commissioner").

2.2 Applicant will submit the following along with the application:

(a) Proof of lawful possession of the proposed shop i.e. ownership/ lease/rental documents etc.

(b) an affidavit in the from given in Annexure-II declaring that :

(i) he is in actual physical possession of the shop for which he has made an application for grant of L-10 licence.

(ii) there is nothing adverse against the applicant as per the provisions of Rules 23 of Delhi Excise Rules, 2010.

(c) A lay out plan of the area in which the shop is located, clearly showing the proposed shop.

(d) An earnest money of Rs. 8 lacs by way of Demand Draft in favour of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi.

(e) A solvency certificate of Rs. 50 lacs issued by Sub-issued by Sub-divisional Magistrate/a Scheduled Commercial Bank.

(f) Income tax clearance certificate.

(g) Domicile certificate/Proof of registered office being in Delhi.

2.3 Information as required in the application from shall be furnished with complete details & enclosures, truly and faithfully, so as to enable the processing of the application for grant of L-10 licences. The applicant

shall not be entitled to any relief or compensation on account of delay in the finalization of his case for the grant of licence.

2.4 Order of priority will be the date of receipt of application, complete in all respect. The applicant whose application is not complete in all respect will be given 15 days time to remove the discrepancies failing which the incomplete application shall be rejected.

3. GRANT OF LICENCE

3.1 The Government of National Capital Territory of Delhi has decided to grant L-10 licence for retail trade of Indian Liquor & Foreign Liquor in Delhi in shopping malls on first come first serve basis.

3.2 All the applications for the grant of L-10 licence shall be subject to the acceptance by the competent authority who may accept or reject any application without assigning any reason. The licensing authority shall be under no obligation to grant any licence for which application has been made.

3.3 If on scrutiny, any application is found incomplete, vague, confusing or not as per the terms and condition, the same shall be summarily rejected and the decision of the Commissioner Excise shall be final.

3.4 In case of rejected applications, the earnest money will be refunded to the applicant by registered post within a period of thirty days from the date of rejection.

4. COMPLETION OF FORMALITIES/FEE STRUCTURE

4.1 Successful applicants shall be granted L-10 licences for their respective proposed shops subject to the completion of the following formalities within fifteen days from the date of approval of the licence :

(a) Payment of licence fee of Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight lacs) only by way of Demand Draft in favour of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi.

(b) a security deposit of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten lacs) only by way of a Demand Draft in favour of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi. However, the earnest money of Rs. 8 lacs will by adjusted in the licence fee. The amount of security deposit shall be refunded to the licence holder on termination of his L-10 licence with any interest within a period of thirty days from the date of the termination of the licence.

(c) after the grant of licence, if the applicant is not able to complete the formalities within a period of fifteen days from the date of the issue of offer letter or is not found in the actual physical possession of the proposed shop, the earnest money of Rs. 8 lacs shall be forfeited.

(d) the successful applicant shall submit a plan of interior design of the proposed shop ensuring the following points :

  (i) The shop floor area has been designed to ensure the display of the various liquor brands along with necessary price indicators;

  (ii) The interiors of the shop have been so designed that the shop has proper painting, lighting, flooring and hygiene.

4.2 The licensed premises shall be duly insured against fire and natural hazards. The licensee shall keep the premises thoroughly clean and dry and shall comply with the orders issued by the Deputy Commissioner for removal of defects in the building.

5. TRANSPORT PERMITS/RIGHT TO SELL LIQUOR

5.1 On completion of the above referred formalities, the applicant shall be granted licence in From L-10 which will entitle him to make retail sale form the proposed shop, of those brands of Indian Liquor/Foreign Liquor which have been approved/registered by the Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi.

5.2 The holder of L-10 licence shall be bound to procure liquor from holders of L-1/L-1F licence at the rate approved by the Department. Transport permits to procure liquor from holder of L-1/L-1F licence shall be issued to the holders of L-10 licence subject to payment of excise duty and other levies applicable under Delhi Excise Act, 2009 and prescribed under the Rules.

6. TIMINNS/RETAI PRICE

6.1 Government to National Capital Territory of Delhi has approved the Policy of flexi-timings for retail trade of liquor in Delhi. L-10 liquor vend will be allowed to remain open from 10.00 am to 10.00 pm.

6.2 Holders of L-10 licence will be bound to sell liquor only at a price fixed by the Excise Commissioner for each brand and mentioned on labels. Any undercharging or overcharging shall be considered as violation of the terms and conditions and the licensce shall be liable to be cancelled.

7. DRY DAYS

"Dry days" as declared by the Government shall be observed as "dry days". L-10 retail vend shall remain closed on all the "dry days". The holders of L-10 licence shall not be entitled to any compensation or relief due to any increases in the number of "dry days" beyond the

normal number or due to change in the working hours of the retail vends during the courses of the licensing period.

8. STOCK/BOOKS OF ACCOUNTS

8.1 The holders of L-10 licence must store such number of brands of Indian Liquor/Foreign Liquor as may be approved by the Deputy Commissioner.

8.2 The holders of L-10 licence shall maintain the books of accounts and sales statements in the prescribed proforma. He shall maintain true accounts for day to day in ink entering all figures in international numerals and other particulars in English or Hindi.

9. PAYMENTS

9.1 The licensee shall make all the payments to the Government in connection with the operation of his licence by Demand Draft drawn in the name of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi or as per the procedure which may be prescribed by the Department from to time.

9.2 The licensee shall pay simple interest @ 12% per annum from the date next following the day on which any payment recoverable from him under Section 29 of the Delhi Excise Act, 2009 (hereinafter referred to as the "the Act") becomes due to the Government until the date on which such payment is actually made or such amount is actually recovered, whatsoever may be the reason for the lapse of time before payment is made or recovery is affected.

9.3 The licensee shall not be entitled to any interest or any other relief or compensation on account of any delay in the payment of any amount to him by the Government.

10. BAR-CODE SYSTEM

10.1 For introduction of the Excise Supply Chain Information Management System (ESCIMS), the standard operating procedures for barcode Implementation shall be made available to all the licensee of the Department of Excise, Entertainment and Luxury Tax of NCT of Delhi, who shall be required to procure, install and make necessary provisions for IT and non IT infrastructure at his licensed premises as may be required for successful implementation of the Excise Supply Chain Information Management System.

10.2 The holders of L-10 licence shall be bound to issue receipt/ bill for each transaction of sale of liquor. The bill/receipt shall inter-alia include:

(a) name of the holder of the L-10 licence and address of the shop.

(b) name and address of the customer.

(c) date of sale;

(d) name, quantity and batch no. of the brands sold.

11. RENEWAL

11.1 The Government of National Capital Territory of Delhi has declared that normally, the Excise Year would be from 1st April to 31st March;

11.2 L-10 licence may be renewed at the sole discretion of the Licensing Authority subject to payment of such licence fee and compliance of such other conditions as may be prescribed from time to time.

12. PROHIBITION

12.1 In pursuance of the Directive Principles of the State Policy relating to Prohibition contained in Article 47 of the Constitution of India,

Government of the National Capital Territory of Delhi may issue orders and directions from time to time and such orders and directions shall be Binding on the licensee and no compensation shall be payable on that Account.

12.2 The licensee shall abide by the following prohibition measures, namely:

1. The licensee shall display notice board prominently in front of the licensed premises declaring that "Drinking of liquor is injurious to health".
2. All persons employed by the licensee in the licensed premises shall be required to possess identity cards issued under the signatures of the authorized signatory and the employees shall be required to produce the identity card on demand by the Excise Officer or any officer not below The rank of Sub-Inspector.
3. The licensee shall neither keep, distribute not sell any advertising material which is likely or intended to promote the sale or consumption of liquor, Eco-friendly carry-bags, however, can be used Subject to such advertising as not exhorting people to take to drinking.
4. No licensee shall advertise liquor or any product having similar nomenclature of liquor product, unless such advertisement conforms to The programme code and advertisement code as laid down in the Cable Television Network (Regulation)Act, 1995 (as amended from time to time) and The Cable Television Net Work Rules, 1996 (as amended from time to time).

13. OTHER CONDITIONS OF LICENCE

13.1 Licence in Form L-10 for the licensing period shall be inter-alia subject to the general conditions in Rule 37,50,51 and 66 of the Delhi Excise Rules, 2010(hereinafter) referred to as "the Rules"). The holders of

L-10 licence shall abide by the provisions of the Act and the rules framed and orders issued there under and any other law/rules in force it the National Capital Territory of Delhi relating to liquor.

13.2 Refrigeration facilities for storage of beer shall be mandatory for holders of L-10 licence.

13.3 Other conditions and guidelines as applicable to L-6 retail liquor vends shall be adhered to in the case of L-10 vends also and they shall also follow additional conditions as prescribed by the Government form time to time.

13.4 The licensee shall furnish to the Deputy Commissioner, a declaration in writing by the 8th of every month certifying that he has cleared all outstanding excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise revenue and other dues recoverable from him. The Deputy Commissioner or any Excise Officer may refuse to issue any pass or permit to licensee in the absence of such declaration or for any sufficient reasons, to be recorded, if he has reasons to believe that the licensee has not, on demand, paid any dues recoverable under Section 29 of the. Act or dues payable on account of undue pecuniary benefits obtained by licensees due to furnishing of wrong information or/and suppressing the material information furnished to the Department at the time of initially applying for the licence. The licensee shall not be entitled to any compensation of relief on account of such refusal.

14. The licensee shall be bound to furnish any information in connection with L-10 licence truly and faithfully within a reasonable time as may be prescribed by the Excise Commissioner, the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner or the Excise Officer. Refusal to furnish the information, furnishing of false information or non-

compliance of the orders shall be regarded as breach of the terms and conditions of the licence. Breach of terms and conditions may also result in non-issue of import/transport permits and suspension/cancellation of licence.

15. The Deputy Commissioner reserves the right to cancel or suspend any L-10 licence at will as per provision of Section 17 of the Act.

Sd/-

(PRAVEEN MISHRA)
DEPUTY COMMISSIONER (EXCISE)
LICENCING AUTHORITY

16. (Declaration in Affidavit)

17. If the Premises is Jointly Owned Whether N.O.C. is Obtained from all other Members/Partners (Attested Photocopy of the NOC)

18. Any other Information Regarding Suitability of Premises

Declaration Certified that the Particulars Stated abover are Correct to My Knowledge and Belief and No material facts have been concealed.

(Signature of the Applicant)

(Check List for Doucments to be Submitted alongwith the Application Form is At Annexure—IV Applicants are requested to carefully fill the check List before submitting the Application)

ANNEXURE-III

AFFIDAVIT

I..........................s/o, d/o..................w/o...................
aged..............resident of ....
do hereby solemnly affirm and declare as under.

1. That I have applied for L-10 shop at........

2. That the said premise does not fall within 100 mtrs. of any major educational institution or religious places or hospitals with 50 beds and above as defined in Rule 51(1) of Delhi Excise Rules, 2010.

3. That I or my company/society/firm does not have any interest in any distillery/bottling plant/brewery holding L-1/L-3 licence for the whole sale vend of liquor in the National Capital Territory of Delhi.

4. That I or my company/society/firm or any of my family members or any of the family members of the persons interested in my company/ society/firm does not hold any other retail vend of liquor in the National Capital Territory of Delhi.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Delhi on this .... day of .... 20 ......that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

v/;{k egkn; % गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc flag % अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अब सरकार अब से पहले 2009 और 2010 जैसा इसमें कहा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि दुकानों को सील किया जाये लेकिन क्या अब सरकार कोई इस तरह का नियम लेकर आ रही है कि बार बार नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों को सील किया जाये। पहला तो यह है कि क्या अब सरकार कोई नियम लेकर आ रही है और दूसरा मेरा कहना है कि ऐसा बताया गया है कि कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया लेकिन मैं एक्साइज कमिश्नर को खुद उनके ऑफिस जाकर लिखित में प्रमाण सहित शिकायत मैं देकर आया हूँ। सेक्टर–3 द्वारका में जो वाइन शॉप है, जो कि बिल्कुल स्कूल के सामने है। और राणा जी एन्क्लेव में जो तीन मंदिरों के बीच में एक शराब की दुकान है। दो शिकायतें मैं उनको देकर आया हूँ। लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जो कि एक अधूरी जानकारी लगती है।

v/;{k egkn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, एक तो नियमों में अनदेखी के उपरांत एक्शन लिये जाने वाले का प्रावधान पहले से ही रूल्स में है और उसकी निश्चित रूप से कोई एक बार नियमों में अनदेखी करता है तो कितने दिन में उसको सील किया जायेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है और इसकी समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव भी वर्तमान में तो नहीं है।

दूसरा, ऐसा हो सकता है कि माननीय सदस्य के द्वारा या और भी कई

नागरिकों के द्वारा शिकायतें की गयी हों परन्तु जब तक ये जाँच में या जो प्राइमरिली इन्फार्मेशन हैं, उसमें नियमों के उल्लंघन का मामला तय नहीं हो पायेगा, तब तक उसको इस जानकारी में शामिल करना मुश्किल है।

v/;{k egksn; % राजेश जी।

Jh jkts'k xqIrk % अध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें दो सवाल हैं। एक तो जैसा कि अक्सर पाया जाता है कि शराब की दुकानों पर बहुत असामाजिक तत्व आते हैं और वहां पर माहौल ट्रैफिक वगैरह का भी खराब रहता है। तो क्या उसको एक वर्नएबल एरिया मानकर वहां पर सीसीटीवी कैमराज या हर जगह जो दो होम गार्डस देने की बात करते हैं। कम से कम क्या सीसीटीवी कैमरा लगाने के बारे में सोच सकते हैं? और दूसरे ये कि क्या दो शराब की दुकानें के बीच में कोई दूरी का मापदण्ड है? क्योकि मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि एक मॉल शराब का मॉल के नाम से मशहूर होने लगा है। क्योंकि 5 दुकानों सब आपस में सटी हुई हैं और पता ये लगा है कि वे सारी दुकानें एक ही आदमी की हैं, ताकि उसकी सेल डिवाइड न हो। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि दो दुकानों के बीच में कोई निश्चित दूरी हो?

v/;{k egksn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, दुकानों के बीच में दूरी के संबंध में ऐसा तो कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा लगाने का जो प्रश्न है...समय समय पर दुकानों के सामने जो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, वहां का वातावरण ठीक रहे, वहां के बारे में शिकायतें मिलती हैं और एक्शन भी लिया जाता है। हमने राजस्व विभाग के एसडीएम को एम्पावर किया

है कि वे भी समय समय पर वहां पर जाकर निरीक्षण करें। हमने दुकानों को भी कहा है कि वे सीसीटीवी कैमरे लगवायें। इसको और एन्फोर्स करेंगे।

v/;{k egkn; % नहीं सप्लीमैन्टरी तीन ही होंगी। दो के नाम पहले आ चुके हैं। जरनैल सिंह जी। उनका हाथ पहले उठा है आपसे। कैलाश जी प्लीज।

Jh tjuSy flag ¼रा.गा.½ % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कई राज्यों ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी हाल ही में बिहार में भी हुआ। क्या दिल्ली में ये संभव है, क्योंकि सभी जो ठेके हैं, वह सिर्फ दिल्ली सरकार के नहीं होते, और विभागों के भी होते हैं। क्या ये संभव है, क्या इस पर विचार चल रहा है? और हमारा सुझाव है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

v/;{k egkn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये प्रस्ताव स्वागत योग्य है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, शराब बंदी के अलग अलग तरह के दुनिया भर में अनुभव रहे हैं। और समय समय पर सरकारें करती भी रही हैं और बाद में उसको खोलती भी रही हैं। अलग अलग स्टडीज भी हैं। यहाँ तक दिल्ली सरकार का सवाल है, ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचार में नहीं है। लेकिन इसके प्रोज एण्ड कोन्स बहुत हैं। प्रोज निश्चित रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं कोन्स कई बार कई स्टडीज में सामने आये हैं। लेकिन वह हमेशा हर जगह लागू हों, हर जगह कोन्स सामने आयेंगे, ऐसे कह नहीं सकते। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में है नहीं।

v/;{k egkn; % गौतम जी।

Jh jktUnz iky xkSre % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि कालोनी के बीचों बीच में जो दुकानें हैं, उनको कहीं बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाये। एक दम कालोनी के बीच में और वहीं क्राउड ज्यादा है। सब जगह से हमारे पास चिट्ठियां भी आई है इसके बारे में।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, जहां भी हमें इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, वायलेशन की। पिछले वर्षों में इस तरह के शराब के वेन्ड्स बंद भी किए गए हैं। और क्योंकि कोई भी दुकान जहाँ भी होगी, वो किसी मार्केट, मॉल अभी एक सदस्य ने कहा कि किसी कालोनी या किसी मार्केट में होगी, हमारे पास दो ही ऑप्शन्स हैं एज ए गवर्नमैन्ट, एज ए सिस्टम ऑफ कोर्स या तो शराब बंद की जाये। या शराब की दुकानों की दुकानें चलाने के संबंध में ऐसे कुछ नियम बनाये जायें, ऐसी पॉलिसी रखी जायें और उनको ठीक से एन्फोर्स किया जाये, नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये। अभी हमारी कोशिश दूसरी है कि ऐसे नियम बनाकर, उनका पालन सुनिश्चित किया जाये, जहां–जहां पॉलिसी वायलेट हो रही है, जहां–जहां वायलेशन की शिकायत मिलती है, वहां एक्शन लेंगे। जहां से सदस्यों के संज्ञान में आती भी है, उस एक्शन लेंगे।

v/;{k egksn; % गिरीश सोनी जी।

Jh dSyk'k xgyksr % अध्यक्ष जी...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % मैं दोनों को समय दूंगा। मुझे लग रहा है कि शराब

के विषय पर कई माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं। गिरीश सोनी जी।

Jh fxjh'k lkuh % अध्यक्ष महोदय, जो शराब की दुकान के जिस तरह लाइसेंस दिए जाते हैं, तो उसके देते वक्त जैसे पहले सदस्य ने उठाया था कि पास में स्कूल हैं, स्कूल की बाउंड्री और उसके साथ में मतलब रोड है और रोड के तुरंत बाद मॉल है मॉल के अंदर, किसी को लाइसेंस दे दिया गया मेरी विधान सभा में। लेकिन रोड के पार दूसरी विधान सभा लग जाती है जैन साहब की विधान सभा है उसके अंदर है तो इसमें भी कोई रि–चैकिंग का प्रावधान या अधिकारियों का कुछ ऐसा है कि उसको किया जायेगा, उसकी शिकायत दर्ज कराये तो, मैंने एक–दो बार इसकी शिकायत भी की है।

v/;{k egksn; % मंत्री जी।

mi e[;ea=h % बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, क्योकि जो शराब की दुकान के लाइसेंस दिए जाते हैं, उनका निर्धारिण विधान सभाओं की सीमाओं के अनुसार नहीं होता है, पर उसमें रिलिजियस संस्थान या स्कूल इन सब का ध्यान रखा जाता है और उसके लिए पॉलिसी है। अगर कहीं पॉलिसी वायलेट हो रही है, निश्चित रूप से अगर माननीय सदस्य संज्ञान में लायेंगे, तो उस पर एक्शन लिया जायेगा।

v/;{k egksn; % कैलाश गहलोत जी।

Jh dSyk'k xgyksr % Thank you, Speaker sir, इसी के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि I understand Delhi Government does not have any policy to make Delhi liquor free city but I am sure, we can regulate the

manner in which we are giving licences.(1) I just fail to understand how can a liquor shop be there where school is there just ten meters away, there is a hospital and right in the middle of a residential colony.(2) I further fail to understand how can a liquor shop still exist और उनके जो कस्टमर्स हैं, उनको वहीं पर पीने के लिए अलाउ करते हैं people get drunk. There are all kinds of fights and it is next to impossible, specially for ladies even to cross the road. They get drunk and they start urinating right on the road. I think we need to review this policy and I think, I would request Deputy C.M. to at least start the process of verifying and a small stance can be taken every Excise Inspector of that area can do a small survey कि ऐसी कंप्लेंट्स हैं या नहीं है सर। थैंक यू।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि सरकार के संज्ञान में भी ये बातें हैं और मैं खुद भी इस चीज को लेकर चिंतित हूं। जिस विधान सभा से मैं आता हूँ वहां भी ऐसी स्थितियां हैं और उनकी शिकायतें मिलती हैं, हम भी एक्शन लेते हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने एसडीएम को भी ऑर्डर दिए हुए हैं और सीसीटीवी के भी ऑर्डर दिए हुए हैं। ये सारी चीजें और मैंने कहा कि और इंफोर्स करने की जरूरत है निश्चित रूप से, क्योंकि जो माननीय सदस्य कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं, वो भी सच्चाई है। उसी को समझते हुए एक कदम आगे उठाते हुए एसडीएम को समय–समय पर जांच करके उनसे रिपोर्ट्स मांगी जाती है। हमारे जो रेग्युलर ऑफिसर्स हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनसे भी मांगी जाती है और जहां से शिकायत मिलती है अगर एसडीएम की रिपोर्ट या एक्साइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में वहां से वो चीजें पॉजिटिव आई हैं

और शिकायत बताती है कि वहां प्रोब्लम है, तो फिर उन एसडीएम से या उन अधिकारियों से भी पूछा जाता है कि आपने जब किया तो आपके हिसाब से वहां कोई प्रोब्लम क्यों नहीं थी?

v/;{k egkn; % सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भावना हाउस में दिख रही है इस मामले पर, मनीष भाई को इस पर एक अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और चूंकि पीछे पॉलिसी पैरालाइज रही है और सरकार में और जिस तरह से अपने चाहने वालों को लाइसेंस बांटे गये हैं अपने रिश्तेदारों को लाइसेंस बांटे गये हैं, हुआ यह कि हर रेजिडेंशियल कॉलोनी में करीब–करीब बीचों–बीच कोई न कोई शराब का ठेका है और उस शराब के ठेके में जैसा अभी कैलाश जी ने बताया कि वहां पर take away joints हैं, लेकिन वहीं पर लोग बैठ कर दारू पीते हैं। हमने सरकार के संज्ञान में पहले भी लेकर आये हैं, सर्वप्रिया विहार है मेरे क्षेत्र में इलाका, कमल सिनेमा, सफदरजंग एन्क्लेव है, इन दोनों इलाकों में बहुत खतरनाक समस्या बन गई है, वहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानी भी हो रही है। यह कुछ न कुछ सरकार को गहरा करना पड़ेगा। माना कि वो हर जगह पॉलिसी बना रहे हैं बहुत भरा है पॉलिसी बनाने का। सर, इस पर भी एक पॉलिसी जल्द से जल्द बनायें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % बैठिये। प्रश्न संख्या 111 महेन्द्र गोयल जी।

Jh egsUnz xks;y % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 111 प्रस्तुत है :

क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग ने रिठाला विधान सभा में दिल्ली विकास प्राधिकरण से 18 मीटर व 24 मीटर की सड़कों को लेने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि कोई योजना है तो उसमें देरी के क्या कारण हैं, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

LokLF; ea=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न सं. 111 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) दिल्ली सरकार, कैबिनेट द्वारा निर्णय सं. 1904 दिनांक 25.06.2012 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की सड़कों का अनुरक्षण के लिए लो. नि.वि. द्वारा हस्तांतरित किया जाये। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सड़क की खामियों को ठीक करने की राशि का भुगतान लो. नि.वि. को करेगा।

तदोपरान्त लो.नि.वि. द्वारा इन सड़कों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इनमें खामियां हैं तथा इन खामियों की सूची विभिन्न पत्रों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को जून, 2014 में सूचित कर दिया गया था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हें सत्यापित करने का अनुरोध किया गया था जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लम्बित है।

(ख) उपरोक्तनुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार, इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खामियों का सत्यापन न होने के कारण विलम्ब हो रहा है।

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी, सप्लीमेंट्री।

Jh egUn xk;y % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न 'ग' का जो खामी है और आपने कहा कि ये ठीक हो जायेंगी, ये कब तक ठीक होंगी और कैसे ठीक होंगी?

LokLF; e=h % ये जो खामियां हैं, हमने सारी लिस्ट बनाकर डीडीए को दे दी है, डीडीए ने उनको सर्टिफाई करना है और पैसे देने है। डीडीए के पास लंबित है, डीडीए से परस्यू किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो कर सकें।

Jh egUn xk;y % कब तक समझा जाये?

LokLF; e=h % डीडीए से बात करनी पड़ेगी, डीडीए करेगा।

Jh egUn xk;y % अध्यक्ष महोदय, प्लीज इस ओर थोड़ा ध्यान दे लें। वैसे तो आपके सारे कार्य अच्छे हैं, इसको भी करवा दें।

LokLF; e=h % देखिये, आदरणीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार इसके लिए दोबारा से परस्यू करेगी। इसको एक साल से ज्यादा हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा कि साठ फुट से ज्यादा सड़कें हैं, उन सभी को लेने का प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुछ सड़कें एमसीडी के पास अभी भी रह गई हैं और कुछ डीडीए के पास है। जो भी सड़क होती है, उसको पहले ठीक करने की जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट की होती है, अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो उसको ठीक करने का जो पैसा है, वो दिल्ली सरकार को देने का हक है। वो एक बार मान ले कि हां, इतना खर्चा

है तो हम उसको ले लेंगे और ठीक कर देंगे। इसको जल्दी से परस्यू किया जायेगा और जल्द से जल्द कोशिश की जायेगी।

v/;{k egkn; % प्रश्न सं. 112 अवतार सिंह जी।

Ljnkj vorkj flag dkydkth % अध्यक्ष जी, प्रश्न सं. 112 प्रस्तुत है :

क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कालका जी विधान क्षेत्र में निर्माण विभाग के ठेकेदार हड़ताल पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसके कारण सिविल के कार्य रुके हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस गतिरोध को दूर करने के क्या उपाय कर रही है?

v/;{k egkn; % मंत्री जी।

LokLF; ea=h % अध्यक्ष महोदय, 112 का जवाब इस प्रकार है : (क) पूर्व में हड़ताल पर चल रही थी। परन्तु अब ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है।

(ख) क्योंकि अब ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है, अतः सिविल कार्य प्रारंभ हो गये हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

v/;{k egkn; % अवतार सिंह जी, सप्लीमेंट्री।

I jnkj vorkj fl g dkydkth % अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने भाग लेना शुरू कर लिया है तो प्लीज आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया हो जाये, ताकि इनको कोई आदेश दिया जाये कि आप जाकर एमएलएज को मिलें और उनके काम करने शुरू कीजिए। धन्यवाद।

LokLF; e=h % अध्यक्ष महोदय, सभी एग्जीक्युटिव इंजीनियर्स को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने इलाके के एमएलए से मिलकर जो भी उनके इलाके में काम हो रहे हैं, उन्हें इन्फोर्म करें और उनको बतायें। अगर उनकी कोई भी समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं।

v/;{k egkn; % एनी अदर सप्लीमेंट्री, अंतिम प्रश्न नितिन त्यागी जी, प्रश्न सं. 113

Jh fufru R;kxh % Honourable Speaker, Sir, I would request the Minister for Food & Supplies to kindly answer the question no. 113.

क्या **[kk| ,o vkifr] e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवश्यक पर्यावरण मानक को परिभाषित करने की कोई नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में जल, मिट्टी एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित

करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) प्रदूषण नियंत्रण के इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या सरकार ने कोई समय सीमा तय की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

v/;{k egksn; % मंत्री जी।

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h % अध्यक्ष जी, प्रश्न सं. 113 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) एवं (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण से जुड़े अन्य अधिनियमों व नियमों के तहत परिभाषित मानक लागू है।

(ग), (घ) एवं (ङ) प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है :

1. उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाए गए हैं।
2. सार्वजनिक वाहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है
3. धूल नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
4. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र में और सख्ती बरती जा रही है
5. कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है
6. कार मुक्त दिवस प्रत्येक माह की 22 तारीख को मनाया जाता है
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत बाहर से दिल्ली आने

वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लिया जा रहा है।

8. प्रदूषण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है।

9. नालों, यमुना नदी, मल शोधक–संयंत्रों (STP) एवं संयुक्त अवजल शोधक संयंत्रों (ETP) के जल की गुणवत्ता की सतत् जांच डी.पी. सी.सी. द्वारा की जाती है।

10. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्राप्त सूचनानुसार 59 कि.मी. लम्बाई में इंटरसेप्टर सीवर (Interceptor Sewer) डालने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के उन क्षेत्रों का सीवेज जिनमें अभी सीवर व्यवस्था नहीं है, को इंटरसेप्टर सीवर जो कि शाहदरा, नजफगढ़ तथा सप्लीमेंट्री ड्रेन के समानान्तर डलेगा, में ट्रेप करके नजदीकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर शुद्ध करने के उपरांत यमुना में जाने दिया जाएगा।

11. मल शोधक संयंत्रों (एस.टी.पी.) की क्षमता का विकास किया गया है। वर्तमान की क्षमता 2660 MLD (Million Litre Per Day) से 3128 MLD करने का प्रावधान है। मल शोधक संयंत्रों को चलाने की कनसेन्ट शोधित अवजल की गुणवत्ता के आधार पर डी.पी.सी.सी. द्वारा दी जाती है।

12. जल–प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों के द्वारा अवजल शोधक संयंत्र (ईटीपी)/मल शोधक संयंत्र (एस.टी.पी.) लगवाए गए हैं।

13. सभी बड़े होटलों, अस्पतालों एवं निर्माण कार्यों को अवजल शोधक

संयंत्र/मल शोधक संयंत्र लगाने एवं शोधित जल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

14. जल–स्रोतों को बचाने के लिए अभियान चलाया जाता है।

15. धार्मिक अवसरों पर विसर्जन के लिए यमुना नदी के समानांतर निर्दिष्ट बाड़ों के निर्माण हेतु सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया गया है।

v/;{k egkn; % हो गया ना?

Jh fufru R;kxh % प्रदूषण नियंत्रण के इच्छित लक्ष्य कोई अगर हमने निर्धारित किया है, तो वह बता दें और उसकी क्या समय सीमा हम लोगों ने तय की है कि कब तक हम उसको अचीव कर पायें। उसका कोई टारगेट है या नहीं है। हमने कोई पैरामीटर किये है ऐसे कि हम इस लेवल तक पाल्यूशन नीचे लेकर आना चाहते हैं यहां तक आ जायेगा तो हम सेटिस्फाइड हैं। अगर ऐसा कोई है तो कोई पैरामीटर हमने टारगेट बनाया है कि हां, इस टाईम तक हम ले आयेंगे तो ये हमारी पॉलिसीज इस तरह से चलेंगी। इसके बाद ये पूछा था। एक और चीज पूछना चाहता था इसमें सप्लीमैंटरी क्वैश्चन हमारे यहां पर दिल्ली में पोलिथीन के बारे में कई बार बात हो चुकी है, पोलिथीन फ्री दिल्ली बनाने की बात हुई है। 'कार फ्री डे' की तो अभी बात शुरू हुई है तो पोलिथीन के जो सीरियल ऑफंडर्स हैं जो हैबिच्युअल ऑफेन्डरर्स हैं उनको ले के क्या पॉलिसी में कोई चेंज लाने की संभावना है क्या स्ट्रिक्टनेस आने की कोई संभावना है। पोलिथीन क्योंकि मेरे ख्याल से आज की तारीख में चाहे वह यमुना हो, चाहे वह सोयल हो सबसे ज्यादा पाल्यूटिंग फैक्टर एक पोलिथीन है और पोलिथीन का जलाना है। क्या इसके ऊपर मंत्री जी कुछ बतायेंगे?

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, इसमें हम लोग क्योंकि मैं लॉ की तरफ से भी इसको बता सकता हूं क्योंकि दिल्ली सरकार बहुत कन्सर्न्ड है इस पोलिथीन को लेकर। जब हम सरकार में आये थे तो हमने देखा कि पोलिथीन पर बैन तो लगाया गया लेकिन उसको लेकर पोलिथीन वाले कुछ लोग जाकर दिल्ली कोर्ट में चले गये थे और उस पर थोड़ी सी मैं कह सकता हूं हीला हवाली थी, लॉ डिपार्टमेन्ट की ओर से भी या जो भी प्रोसिक्यूशन में लगे थे तो हमने बहुत अच्छे वकीलों को उस में लगा के और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पर कोई फैसला आ सके। सरकार चाहती है कि दिल्ली में जितना जल्दी से जल्दी हो पोलिथीन बैन करने के उस डिसीजन को लागू किया जा सके।

rkjkfdr iz'uks ds fyf[kr mÙkj

101- lqJh Hkkouk xkSM % क्या **LokLF; ea=h** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम द्वारका फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कितनी लाईनों पर फ्लाई ओवर बनाया जाना था और उसकी कुल चौड़ाई कितनी थी;

(ख) फ्लाई ओवर के नीचे बाजार के लिये कितनी चौड़ी सड़क एवं पटरी बनाई गई;

(ग) फ्लाई ओवर के निर्माण के बाद कितनी चौड़ी सड़क एवं पटरी बनाई गई;

(घ) क्या यह सत्य है द्वारका प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पालम कॉलोनी पर फ्लाई ओवर का निर्धारित योजना के अनुसार ही निर्माण हुआ है;

(ङ) यदि इसमें कोई संशोधन किया गया है तो उसके क्या कारण थे;

(च) फ्लाई ओवर के निर्माण के दौरान उसके नीचे बनी दुकानों/मकानों को तोड़ने पर कब्जा धारक कितने दुकानदारों/मकान मालिकों को कितना मुआवजा और वैकल्पिक स्थान दिए गए और कहां पर

(छ) क्या यह सत्य है कि स्वीकृत योजना के अनुसार फ्लाई ओवर के दोनों ओर रैम्प बनाये जाने थे; और

(ज) यदि हां, तो फ्लाई ओवर के दूसरी तरफ रैम्प न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

LokLF; ea=h % (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार पालम द्वारका फ्लाई ओवर का निर्माण दो 7.50 मीटर चौड़ी प्रत्येक, लेनों का प्रस्तावित था और दिल्ली अरबन आर्ट कमीशन (DUAC) एवं तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार कुल चौड़ाई 16.30 मीटर थी तथा उसी के अनुसार इसका निर्माण किया गया है।

(ख) पालम बाजार क्षेत्र में फ्लाई ओवर के नीचे 7.5 मीटर चौड़ी मैटल सड़क, जिसके दोनों ओर 2 मीटर चौड़ी लेन भी है, का निर्माण किया गया है।

(ग) उपर दिए गए 'ख' के उत्तर के अनुसार।

(घ) हां, यह निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित किया गया है।

(ङ) इस फ्लाई ओवर में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(च) फ्लाई ओवर के निर्माण के दौरान उसके अलाईन्मेन्ट (Allignment) में पड़ने वाली 59 दुकान व मकानों को 14—15 दिसम्बर 2004 को तोड़ा गया था। डी.डी.ए. द्वारा भूमि एवं भवन विभाग को भूमि धारकों को देने के लिए मुआवजे की रकम के रूप में रुपये 48,43,430 अदा किये गए थे। जहां तक दुकानदारों/मकानमालिकों को कितना मुआवजा और वैकल्पिक स्थान कहां दिए गए, **bldh lpuk DDA }kjk ,d f=r djd miyC/k djk nh tk,xhA**

(छ) हां, स्वीकृत योजना के अनुसार ही रैम्प का निर्माण किया गया है। कुल तीन रैम्पस का निर्माण किया गया है। जिसमें दो अप—रैम्पस तथा एक डाउन रैम्पस, मंगलापुरी की तरफ निर्मित किये हैं।

(ज) रैम्पों का निर्माण दिल्ली अरबन आर्ट कमीशन द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया गया है।

103- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार में नियमित व अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कितने पद रिक्त हैं और कब से;

(ग) सरकार की इन पदों को भरने की क्या योजना है; और

(घ) क्या सरकार का नियमित नियुक्तियां होने तक इन पदों को अस्थाई कर्मचारियों द्वारा भरने का कोई प्रस्ताव है?

mi e[;e=h % (क) दिल्ली सरकार के अलग–अलग विभागों में नियमित और अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं विभाग स्तर पर ही की जाती है। सरकार सभी विभागों के दास एवं आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीकृत रूप से नियुक्ति करती है।

वर्तमान में, 728 कर्मचारी आशुलिपिक संवर्ग और 6501 कर्मचारी दास संवर्ग के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

इसके अलावा विभिन्न विभागों से अन्य संवर्ग के **fu;fer o vLFkkbZ depkfj;ksa d ckjs esa lwpuk ,d= dh tk jgh gSA** इसमें से 50 विभागों से सूचना प्राप्त हुई है जिसमें 12222 नियमित व 405 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत है। हालांकि यह संख्या मात्र 50 विभागों से प्राप्त सूचना पर आधारित है। शेष विभागों से सूचना प्राप्त होने पर माननीय सदन को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) उपरोक्तानुसार, मुझे यह कहना है कि दास संवर्ग में 5680 एवं आशुलिपिक संवर्ग में 584 पद रिक्त हैं। साथ ही **vU; loxksZ ls lacaf/kr lwpuk foHkkxksa ls ,df=r dh tk jgh gSA** जो प्राप्त होने पर माननीय सदन को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) दास संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग के पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों के लिए डी.एस.एस.एस.बी. को समय–समय पर निवेदन भेजे जाते हैं। पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को

भरने के लिए नियमित रूप से विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक की जाती है, तथा योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है।

विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति या विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाता है। सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों के लिए डी.एस.एस.एस.बी. को समय–समय पर निवेदन भेजे जाते हैं। पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक की जाती हैं, तथा योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है।

(घ) सरकार यथासमय नियमित कर्मचारियों के अभाव में अस्थाई कर्मचारियों द्वारा कार्य कराती रही है।

107- l|Jh vydk ykEck ½ क्या **foÙk e=h** यह बतानो की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का विभिन्न विभागों के लिए सामान्य खरीदारी की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है?

(ख) क्या सरकार सामान खरीदारी हेतु निर्णय लेने में होने वाली आवंछित देरी को दूर करने के लिए निचले स्तर कर्मचारियों को और अधिक शक्तियां देने पर विचार कर रही है?

(ग) क्या सरकार का खरीदारी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने एवं इसमें और अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही लोने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार नये सप्लायर्स को उचित अवसर देने

हेतु टेंडरिंग एवं इ–टेंडरिंग की पात्रता के नियमों में छूट देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है?

foÙk ea=h % (क) मंत्रिमण्डल के फैसले सं. 2219 दिनांक 29.09.2015 के तहत वित्त विभाग को समिति गठन करने का निर्देश दिया, यह समिति अपनी अनुशासा **"Public Procurement Act" d Åij nk ekg e iLrqr djxkA**

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) उपरोक्तानुसार

108- Jh JhnÙk 'kek % क्या **ykd fuek.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीराबाद रोड–खजूरीखास चौराहे पर अन्डरपास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आई एस बी टी रोड शास्त्री पार्क चौराहे (शास्त्री पार्क रेड लाईट) पर अन्डरपास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि घौण्डा–गामड़ी (पांचवें पुश्ते तक) को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ज) यदि हां, तो यह कब तक अमल में लाया जाएगा; और

(झ) इसका पूर्ण विवरण क्या है?

ykd fuekZ.k foHkkx % (क) ले.नि.वि. में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अण्डरपास की आवश्यकता नहीं है।

(घ) इस पर फलाईओवर का **iLrko fopkjk/khu** है।

(ङ) विचाराधीन है।

(च) उपरोक्त (घ) अनुसार।

(छ) गामडी रोड के चौड़ीकरण का कार्य Land OWning Agency जो की पूर्वी दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपेक्षित है, के द्वारा किया जाना है।

(ज) उपरोक्त (छ) अनुसार।

(झ) उपरोक्त (छ) अनुसार।

114- Jh dlyk'k xgykr % क्या **[kk| ,o vkifrl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ने के मुख्य कारण क्या है;

(ख) इस पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकता है;

(ग) क्या इस विषय में सरकार द्वारा अध्ययन या रिपोर्ट उपलब्ध है;

(घ) दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए वर्तमान में सरकार की क्या नीति है; और

(च) दिल्ली में कौन से क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं?

[kk| ,o vkifrl e=h % (क), (ख) व (ग) दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई स्रोत जैसे कि धूल, वाहनों से निकलने वाले धुआं, कचरा एवं जलाने से निकला धुआं इत्यादि हैं। स्रोतों का अनुपात जानने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में एक विस्तृत अध्ययन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को दिया जिसकी अंतिम रिपोर्ट अपेक्षित है।

(घ) व (ङ) दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं उदाहरण के लिए :

- उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाए गए हैं।
- सार्वजनिक वाहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
- धूल नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र में और सख्ती बरती जा रही है।
- कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
- कार मुक्त दिवस प्रत्येक माह की 22 तारीख को मनाया जाता है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तहत बाहर से दिल्ली आने वाले व्यवसायिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लिया जा रहा है।
- प्रदूषण की ऑनलाईन मॉनिटरिंग की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(च) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा 6 स्थानों पर वायु की गुणवत्ता के आंकड़े लिए जाते हैं जिनके अनुसार आनन्द विहार स्टेशन द्वारा मापी जा रही वायु की गुणवत्ता सामान्यता सबसे खराब रहती है। वैसे वायु की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है।

115- Jh txnh'k i/kku % क्या **[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा दिल्ली में बहने वाली

यमुना नदी को साफ–सुथरा बनाने के लिए बजट में धन राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस–किस मद में कितनी धन राशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या–क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा किस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, सभी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) जी हां।

(ख) वार्षिक बजट 2015–16 में कुल रुपये 378 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :

(i) Rehabilitation of Sewerage Under Yamuna Action Plan-Ph-III रुपये 28 करोड़ (रुपये 10 करोड़ स्टेट शेयर + रुपये 18 करोड़ सेन्ट्रल शेयर)

(ii) इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के लिए किया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्न योजनाएं बनाई गई हैं :

(i) इंटरसेप्टर सीवर परियोजना : इस परियोजना के अन्तर्गत नजफगढ़, सप्लेमेंटरी और शाहदरा नाले में गिरने वाले बाहरी उपनालों को ट्रेप करके संयंत्र तक ले जाना है। इस कार्य की वर्तमान प्रगति 82 प्रतिशत है। इस परियोजना के लिए इस वित्त वर्ष में 350 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

(ii) इसके अलावा यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए, कुछ और सीवर परियोजनाओं को ''मैली से निर्मल यमुना कायाकल्प योजना 2017'' के तहत माननीय एन.जी.टी. (N.G.T.) के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है। इन परियोजनाओं के तहत नजफगढ़ एवं सप्लेमेंटरी नालों के अन्तर्गत नये 15 विकेंद्रिकत (वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) WWTPs, 3 SPS (सीवेज पम्पिंग स्टेशन) और सम्बन्धित सीवर कार्य और पुरानी परिधीय सीवर लाईनों का पुनर्वास करना है। इन परियोजनाओं के लिए वित्तिय सहायता डी.डी.ए./शहरी विकास मंत्रालय और एन.एम.सी.जी/जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(iii) यमुना कार्य योजना–3 इस योजना के तहत ओखला, कोंड़ली और रिठाला ड्रेनेज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुराने अवजल शोधन संयंत्रों और बाह्य सीवर लाईनों को जाइका फंडिग के द्वारा 1656 करोड़ रुपये की लागते से पुर्नवास किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए इस वित्त वर्ष में 28 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

(iv) इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड पुरानी सीवर लाईनों, अवजल शोधक संयंत्रों एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों के पुराने बुनियादी ढांचे के कामकाज में सुधार के लिए पुर्नवास योजनाओं को लागू कर रहा है।

बोर्ड द्वारा एक सीवरेज मास्टर प्लान (SMP-2031) को अंतिम रूप दिया

जा चुका है और सीवर रहित क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

116- Jh vt; nÙk % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग इतने सालों से एमबी रोड का वाटर लॉगिंग क्यों नहीं हटा पा रही है;

(ख) यह कार्य कब तक हो पायेगा; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अम्बेडकर नगर के वार्ड–184 के लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों की आधी से ज्यादा लाईट्स काफी समय से खराब पड़ी हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो ये कब तक ठीक करवा दी जायेंगी?

LokLF; e=h (क) एम बी रोड वाटर लॉगिग की समस्या एयर फोर्स द्वारा वायुसेनाबाद में स्थिति मेन नाला (जिसमे एम.बी. रोड के नाले का प्रवाह मिलता है) को बन्द करने से उत्पन्न हुई है।

(ख) इस बारे में प्रधान सचिव लो नि वि द्वारा 23.07.2015 को एयर फोर्स अथारिटी, दक्षिणी नगर निगम, लो नि वि के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गयी। लो नि वि द्वारा वैकल्पिक तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए। इन समाधानों में एयर फोर्स की अनुमति आवश्यक है एवं उनका जवाब लम्बित है।

(ग) स्टीट लाईट का रखरखाव BSES के द्वारा किया जाता है। इस वार्ड की कुल 170 स्टीट लाईट फिटिंग में से 4 काम नहीं कर रही हैं।

(घ) खराब स्टीट लाइट फिटिंग ठीक कर दी गई हैं।

117- Jh on idk'k % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधान सभा क्षेत्र में लो.नि.वि. के पास कौन–कौन सी सड़कें हैं;

(ख) इन सड़कों का निर्माण कार्य कब–कब किया गया;

(ग) पिछले दो वर्षों में बवाना विधानसभा क्षेत्र के नालों का कितनी बार और कितनी लागत से सफाई कार्य किया गया, उसका पूर्ण विवरण दिया जाये;

(घ) बवाना विधानसभा के किन–किन नालों की सफाई का कार्य नहीं किया गया उनका पूर्ण विवरण दिया जाये; और

(ङ) इन नालों का सफाई कार्य कब तक कर दिया जएगा?

LokLF; e=h % (क) (i) बवाना रोड (डी टी यू से हैलीपैड रोड तक)

(ii) बवाना रोड (हैलीपैड रोड बरवाला से कंझावला मोड बवाना तक)

(iii) **Mk- lkfgc flg oek ekx** (श्री कृष्ण गौशाला से सीआरपी एफ)

(iv) **Mk- lkfgc flg oek ekx** (सीआरपीएफ से सन्नोठ मोड)

(v) **Mk- lkfgc flag oekZ ekxZ** (चांदपुर मोड से कृष्ण गौशाला)

(vi) **xq: xkoydj ekxZ** (शमशान घाट रोड से माँगे राम पार्क) (एलएचएस)

(vii) **xq: xkoydj ekxZ** (माँगे राम पार्क से राजीव नगर)

(viii) **xq: xkoydj ekxZ** (पंजाब खोर से औचन्दी बार्डर)

(ix) औचन्दी रोड (बवाना कोर्सिंग से औचन्दी बार्डर)

(ख) इन सड़कों का निर्माण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया था तथा यह सड़कें लगभग तीन–चार वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम से लो.नि.वि. को उनकी वर्तमान स्थिति में हस्तांतरित की गई थी। अतः इनके निर्माण का ब्यौरा इस कार्यलय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) नालों की सफाई का कार्य लगातार करना पड़ता है और इस क्षेत्र के नालों की सफाई पर पिछले दो साल के खर्चे का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

2013–14–55 लाख (लगभग)

2014–15–60 लाख (लगभग)

(घ) लो.नि.वि. के अंतर्गत सभी नालों की सफाई का कार्य किया गया है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

118- Jh fotsUnz xxZ ½ क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में लो.नि.वि. की सड़कों पर अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है।

LokLF; e=h % (क) यह सत्य है कि कुछ जगहों पर समय–समय पर अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग की सूचना प्राप्त होती रहती है।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 33 स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी मदद से इनको हटाया जाएगा। प्रत्येक स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व सब–डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा। इसके अन्य सदस्य पुलिस विभाग, डी.डी.ए. दिल्ली नगर निगम एवं लो.नि.वि से हैं।

119- Jh lathho >k % क्या **[kk| ,o vkifrZ e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना की सफाई के बारे में दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच एस.पी.वी. की क्या विशेष योजना है, और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) अगले तीन सालों में यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या विशेष कार्य योजना तैयार की गई है?

[kk| ,o vkifrZ e=h % (क) माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक मीटिंग दिनांक 26.08.2015 को हुई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि कमेटी ऑफ सेकेट्रीज द्वारा एक विशिष्ट प्रयोजन हेतु संस्था (एस.पी.वी.) के निर्माण के ऊपर, निर्णय लिया जायेगा।

कमेटी ने अपनी प्रथम मीटिंग जोकि 13.10.2015 को हुई उसमें यह निर्णय लिया कि प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, इस संस्था (S.P.V.) के क्रियाकलाप एवं प्रशासनिक संरचना के ऊपर कार्य करेगी।

यह संस्था जो कि दिल्ली मेट्रो की तरह होगी, का कान्सेप्ट प्लान एवं प्रशासनिक संरचना तैयार हो चुका है एवं शीर्घ ही कमेटी के सामने विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ख) यमुना नदी की सफाई के लिये, निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :

(i) इंटरसेप्टर सीवर परियोजना : इस परियोजना के अन्तर्गत नजफगढ़, सप्लेमेंटरी और शाहदरा नाले में गिरने वाले शहरी उपनालों को ट्रेप करना है। इसका 82 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) माननीय एन.जी.टी. के निर्देशनुसार ''मैली से निर्मल यमुना कायाकल्प योजना 2017'' के तहत नजफगढ़ एवं सप्लेमेंटरी नालों के अन्तर्गत नए 15 विकेंद्रिकत WWTPs (वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 3 SPS (सीवेज पम्पिंग स्टेशन) और सम्बन्धित सीवर कार्य और पुरानी परिधीय सीवर लाईनों के पुनर्वास का कार्य करना है।

(iii) यमुना कार्य योजना–3 : इस योजना के तहत ओखला, कोड़ली और रिठाला ड्रेनज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुराने अवजल शोधन संयंत्रों

और बाह्य सीवर लाईनों का जापान अवजल शोधन संयंत्रों और बाहय सीवर लाइनों का जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) फंडिग के द्वारा 1656 करोड़ रुपये की लागत से पुर्नवास किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड पुरानी सीवर लाईनों, अवजल शोधक संयंत्रों एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों के पुराने बुनियादी ढांचे के कामकाज में सुधार के लिए पुर्नवास योजनाओं को लागू कर रहा है।

(v) बोर्ड द्वारा एक सीवरेज मास्टर प्लान (SMP-2031) को अंतिम रूप दिया है और सीवर रहित क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

120- Jh jktUn iky xkre % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर जी टी रोड पर सिंगल–वे फलाई ओवर है;

(ख) क्या सरकार की वहाँ पर डबल–वे (दूसरी ओर भी) फ्लाई ओवर बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां तो कब तक यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

LokLF; ea=h % (क) हां, यह सत्य है।

(ख) हां, योजना का मसौदा विचाराधीन है।

(ग) यू टी पै क से मंजूरी होने के बाद ही समय सीमा बताई जा सकती है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

vrkjkfdr iz'uks ds fyf[kr mÙkj

82- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **[kk| ,oa vkifr ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पेड़ों की छंटाई (प्रूनिंग) और मृत वृक्षों को रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों से हटाने का दायित्व दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा;

(ग) क्या वृक्षों की छंटाई विधि अनुसार है;

(घ) यदि हां, तो इनकी छंटाई और भारी छंटाई का क्या अर्थ है; और

(ङ) बिजली के पोल से लाईट को रोकने वाले या घर को ढकने वाले वृक्ष से मुक्त होने के लिए एक आम आदमी के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध है, पूर्ण विवरण दें?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) रिहायशी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में आने वाले मृत वृक्षों को हटाना एवं हरे वृक्षों की छंटाई का उत्तरदायित्व भू–स्वामित्व वाली निकायों जैसे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी नगर महापालिका एवं लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हैं। वृक्षों के समुचित विकास एवं मृत प्रायः शाखाओं को वृक्षों से हटाने के लिए वन विभाग दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत इन निकायों को अनुमति प्रदान करता है। उत्तरदायी निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन वृक्षों का समय से निरीक्षण करें एवं समुचित छंटाई के लिए वन विभाग को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करके अनुमति प्राप्त करते हैं।

(ख) उल्लंघन की स्थिति में विभाग द्वारा दिल्ली परिरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत भू–स्वामित्व वाली निकाय के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है इस अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार एक वर्ष तक की कैद या रुपये 1,000/– का जुर्माना राशि या दोनों का प्रावधान हैं।

(ग) वृक्षों की छंटाई मृत शाखाओं को हटाना क्राउन को उचित आकार देना और वृक्षों की समुचित देखभाल तक सीमित होनी चाहिए।

(घ) 20–40 सें.मी. गोलाई तक की हल्की छंटाई कहलाती है तथा इससे मोटी शाखाओं की छंटाई भारी छंटाई कहलाती हैं।

(ङ) बिजली के पोल से लाईट को रोकने वाले या घर को ढकने वाले वृक्ष से मुक्त होने के लिए एक आम आदमी समय–समय पर 15–20 सें.मी. गोलाई तक की शाखाओं को काट सकता है परन्तु यह कार्य भू–स्वामित्व वाले निकाय की कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

83- Jh txnh'k i/kku % क्या **[kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण द्वारा राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या अमल किया जा रहा है, क्रमानुसार विवरण दें;

(ग) यमुना में गिरने वाले गन्दे नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि यमुना के तटीय क्षेत्र को 'खतरनाक क्षेत्र' घोषित कर उस में खेती करने पर रोक लगाई गई है;

(ङ) सरकार इस पर प्रतिबन्ध का कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(च) यह भी सत्य है कि दिल्ली में अनाधिकृत रूप से रेत का खनन हो रहा है; और

(छ) यदि हाँ, तो रेत माफियाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) जी हाँ।

(ख) इस संबंध में वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ओ.ए. 21 ऑफ 2014) वायु प्रदूषण से संबंधित एवं मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ

इण्डिया (ओ.ए. 6 और 300 ऑफ 2014) यमुना प्रदूषण से संबंधित के अन्तर्गत आदेश उल्लेखनीय है। जो कि दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित है। इस संबंध में आदेशानुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई कि जा रही है।

माननीय एन.जी.टी. के आदेश में उल्लेखित ''मैली से निर्मल यमुना कायाकल्प परियोजना 2017'' के पहले चरण में नजफगढ़ व सप्लीमेंट्री नालों को साफ करने के लिए आदेश दिया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड को नए विकेन्द्रीकृत अवजल शोधक संयंत्र, सीवेज पम्पिंग स्टेशनों, परीधीय सीवर लाईन बिछाने, पुरानी परिधीय सीवर लाईनों का पुनर्वास ओर चल रहे इंटरसेप्टर सीवर (Interceptor Sewer) एवं संबंधित कार्यों के निर्माण हेतु बनाई गई परियोजनाओं इत्यादि को लागू किया जा रहा है।

(ग) यमुना नदी में गंदे नालों के गिरने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नालों को शोधन के लिए ट्रेप करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यों को लिया गया है।

1. उपनालों को ट्रेप करके अवजल (Effluent) को नजदीक के अवजल शोधक संयंत्र तक पहुँचने के लिए नजफगढ़, सप्लीमेंट्री, शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर डाल कर नजदीकी अवजल शोधन संयंत्र तक ले जाना है। यह कार्य लगभग 82 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।

2. मेगजीन, स्वीपर, खैबर पास, मेटकाफ, ड्रेन नं. 14, सेन नर्सिंग होम, दिल्ली गेट, कालकाजी व तांगा स्टैण्ड नालों को ट्रैप करने का कार्य पूरा हो चुका है।

3. सिविल मिल, बारापुला, तुगलकाबाद, महारानी बाग, व तेहखण्ड नालों को ट्रेप करने का कार्य प्रगति पर है। सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विभाग के मुख्य नालों में फेंके जाने वाले कूड़ा करकट को रोकने हेतु उनके किनारों पर लगभग 70 किलो मीटर लंबी दीवार निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग के नालों के साथ अतिरिक्त खाली जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के तहत करवाया गया है। साथ ही पुलों के दोनों तरफ लोहे की जालियां भी लगाई गई हैं।

(घ) इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू किया जा रहा है।

(ङ) यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत आता है। अतः अनुपालन की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है।

(च) व (छ) संज्ञान में आते ही इस पर राजस्व विभाग द्वारा चालान एवं जब्ती जैसी कार्रवाई की जाती है।

84- l|Jh vydk ykEck % क्या **[kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाँदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में वाहनों में सामान लादने एवं उतारने हेतु समय की प्रतिबंधता के संबंध में एन.जी.टी. का क्या आदेश है।

(ख) क्या सामान ढोने वाले वाहनों के संबंध में भी ऐसा कोई आदेश है;

(ग) एन.जी.टी. के इस आदेश के अन्तर्गत कौन–कौन सी सड़कें आती हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि सामान ढोने वाले वाहनों (मोटर वाले ट्रक, टैंपों, ऑटो) तथा बगैर मोटर वाले वाहनों जैसे रिक्शा एवं ठेलों द्वारा सामान ढोना, लादना एवं उतारना निर्बाध एवं अनियंत्रित रूप से पूरा दिन चलता रहता है;

(ङ) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने की कोई योजना है?

[kk| ,o vkifr e=h ¼ (क) व (ख) माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा जारी किए गये आदेश दिनाँक 16.03.2015 एवं 20.07.2015, जो चाँदनी चौक के क्षेत्र में मालों/सामान के लोड और अनलोड से संबंधित है, इस प्रकार से यर्थात है,

''हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी बाजारों विशेष रूप से लाजपत नगर, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन, चाँदनी चौक और अन्य प्रदूषित बाजारों में प्रत्येक दिन लोडिंग एवं अनलोडिंग 11 बजे प्रातः से 8 बजे रात निषेध रहेगा।

हमारा इस पर भी विचार है कि ऊपर जारी किए गए निर्देश में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा कानून के तहत व्यापारियों द्वारा लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य रात 8 बजे से प्रातः तक प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। परंतु दिन के समय लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य की अनुमति दी गई तो अराजकता और वाहनों की भीड़ का कारण बन जाएगी। तदापि, हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि नियमित व्यवसायिक कार्यों पर रोक नहीं लगाई है''

ऊपर दिए गए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिनाँक 16.03.2015 एवं 20.07.2015 के आदेश सामान ढोने वाले वाहनों पर भी लागू हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश सभी बाजारों विशेष रूप से लाजपत नगर, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन, चाँदनी चौक और अन्य प्रदूषित बाजारों पर लागू हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्त के संबंध में कार्रवाई हेतु दिल्ली यातायात पुलिस को कार्रवाई करनी होती है।

85- lJh Hkkouk xkM+ % क्या **[kk| ,o vkifr ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू है;

(ख) यदि हां, तो उसके अधीन कितने आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित किये गये हैं;

(ग) नियम के अनुसार राजधानी दिल्ली में कितने प्रतिशत ग्रीन एरिया का प्रावधान है;

(घ) क्या दिल्ली में ट्री–अथारिटी वाला फॉर्मूला लागू है;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली की कॉलोनियों, सड़कों, एवं पार्कों में कितने पेड़ लगाये गये हैं;

(च) क्या इन सभी का एंट्री सेसेंक्स कराया गया है, उनका पूर्ण रिकार्ड बताएं;

(छ) क्या प्रत्येक तीन महीने के पश्चात् इनकी मॉनीटरिंग की जाती है;

(ज) क्या यह सत्य है कि क्लॉज 3/2/3 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि विधानसभा के दो सदस्य इसके मेम्बर होंगे ओर उनमें से एक महिला सदस्य होंगी;

(झ) क्या इस नियम का पालन किया जा रहा है, पूर्ण विवरण दें; और

(ञ) बिना अनुमति पेड़ काटने पर जुर्माने एवं सजा का क्या प्रावधान हैं?

[kk| ,o vkifr! e=h ½ (क) जी, हाँ।

(ख) सूची संलग्न है (संलग्नक–ए)

(ग) राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत का 33 प्रतिशत ग्रीन एरिया का प्रावधान है। केवल दिल्ली के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अभी दिल्ली का ग्रीन एरिया 20 प्रतिशत है जिसको बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(घ) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम–1994 के अंतर्गत ट्री–अथारिटी (Tree Authority) का प्रावधान हैं।

(ङ) दिल्ली की कॉलोनियों, सड़कों एवं पार्कों का प्रबन्धन सिविक एजेंसियों जैसे : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी एम.सी.डी. एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा अपनी कॉलोनियों में प्रायः वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है। इस वर्ष सूचना

मिलने अनुसार सितम्बर 2015 तक लगभग 4 लाख पौधे इन एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग ने सितम्बर, 2015 तक लगभग 2.30 लाख पौधे लगाए।

(च) जी नहीं। एंट्री सेसेंक्स नामक कोई शब्द प्रयोग नहीं होता है। ट्री सेन्सस (Tree Census) भू–स्वामित्व वाली निकायों जैसे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी नगर महापालिका एवं लोक निर्माण विभाग, दिल्ली, विकास प्राधिकरण करा सकती हैं।

(छ) जी नहीं।

(ज) जी हाँ।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2)(iii) के अंतर्गत ट्री–अथारिटी में सरकार द्वारा विधान सभा के दो सदस्य नामित किये गये हैं। वर्तमान में निम्न सदस्यों को नामित किया गया है:

1. श्री मदन लाल एम.एल.ए.

2. सुश्री भावना गौड़, एम.एल.ए.

(झ) जी हाँ। सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ञ) धारा 24(1) के अनुसार एक वर्ष तक की कैद या रु. 1000/– का जुर्माना राशि या दोनों का प्रावधान हैं।

¼lyXud&,½

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE)

DEVELOPMENT DEPARTMENT

DELHI ADMINISTRATION

5/9 UNDER HILL ROAD : DELHI

No. F. SCO. 32 (C) NOTI-80-81 Dated : 10 April 1980

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 29 the Indian Forest Act, 1927, read with the Government of India, Ministry of Home, notification No. 104J and No. 146J dated 24.08.50 & 6.12.50, the Lt. Governor of Delhi is pleased to declare as protected forest the areas specified in the Schedule hereto annexed.

By Order,

sd/-

(M.W.K. Yusufzdi)

Secretary (Development)

Delhi Admn., Delhi

No. F. SCO.32 (C) NOTI-80-81 Dated : 10 April 1980

Copy forwarded to :

1. The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Agriculture, New Delhi
2. The Secretary to the Lt. Governor, Delhi
3. The Secretary to the Chief Secy., Delhi

4. Vice Chairman, DDA, New Delhi
5. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
6. The Administrator, NDMC, New Delhi
7. The Joint Director (Agri), Delhi
8. The Coordination Department, Delhi Admn., Delhi

Sd/-

(J.P. RAI)

UNDER SECRETARY (DEVELOPMENT)

PROTECTED FOREST WITH DDA

Sl.No.	Name of the Protected Forests & Agency	Areas
1.	Distt. Park I/C Hauzkhas picnic hut, lake garden etc (DDA)	400 Acres
2.	Jahan Panah City Forest (DDA)	800 Acres
3.	Basant Nagar Mordabad Pahari Area	200 Acres
4.	Vasant Vihar Distt. Park	20 Acres
5.	Dhaula Khan Complex (DDA)	200 Acres
6.	Southern Ridge Area	2022 Acres
7.	Nehru University Afforestation	200 Acres
8.	R. Block Rejender Nagar	205 Acres
9.	Bhuli Bhatyari Area	40 Acres
10.	Distt. Park Gokul Puri	7.5 Acres
11.	Distt. Park Jhilmil Taharpur (DDA)	20 Acres
12.	Zonal Green Area Kalyanpuri, Trilokpuri, Khichripur, Ghazipur etc. (DDA)	373 Acres
13.	Northern Ridge Area	400 Acres
14.	Orchard between Sindhora Kalan, Nimri Gulabi Bagh & Darbar Khan Nursery & other Areas (DDA)	100 Acres
15.	Area between Hill Road & Ludlow Castle Road (DDA/L&DO)	17 Acres
16.	Orchard in Wazirpur Near Bharat Nagar & Nimri Colony (DDA)	120 Acres

S.No.	Name of the Protected Forests & Agency	Areas
17.	Mayapuri Green Belt (DDA)	5 Acres
18.	Hastal Afforectation (DDA)	40 Acres
19.	Area between Inderpura Narayana J.J. Colony (DDA)	32 Acres
20.	Afforestation M P Green area Tagor Garden (DDA)	55.26 Acres
21.	Orchard Nagnloi Sayeed (DDA)	257.56 Acres
22.	Distt. Park Rohtak Road Co-operative Society (DDA)	35 Acres
23.	Afforestation M P Green G-8 Tihar	65 Acres
24.	Afforestation M P Green Area Najafgarh Drain (DDA)	54.58 Acres
25.	Distt. Park in between pritampura Co-operative Society (DDA)	185 Acres

vkjf{kr ou {k=

क्र.सं.	वन के प्रकार	अधिसूचना	बीघा–बसवा	एकड़	अनुमानित क्षेत्र (है.)	विवरण
1.	उत्तरी रिज वन		–	–	87	दिल्ली विकास प्राधिकरण–73.00 (है.) दि.न.नि. (हिन्दू राव हॉस्पिटल)–11.00(है.) वन विभाग नर्सरी–3.00 (है.)
2.	मध्य रिज वन	1994	–	–	864	वन विभाग–423.00 (है.) आर्मी (सिग्नल रेहिमेंट)–202.00 (है.) दि.वि.प्रा. (पार्क)–85.00 (है.) कें.लो.नि.वि. (पार्क)–37.00 (है.) नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (तालकटोरा गार्डन)–25.00 (है.) एमएचए (वायरलेस स्टेशन)–6.00 (है.) दि.न.नि. नर्सरी–3.00 (है.) रेलवेज (सरदार पटेल)–11.00 (है.) एरिया अलॉटेड (एल. एण्ड डी.ओ.) –70.00 (है.)
3.	दक्षिण–मध्य रिज वन		–	–	626	दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं संजय वन मेहरौली के पास जो कि दक्षिण–मध्य रिज वन में शामिल है
4.	उप–योग 1–4		–	–	7777	
5.	नानकपुरा		–	–	7	
	योग 1–5		–	–	7784 (है.) (लगभग)	

ou foHkkx d rgr lajf{kr ou {k=

क्र.सं.	संरक्षित वनों के नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	अधिसूचना सं. एवं दिनांक
1.	मित्राव (वन क्षेत्र)	105	F.8(2)/48(IX) P&D, Dtd.6.05.1948
2.	सुल्तानपुर (वन क्षेत्र)	120	F.8(2)/48(I) P&D, Dtd. 6.05.1948
3.	मुखमेलपुर (वन क्षेत्र)	133	F.11(38)/54-P&D-I Dtd. 2.03.1955
4.	राजोकरी (वन क्षेत्र)	600	EV-7/97/58(i) Dtd. 21.08.1959
5.	तुगलकाबाद (वन क्षेत्र)	100	F.8(2)/48(V) P&D, Dtd. 6.05.1948
	योग	1058 (एकड में)	
		428.16 (है.)	

86- Jh l|tho >k % क्या **[kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कचरा एवं वेस्ट अवशेष (वेस्ट) जलाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को चालान काटने का अधिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस प्रकार का शक्ति देने वाला प्रावधान बनाया जा सकता है;

(ङ) क्या दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) क्या यमुना नदी में औद्योगिक कचरा फैंकने से रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

[kk| ,o vkifr! e=h % (क), (ख) माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण के आदेश संख्या दिनांक 28/04/2015 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (ओ.ए. 21/2014) के आदेश के तहत जो व्यक्ति कचरा इत्यादि जलाते हुए पाए जाएंगे, उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त आदेश के तहत निम्नलिखित अधिकारियों :

उपायुक्त, निदेशक बागवानी, संबंधित थाना प्रभारी, सहायक आयुक्त, स्वच्छता अधिकारी को चालान करने की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली सरकार ने भी आदेश संख्या दिनाँक 20/10/2015 के तहत संबंधित क्षेत्र के एस के एस.डी. एम. तथा तहसीलदार को भी ऐसा चालान करने की जिम्मेदारी दी है।

(ग), (घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) हाँ, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण के आदेश संख्या दिनॉक 23.01.2015 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (ओ.ए. 6/2012 और 300/2013) के आदेश के तहत यमुना नदी में मलबा डालने वालों को रुपये 50,000 का जुर्माना तथा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण में यह भी कहा गया है कि पूजा से संबंधित सामग्री डालने वालों को रुपये 5,000 का जुर्माना लगाया जाना है।

vrkjkfdr i'u l[;k 87*

88- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कुल कितने फॉईव स्टार होटल पंजीकृत है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा नई कर नीति लागू करने के बाद अगस्त–अक्तूबर, 2015 की तिमाही में पिछले साल की इसी तिमाही में कितना लग्जरी टैक्स एकत्रित किया गया;

(ग) क्या यह सत्य है कि लग्जरी टैक्स वास्तविक दरों की बजाय नोटिफाईड रेट्स पर चार्ज किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मौजूदा प्रावधानों में नरमी कर वास्तविक दर की बजाय नोटिफाईड दरों पर टैक्स चार्ज करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसे कब लागू कर दिया जाएगा?

mi e[;e=h % (क) दिल्ली सरकार के लग्जरी टैक्स विभाग के अन्तर्गत 17 फॉईव स्टार होटल पंजीकृत हैं;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा नई कर नीति लागू होने के उपरान्त अगस्त–अक्तूबर 2015 की अवधि में 90.81 करोड़ विलासिता कर एकत्रित किया गया जो कि पिछले साल की इस अवधि में एकत्रित 67.23 करोड़ से 35 प्रतिशत अधिक है।

(*श्री ओम प्रकाश शर्मा के सदन से निष्कासन के कारण कार्यवाही से हटाया गया)।

(ग) दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की उपधारा 10(3) के अनुसार विलासिता कर, करदाता द्वारा विभाग को सूचित (जो कि किराया में बदलाव के 15 दिनों के अन्दर करना अनिवार्य है) किराया या वास्तविक किराया में से जो अधिक हो, उस पर चार्ज किया जाता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

89- Jh lathO >k ¼ क्या **mi eq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा प्रचार एवं अन्य संबंधित इकाइयों को आबंटित बजट की राशि में से कितने प्रतिशत राशि आज तक खर्च की गई है?

mi eq[;ea=h ¼ (क) दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में प्रचार एवं अन्य संबंधित इकाइयों को आबंटित बजट की राशि में से 2.94% राशि 19.11.2015 तक खर्च की गई है।

90- Jh ,l-d- cXxk ¼ क्या **mi eq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा रिफंड की प्रक्रिया जटिल कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि व्यापारियों को वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की अवधि के रिफंड लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस रिफंड की प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

mi e|[;e=h % (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

91- Jh ,l-d-cXxk % क्या **mi e|[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि व्यापारी की एक्चुअल टैक्स रिपोर्ट 90 से 100 प्रतिशत होने पर भी व्यापार एवं कर विभाग में व्यापारियों के वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के रिफंड के मामले रोके गये हैं;

(ख) यदि हां, तो 90 प्रतिशत के अधिक एक्चुअल टैक्स रिपोर्ट वाले ऐसे सभी व्यापारियों का विवरण क्या है;

(ग) 90 प्रतिशत के अधिक एक्चुअल टैक्स रिपोर्ट वाले किस–किस व्यापारी का रिफंड अस्वीकृत किया गया है?

mi e|[;e=h % (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

92- Jh ,l-d- cXxk % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि व्यापार एवं कर विभाग में एक्चुअल टैक्स रिपोर्ट के आधार पर व्यापारियों के वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के टैक्स रिफंड के मामले रोके गये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए इस नीति पर पुर्नविचार किया जा रहा है?

mi e[;e=h % (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार।

93- Jh ,l- d- cXxk % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार एवं कर विभाग में एक्चुअल टैक्स रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के मामलों में कितनी आपत्तियां दर्ज की गई जिनमें टैक्स इन्वाल्व नहीं है :

(ख) क्या इनमें किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू लॉस हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

mi e[;e=h % (क) इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

94- I|Jh Hkkouk xkM+ % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके अनुरोध पर उनको आबंटित आवासीय इकाई में उनको पुनः कुछ समय के लिए रहने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कई बार ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी उन आवासीय इकाइयों की ओर देय बिजली बिलों का भुगतान किये बिना आवास छोड़ कर चले जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो फिर ऐसी आवासीय इकाइयों की ओर बिजली के बकाया देनदारी का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है;

(घ) 1 जनवरी, 2005 से सरकार द्वारा ऐसे किस–किस मामले में बिजली के बकाया का कितना–कितना भुगतान सरकार द्वारा किया गया;

(ङ) 1 जनवरी, 2005 से सरकार द्वारो ऐसे किस–किस मामले में संबंधित कर्मचारी से कितनी–कितनी राशि वसूली की गई;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा ऐसे बकायों का भुगतान न किए जाने के कारण अभी भी कई आवासीय इकाइयां बिना आबंटन के पड़ी हैं;

(छ) यदि हाँ तो वर्तमान में ऐसी कौन–कौन सी इकाइयाँ हैं और प्रत्येक की ओर बिजली के बिलों की कितनी–कितनी घनराशि बकाया है, और कब से;

(ज) आवासीय इकाइयों के इस तरह खाली पड़े रहने से होने वाले सरकारी

राजस्व की हानि को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(झ) वर्तमान में बिना आबंटन के पड़ी ऐसी आवासीय इकाइयों के बिजली के बकाया का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा; और

(ट) ये आवासीय इकाइयां कब तक प्रतीक्षारत आबंटियों को आबंटित कर दी जाएंगी?

LokLF; ea=h % (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) ऐसी कुछ आवासीय इकाइयों में बिजली के बकाया देनदारी का भुगतान लो.नि.वि. (वैद्युत शाखा) द्वारा किया गया।

(घ) गुलाबी बाग आवासी इकाई की सूची संलग्न है, बाकी इकाइयों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ङ) ऐसा आंकडा विभाग में एकत्रित रूप में उपलब्ध नहीं है। आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। आंकड़ा एकत्रित होने पर सूचना दे दी जाएगी।

(च) विभाग की जानकारी के अनुसार ऐसी कोई इकाई नहीं है।

(छ) उपरोक्तानुसार।

(ज) उपरोक्तानुसार।

(झ) लागू नहीं होता।

(ट) लागू नहीं होता।

TATA POWER DDL

NO:M/COMML./DSKN/9 **Dated : 13.05.2015**

To
The Assistant Engineer (Electrical) M-3513
PWD, Maintenance Division, M-351
Sindhora Kalan
DELHI-110052

Subject : Receiving cheque (No.480944) of amount of Rs. 77243/against outstanding dues of electricity of Delhi Govt. Flat, Gulabi Bagh.

Sir,

With reference to your letter 12(4)/AE(E)-3513-PWD-EMD-M-351/ 2015-16/212 dated 29.04.2015, we have received a cheque bearing number 480944 of amount of Rs. 77243/ from your office against the electricity dues pending aginst Flats of Gulabi Bagh and deposited the amount against the below mentioned CA Nos.

CA No.	Address	Amount Received	Dues Pending
60005691815	198, Gulabi Bagh	13109	NIL
60001206691	163, Gulabi Bagh	3890	NIL
60001592819	802, Gulabi Bagh	377	NIL
60004140772	1201, Gulabi Bagh	4010	NIL
60001721178	853, Gulabi Bagh	3910	NIL
60006459535	213, Gulabi Bagh	3893	NIL
60006409829	255, Gulabi Bagh	9385	NIL

CA No.	Address	Amount Received	Dues Pending
60009236757	692, Gulabi Bagh	10716	NIL
60006398873	267, Gulabi Bagh	200	NIL
60002307290	122, Gulabi Bagh	329	NIL
60005550060	28, Gulabi Bagh	17353	NIL
60000976393	707, Gulabi Bagh	2751	NIL
60004840231	593, Gulabi Bagh	3223	NIL
60001616816	793, Gulabi Bagh	3019	NIL
60016184727	838, Gulabi Bagh	200	NIL
60004582486	590, Gulabi Bagh	878	NIL
Total		**77243**	

Sl. No.	Compact Account	Energy Overdue Pine	Energy Overdue LPSC	Energy Due Pine	Energy Due UPSC	Arrears
1	2	3	4	5	6	7
1.	60001413506	3,645.02	1,755.84	0	0	5,401.86
2.	6000..20206	4,405.82	2,386.93	0	0	6,792.75
3.	60001640089	5,285.41	211.28	0	0	5,496.69
4.	6000...3631	1,716.99	133.01	0	0	1,650.00
5.	6000..78899	27,414.15	1,035.85	0	0	25,450.00
6.	60002019104	615.97	44.03	0	0	660.00
7.	60002071433	1,065.97	344.03	0	0	1,410.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	60002249287	398.81	21.19	0	0	420.00
9.	60002389533	240.09	9.91	0	0	250.00
10.	60002955004	89.52	0.48	66.07	193	160.00
11.	60003720749	14,311.14	507.43	0	0	14,818.27
12.	60004079916	6,615.91	397.76	0	0	7,014.67
13.	60004123703	6,688.85	301.15	0	0	6,990.00
14.	60004413724	1,080.56	0	0	0	1,080.56
15.	60004582486	6,235.82	367.98	0	0	6,603.87
16.	60004587191	3,081.83	0	0	0	3,081.83
17.	60004753806	79.73	0.27	0	0	80.00
18.	60004755205	1,404.46	105.54	0	0	1,510.01
19.	60004783951	1,651.78	162.62	0	0	1,814.20
20.	60005014786	25,324.46	19,814.14	0	0	45,138.60
21.	60005076181	309.35	0	0	0	309.35
22.	60005714741	7,546.60	32.96	0	0	7,679.56
23.	60005719252	1,653.76	86.24	0	0	1,740.00
24.	60005225051	403.51	11.49	0	0	440.00
25.	60005527217	714.28	1,977.12	0	0	2,691.40
26.	60005532845	906.61	43.19	0	0	950.00
27.	60005583822	2,145.20	201.04	0	0	2,346.24
28.	60005663103	138.93	1.07	0	0	140.00
29.	60005663990	2,919.00	169.7	0	0	3,108.70

1	2	3	4	5	6	7
30.	60005674308	6,237.64	311.95	0	0	6,549.59
31.	60005655890	1,048.32	151.68	0	0	1,200.00
32.	60005697960	415.77	4.73	0	0	420.00
33.	60005720895	2,620.22	139.78	0	0	2,760.00
34.	60005743592	2,995.76	216.87	0	0	3,212.63
35.	60009778117	2,354.53	286.18	0	0	2,640.71
36.	60005877323	1,803.74	256.35	0	0	2,960.09
37.	60005888924	1,981.99	65.01	0	0	2,070.09
38.	60005989722	2,886.83	113.17	0	0	3,000.00
39.	60006062065	11,070.00	4,650.33	0	0	15,720.33
40.	60006066756	1,072.73	177.27	0	0	1,250.00
41.	60006096147	979.33	90.67	0	0	1,070.00
42.	60006102010	1,324.24	209.76	0	0	1,530.00
43.	60006170272	892,55	47.45	0	0	940.0
44.	60006200871	1,319.72	50.28	0	0	1,370.00
45.	60005217875	5,720.03	3,535.42	0	0	9,255.50
46.	60006337962	250.1	9.9	0	0	250.00
47.	60006420669	405.68	24.92	0	0	430.00
48.	60006459154	2,297.65	192.39	0	0	2,430.00
49.	60006471100	4,294.88	49.12	0	0	4,344.00
50.	60006521417	2,819.86	130.14	0	0	2,950.00
51.	60006626398	0	0	670	0	670.00

1	2	3	4	5	6	7
52.	60006632677	0	0	4,040.00	0	4,040.00
53.	60005703893	16,659.43	16,419.57	0	0	33,079.00
54.	60006707073	7,859.15	5,384.25	0	0	13,243.40
55.	60006297346	16,089.42	4,003.25	0	0	20,092.57
56.	60007893732	2,812.29	127.71	0	0	2,940.00
57.	60008744538	0	0	70	0	70.00
58.	60009871785	19,892.30	3,106.10	0	0	22,998.40
59.	60009884614	10,074.66	330.48	0	0	16,905.14
60.	60010989329	0	0	980	0	980.00
61.	60013521160	977.53	12.47	528.36	21.64	1,540.00
62.	60013903160	11,850.00	0	14,172.23	177.77	26,200.00
63.	60014484442	10	0	0	0	10.00
64.	60002243594	1,439.69	230.31	0	0	1,670.00

95- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में लो.नि.वि. के सड़कों पर बने फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित करने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में लो.नि.वि. के अधीन कौन सी सड़कें हैं और इनकी मरम्मत कब की गयी थी;

(ग) इन सड़कों का काम जैसे; नाली, फुटपाथ, पटरी, स्ट्रीट लाईट आदि के साथ कब तक पूरा कर दिया जायेगा;

(घ) क्या इन सड़कों के साथ बने नाले जल बोर्ड के सीवर लाइन्स से मिल रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इन्हें कब तक अलग कर दिया जायेगा; और

(च) ग्रीन पार्क यू–टर्न की बनावट के कारण जनता को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

LokLF; e=h % (क) फुटपाथ की मरम्मत हेतु, फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए एस.टी.एफ., एम.सी.डी. व दिल्ली पुलिस से पत्राचार किया जा रहा है। अभी इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

फुटपाथ रिपेयर के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं, व इस वित्त वर्ष के अन्त तक फुटपाथों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

(ख) इस क्षेत्र के अधीन विभिन्न सड़कों की सूची व उनकी मरम्मत का विवरण संलग्न है।

(ग) इन सड़कों के अर्न्तगत आने वाले फुटपाथ, नाली, पटरी व स्ट्रीट लाईट रिपेयर का कार्य इसी वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

(घ) हाँ।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आस–पास की कॉलोनियों का सीवर, उनकी मेन सीवर लाईन से जोड़ने के उपरान्त ही इस समस्या का समाधान होगा, इसके लिये दिल्ली जल बोर्ड से पत्राचार जारी है।

(च) इस विषय में उचित कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

96- Jh vfuy ckti;h % क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गाँधी नगर बाजार क्षेत्र में लो.नि.वि. द्वारा बनायी गयी सड़कों, सर्विस लेन, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथों पर भारी अतिक्रमण है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कई सड़कों पर BYPL और MTNL के खम्भे बीच सड़क पर लगे हैं, जिसके कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या कैलाश नगर मदर डेयरी से गाँधी नगर तक की सड़क पर रोड डिवाइडर का काम अधूरा रह गया है; और

(घ) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रही है?

LokLF; ea=h % (क) गांधीनगर बाजार क्षेत्र में लो.नि.वि. की सड़कों, सर्विस लेन एवं फुटपाथ पर कुछ जगह पर अतिक्रमण हैं।

(ख) गांधीनगर बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़क पर BYPL और MTNL के खम्भे बीच सड़क के किनारे पर लगे हैं।

(ग) गांधीनगर की सड़क पर डिवाइडर का कार्य लो.नि.वि द्वारा किया गया था लेकिन स्थानीय जनता द्वारा विरोध करने पर पूर्ण होने से रह गया था। अब कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

(घ) उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस विभाग के सहयोग से प्रयास किए जाते रहे हैं।

97- Jh fufru R;kxh ,o Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लो.नि.वि. के सड़कों पर नगर निगम द्वारा पार्किंग और तहबाजारी चलायी जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि नगर निगम बिना लो.नि.वि. की लिखित अनुमति के यह कार्य शुरू कर देता है;

(ग) यदि हाँ तो किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत :

(घ) यदि नहीं तो नगर निगम को यह अनुमति किसके द्वारा और क्यों दी गयी;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि लो.नि.वि. और नगर निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध पार्किंग और अतिक्रमण किया जा रहा है; और

(च) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?

LokLF; ea=h % (क) हाँ।

(ख) हाँ।

(ग) यह लो.नि.वि. से संबंधित नहीं है।

एम.सी.डी. एक्ट 1957 के चैप्टर 15 के अनुसार सभी पब्लिक स्ट्रीट का स्वामित्व दिल्ली नगर निगम के पास है। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संख्या Civil Appeal no. 2229/2012 के अनुसार मेन सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना अवैध है।

(घ) यह दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है।

(ङ) लो.नि.वि. के कर्मचारियों की संलिप्तता पाये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(च) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स तैयार किया है जिसकी मदद से इनको हटाया जाता है।

स्पेशल टास्क फोर्स माननीय उप राज्यपाल के आदेश पर गठित किया गया है जिसका नेतृतव **, l Mh , e** द्वारा किया जाता है एवं इसमें पुलिस एवं यातायात पुलिस व संबंधित दिल्ली नगर निगम और लो.नि.वि. के अधिकारी/कर्मचारी होते है।

98- Jh egUn xk;y ¼ क्या **mi e[;e=h th** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की सड़कों के फुटपाथ पर लगने वाली रेहड़ियों के लाइसेंस नगर निगम द्वारा जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इनके लाइसेंस लोक निर्माण विभाग से जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां तो कब तक इसे क्रियान्वित कर दिया जएगा;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिठाला विधान सभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी

स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान किसके द्वारा दिया जाता है, पूर्ण विवरण दिया जाये?

mi e[;e=h % (क) नहीं, रोहिणी क्षेत्र, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस तरह का कोई भी लाईसेंस नहीं दिया जाता।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम में विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) उपरोक्तानुसार

(ङ) 'लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार के अनुसार' स्ट्रीट लाईट का रख–रखाव टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है और स्ट्रीट लाईट के बिल का भुगतान लो.नि.वि. द्वारा टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड को किया जाता है।

99- Jh on iidk'k % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवाना विधानसभा में लो.नि.वि. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से 18 मीटर व 24 मीटर की सड़कें लेने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो ये सड़कें कब तक ले ली जायेंगी;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा में लो.नि.वि. की सड़कों की फुटपाथ पर लगने वाली रेहड़ियों के लाइसेंस दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किये जाते हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है सरकार यह लाइसेंस लो.नि.वि. द्वारा जारी करवाने पर विचार कर रही है?

LokLF; ea=h % (क) दिल्ली सरकार, केबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की सड़कों को अनुरक्षण के लिये लो.नि.वि. द्वारा हस्तांतरित किया जाये। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सड़क की खामियों को ठीक करने की राशि का भुगतान लो.नि.वि. को करेगा।

तदोपरान्त लो.नि.वि. द्वारा इसका सड़कों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इनमें खामियां है तथा इन खामियों की सूची विभिन्न पत्रों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को जून 2014 में सूचित कर दी गयी थी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हें सत्यापित करने का अनुरोध किया गया था जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लम्बित है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त खामियों के सत्यापन के उपरान्त ही यह सड़कें स्थानान्तरित की जा सकेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। लो.नि.वि. द्वारा इस तरह के कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किये जाते है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

100- Jh latho >k % क्या **LokLF; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1998 से 2015 तक पी.डब्लयु.डी. द्वारा ए.सी. 10 विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया;

(ख) 1998 से 2015 तक पी.डब्लयु.डी. द्वारा ए.सी. 10 में कुल कितनी सड़कें बनवाई गई;

(ग) क्या सरकार की पी.डब्लयु.डी द्वारा ए.सी. 10 के विकास की कोई योजना है

(घ) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और

(ङ) प्रेमवाडी से आजादपुर तक सिंगल पिलर वाले पुल (फ्लाई ओवर) का कार्य सौंपे जाने में देरी के क्या कारण हैं?

LokLF; ea=h % (क) 1998 से 2015 तक पी.डब्लायु.डी. द्वारा ए.सी. 10 विधानसभा क्षेत्र में रुपये. 35 लाख खर्च किये गये हैं।

(ख) शून्य

(ग) इस कार्यालय के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं

(ङ) मैट्रो के अन्डरग्राउन्ड स्टेशन के निर्माण कार्य के कारण तथा विभिन्न सेवाओं के स्थानान्तरण के कारण मामूली विलम्ब हुआ था। फ्लाई ओवर दिनाँक 10.11.2015 को जन सामान्य के प्रयोग के लिये खोल दिया गया है।

101- Jh txnh'k i/kku % क्या **mi eq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सेंट्रल रोड फंड से दिल्ली में 5 वर्ष के बाद सड़कें बनाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो यह बदलाव क्यों किया गया; और

(घ) क्या केन्द्र से इसकी अनुमति ली गई?

mi e|[;e=h ¼ (क) यह सत्य है कि सेंट्रल रोड फंड (स्टेट रोड) रूल्स 2007 के तहत सेन्ट्रल रोड फण्ड से राज्य सरकार की ग्रामीण सड़कों के अलावा अन्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का प्रावधान है।

(ख) इन प्रावधानों का नियमन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) लागू नहीं है।

(घ) लागू नहीं है।

102- Jh txnh'k i|/kku ¼ क्या **mi e|[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के किस–किस विभाग में अस्थायी एवं संविदा के आधार पर कितने–कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है; और

(घ) किस प्रक्रिया द्वारा इनको नियमित किया जाएगा?

mi e|[;e=h % (क) अस्थाई एवं संविदा के आधार पर कर्मचारी विभागों द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते हैं। **vr% vif{kr lpuk fnYyh ljdkj ds 169 foHkkxks ls ,df=r dh tk jgh gS ftuesa ls 56 foHkkxks** की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 304 अस्थाई कर्मचारी एवं 20671 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं।

सेवाएं विभाग केवल दास एवं आशुलिपिक संवर्ग के लिए ही कैडर कंट्रोलिंग अथोरिटी है। सेवाएं विभाग में अस्थाई एवं संविदा के आधार पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। दास एवं आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर कर्मचारी नियमित आधारा पर ही नियुक्त किये जाते हैं।

(ख), (ग) व (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने के मामले पर विचार किया गया और दिनांक 06.10.2015 के मंत्रीमंडलीय निर्णय संख्या 2223 के द्वारा निम्नलिखित सामान्य नीति को अनुमोदन प्रदान किया है जो कि सेवाएं विभाग के द्वारा दिनांक 19.10.2015 के आदेश संख्या F.19(11)/2015/S.IV/1890-96 द्वारा दिल्ली सरकार के सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है :

उमा देवी केस में निर्णय के आधार पर नियमित पदों पर कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नीति बनाई है –

1. प्रत्येक विभाग को रिक्त पदों को भरने के लिए योजना बनानी चाहिए।

2. इन पदों पर कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर आवेदन करने दिया जाए :

(i) उनको आयु में छूट दी जानी चाहिए।

(ii) उनके अनुभव का मूल्यांकन करते हुए उन्हें उपर्युक्त एवं पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

(iii) कोई भी अनुबंधित कर्मचारी जिसकी सेवाएं असंतुष्टि के कारण उसके अनुबंध के दौरान समाप्त कर दी गई हों इस योजना के तहत उसे अयोग्य माना जाए।

3. पैरा 2 के तहत यह नीति उन अनुबंधित कर्मचारी जो कि इन पदों पर 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद 6 माह से या इससे अधिक अवधि से कार्य कर चुके हैं, पर भी लागू होगी।

vrkjkfdr iz'u la[;k 103*

104- Jh om izdk'k % क्या **ekuuh; mi eq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि नौकरी के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में इस बोर्ड में 2 से 4 वर्ष तक का समय लगता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

---

*श्री ओम प्रकाश शर्मा को सदन से निष्कासन के कारण कार्यवाही से हटाया गया।

(घ) क्या इस बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने से 1 वर्ष की समय सीमा में पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

mi e[;e=h % (क) जी हां। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों व उसके स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त संस्थाओं के वर्ग 'ख' (अराजपत्रित) व वर्ग 'ग' के पदों के लिए भर्ती करता है।

(ख), (ग) 2010–13 के दौरान, भर्तियों के लिए जो निवेदन प्राप्त हुए थे, उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया काफी धीमी रही इसलिए DSSSB में वर्तमान निवेदनों की संख्या लंबित है। हालाँकि, भर्ती प्रक्रिया को शीर्घता से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जी हाँ। DSSSB भर्ती प्रक्रिया को छोटा करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी संदर्भ में हस्तलिखित (manual) तरीके से आवेदन फॉर्म भरने एवं प्रवेश पत्र जारी करने के स्थान पर, ऑनलाइन आधारित आवेदन व्यवस्था को अपनाया गया है। पहले की तुलना में परीक्षा लेने की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त DSSSB ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है। हालाँकि, दिल्ली में कम्प्यूटर परीक्षण केंद्रों की सीमित संख्या को देखते हुए केवल वे परीक्षा ली जाएंगी, जिनमें आवेदकों की संख्या कम है।

105- Jh jktsUnz iky xkSre % क्या **ekuuh; mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

द्वारा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने में काफी धीमी गति अपनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) द्वारा दिल्ली सरकार के तहत अपने आने वाले विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने की कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

mi e[;e=h % (क) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों व उसके स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त संस्थाओं के वर्ग 'ख' (अराजपत्रित) व वर्ग 'ग' के पदों के लिए भर्ती करता है। 2010—13 के दौरान, भर्तियों के लिए जो निवेदन प्राप्त हुए थे, उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया काफी धीमी रही इसलिए DSSSB में वर्तमान निवेदनों की संख्या लंबित है। हालाँकि, भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ख), (ग) DSSSB भर्ती प्रक्रिया को छोटा करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी संदर्भ में हस्तलिखित (manual) तरीके से आवेदन फॉर्म भरने एवं प्रवेश पत्र जारी करने के स्थान पर, ऑनलाइन आधारित आवेदन व्यवस्था को अपनाया गया है। पहले की तुलना में परीक्षा लेने की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त DSSSB ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है। हालाँकि, दिल्ली में कम्प्यूटर परीक्षण केंद्रों की सीमित संख्या को देखते हुए केवल वे परीक्षा ली जाएंगी, जिनमें आवेदकों की संख्या कम है।

106- lJh vydk ykEck % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वैट के अंतर्गत कौन–कौन से व्यापार आते हैं;

(ख) वैट के अंतर्गत आने वाले व्यापारों की कुल संख्या क्या है तथा वैट न देने वालों का प्रतिशत कितना;

(ग) डी एस–2 फार्म क्या है एवं इसका उद्देश्य क्या है तथा व्यापारी वर्ग द्वारा इसका विरोध किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) वैट वसूली सुव्यवस्थित करने एवं राजस्व हानि को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) क्या व्यापारी वर्ग को पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत बढ़ा हुआ वैट देकर वैट रिटर्न भरने से छूट दी जा सकती है जिससे कि उन्हें वैट अधिकारियों द्वारा होने वाले कथित उत्पीड़न से बाचाया जा सके?

mi e[;e=h % (क) दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सभी वस्तुओं पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) लगाने का प्रावधान है।

(ख) विभाग में 31/10/2015 तक 312044 व्यापारी पंजीकृत थे, वैट न देने वाले व्यापारियों की प्रतिशत की सूचना उपलपब्ध नहीं है।

(ग) जो व्यापारी दिल्ली के बाहर से सामान खरीद कर दिल्ली में लाते हैं ऐसे सभी व्यापारियों को ऐसे सामान की सूचना फार्म डी एस–2 में ऑनलाईन भरकर दिल्ली में सामान के पहुंचने से पूर्व फाईल करनी होती है। यह फार्म

पुराने टी–2 फार्म का सरलीकृत रूप है जिसे विभिन्न व्यापारी संघों के सुझावों व आपत्तियों पर सरलीकृत किया गया है तथा वर्तमान में इसका विरोध नहीं है।

(घ) वैट वसूली एवं राजस्व हानि के संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाये जाते हैं।

(ङ) व्यापार एवं कर विभाग दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अधीन ही कार्य करता है जिसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

107 Jh txnh'k i/kku % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है कि राजधानी में पूरे भारत में सबसे कम वैट दरें हों;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार वैट और अन्य करों के ढांचों का सरलीकरण करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्य किया गया है, यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करने जा रही है कि किसी भी क्षेत्र अथवा मार्किट से एकत्रित वैट उसी क्षेत्र अथवा मार्किट के विकास के लिये व्यय किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या सरकार वैट वसूली के क्षेत्र में छापों को न्यूनतम करने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां तो इस वर्ष अब तक गत वर्ष के मुकाबले में कितने अधिक अथवा कम छापे मारे गये और क्यों;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि 30 पेज के लंबे वैट फार्म को एक पेज में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(झ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ञ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि व्यापारियों को वैट कार्यालय कम आना पड़े इसके सभी कार्यालय ऑन–लाइन करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ट) विभिन्न लाइसेंसों को ऑन–लाइन करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं?

mi e[;e=h % (क) सरकार का ऐसा प्रयास है कि दिल्ली में वैट दरें यथासंभव कम से कम रखी जाए जिससे कि दिल्ली के नागरिकों पर कम कर भार रहे।

(ख) करों के ढांचे का सरलीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है तथा समय–मसय पर आवश्यकतानुसार कदम उठाए जाते हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) सरकार की ऐसी योजना है कि किसी संबंधित मार्किट समिति के द्वारा

लक्ष्य से अधिक वैट एकत्रित करने पर अतिरिक्त प्राप्त राशि को आंशिक रूप से उसी मार्किट क्षेत्र में खर्च किया जा सकेगा।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) कर चोरी के संदिग्ध प्रकरणों की सूचना पर विभाग सर्वेक्षण करता है परन्तु सरकार की यह भी कोशिश है कि सर्वेक्षण सटीक जानकारी के आधार पर ही किया जाए तथा सरकार अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान करने में विश्वास नहीं रखती है।

(छ) विभाग के प्रवर्त्तन शाखा ने वर्ष 01.04.2014 से 31.10.2014 तक 672 सर्वेक्षण किए थे जबकि इस वर्ष 01.04.2015 से 31.10.2015 तक सिर्फ 129 सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ज) व्यापार एवं कर विभाग में 30 पेज का कोई वैट फार्म नहीं है।

(झ) उपरोक्त के अनुसार।

(ञ) व्यापारियों की सुविधा के लिए विभाग की सभी प्रणालियां कम्प्यूटरीकृत है। नये पंजीकरण के लिए एवं पुराने पंजीकृत व्यापारी को संशोधन के लिए विभाग में आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा केन्द्रीय वैधानिक फार्म भी विभाग में विवरणिका भरने के पश्चात् व्यापारी स्वयं डाउनलोड कर सकता है।

(ट) व्यापार व कर विभाग में पंजीकरण ऑनलाईन है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

81. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 79 में कितने प्रतिशत बिजली चोरी होती है;

(ख) उक्त चोरी के कारण कितने प्रतिशत राजस्व का नुकसान होता है;

(ग) राजस्व के इस नुकसान पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 79 के अधिकांश भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सिर के ऊपर से गुजरती बीएसईएस की बिजली की तारें बहुत बुरी स्थिति में हैं; और

(ङ) क्या इस अत्यन्त पुराने एवं खतरनाक वायरिंग सिस्टम को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है?

ऊर्जा मंत्री : (क) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 79 में स्थापित चार ट्रांसफार्मर में घाटे का स्तर औसत 58 प्रतिशत है जिससे 60 मिलियन यूनिट का घाटा होता है।

(ख) चोरी के कारण करीब 50 करोड़ राजस्व का वार्षिक नुकसान होता है।

(ग) चोरी रोकने हेतु दिल्ली पुलिस के सहयोग से वितरण कम्पनी की एन्फोर्समेंट शाखा द्वारा समय-समय पर रेड डाली जाती है।

(घ) और (ङ) वितरण कम्पनी द्वारा समय-समय पर नियमित/निवारक मरम्मत का काम किया जाता है। वितरण नेटवर्क स्वस्थ हालत में है। हालांकि बिजली चोरी हेतु शरारती तत्वों द्वारा अक्सर इसे नुकसान पहुंचाया जाता है।

82. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा में मांगेराम पार्क से हाईटेंशन तार गुजर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन्हें हटवाने हेतु क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इन हाईटेंशन तारों को कब तक हटा दिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संदर्भ में वितरण कम्पनी से प्राप्त आवेदन के अनुसार मामला भूमि श्रेणी की जानकारी प्राप्त करने के लिए लम्बित है। तदनुसार संबंधित विभाग/बजट व्यय की स्वीकृति हेतु, लाइन स्थानान्तरण की नीति के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा।

83. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में कमरों की अत्यधिक कमी के कारण विद्यार्थी खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों में कमरों की व्यवस्था कब तक पूरी कर दी जाएगी;

(ग) सरकार द्वारा शिक्षकों की नई भर्ती हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) इस क्षेत्र में पोर्टा केबिन में चल रहे विद्यालयों के लिए पक्के भवन कब तक बना दिये जाएंगे; और

(ङ) इस क्षेत्र के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु डैस्क की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल छात्र संख्या 43507 में से लगभग 2100 छात्र बाहर खुले में बैठते हैं।

(ख) बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न 05 सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कमरे बनाने की प्रक्रिया चल रही है जिसका लाभ इन भवनों में चलने वाली दोनों पाली में चलने वाले विद्यालयों को मिलेगा तथा पी. डब्ल्यू. डी. के अनुसार इन कमरों का अगले शिक्षा सत्र तक बन जाने की संभावना है।

स्कूल का नाम	स्कूल आईडी	प्रस्तावित नये कमरों की संख्या
एस के वी मोलरबन्द	1925037	45
जी.जी. एसएसएस नं. 1 बदरपुर	1925042	50
जी.जी. एसएसएस, नं. 2 मोलरबन्द	1925053	18
जी.जी. एसएसएस, नं. 3 मोलरबन्द	1925190	120
जी.जी. एमएसएस, नं. 3 बदरपुर	1925248	88

(ग) सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु किये गये उपायों का विवरण प्रतिलिपि 'अ' पर संलग्न है।

(घ) उपरोक्त 'ख' में वर्णित विद्यालयों में ऐसे पोर्टा केबिनों को नये कमरे

बनाने की प्रक्रिया के पश्चात् हटा दिया जाएगा, जो उपयोग के लायक नहीं है। यह कार्य अगले सत्र के पूर्वाद्ध में पूरा होने की संभावना है।

(ङ) शिक्षा विभाग द्वारा सेंट्रल जेल तिहाड़ को 60,000 डेस्कों के सप्लाई का आर्डर दिया गया था, जिसमें से लगभग 47,000 डेस्कों की सप्लाई विभिन्न स्कूलों को कर दी गई है इसके अतिरिक्त सेंट्रल जेल तिहाड़ को 50,000 डेस्कों के सप्लाई का नया आर्डर दिया गया है, तथा 50,000 डेस्कों के खरीदने की प्रक्रिया से संबंधित निविदा अभी तकनीकी मूल्यांकन की स्थिति में है। इस वित्तीय वर्ष में डेस्को की सप्लाई कर देने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

संग्लनक "अ"

पीजीटी अध्यापक—सीधी भर्ती कोटा वाले पदों को भरने के लिए समय-समय पर मांग पत्र दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होते ही खाली पदों सीधी भर्ती को भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। पदोन्नति कोटा वाले पदों को भरने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

टीजीटी अध्यापक—विभाग ने रिक्त पदों को भरने हेतु डीएसएसएसबी को रिक्वीजिसन भेज दी गई है।

विविध श्रेणी अध्यापक—विविध श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को मांगपत्र भेजा जा चुका है। नियुक्ति विवरिणका (DOS-SIER) प्राप्त होने के पश्चात् उक्त रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

84. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल प्रबन्धन समिति का सदस्य बनने की आवश्यक पात्रता/योग्यता क्या है;

(ख) वास्तविक माता-पिता के जीवित होते हुए क्या किसी व्यक्ति को बच्चे का संरक्षक बनकर स्कूल प्रबन्धन समिति का सदस्य बनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो राजा राम मोहन राय स्कूल एवं सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय, हौज रानी में यह अनुमति क्यों दी गई?

उप-मुख्यमंत्री : (क) इससे संबंधित 25.03.2013 को जारी परिपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, की धारा 2 की उपधारा (छ) के अनुसार ''किसी बालक के संबंध में ''संरक्षक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है।'' इसी अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसार बालकों के संरक्षक भी विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हो सकते हैं। इन दोनों धाराओं की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI - 110054

No. F.23 (6)/DE/RTE/2011/520-533 Dated 25/3/13

CIRCULAR

Subject: Guidelines for composition of School Management Committee (SMC) under the RTE Act and its functions.

In pursuance of powers conferred by Rule 26 of Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules. 2011 following guidelines are issued regarding School Management Committees envisaged under Section 21 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 as amended up to date and Rule 3 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2011. All the Heads of schools of Delhi except of those specified in sub-clause (iv) of clause (n) of Section 2 are hereby directed to constitute School Management Committee in their respective schools consisting of 16 members as under:-

Sl. No.	Actual Designation	Status in the Committee	No. of Members
1.	Principal/HOS	Member / Ex-officio Chairperson of SMC	One
2.	Parents/Guardians of Children	Members	Twelve
3.	Elected Representative of the Local Authority	Member	One
4.	Teacher of the School	Member/Convener	One
5.	Social worker involved in the field of Education	Member	One

Note:

1. One Social Science Teacher. One Math Teacher and One Science Teacher shall be special invitees.
2. Fifty percent of the members of this committee shall be women.
3. There shall be a proportionate representation of parents/guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker sections.
4. Vice Chairperson shall be from amongst the parent members.

The School Management Committee so constituted shall follow the following guidelines:-

Selection of Vice Chairperson

The Vice-Chairperson shall be elected by parent members of SMC from amongst themselves.

Selection of parents/guardians members

Selection of parents/guardian members shall be done through election in the General Body meeting of parents/guardians. In case where the child of the member has left or completed his/her studies in that school, such member shall be replaced by parent selected at random from among the parents or guardian of the children of that category for the remaining term of the Committee.

Elected representative of Local Authority

Instructions regarding elected members are being issued separately.

Selection of Teacher Member

Selection of teacher member and Special invitee of SMC is to be decided by teachers of school.

Selection of social worker involved in the field of Education

The social worker involved in the field of education is to be nominated by the District Deputy Director of Education or an officer of equivalent rank.

Tenure of the School Management Committee (SMC):

Tenure of the SMC shall be 2 years from the date of its constitution and reconstituted every two years.

Meetings of SMC:

The School Management Committee shall meet at least once in two months and minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

Quorum

The Quorum of SMC must be 1/3 of the total strength and every resolution shall be passed by a proper quorum without proxy.

Functions of School Management Committee

(i) Monitor the working of the school.

(ii) Prepare and recommend School Development Plan.

(iii) Monitor the utilization of the grants received from the appropriate Government or Local Authority or any other source.

(iv) Communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the right of the child as enunciated in the Act, as also the duties of the Government, local authority, school, parents and guardians.

(v) Ensure that teachers maintain regularity and punctuality in attending school.

(vi) Hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn progress made in learning and any other relevant information about the child.

(vii) Monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27 of RTE Act.

(vii) Ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighborhood in the school.

(viii) Monitor the maintenance of the norms and standards specified in the schedule.

(ix) Bring to the notice of the Government or local authority, as the case may be, any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission and timely provision of free entitlements as per section 3(2) of RTF Act, 2009.

(x) Identify the needs and monitor the implementation of the provisions of section 4 of the Act which states 'where a child above six years of age has been admitted in any school or though admitted could not complete his or her elementary education, then, he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age.'

(xi) Monitor the identification and enrolment of and facilities for admission of children with disabilities and ensure their participation in and completion of elementary education.

(xii) Monitor the implementation of the Mid-Day Meal in school.

Accounts:

Money if received by SMC for the discharge of functioning under the Act, shall be kept in a separate account, to be audited annually. These accounts should be signed by the Chairperson/Vice-Chairperson and convener of the School Management Committee.

All the District Deputy Directors of Education/Education officer are to ensure that School Management Committee is constituted in each and every Govt. /Govt. Aided School under their jurisdiction immediately.

Sd/-
(Amit Singla, IAS)
Director of Education

Copy to:-

1. PS to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. PS to Hon'ble Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation.
5. The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation
6. The Commissioner South Delhi Municipal Corporation.

7. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
8. Chairperson, New Delhi Municipal Council.
9. P.A. to Secretary, Education.
10. P.A. to Director of Education.
11. All Addl. Directors of Education/Regional Directors/District DDEs/EOs/DEOs/Head of Govt./Govt. Aided Schools of Delhi through website of Directorate of Education.
12. OS (IT) to paste the above said circular on official website of the Department.
13. Guard file.

Sd/-
(Amit Singla, IAS)
Director of Education

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)

(26 अगस्त, 2009)

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम, में जब, तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो– परिभाषाएं

(क) ''समुचित सरकार'' से,–

(i) केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न,–

(क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध मे, राज्य सरकार;

(ख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार,

अभिप्रेत है–

(ख) ''प्रति व्यक्ति फीस'' से विद्यालय द्वारा अधिसूचित

फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है;

(ग) ''बालक'' से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है;

(घ) ''अलाभित समूह का बालक'' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है;

(ङ) ''दुर्बल वर्ग का बालक'' से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूतनम सीमा से कम है;

(च) ''प्रारंभिक शिक्षा'' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;

(छ) किसी बाल के संबंध में ''संरक्षक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी हैं;

(ज) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई नगर-निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है;

(झ) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक

अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है; 2006 का 4

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''माता-पिता'' से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) ''विद्यालय'' से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

(3) जहां कोई विद्यालय, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय की अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

(4) कोई विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा।

अनुसूची का संशोधन करने की शंक्ति।

20. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का, उस में किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी।

विद्यालय प्रबंध समिति

21. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा :

परंतु ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे :

परन्तु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियां होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्—

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मानीटर करना;

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

विद्यालय विकास योजना।

22. (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें।

23. (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के

प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को सदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

शिक्षकों के कर्त्तव्य और शिकायतों को दूर करना।

24. (1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा,

अर्थात्–

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन;

85. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है निगम द्वारा 3 वर्ष पूर्व के विधायक निधि के कार्य अभी तक नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों का निपटान न करने पर सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि विधायक निधि से किये जाने वाले कार्यों के लिए निपटान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन कार्यों के निष्पादन हेतु कोई समय सीमा सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो यह समय सीमा कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी;

(च) विधायक निधि के तहत करवायें जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का प्रयोग न किये जाने की स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है;

(ज) सरकार द्वारा विधायक निधि से लगाये जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे की गुणवत्ता के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं;

(झ) क्या मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे इन निर्धारित मानकों के अनुसार लगाए गए है; और

(ञ) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) इसकी जानकारी निगम से प्राप्त की जा रही है।

(ख) निगम से जानकारी उपलब्ध हो जाने पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

(ग) शहरी विकास विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(च) संबंधित कार्य करने वाली एजेंसी कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु जिम्मेदार है।

(छ) संबंधित एजेंसी नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

(ज, झ और ञ) सरकार द्वारा गुणवत्ता के मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं, तथा यह आवश्यकतानुसार विधायक की अनुशंसा पर संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। माननीय विधायक जी कि इस संदर्भ में की गयी शिकायत की जांच की जा रही है।

(तारांकित प्रश्न सं. **86 श्री ओ. पी. शर्मा** : के सामने निष्काषित होने पर कार्यवाही से हटाया गया)

87. श्री आदर्श शास्त्री एवं श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कक्षा-6 से कक्षा-8 में पढ़ने वाले छात्रों का सत्र 2014-15 एवं हाल ही में सम्पन्न मध्यावधि परीक्षा में पास प्रतिशत कितना है;

(ख) इनमें से अपने ही स्कूल में कक्षा 6 में पास होकर आए एवं पड़ौस के फीडर एमसीडी स्कूलों से कक्षा 6 में आए छात्रों का पास प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अपने स्कूल में कक्षा 6 में पास होकर आए छात्र पड़ोस के फीडर एमसीडी स्कूलों से कक्षा 6 में आए छात्राों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं;

(घ) क्या एमसीडी के स्कूलों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए सरकार इन स्कूलों को अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई बदलाव की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति सुधार कर उन्हें निजी स्कूलों के समकक्ष लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) क्या सरकार की स्कूलों में ध्यान (मैडिटैशन) शुरू करने की कोई योजना है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16

के 'नो डिटेंशन' प्रावधान के चलते कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अग्रसर कर दिया जाता है, अतः सत्र 2014-15 में कक्षा-6 से कक्षा-8 का परिणाम 100 प्रतिशत रहा है। कक्षा 6 में 63.5 प्रतिशत, कक्षा 7 में 66.8 प्रतिशत और कक्षा 8 में 67.8 प्रतिशत छात्रों ने 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। शेष छात्र/छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अगली कक्षा में अग्रसर किया गया। मध्यावधि परीक्षा (2015-16) के परिणाम का डाटा एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया जाता है वे नगर निगम के विद्यालयों से आयें हैं या शिक्षा निदेशालय से या अन्य राज्यों से।

(घ) वर्तमान में शिक्षा विभाग में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं

(ङ) दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रस्तावों की सूची 'क' पर संलग्न है।

(च) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को समय-समय पर विपासना (मेडीटेशन) ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं—

1. विद्यार्थियों को संगीत डांस नाटक व खेलों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया गया है।

2. ''नो डिटेंशन पोलिसी'' का पुनः अवलोकन हेतु प्रस्ताव मानव संसाधन

विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इस विषय से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

3. कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिणाम में सुधार के लिए वर्कशीट तैयार करना और कक्षा चौथी से आठवीं के गणित में वर्कशीट तैयार करना।

4. मुख्यमंत्री सुपर टालेंटेड स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 17 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों व 54 मॉडल स्कूलों के कक्षा 11 व 12 साइंस के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के हेतु विशेष प्रबंध किया गया है।

5. दिल्ली सरकार ने 54 सरकारी स्कूलों को पायलट स्कूलों का दर्जा दिया है। जिनमें हिन्दी व गणित के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 3 से 5 व कक्षा 6 से 8 के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

6. 31 सर्वोदय पायलट स्कूलों व 12 शकुरपुर क्षेत्र के सर्वोदय स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 2 तक गणित के स्तर को सुधारने का कार्यक्रम लागू किया गया है।

7. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को तनाव मुक्त करने के लिए विपासना प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है जिससे वह अपना कार्य और अच्छे से कर पायें।

8. कक्षा नौवीं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा हिन्दी अंग्रेजी व गणित के लिए ''लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम'' शुरू किया गया है।

9. विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक मूल्यपरक प्रश्नों पर आधारित सहायक सामग्री तैयार करना।

10. विद्यार्थियों में उच्च कौशल विकसित करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक समस्या समाधान मूल्यांकन (प्राब्लम सालविंग असैसमेंट) आधारित सामग्री तैयार करना।

11. शिक्षा में सामान स्तर मान बनाये रखने के लिए तीसरी से बारहवीं तक केन्द्रीयकृत परीक्षाएं करवाना।

12. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को SCERT द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

13. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्ग (NSQF) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 205 राजकीय विद्यालयों में नवीं कक्षा में वोकेशनल विषय लागू करने का प्रस्ताव है। इनमें से 179 विद्यालयों में 16.11.2015 से यह लागू कर भी दिया गया है। शेष 26 विद्यालयों में भी इसी सत्र से इसे लागू करने के लिए प्रयाास किये जा रहे हैं।

14. इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवनों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, 54 पायलट स्कूलों के पुनरूद्धार का कार्य डीटीटीडीसी को सौंप दिया गया है। विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकता का आंकलन करके, उनमें 7180 नये कमरे बनाना भी स्वीकृत कर दिया गया है। 205 विद्यालयों, (जिनमें पहले अन्य स्रोतों से जल उपलब्ध कराया जाता था) में दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन लेना स्वीकृत किया गया है।

15. विद्यालयों में साफ-सफाई एवं भवन के रख-रखाव इत्यादि के लिए उपयुक्त व्यक्ति लगाने/धन व्यय करने के लिए प्रधानाचार्य को और अधिक स्वायत्ता/अधिकार देने का भी एक प्रस्ताव शीघ्र ही अनुमोदित होने वाला है।

88. श्री गुलाब सिंह : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के कितने स्कूल हैं व इनमें कुल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) अध्यापक और छात्र अनुपात के अनुसार एक अध्यापक को कितने छात्र पढ़ाने चाहिए और इसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं;

(ग) दिल्ली सरकार में कांट्रेक्ट बेसिस पर कितने शिक्षक तैनात है;

(घ) दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) एमसीडी के स्कूलों में कांट्रेक्ट बेसिस पर कितने शिक्षक तैनात हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से साइंस और कॉमर्स विषयों की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो यह विषय कब से इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने शुरू किये जाएंगे;

(ज) दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे; और

(झ) दिल्ली सरकार द्वारा 2015-16 व 2016-17 में कितने नए स्कूल बनाने की योजना है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार में स्कूलों की कुल संख्या 1011 है। इन स्कूलों में 14945 अध्यापक है एवं 18019 अध्यापिकाएं हैं।

(ख) अध्यापक एवं छात्रों के अनुपात का विवरण प्रतिलिपि ''अ'' पर संलग्न है।

(ग) दिल्ली सरकार के स्कूलों में 15546 अतिथि अध्यापक तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1681 अध्यापक अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत् है।

(घ) दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों की संख्या 1739 है।

(ङ) एमसीडी स्कूलों में कांट्रेक्ट बेसिस पर 3984 शिक्षक कार्यरत् है।

(च) और (छ) दिल्ली सरकार के विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से साइंस व कॉमर्स की पढ़ाई इंगलिश माध्यम से दी जा रही है।

(ज) रिक्त पदों को भरने के विवरण की प्रतिलिपि ''ब'' पर संलग्न है।

(झ) वर्तमान में स्कूलों के लिए 21 पक्के भवनों का कार्य निर्माणधीन है, तथा 04 विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो चुका है, जिसमें शिक्षण का कार्य आगामी सत्र से आरंभ हो जाएगा, इसके अतिरिक्त 25 नये भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

उपरोक्त के अलावा, शिक्षा विभाग ने एक आंतरिक सर्वेक्षण करके 05 एकल पाली विद्यालयों को दोहरी पाली में चलाने का निर्णय लिया है। ग्राम सभा व डीडीए द्वारा स्कूलों के लिए और जमीन आबंटित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आबंटन के पश्चात स्कूल भवनों के निर्माणों का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक 'क'

अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्र. सं.	मद	मान और मानक	
1. शिक्षकों की संख्या :			
(क)	पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवें और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक दो सौ बालकों से अधिक	पांच धन एक प्रधान अध्यापक छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।
(ख)	छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो— (i) विज्ञान और गणित; (ii) सामाजिक अध्ययन; (iii) भाषा।	

		(2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां— (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक; (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक— (अ) कला शिक्षा; (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा; (इ) कार्य शिक्षा।
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे— (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्याय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुक्त पहुंच; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा; (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई; (vi) खेल का मैदान; (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाए।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस; (iii) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक

		हजार शिक्षण घंटे।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाऐं।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजूकेशन ऐक्ट, 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India

अनुलग्नक 'ब'

पीजीटी अध्यापक—सीधी भर्ती कोटा वाले पदों को भरने के लिए समय-समय पर मांग पत्र दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होते ही खाली पदों सीधी भर्ती को भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। पदोन्नति कोटा वाले पदों को भरने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

टीजीटी अध्यापक—विभाग ने रिक्त पदों को भरने हेतु डीएसएसएसबी को रिक्वीजिसन भेज दी गई है।

विविध श्रेणी अध्यापक—विविधश्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को मांगपत्र भेजा जा चुका है। नियुक्ति विवरणिका (DOSSIER) प्राप्त होने के पश्चात् उक्त रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

89. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों की भारी कमी है;

(ख) वर्तमान में कितने सैकेण्डरी स्कूल हैं और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यहां स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है; और

(घ) इसे कब से लागू कर दिया जाएगा?

उप-मुख्यमंत्री : (क) विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए यह सत्य है कि मुस्तफाबाद क्षेत्र में सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी विद्यालयों की कमी है।

(ख) वर्तमान में इस क्षेत्र में दो सैकेण्डरी विद्यालय है। जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 5152 है। जोकि निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	स्कूल का नाम	स्कूल आईडी	कुल नामांकन
01	रा. बाल. सै. स्कूल, मुस्तफाबाद	1104014	2369
02	रा० बालिका. सै. स्कूल, मुस्तफाबाद	1104028	2783
	कुल		5152

(ग) नये विद्यालय खोलने के उद्देश्य से उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। जिसके लिए संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं। जैसे ही उपयुक्त भूमि का आवंटन शिक्षा विभाग को हो जाता है, वहां नए विद्यालय खोल दिये जाएंगे।

(घ) उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इसके लिए कोई सयम सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा।

९०. श्री अनिल कुमार वाजपेयी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार के कितने बिजली के प्लांट हैं;

(ख) इन प्लांटों की क्षमता कितनी है;

(ग) अपनी क्षमता के अनुपात में इन प्लांटों द्वारा कितनी बिजली उत्पादित की जाती है;

(घ) इन प्लांटों द्वारा उत्पादित बिजली को बीएसईएस, टाटा पावर तथा बीएसईएस यमुना पावर को किस दर पर बेचा जाता है;

(ङ) इन बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनियों से दिल्ली सरकार को पिछले एवं वर्तमान साल में कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(च) इन बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनियों पर दिल्ली सरकार का कितना पैसा बकाया है;

(छ) इन बिजली सप्लाई कम्पनियेां की ओर दिल्ली सरकार का लम्बे समय से बकाया पैसा वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या यह सत्य है कि इन कम्पनियों से बकाया पैसा वसूलने हेतु सरकार को कोर्ट जाना पड़ा; और

(झ) यदि हां, तो क्या कोर्ट द्वारा इस बकाया पैसे की वसूली हेतु कोई आदेश पारित किया गया?

उप-मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में दिल्ली सरकार के 4 बिजली के प्लांट हैं इसमे में से नीचे दिए गए क्रम संख्या (1) और (2) के प्लांट आईपीजीसीएल के तथा (3) एवं (4) प्लांट पीपीसीएल के अधीन हैं,

1. राजघाट पावर हाउस
2. इन्द्रप्रस्थ गैस टरबाइन पावर स्टेशन
3. प्रगति पावर स्टेशन-I
4. प्रगति पावर स्टेशन-III, बवाना

(ख) इन प्लांटों की क्षमता निम्न प्रकार हैं :

1. राजघाट पावर हाउस (RPH) - 135 MW
2. इंद्रपस्थ गैस टरबाइन पावर स्टेशन (GTPS)- 270 MW
3. प्रगति पावर स्टेशन-1 (PPS-I)- 330 MW
4. प्रगति पावर स्टेशन-III, बवाना (PPS - III) - 1371.2 MW

(ग) इस विषय में विदित है कि इन प्लांटों से बिजली का उत्पादन दिल्ली विद्युत प्रसार प्रणाली (SLDC) के विद्युत मांग की आवश्यकता अनुसार उसके आदेश पर किया जाता है। तदनुसार वर्ष 2014-15 में विद्युत उत्पादन इस प्रकार रहाः

	उपलब्धता (%)	उत्पादन (%)
1. राजघाट पावर हाउस	56.50	35.82
2. गैस टरबाइन पावर स्टेशन	68.80	39.59
3. प्रगति पावर स्टेशन-1	85.62	63.91
4. प्रगति पावर स्टेशन-III	92.32	18.60

(घ) उपरोक्त प्लांटों से बिजली विक्रय की दर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। ऊर्जा की यह दर 2 भागों में निर्धारित की जाती है जो कि निश्चित लागत और ईंधन लागत के रूप में होती है। वर्तमान में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरें निम्न प्रकार हैं—

वर्ष 2014-15	निश्चित लागत (Fixed Charge) (रु. प्रति यूनिट) (निर्धारित उपलब्धता अनुसार)	(ईंधन लागत) (रु. प्रति यूनिट)	कुल
RPH	2.23	3.38	5.403
GTPS	1.051	4.57	5.621
PPS-I	0.894	4.16	5.054
PPS-III	1.093	3.08	4.173
कुल	5.061	15.19	20.251

उपरोक्त संदर्भ में यह विदित हो कि उपरोक्त दरें सभी वितरण कम्पनियों नामतः बीएसईएस, टाटा पावर तथा बीएसईएस यमुना पावर को समान दर पर बेची जाती है।

(ङ) इस विषय में विदित है कि दिल्ली की दो कम्पनियां बीएसईएस यमुना पावर लि. एवं बीएसईएस राजधानी पावर लि. अक्टूबर 2010 से बिलों का नियमित भुगतान आईपीजीसीएल एवं पीपीसीएल द्वारा उत्पादित और बेची गई बिजली का नहीं दे रहे हैं। अतः दिल्ली सरकार ने खुदरा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली दर रियायत को (बीवाईपीएल और बीआरपीएल से संबंधित राशि) सीधे

आईपीजीसीएल और पीपीसीएल को प्रदान कर रही है। तद्नुसार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आईपीजीसीएल और पीपीसीएल यद्यपि लगातार बिजली सप्लाई की गई है फिर भी बीवाईपीएल और बीआरपीएल लगातार बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2014-15 में अक्तूबर माह तक कुछ राजस्व प्राप्त हुआ है लेकिन नवम्बर 2014 के बाद बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल ने कोई भी पैसा नहीं दिया है। इस बारे में आगे विदित हो कि अक्टूबर 2015 से टाटा पावर लिमिटेड ने भी पैसा देना बन्द कर दिया है। तदनुसार पिछले एवं वर्तमान वर्ष में दिल्ली की उपरोक्त वितरण कम्पनियों से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित है :

करोड़ रुपये

	2007 to 2014	2014-15	2015-16	कुल
BRPL	3033.05	702.09	0.00	3735.14
TPDDL	3014.88	805.02	345.61	4165.51
BYPL	2152.96	214.26	0.00	2376.22
कुल	8200.89	1721.37	345.61	10267.87

(च) इन बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनियों से दिल्ली सरकार का निम्नलिखित रकम बकाया है—

	2014-15 (करोड़ रुपये)
BRPL	2366.23
TPDDL	174.00
BYPL	3078.41
कुल	5618.64

(छ), (ज) और (झ) बीएएईएस राजधानी पावर लि. और बीएसईएस यमुना पावर लि. की ओर से बकाया पैसा वसूलने हेतु आईपीजीसीएल एवं पीपीसीएल एवं दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. समय-समय पर इन कम्पनियों से आईपीजीसीएल एवं पीपीसीएल द्वारा लिखित रूप में बकाया रकम वसूलने हेतु मांग की गई है।

2. बिजली क्षेत्र के विभिन्न फॉरम जैसे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (State Load Dispatch Centre). उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (Northern Regional Load Despatch Centre), उत्तर क्षेत्रीय पावर कमेटी (Northern Regional Power Committee), दिल्ली सरकार के उर्जा विभाग के स्तर पर होने वाली मीटिंगों में उपरोक्त बकाया राशि देने क लिए दिल्ली के सभी संबंधित संस्थानों से बीवाईपीएल और बीआरपीएल को उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए मांग की गई है।

3. सर्वप्रथम, अगस्त 2011 में आईपीजीसीएल तथा पीपीसीएल ने विनियामक आयोग में याचिका संख्या 51 और 52 फाइल की है लेकिन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को कोई दिशानिर्देश पारित नहीं किया। अतः आईपीजीसीएल तथा पीपीसीएल ने अपीलीय ऑथेरिटी में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 05.11.2013 को अपील नम्बर 27 और 28/2014 के तहत चुनौती दी है। माननीय अपीलीय ऑथेरिटी लगातार उपरोक्त अपील पर सुनवाई कर रही है लेकिन कोई अंतिम दिशा निर्देश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त अपीलों की अगली सुनवाई 06.01.2016 को निश्चित है।

बीवाईपीएल और बीआरपीएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय की अपील नम्बर 104 और 105/2014 इस आशय से संबंधित फाइल की है कि सभी उत्पादन कम्पनियां (आईपीजीसीएल और पीपीसीएल) अगर बिल का भुगतान

नहीं भी करते हैं तो भी दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई करती रहेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त विषय में कई बार सुनवाई की तथा बीवाईपीएल और बीआरपीएल को निश्चित आदेश दिया है कि जनवरी 2014 से आईपीजीसीएल और पीपीसीएल द्वारा बीआरपीएल और बीवाईपीएल को बेची गई सम्पूर्ण बिजली का भुगतान अनवरत करना है। माननीय न्यायालय के इस आदेश का बीआरपीएल ने कुछ दिनों तक पालन किया लेकिन बीवाईपीएल ने शुरू से ही इसका पालन नहीं किया। तदनुसार उपरोक्त पैरा (ड) में दिये गए विवरण के अनुसार बीआरपीएल द्वारा आंशिक भुगतान मिला है लेकिन नम्बवर 2014 के बाद दोनों कम्पनियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त आदेश की अवमानना के खिलाफ आईपीजीसीएल और पीपीसीएल ने याचिका नम्बर 59 और 83/2015 फाइल की है। इन याचिकाओं की सुनवाई और संबंधित आदेश सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

91. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों को राहत/सहायता राशि वितरित करने का निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2014 में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मद में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को वर्ष 2014 में प्रदान की गई थी और इसे 1984 के कितने दंगा पीड़ित परिवारों के बीच वितरित किया जाना था;

(ग) भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के द्वारा एक वर्ष तक वितरित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पास इस मंद में अब कुल कितनी राशि शेष है और दंगा पीड़ितों में इस राशि के वितरित न होने के क्या कारण हैं, विस्तृत जानकारी दी जाए?

उप-मुख्यमंत्री : (क) यह प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है और भारत सरकार से ही पूछा जाना चाहिए।

(ख) इस मद में वर्ष 2014 में भारत सरकार ने कोई राशि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को नहीं दी है।

(ग) भारत सरकार ने कोई राशि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को नहीं दी है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने दिल्ली सरकार कोई इस मद में कोई धन राशि प्रदान नहीं की है, अतः राशि वितरित न होने के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता।

92. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विद्यालयों में वोकेशल-कोर्स/विषय शुरू किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के सभी जिलों में सरकार की कोशल विकास-केन्द्र खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) दिल्ली सरकार के तहत बीटेक, बी. आर्क, एमबीएसएस आदि के कितने तकनीकी शिक्षा-संस्थान/महाविद्यालय चल रहे हैं

(च) क्या यह सत्य है कि भविष्य में इस प्रकार के ऐसे और भी तकनीकी संस्थान/महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे कितने तकनीकी शिक्षा संस्थान/महाविद्यालय खोले जाएंगे और कब तक?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां, वोकेशनलाईजेशन ऑफ सैकेण्डरी एण्ड हायर सैकेण्डरी ऐजूकेशन

(Vocationalistion of Secondary and Higher Secondary Education) योजना के तहत नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम के अनुरूप दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में दिल्ली के 205 सरकारी विद्यालयों में नवीं कक्षा में वोकेशनल विषय लागू करना प्रस्तावित है। इनमें से 179 विद्यालयों में 16.11.2015 से नवीं कक्षा में वोकेशनल विषय शुरू हो चुका है। केन्द्रीय सरकार के सहयोग से वर्ष 2014-15 में 22 अन्य विद्यालयों की नवीं कक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 253 राजकीय विद्यालयों में विगत कई वर्षों से ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, निजी क्षेत्रों के सहयोग से कौशल विकास हेतु केन्द्रों को चिह्नित कर प्रशिक्षण हेतु नीति पत्र विचाराधीन है।

(ङ) तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत ऐसे दस शिक्षा संस्थान/महाविद्यालय चल रहे हैं। तथा स्वास्थ्य विभाग, के तहत एमबीबीएस का एक महाविद्यालय (मौलाना आजाद मेडीकल कालेज) चल रहा है।

(च) जी हां।

(छ) वर्तमान में एक कौशल महाविद्यालय, तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

और पांच बहुकला संस्थान खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनके लिए स्थान चिहिनत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कालेज, रोहिणी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस कालेज द्वारा मेडिकल काउंसिल इण्डिया की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। अनुमति मिलने के उपरान्त अगले सत्र में इसे प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

93. **श्री विजेन्द्र गर्ग** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निकट भविष्य में बिजली-दरों में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो बिजली की दरें कब तक कम कर दी जाएंगी; और

(ग) इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क), (ख) और (ग) बिजली की दरों का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं अपितु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। दरों का निर्धारण विद्युत विनियामक आयोग के टेरिफ आदेश अनुसार आयोग द्वारा निम्न घटकों की जांच के आधार पर किया जाता है जिसमें वितरण कम्पनियों की ARR Petitions में दर्शाई ऊर्जा खरीद, परिचालन व रख-रखाव के खर्चे, मूल्यहास, निश्चित आय आदि का लेखाजोखा होता है—

1. पिछले प्रदर्शन का ट्रू-अप (True-up of past performance)

2. प्रक्षेपित प्रदर्शन (projected performance)

हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा महंगी बिजली उपलब्ध करवाने वाले केन्द्रीय उत्पादन उपक्रमों के साथ हुए कुछ करार को त्यागने हेतु केन्द्रीय सरकार से आवश्यक

पत्राचार किया है। प्रशासित मूल्य-निर्धारण तंत्र (Administered Pricing Mechanism) के तहत मिलने वाली सस्ती गैस के आबंटन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को आवेदन किया गया है जिससे कि सस्ती बिजली बनाने हेतु हमारे गैस आधारित बिजली उत्पादक प्लांट का अनुकूलतम उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को खदान के मुहाने (Pit-Head) के नजदीक बिजली उत्पादक प्लांट स्थापित करने के लिए एक अच्छी कोयला खदान आवंटित करने हेतु भी आवेदन किया है।

94. श्री अजय दत्त : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं ला रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा के उत्पादन पर पीपीपी माडल के माध्यम से सब्सिडी देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिसके लिए एक ड्राफ्ट सोलर नीति तैयार की जा रही है जोकि शीघ्र ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं में सोलर उर्जा का प्रचार करने के लिए एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Generation based incentive Scheme) भी विचाराधीन है।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार और उर्जा के लिए कोई सब्सिडी देने पर विचार नहीं कर रही है परन्तु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Generation Based incentive Scheme) विचाराधीन है।

95. **श्री वेद प्रकाश** : क्या **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में कोई सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार की बवाना विधानसभा क्षेत्र में नए प्रशिक्षण केन्द्र एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मंत्री : (क) जी हां।

(ख) सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नहीं खोले गए हैं इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए एवं जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही खोले जा सकते हैं। बवाना क्षेत्र के आसपास स्थित तकनीकी शिक्षण संस्थानों की सूची संलग्न है।

(ग), (घ) और (ङ) वर्तमान में बवाना विधानसभा क्षेत्र में नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई योजना नहीं है, परंतु यदि जमीन उपलब्ध होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

अनुलग्नक "क"

List of Govt. ITIs

Sl. No.	Name of the Institute	Addres
1.	ITI Narela	DSISC Industrial Complex Narela
2.	ITI Mangol Puri	S Block, Industrial Area, Mangol Puri, Delhi-83

List of Privately Managed ITIs

Sl. No.	Name of the Institute	Addres
1	Indian Institute of Computer Education	C-574, Saraswati Vihar, Pitam Pura, Delhi-34
2	Sampurna	Basti Vikas Kendra, Amar Jyoti Colony, Bawana Road, Delhi-85

List of Govt. Polytechnics:

Sl. No.	Name of the Institute	Address
1.	Guru Nanak Dev Institute of Technology	Sec-15, Rohini

List of Pvt. Polytechnics:

Sl. No.	Name of the Institute	Address
1.	Chotu Ram Rural Institute of Technology	Kanjhawala (Ghevra), Delhi-110081
2.	Marathwada Institute of Technology	Rajendra Lakra Marg, Mundka, New Delhi-110041
3.	Subramania Barathi College of Science & Technology	Holambi Khurd, Delhi-110082

Degree Level Institutes :-

Sl. No.	Name of the Institute	Address
1.	Delhi Technological University	Bawana Road, Delhi

96. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में सुबह की पाली के साथ दूसरी पाली शुरू करने पर भी विचार कर रही है;

(ख) उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक शुरू कर दी जाएगी; और

(घ) क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ पीपीपी मॉडल के तहत उच्च तकनीकी शिक्षा शुरू करने पर विचार कर सकती है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) से (ग) जी हां, सरकार द्वारा निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दूसरी पाली चलाने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसकी प्रतिलिपि ''अ'' पर संलग्न है।

(घ) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशानार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(शिक्षा निदेशालय)

पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054

पत्र क्रमांक डी.ई.15(191)अधि-1/2013/ 11419-11422 **दिनांक 25/10/2013**

अधिसूचना

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल चलाने के लिए निम्न नीति-निर्देशों को जारी किया जाता है।

1. विद्यालय की प्रथम पाली संचालन करने वाली संचालक संस्था/समिति/प्रबन्धन को ही द्वितीय पाली की मान्यता हेतु आवेदन करने का अधिकार होगा।

प्रथम पाली का संचालन करने वाली संचालक संस्था/समिति, विद्यालय के शिक्षक-अभिभावक संघ को विश्वास में लेकर द्वितीय पाली चलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी।

2. ऐसा कोई विद्यालय जो द्वितीय पाली में चलेगा उसे एक नई ईकाई के रूप में स्वतंत्र विद्यालय के रूप में माना जाएगा तथा वह विद्यालय अलग दस्तावेज व लेखा रखेगा। अर्थात् द्वितीय पाली को किसी भी रूप में प्रथम पाली के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

3. ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को, पृथक रूप से नवीन मान्यता और संबद्धता, जहां भी लागू हो, लेनी होगी एवम् दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम एवम् नियम 1973 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और मापदण्डों का अनुपालन करना होगा।

4. ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को विद्यालय संचालन हेतु अपने कर्मचारियों (शिक्षण और गैर शिक्षण), प्रधानाचार्य सहित समयानुसार लागू भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती करनी होगी।

5. ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को किसी भी परिस्थिति में छात्रों (आर्थिक रूप में कमजोर और वंचित समूह सहित), को प्रथम पाली से द्वितीय पाली या द्वितीय पाली से प्रथम पाली में स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं होगा।

6. ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को पढ़ने वाले छात्रों/छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, दाखिला हेतु आस-पड़ोस मानदण्डों का सख्ती से पालन करना होगा।

7. इस तरह के विद्यालय अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने छात्र/छात्राओं से विद्यालय विकास कोष व वार्षिक शुल्क वसूल कर सकता है।

8. इस तरह के विद्यालय का समय सुबह की पाली के अतिव्यापी नहीं होगा और दोनों पालियों के बीच कम से कम आधे घण्टे का अंतराल होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के कार्य दिवस/शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घण्टे (स्कूल के मानदण्ड और मानक के अनुसार) अनुपालन हेतु संलग्न है।

9. इस तरह के विद्यालय को सुबह की पाली की आधारभूत सुविधाओं को साझा करना होगा, और इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन दोनों पालियों की प्रबंधक समितियों के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिससे कि दोनों पालियों की जिम्मेदारियों और सीमाओं को समझा जाएगा तदनुसार दस्तावेज बनाए जाएंगे।

10. इस तरह के विद्यालय को मौजूदा मानदंड के अनुसार आर्थिक रूप में कमजोर और वंचित समूह वर्ग से संबंधित छात्रों को प्रवेश देना होगा।

11. प्रथम पाली की संचालक संस्था/समिति/प्रबन्धन, द्वितीय पाली के विद्यालय से किसी भी प्रकार का किराया या विकास शुल्क आदि नहीं लेगी। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीय पाली का विद्यालय प्रथम पाली के विद्यालय को किराया/विकास शुल्क भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि द्वितीय पाली के विद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार/दायित्व नहीं पड़े, जोकि अंततः द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को वहन करना पड़ता।

12. दोनों पालियों के बेहतर समन्वय के लिए दोनों विद्यालयों का प्रबन्धन (शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधियों को छोड़कर) समान होना चाहिए।

13. भूमि आबंटन करने वाली संस्था जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूमि पहले से ही सम्बन्धित समिति को विद्यालय संचालन हेतु आबंटित की गई है।

14. द्वितीय पाली के छात्रों/कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और बचाव व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षा गार्ड और आया एस्कॉर्ट्स के रूप में भेजे जाने चाहिए।

15. शिक्षा निदेशालय उन विद्यालयों से जो द्वितीय पाली के संचालन हेतु इच्छुक है, उनके कर्मचारियों/छात्रों/शुल्क आदि के बारे में अलग से वार्षिक जानकारी ले सकता है। इसके अलावा दूसरी पाली के शिक्षकों की भविष्य निधि संख्या के विषय में भी जानकारी ले सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम पाली के शिक्षकों को द्वितीय पाली में शिक्षण हेतु भर्ती नहीं किया जा सकेगा।

16. ऐसे न्यास/समिति जोकि द्वितीय पाली के विद्यालय के संचालन हेतु इच्छुक है को उनकी पिछले तीन सवलों की बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्बन्धित न्यास/समिति अपने कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार वेतन, भत्ता देने के लिए आर्थिकरूप से समक्ष है। ऐसा न हो कि द्वितीय पाली का विद्यालय शुरू करने के पश्चात् संबंधित न्यास/समिति नियमानुसार वेतन भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मधु तेवतिया
(डा. मधु रानी तेवतिया) आई.ए.एस.
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

पत्र क्रमांक डी.ई.15(191)अधि–1/2013/11419–11422 दिनांक 25/10/2013

प्रतिलिपि :

1. शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
2. प्रधान सचिव (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
3. निदेशक (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
4. सभी आर डी. ई. /डी.डी.ई. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित अधिसूचना को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संज्ञान में लायें।
5. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, अधिनियम–1 शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, अधिनियम–2 शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
7. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, विद्यालय शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
8. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, दिल्ली सरकार।
9. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की बेवसाइट में डालने के अनुरोध सहित।
10. गार्ड फाइल।

मधु तेवतिया
(डा. मधु रानी तेवतिया) आई.ए.एस.
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

एक शैक्षिणक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों/शैक्षिणक घण्टों की संख्या	(1) पहली से पांचवी कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस
	(2) छठी से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस।
	(3) पहली से पांचवी कक्षा के लिए 800 शैक्षिणक घण्टे प्रति शैक्षिणक वर्ष
	(3) छठी से आठवीं कक्षा के लिए 1000 शैक्षिणक घंटे प्रति शैक्षिणक वर्ष
अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घण्टे प्रति सप्ताह	(1) 45 शैक्षिणक घण्टे तैयारी घण्टों सहित

वर्तमान समय में सभी दोनों पालियों में चलने वाले सरकारी स्कूलों की समय अवधि ग्रीष्मकाल में 5 घण्टे 30 मिनट औ शीतकाल में 5 घण्टे 10 मिनट (एक शैक्षणिक वर्ष में 210 दिन) है।

दिल्ली में चलने वाले केन्द्रीय विद्यालयों का भी समय निम्नानुसार है—

छात्रों के लिए

प्रथम पाली/सुबह का स्कूल	प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.25 तक (5 घण्टे 25 मिनट) ग्रीष्मकाल में।
	प्रातः 7.30 बजे से दोपहर 12.25 तक (4 घण्टे 55 मिनट) शीतकाल में।
द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल	दोपहर 12.30 बजे से सायं 6.00 तक (5 घण्टे 30 मिनट) ग्रीष्मकाल में।
	दोपहर 12.30 बजे से सायं 5.50 तक (4 घण्टे 50 मिनट) शीतकाल में

अध्यापकों के लिए

प्रथम पाली/सुबह का स्कूल	प्रातः 6.50 से दोपहर 2.20 तक (7 घण्टे 30 मिनट) ग्रीष्मकाल में

द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल	प्रातः 10.45 बजे से सायं 6.15 तक (7 घण्टे 30 मिनट) शीतकाल में

समानरूप से यदि अनुदान सहित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को द्वितीय पाली चलाने हेतु अनुमति दी जाती है तो छात्रों एवं अध्यापकों हेतु एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्यदिवसों/शैक्षिणक घण्टों की संख्या निम्नरूप से लागू होगी।

(1) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए—

छात्रों के लिए	200 कार्य दिवस के साथ 800 शैक्षिणक घण्टें प्रति शैक्षिणक वर्ष (4 शैक्षिणक घण्टें प्रति दिन की दर से) आसानी से लागू किये जाए। बाकी बचा समय सभा व भोजनावकाश के लिए उपयोग किया जाए।
अध्यापकों के लिए	अध्यापकों के लिए विस्तारित कार्य घण्टे लागू होंगे, ताकि 45 शैक्षिणक घण्टें तैयारी घण्टों सहित प्रति सप्ताह पूरे किये जा सके।

(2) छठी से आठवीं कक्षा के लिए—

छात्रों के लिए	220 कार्य दिवस के साथ 1000 शैक्षिणक घण्टे प्रति शैक्षिणक वर्ष, (4 घण्टे 35 मिनट प्रति दिन की शैक्षिणक अवधि) की दर से आसानी से लागू किये जाए। बाकी बचा समया सभा व भोजनावकाश के लिए उपयोग किया जाए।
अध्यापकों के लिए	अध्यापकों के लिए विस्तारित कार्य घण्टें लागू होंगे, ताकि 45 शैक्षिणक घंटे तैयारी घण्टों सहित प्रति सप्ताह पूरे किए जा सकें।

97. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया तथा फीस की शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के

लिए सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षा ऋण की योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वितों की संख्या क्या है;

(ग) दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाए जाने की सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही योजनाओं में कुछ सुधार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया तथा फीस की शिकायतों पर सरकार द्वारा उठाये कदम निम्न प्रकार हैं—

1. सरकार द्वारा प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया को सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में माननीय सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है।

2. शिक्षा विभाग प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अनुचित फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। इस संबंध में, परिपत्र दिनांक 11.02.2009 व 16.04.2010 की प्रतिलिपि ''अ'' एवं ''ब'' संलग्न है। निजी विद्यालय बच्चों से एकत्रित की गई फीस का खर्च Delhi School Education Act & Rules 1973 के नियम 177 के तहत करने के लिए बाध्य है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निजी विद्यालयों के लेखा-खातों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जोकि यह सुनिश्चित करें कि निजी विद्यालय बच्चों द्वारा एकत्रित की गई फीस/राशि का व्यय निर्धारित नियम के अनुसार ही कर रहे हैं, तथा इसके उल्लंघन पर निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। इसके लिए भी एक विधेयक वर्तमान विधान सभा सत्र में पेश किया गया है।

(ख) उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षा ऋण की योजना के अंतर्गत अब तक 41 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

(ग) दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने के संबंध में योजनाएं प्रतिलिपि ''स'' पर संलग्न है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त ''स'' के अनुसार।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT, DELHI-54

No. F.DE/15(56)/Act/2009/778 Dated: 11.02.2009

ORDER

In exercise of the powers conferred under sub section 3 of Section 17, sub section 3 of Section 24 of the Delhi School Education Act, 1973 read with sub sections 4 and 5 of Section 18 of the Delhi School Education Act, 1973, and with Rules 50, 51, 177 and 180 of the Delhi School Education Rules, 1973 and all other powers enabling me in this behalf and in continuation of the previous orders no. DE.15/ Act/ Duggal.Com/203/99/23039-23988 dated 15.12.1999, F.DE.15/Act/ 2K/243/KKK/ 883-1982 dated 10.02.2005 and No. DE15/Act/ 2006/738-798 dated 02.02.2006, I Chandra Bhushan Kumar, Director of Education, Government of NCT of Delhi hereby give the following directions to all the recognized unaided private schools in the National Capital Territory of Delhi for the implementation of the recommendations of the 6th Central Pay Commission w.e.f. the academic session 2008-09 and to meet the financial requirement arising therefrom:

1. A Fee hike is not mandatory for recognised unaided schools in the NCT of Delhi.

2. All schools must, first of all, explore the possibility of utilising the existing reserves to meet any shortfall in payment of salaries and allowances, as a consequence of increase in the salaries and allowances of employees.

3. If any school still feels it necessary to hike the Tuition Fee, it shall present it case, along with detailed financial statements, indicating income and expenditure on each account, to the Parent Teacher Association to justify the need for any hike. Any Increase in Tuition Fee shall be effected only after fulfilling this requirement and further subject to the cap prescribed in paragraph 4 below.

4. All schools have been placed in five (5) categories based on their monthly Tuition Fees at present. Increase in the Tuition Fee, as mentioned below, is permitted with effect from 1 September 2008 for those schools who need to raise additional funding for additional requirement on account of the Implementation of the 6th Central Pay Commission recommendations:-

Category	Existing Tuition Fee (per month)	Proposed increase in Tuition Fee (maximum limit) (per month)
1	Upto Rs.500/- P.M.	Rs.100/- p.m.
2	Rs.501/- to Rs.1,000/-	Rs.200/- p.m.
3	Rs.1,001/ to Rs.1,500/-	Rs.300/- p.m.
4	Rs.1,501/- to Rs. 2,000/-	Rs.400/- p.m.
5	Above Rs.2,000/-	Rs.500/- p.m.

5. There shall not be any further increase in the Tuition Fee beyond the limit prescribed in para 4 hereinabove, till March 2010.

6. The parents shall be allowed to deposit the arrears on account of the above Tuition Fee effective from 1st September, 2008 by 31st March, 2009.

7. The arrears for meeting the requirement of salary etc. from 1st January 2006 to 31st August 2008 as per 6th Central Pay Commission recommendations will be paid by the parents subject to the limitation prescribed below:-

Category	Existing Tuition Fee (per month)	Arrears (1st Instalment)		Total (I + II) (2nd Instalment)
1	Upto Rs.500/- P.M.	Rs.1,000/-	Rs.1,000/-	Rs.2,000/-
2	Rs.501/- to Rs.1,000/-	Rs.1,250/-	Rs.1,250/-	Rs.2,500/-
3	Rs.1,001/- to Rs.1,500	Rs.1,500/-	Rs.1,500/-	Rs.3,000/-
4	Rs.1,501/- to Rs.2,000/-	Rs.1,750/-	Rs.1,750/-	Rs.3,500/-
5	Above Rs.2,000/-	Rs.2,250/-	Rs.2,250/-	Rs.4,500/-

The first instalment may be deposited by 31st March 2009 and the second by 30th September 2009, Schools, however, are at liberty to prescribe later dates.

8. Teachers and other employees shall be paid the first instalment of their arrears @ 40% of the total amount by 30th April 2009 by the schools. The second instalment of arrears i.e. the remaining 60% shall be paid by 31st October 2009.

9. No school student, who is appearing to Board examination, shall be denied admit card, school leaving certificate or any other document, or be disallowed from appearing in the Board Examination on account of any non-payment or delayed payment arising out of this order.

10. A Grievance Redressal Committee has been constituted with the Director (Education) as the Chairperson with two other Members and one Charted Accountant. Any school or parent, who is aggrieved by this order shall approach the Grievance Redressal Committee, along with the head of the Parent Teacher Association, within 30 days from the issue of the order. The school shall present the accounts of the school before the Committee. The Committee shall resolve each grievance brought before it.

11. The schools should not consider the increase in fee to be the only source of augmenting their revenue. They should also venture upon other permissible measures for increasing revenue receipts.

12. The amount of fee collected between January 2006 and August 2008 and utilized for purposes other than payment of salary / allowances or organising curricular activities should be considered as amount available for payment of arrears and the liability of arrears for the purpose of recovery from students should be taken as reduced to that extent.

13. Interest on deposits made as a condition precedent to the recognition of the schools and as pledged in favour of the Government should also be utilized for payment of arrears in the present case.

14. Development Fee, not exceeding 15% of the total annual tuition fee may be charged for supplementing the resources for purchase, upgradation and replacement of furniture, fixtures and equipment. Development Fee, if required to be charged, shall be treated as capital receipt and shall be collected only if the school is maintaining a Depreciation Reserve Fund, equivalent to the depredation charged in the revenue accounts and the collection under this head along with and income generated from the investment made out of this fund, will be kept in a separately maintained Development Fund Account.

15. However, the additional increase in Development Fee on account of

Increase in Tuition Fee shall be utilised for the purpose of meeting any shortfall on account of salary/arrears only.

16. No Registration Fee of more than twenty five rupees per student prior to admission shall be charged.

17. No Admission Fee of more than two hundred rupees per student, at the time of admission shall be charged. Admission Fee shall not be charged again from any student who is once given admission as long as he remains on the rolls of the school.

18. No Caution Money/Security Deposit of more than five hundred rupees per Student shall be charged. The Caution Money, thus collected shall be kept deposited in a Scheduled Bank in the name of the concerned school and shall be returned to the student at the time of his/her leaving the school along with the bank interest thereon irrespective of whether or not he/she requests for a refund.

19. The Tuition Fee shall be so determined as to cover the standard cost of establishment including provisions for DA, bonus, etc., and all terminal benefits as also the expenditure of revenue nature concerning the curricular activities. All fees charged in excess of the amount so determined or determinable shall be refunded to the students/parents within fifteen days of the issue of this order.

20. No fee, fund or any other charge by whatever name called, shall be levied or realised unless it is determined by the managing committee in accordance with the directions contained in this order and unless the representatives of the Parent Teacher Association and the nominees of the undersigned are associated with these decisions.

21. No annual charges shall be levied unless they are determined by the managing committee to cover all revenue expenditure, not included in the tuition fee and 'Overheads' and expenses on play-grounds, sports equipment, cultural

and other co-curricular activities as distinct from the curricular activities of the school.

22. Earmarked levies shall be charged from the user students only. Earmarked levies for the services rendered shall be charged in respect of facilities involving expenditure beyond the expenditure on earmarked levies already being charged for the purpose. They will be calculated and collected on 'No profit no loss' basis and spent only for the purpose for which they are being charged. All transactions relating to the earmarked levies shall be an integral part of the school accounts.

23. Fees/funds collected from the parents/students shall be utilised strictly in accordance with rules 176 and 177 of the Delhi School Education Rules, 1973. No amount whatsoever shall be transferred from the recognised unaided school fund of a school to the society or the trust or any other institution.

24. Every recognised unaided school covered by the Act, shall maintain the accounts on the principles of account applicable to non-business organization/ not-for-profit organization as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Such schools shall prepare their financial statement consisting of Balance Sheet. Profit & Loss Account and Receipt and Payment Account every year as perpro-forma which is under process and will follow shortly.

25. Every recognized unaided school covered by the act, shall file a statement of fees latest by 31st March every year before the ensuing session under section 17(3) of the Act as per proforma which is under process and will follow shortly.

Sd/-
(Chandra Bhushan Kumar)
Director of Education

To,

The Managing Committee,
Through the Manager of the School,
All recognized unaided schools in the NCT of Delhi.

Copy forwarded for Information and appropriate action to:

1. Director (Education) Municipal Corporation of Delhi, Nigam Bhawan, Kashmiri Gate, Delhi.
2. Director (Education) New Delhi Municipal Corporation, Palika Bhawan, Connaught Place, New Delhi.
3. Chief Executive Officer, Office of the Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt., Near Cantt Police Station, Delhi-10
4. All Addl. Directors, Directorate of Education.
5. All Regional Directors, Directorate of Education.
6. All District Deputy Directors, Directorate of Education, Delhi with the directions 10 ensure that a copy of this circular is served to all the unaided recognized schools under their jurisdiction against proper acknowledgment.
7. All Education Officers, Directorate of Education.
8. Incharge, Computer Cell to upload the order on the website of the Department.
9. Guard File.

Copy forwarded for kind information

1. PS to Hon'ble Lt. Governor

2. PS to Hon'ble Chief Minister
3. PS to Hon'ble Minister of Education
4. OSD to Chief Secretary
5. Commissioner MCD
6. Secretary (Education)
7. Chairperson NDMC

Sd/-
(Abha Joshi)
Assistant Director of Education (ACT)

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (ACT BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI - 110054

No. 1978 Dated: 16/04/2010

CIRCULAR

Subject: Guidelines regarding fec hike in Recognized Unaided Schools.

Every recognized private school in Delhi has to abide by sec 17 (3) of DSEAR 73 which provides that –

"The manager of every recognized school shall before the commencement of each academic session, file with the Director a full statement of the fees to be levied by such school during the ensuing academic session, and except with prior approval of the Director, no such School shall charge, during that academic session, any fee in excess of the fee specified by its manager in the said statement"

In compliance of this section many private schools have submitted their proposed fee structure for the ensuing session 2010-11. Simultaneously a number of complaints are being received regarding unreasonable and excessive fee hike by some schools.

The Hon'ble Apex Court in Civil Appeal No. 2699 of 2001 titled "Modern School V/s Union of India" held that -

"the Director is authorized to regulate the fees and other charges to prevent commercialization of education. Under Section 17 (3), the school has to furnish a full statement of fee in advance before the commencement of the academic session. Reading Section 17(3) with Section 18(3) & (4) of the Act and the Rules quoted above, it is clear that the Director has the authority to regidate the fees under Section 17(3) of the Act".

Keeping in view the directions of Hon'ble Court, Directorate of Education has been issuing instructions to regulate fee hike from time to time; the latest order dated 11/02/09 was to regulate fee-hike, in order to meet the financial implications of VI Pay Commission.

In continuation to the previous directions, all recognized private schools are directed to abide by the following guidelines/directions, while considering fee structures from the academic year 2010-11 onwards, to prevent commercialization of education.

1. It is reiterated that annual fee-hike is not mandatory.

2. All schools must, first of all, explore and exhaust the possibility of utilizing the existing funds/ reserves to meet any shortfall in payment of salary and allowances, as a consequence of increase in the salary and allowances of the employees.

3. The school should not consider the increase in fee to be the only source of augmenting their revenue. They should also venture upon other permissible measures for increasing revenue receipts.

4. Interest on deposits made as a condition precedent to the recognition of the school and pledged in favour of the Govt., should also be utilized.

5. A part of reserve fund which has not been utilized for years together may also be used to meet the short fall before proposing a fee hike.

6. If after exhausting the above - mentioned possibilities, a school still finds it necessary to hike the tuition-fee; it shall first take the major stake holders in the school system i.e. parents into confidence. Since parents have to bear the financial burden of a fee hike, it is imperative that the school presents its case of fee hike, with detailed financial statement to the committee of the duly elected Parents Teacher Association and

obtain their concurrence to the proposed hike before the same is approved by the Managing Committee.

7. Instructions have been issued for constitution of Parent Teacher Association for Recognized Private Schools vide circular No. 1913 dated 12/04/2010 and these must be complied with.

8. The Tuition Fee shall be so determined as to cover the standard cost of establishment including provisions for DA, bonus, etc. and all terminal benefits, as also the expenditure of revenue nature concerning canicular activities. No fees shall be charged to excess of the amount so determined.

9. School shall not introduce any new head of account or collect any fee thereof other than those permitted. Fee/funds collected from the parents/ students shall be utilized strictly in accordance with rules 176 and 177 of the Delhi School Education Rules. 1973.

10. If any school has collected fee In excess of that determined as per procedure prescribed hero-above, the school shall refund/adjust the same against subsequent installments of fee payable by students.

11. The DE nominees on the Managing Committee will ensure compliance of the instructions issued herein, by the Managing Committee of each school, while approving the fee structure.

Sd/-
(P. Krishnamurthy)
Director of Education

No. 1978 Dated: 16/04/2010

Copy forwarded for Information and appropriate action to:

1. P.S. to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of Delhi.

2. P.S. to the Hon'ble Minister of Education, Govt. of Delhi.
3. P.S. to the Principal Secretary, Directorate of Education.
4. Director (Education) - MCD, Nigam Bhawan, Kashmiri Gate, Delhi.
5. Director (Education) - NDMC, Palika Bhawan, Connaught Place, New Delhi.
6. Chief Executive Officer, Office of the Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt. Delhi-10.
7. All Addl. Directors, Directorate of Education.
8. All Regional Directors, Directorate of Education.
9. All District Deputy Directors, Directorate of Education, Delhi with the direction to ensure that a copy is served to all unaided recognized schools under their jurisdiction against proper acknowledgment
10. All Education Directors, Directorate of Education.
11. Incharge, Computer Cell to upload the order on the website of the Department.
12. Guard File.

Sd/-
(Marcel Ekka)
Asstt. Director of Education (ACT)

अनुलग्नक ''स''

दिल्ली को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विस्तृत योजना बनायी गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं को शिक्षा देने का कार्य विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में कराया जा रहा है। ये केन्द्र दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी स्कूलों में, चयनित एन. जी.ओ./मदरसा मकतबा आदि द्वारा चलाये जा रहे हैं।

2. छात्र/छात्राओं को उनके निवास स्थान के पास स्कूल की व्यवस्था करना। इसके तहत एक किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी विद्यालय तथा अधिकतम तीन किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3. आर. टी. एक्ट 2010 के सेक्शन 9 के अनुसार 0-14 वर्ष तक के सभी बच्चों का ब्यौरा रखने से संबंधित कार्य स्थानीय प्राधिकरण (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् दिल्ली केनटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आदि) द्वारा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शिक्षा से वंचित बच्चों की जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

4. Urban Deprived बच्चों के लिए Centre for equity studies (NGO) के द्वारा तीन हॉस्टल चलाये जा रहे हैं। जहां पर बच्चों की शिक्षा एवं उनके शारीरिक/मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता है।

5. ऐसे मजदूर जो निर्माण कार्य में लगे हैं, उनके बच्चों को करीब 15 करोड़ रूपये की रकम छात्रवृत्ति के रूप में लेबर डिपार्टमेंट द्वारा बांट दी गई है।

6. विशिष्ट आवश्यकता वाले (Children with special needs) बच्चों को उनके घर के नजदीक स्कूलों में नामांकन कराना।

7. समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव न होने की सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं।

8. विशिष्ट आवश्यकता वाले (Children with Special needs) बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में उचित वातावरण उपलब्ध कराना। इसके तहत विद्यालयों में स्पेशल ऐजुकेशन टीचर की व्यवस्था करना।

9. विशिष्ट आवश्यकता वाले (Children with special needs) बच्चों को इस्कार्ट सुविधाएं मुहैया करना।

97. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा खाली पड़ी जमीनों को अपने अधीन करके दिल्ली सरकार को उस पर स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम आदि निर्माण करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो यह भी सत्य है कि मंडोली गांव की करीब 95000 वर्ग मीटर खाली पड़ी जमीन पर, भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयास की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, जो क्या सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर उस पर उक्त निर्माण का कार्य करवाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व स्टेडियम आदि बनाने की प्रक्रिया कब तक आरंभ कर दी जाएगी?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सम्बन्धित भूमि को लेकर मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

99. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की घौण्डा विधानसभा क्षेत्र में नया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान/भूमि चिह्नित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

उप-मुख्यमंत्री : (क) काफी प्रयासों के बावजूद भी घौण्डा विधान सभा क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने हेतु कोई भी उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं हो पा रही है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न सं. **100 श्री ओ. पी. शर्मा** के सदन से निष्कासित होने पर कार्यवाही से हटाया गया।

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में एस. सी., एस. टी. व ओ. बी. सी. के प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण दे?

(ग) 60 दिन।

(घ) जी हां।

(ङ) इस प्रक्रिया को e-District द्वारा जून 2015 से सरलीकृत किया गया जिसमें प्रार्थी स्वयं online आवेदन कर सकता है, तथा जारी प्रमाण पत्र का printout भी निकाल सकता है। दिल्ली सरकार ने विविध प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरलीकरण हेतु मंत्रीमंडलीय निर्णय सं. 2255, दिनांक 16.11.2015 को मंजूरी दी है। जोकि दिनांक 01.12.2015 से प्रभावी होगा। नई सरलीकृत, प्रक्रिया में शपथ पत्र की तथा सांसद, विधायक या राजपत्रित अधिकारी के सांक्षाकन की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वयं साक्षांकन एवं स्वयं उद्घोषणा ही पर्याप्त है। नए सरलीकृत नियमों के अनुसार वांछित दस्तावेजों एवं सुविधा का विवरण संलग्न हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

55. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में शिक्षकों सहित किस किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया कब से आरंभ की जाएगी; और

(ग) क्या शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गैस्ट/टीचर्स एवं कांट्रेक्ट-टीचर्स के शिक्षण-अनुभव की गणना की जाएगी ?

उप-मुख्यमंत्री : (क) रिक्त पदों का विवरण ''क'' पर संलग्न है।

(ख) इन पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। इनमें से कुछ की परीक्षाएं हो चुकी हैं।

(ग) गैस्ट शिक्षकों एवं कांट्रेक्ट टीचर्स के शिक्षण अनुभव एवं उम्र की गणना को लेकर सरकारक कुछ विकल्पों पर विचार कर रही है। जैसे ही इस पर निर्णय होगा, इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

अनुलग्नक 'क'

दिल्ली सरकार के स्कूलों में रिक्त पदों का विवरण

	पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	482
2.	उपप्रधानाचार्य	143
3.	पी.जी.टी.	3204
4.	टी.जी.टी.	9877
5.	अध्यापक (विविध श्रेणी)	7503
6.	प्रयोगशाला सहायक	171
7.	अधीक्षक	584
8.	मुख्य लिपिक	387
9.	अवर श्रेणी लिपिक	847
10.	निम्न श्रेणी लिपिक	648
11.	चपरासी	977

56. श्री वेद प्रकाश : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा संस्थान खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दिया जाए।

उप-मुख्यमंत्री : (क) वर्तमान में बवाना विधानसभा क्षेत्र में कोई नया शिक्षा संस्थान खोलने की योजना विचाराधीन नहीं है। हालांकि अदिति महाविद्यालय जो कि बवाना में स्कूल बिल्डिंग में चल रहा है, को स्थानांतरित करने के लिए बवाना या उसके आस-पास उपयुक्त भूमि का निर्णय लेने के लिए मामला विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्तानुसार

57. श्री वेद प्रकाश : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सैक्टर 23, 25 और 27 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि सरकारी स्कूलों के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या यह भूमि शिक्षा विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ङ) इन स्थानों पर स्कूलों के भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(च) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा में नये स्कूल खोलने की कोई योजना दिल्ली सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए?

उप-मुख्यमंत्री : (क) से (घ) रोहिणी सेक्टर 23, 25 और 27 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुकी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं—

रोहिणी सै.	क्षेत्रफल	कब्जे की तिथि
रोहिणी सेक्टर 23	7966.44 स्कावायर मीटर	14.11.2006
रोहिणी सेक्टर 25	4014 स्कावायर मीटर	16.08.2007
रोहिणी सेक्टर 27	8035 स्कावयर मीटर	13.02.2013

(ङ) उपरोक्त स्थानों पर स्कूलों के भवन का निर्माण कार्य निम्न प्रकार से हो रहा है—

क. सेक्टर-23 रोहिणी—निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है। जबकि स्कूल भवन का निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया था, परन्तु न्यायालय में लम्बित मामले के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में 11 फरवरी, 2016 को होनी है।

ख. सेक्टर, 25 रोहिणी—सेक्टर 25 रोहिणी, भवन निर्माण योजना अनुमोदन हेतु उत्तरी नगर निगम में प्रक्रिया आधीन है।

ग. सेक्टर, 27 रोहिणी—स्कूल के भवन का नक्शा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग दिल्ली को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

(च) से (छ) उपरोक्त 3 स्थानों के अलावा बवाना विधान सभा क्षेत्र में नये स्कूल खोलने की निम्न योजनाएं विचाराधीन है—

अ. **मुंगेशपुर**—मुंगेशपुर विद्यालय निर्माण की योजना (नक्शा) लोकनिर्माण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया है।

ब. दरियापुरकलां—उपरोक्त ''अ'' के अनुसार।

स. सेक्टर 22 रोहिणी—सरकारी स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है यह कार्य फरवरी 2016 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

द. **(1) सेक्टर 21 रोहिणी फेस. 2** का निर्माण कार्य जनवरी 2016 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

(2) सेक्टर 21 रोहिणी फेस-3 का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

58. श्री वेद प्रकाश : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा में दरियापुर गांव, शाहबाद डेयरी हरेवली व बेगम पुर में स्थित सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में है;

(ख) इन स्कूलों में लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 5 सालों में कब कब मरम्मत का कार्य किया गया, इसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बवाना विधानसभा में स्थित स्कूलों के भवनों की मरम्मत करने की दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) यह पूर्णतयः सत्य नहीं है। हरेवली एवम् बेगमपुर

विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक है। शाहबाद डेयरी विद्यालय भवन की छत की दरारों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग ने कर दी है। दरियापुर गांव के विद्यालय के क्षतिग्रस्त भाग में छात्रों का बैठना बन्द कर दिया गया है। 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण इस विद्यालय में करा दिया गया है।

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले पांच सालों में उपरोक्त विद्यालयों में सम्पदा शाखा, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित मरम्मत व निर्माण कार्यों के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान की गई :

विद्यालय का नाम	कार्य	राशि/रू.
बेगमपुर	विद्यालय प्रागंण पक्का करने हेतु वर्ष 2015-16	6,26,574
	शौचालय मरम्मत हेतु वर्ष 2014-16	9,20,600
	बिजली कार्य हेतु वर्ष 2014-15	4,25,917
	जल पम्प हेतु वर्ष 2014-15	4,00,067
	नवनिर्मित 20 कमरों में बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2013-14	15,82,064
शाहबाद डेरी	बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2015-16	2,12,757
	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी कनैक्शन हेतु। वर्ष 2013-14	4,65,725
	शौचालय व कमरों के मरम्मत हेतु वर्ष 2012-13	8,19,100
	बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2012-13	20,62,905
हरेवली	जल पम्प हेतु वर्ष 2013-14	1,70,561
	04 कमरे बनाने हेतु बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2013-14	57,20,190

विद्यालय का नाम	कार्य	राशि/रू.
दरियापुर	बिजली कार्य हेतु बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2012-13	9,88,790
	चार दीवारी मरम्मत हेतु बिजली कार्य हेतु। वर्ष 2012-13	9,92,400
	10 कमरों व शौचालय निर्माण हेतु। वर्ष 2012-13	1,10,19,543

(ग) से (घ) विद्यालयों भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य भवन की आवश्यकता व दशा पर निर्भर करता है। विद्यालयों से जैसे ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव आता है, उसे तुरंत लोक निर्माण विभाग को अग्रसर करके शिक्षा विभाग उनसे अनुमानित लागत प्रेषित करने को आदेश करता है। तदुपरांत यह धन-राशि शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र कर दी जाती है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

59. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्कूलों में साइंस विषय नहीं है;

(ख) इन स्कूलों में साइंस विषय न पढ़ाए जाने के क्या कारण हैं, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन स्कूलों साइंस विषय पढ़ाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

उप-मुख्यमंत्री : (क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में साइंस विषय नहीं हैं—

1. सर्वोदय कन्या विद्यालय, सैक्टर-1, अवन्तिका रोहिणी।
2. रा. बाल. सी. सै. स्कूल, सैक्टर-1, अवन्तिका रोहिणी।
3. सर्वोदय कन्या विद्यालय, पॉकेट-ए सैक्टर 16, अवन्तिका रोहिणी।
4. सर्वोदय बाल सी. सै. स्कूल, पॉकेट-ए सैक्टर 16, अवन्तिका रोहिणी।
5. रा. बालिका. सी. सै. स्कूल, सैक्टर-1, अवन्तिका रोहिणी।
6. रा. बाल. सी. सै. स्कूल, सैक्टर-1, रोहिणी अवन्तिका।
7. रा. सह. शिक्षा सी. सै. स्कूल, सैक्टर-11, रोहिणी।
8. सर्वोदय कन्या विद्यालय, रिठाला।
9. रा. बाल. सी. सै. स्कूल, रिठाला, दिल्ली।

(ख) विद्यालय में साइंस विषय, संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं मांग पर निर्भर करता है। दसवीं कक्षा तक विज्ञान एक अनिवार्य विषय हैं ग्याहरवीं एवं बारहवीं कक्षा में विज्ञान ऐच्छिक है जो भी इच्छुक विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता रखते हैं, सभी को ''विज्ञान'' वर्ग में दाखिला दिया जाता है। खेत्र में पहले से ही दो विद्यालयों में विज्ञान वर्ग की शिक्षा उपलब्ध है। यदि किसी अन्य विद्यालय में विज्ञान वर्ग की न्यूनतम योग्यता वाले इच्छुक छात्र/छात्राएं पर्याप्त संख्या में होंगे, तो उनमें भी साइंस की पढ़ाई तुरंत शुरू की जा सकती है।

(ग) सांइस विषय के लिए कोई प्रस्ताव किसी विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

60. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या स्कूलों में भी स्किल डेवलपमैंट पाठ्यक्रम लागू करने की कोई योजना है;

(ग) 5 नए पोलिटैक्निक खोलने के प्रस्ताव पर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता व समानता लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) नई दिल्ली क्षेत्र-रजोकरी में जमीन का कब्जा ले लिया गया है। पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला में भी जमीन का कब्जा ले लिया गया है। उत्तरी जिला में कादि पुर, मध्य दिल्ली में झड़ोदा, माजरा बुराड़ी एवं उत्तर-पूर्वी दिल्ली में, नन्दनगरी क्षेत्र में जगह का चयन व रेखांकन कर लिया गया है।

(घ) 1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सदस्य के चयन संबंधी खोज समिति का गठन किया गया है।

2. इस विभाग द्वारा संस्थागत विकास (Institutional Development) योजना को भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

3. भारत सरकार द्वारा रू. 1.50 करोड़ की राशि का प्रारंभिक अनुदान के रूप में अनुमोदित वर्ष 2015-16 के लिए जारी किया गया है।

4. दिल्ली सरकार द्वारा रू. 6 करोड़ की राशि बजट परिव्यय में राज्यांश के रूप में पारित किया गया है।

61. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूलों में नये शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार कितने नये स्कूल खोलने जा रही है;

(ग) इनके लिए कितनी नयी इमारतें बनायी जा रही हैं;

(घ) दिल्ली सरकार के कितने स्कूल एक पाली में चल रहे हैं;

(ङ) क्या इन्हें दोहरी पाली में चलाये जाने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) अगर हां, तो इन्हें कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

उप-मुख्यमंत्री : (क) नये शिक्षकों की भर्ती के विवरण की प्रतिलिपि ''अ'' पर संलग्न है।

(ख) वर्तमान शिक्षा सत्र 2015-16 अपने अन्तिम चरण में हैं। ऐसे में सत्र के अन्तिम चरण में विद्यार्थियों की भर्ती संभव नहीं है। अतः दिल्ली सरकार का प्रयास है कि 25 नवनिर्मित/निर्माणाधीन विद्यालय भवनों में आगामी सत्र के आरंभ से विद्यालय खोले जाए।

(ग) इस वित्त वर्ष में 21 नए भवन निर्माणधीन है।

(घ) दिल्ली सरकार के 410 स्कूल एक पाली में चल रहे हैं।

(ङ) अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक आंतरिक सर्वेक्षण करके पांच एकल पाली विद्यालयों को दोहरी पाली में चलाने का निर्णय लिया है।

(च) इनके आगामी सत्र से प्रारंभ होने की संभावना है।

अनुलग्नक 'अ'

पीजीटी अध्यापक—सीधी भर्ती कोटा वाले पदों को भरने के लिए समय-समय पर मांग पत्र दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होते ही खाली पदों सीधी भर्ती को भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। पदोन्नति कोटा वाले पदों को भरने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

टीजीटी अध्यापक—विभाग ने रिक्त पदों को भरने हेतु डीएसएसएसबी को रिक्वीजिसन भेज दी गई है।

विविध श्रेणी अध्यापक—विविधश्रेणी अध्याकपों के रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को मांगपत्र भेजा जा चुका है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होने के पश्चात् उक्त रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

62. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई.डब्ल्यू.एस. योजना के तहत दाखिलों में हुई गड़बड़ियों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि स्कूलों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पे एंड प्ले अर्थात भुगतान करों और खेलों का प्रस्ताव था;

(ग) इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जाता है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) निजी अनुदान रहित मान्यता प्राप्त विद्यालय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम व नियम 1973 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा शासित किये जाते हैं। निजी मान्यता प्राप्त अनुदान रहित विद्यालय (अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूलों को छोड़कर) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग के बच्चों को 8वीं कक्षा तक 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए बाध्य है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1), (सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभाग ने दिनांक 07.01.2011 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें EWS/DG वर्ग के बच्चों के दाखिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी 07.01.2011 के अधिसूचना की धारा 5(डी) के अनुसार निजी विद्यालय के प्रमुख/प्रधान, EWS/DG प्रमाणपत्र, जो पिता/अभिभावक दाखिले के उद्देश्य से जमा करवाते हैं, के सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं। आय/जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, EWS/DG वर्ग दाखिले के आवेदन के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। हाल में, विभाग को यह पता चला है कि कुछ निजी विद्यालयों में EWS/DG वर्ग के बच्चों के दाखिलों में अनियमितता की गई है। कुछ विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर EWS/GD वर्ग में दाखिलों का मामला सामने आया है। इन अनियमिताओं का संज्ञान लेते हुए, विभाग ने 14. 05.2015 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें सभी निजी विद्यालयों में EWS/ GD वर्ग के बच्चों के दाखिलों से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित दस्तावेजों को संबंधित विभाग से सत्यापित करने का आदेश जारी किया है। आगे, विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 06.11.2015 में सभी निजी विद्यालयों को 2013-14 से 2015-16 तक दाखिले हुए EWS/DG वर्ग के बच्चों के पिता/अभिभावक द्वारा

संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कराने के लिए आदेश जारी किया है। विभाग EWS/DG वर्ग के दाखिले में पारदर्शिता लाने के लिए EWS/DG बच्चों के पिता/अभिभावक द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कराने के लिए आदेश जारी किया है। विभाग EWS/DG वर्ग के दाखिले में पारदर्शिता लाने के लिए EWS/DG दाखिलों को ऑन लाइन करने की प्रक्रिया में प्रयासरत हैं।

परिपत्र 14.05.2015 व 06.11.2015 की प्रतिलिपि ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) यह योजना शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के आठ (8) खेल परिसरों में दिनांक 01.07.2015 से लागू कर दी गई है। इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश 26.06.2015 को जारी कर दिये गये थे, जिसकी प्रतिलिपि ''स'' संलग्न है।

(घ) जी हां, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। एससीआरटी, यूटीसीएस तथा कुछ निजी संस्थानों से भी अध्यापकों, प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण कराया जाता है।

संलग्नक 'अ'
अनुलग्नक

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (ACT BRANCH)
OLD SECTT., DELHI - 110054

No. F. DE/15/ACT-I/2013/905-911 Dated: 14/05/15

CIRCULAR

Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2006 makes it mandatory for all Private Unaided Recognized Schools to admit at least 25% children belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group

Category to Entry Level Classes and provide free and compulsory education to them till completion of elementary education. Further, the Private Unaided Recognized Schools (Non-Minority) running on the land allotted by the Govt. Agencies are also under obligation to admit 20% children belonging to EWS Category in all fresh admissions in upper classes.

The Income and Caste certificates issued by the competent authority of Revenue Department, GNCT of Delhi are fundamental and decisive documents to claim the benefits under EWS/DG Category.

One of the District Magistrate of Revenue Department, GNCT of Delhi has brought to the notice of this Directorate that a few admissions under EWS category in various schools of Delhi have been got done on the basis of forged and fake Income Certificates submitted by the respective parents. It has also been informed that due diligence is not being exercised and verification of Income Certificates and Caste Certificates is not being done by the Principals/ Managements of the schools at the time of admission. As a result, ineligible people are getting undue benefits and eligible/ deserving students are deprived of admission under the above said categories.

Further, it has been informed by the said District Magistrate that various Govt. Certificates including income/caste certificates etc. issued by the Revenue Department be verified by the school authorities online at www.esla.delhi.gov.in > Revenue Department or in paper form from the office of the respective District Magistrate of Revenue Department before extending any benefits to the applicants on the basis of the certificates produced.

The Directorate has taken the said irregularities in admissions of EWS/DG Category students seriously.

Therefore, all the Principals/ Managements of Private Unaided Recognized Schools of Delhi are hereby directed to be cautious in this regard and exercise due diligence as well as carry out necessary verification before admissions so

as to ensure that benefits of admission under EWS/DG Category students reach the eligible and deserving students.

Further, all Dy. Directors of Education are also advised to ensure that the above said instruction are adhered strictly by all the unaided private recognized schools.

This issue with the prior approval of the Competent Authority.

(Dr. Ashima Jain, IAS)

Addl. Director of Edn., (ACT-I)

Encls: As above

All the Principals/ Managers,
Unaided Private recognized schools,
Directorate of Education

No. F. DE 15/ACT-I/2013/905-911 Dated: 14/05/15

Copy to

1. PS to Secretary (Education)
2. PA to Director (Education)
3. All District Magistrates of Revenue Department, GNCT of Delhi
4. All Regional Directors of Education
5. All the DDEs/Eos of Districts
6. Guard File

Sd/-
(P. Lata Tara)

Deputy Director (Act-I)

DIRECTORATE OF EDUCATION

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

OLD SECRETARIAT, DELHI - 110054

(ACT BRANCH)

NO.F.15/39/Act-I/NCPCR/DCPCR/2015/ 4552-4557 Dated:- 06/11/2015

CIRCULAR

It has come to the notice through Press Reports published in various Newspapers that a number of admissions under EWS/DG category have been done in various Private Unaided Schools of Delhi on the basis of forged and fake Income Certificates produced by the respective parents. An investigation was also carried out by the Special Cell of Delhi Police in few of the cases and it has been observed that due diligence/verification of Income Certificates has not been done by the respective Principals/Managers of the schools at the time of admission. As a result, eligible deserving and poor students are deprived of their right of getting admission under the EWS/DG category.

In this matter, this Directorate has already issued a circular No. F.DE 15/ ACT-1/2013/905-911 dated 14.05.15 to all Principals/Managers of Unaided Private Schools with the directions to carry out necessary verification before giving admission under EWS/DG category. Also an online link was provided to verify the various Government Certificates including Income/Caste Certificates issued by the Revenue Department, Govt, of NCT of Delhi. .

Despite issuing the above said circular, irregularities in admissions of EWS/ DG Category have come to notice and the Competent Authority has taken the said irregularities seriously. The matter has also been taken note of by the National Commission for Protection of Child Rights & Delhi Commission for Protection of Child Rights.

Therefore, all the Principals/Managers of Private Unaided Recognized Schools of Delhi are hereby directed to launch a special drive to examine and verify the admission records of academic sessions 2013-14 to 2015-16 and

ensure that, all admissions under the EWS/DG. Category have been made strictly following the laid down parameters. Case(s) of violation of the prescribed rules/ guidelines may be brought to the notice of the Revenue Authorities immediately and admission of the student, who has taken admission on such forged/fake documents, may be cancelled under EWS/DG category.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Sd/-

(Dr. Ashima Jain, I.A.S)
Addl. Director of Education (ACT-I)

All the Principals/Managers

Unaided Private Recognized Schools,

Directorate of Education, GNCTD.

NO.DE.15 (166)/Act-I/Policy/Land Norms/2013/ 4552-4557 Dated:06/11/2015

Copy to:-

1. PS to Divisional Commissioner, Revenue Department, GNCTD, 5, Sham Nath Marg, Delhi -54 with the request to circulate the said circular to all District Authority (Revenue) for further n.a.
2. PS to Secretary (Education), Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
3. PA to Director (Education), Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
4. All Regional Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
5. All DDEs, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.

(P. Lata Tara)

Dy. Director of Education (ACT-I)

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATRASAL STADIUM: MODEL TOWN: DELHI - 110009

No. DE.41/Sports/2015/ 2765-2814 Dated: 26th June, 2015

CIRCULAR

Sub: Pay & Play Scheme for usage of sports stadia / complexes.

With a view to promote sports among all ages, it has been decided to open following stadia of Government of NCT of Delhi with sports disciplines mentioned against each under "PAY & PLAY SCHEME" so as to involve the citizens of the Capital in sports promotion:

Place of Operation and sports disciplines covered:

Name of Stadium / Sports Complex	Sports Discipline
Thyagraj Stadium	Athletics, Football, Yoga, Walk
Chhatrasal Stadium	Athletics, Football, Basketball, Kabaddi, Yoga, Walk
East Vinod Nagar Sports Complex	Athletics, Football, Basketball, Volleyball
Najafgarh Stadium	Weightlifting, Wrestling, Basketball
Pehladpur Sports Complex	Weightlifting, Athletics
Pooth Kalan Sports Complex	Athletics
Rajiv Gandhi Sports Complex, Singhu	Athletics, Wrestling, Football, Basketball, Volleyball, Kabaddi, Kho-Kho.
Rajiv Gandhi Stadium, Bawana	Athletics, Wrestling, Skating, Boxing, Football, Basketball, Volleyball

Scheduled date of Start:

The registration facility will start from 1st July, 2015 during office hours and the actual usage will start from 10th July, 2015 in the morning session i.e. 6 a.m. to 9.30 a.m. The afternoon and evening session will be exclusively meant for school students.

Charges:

The following charges will be levied on account' of usage of the stadia / sports complexes:

Sl. No.	Category	Fee
01	School Students/ Disabled persons	Free of Cost
02	Persons upto 45 years of age	Rs.100/- p.m. per discipline
03	Persons above 45 years of age	Rs.75/- p.m. per discipline
04	Persons in BPL category/Women	Rs.40/- p.m. per discipline

The process of entry and registration; general instructions for the users etc. have been given in the Annexure-I.

The user charges in respect of the sports disciplines shown against Thyagraj Stadium and Chhatrasal Stadium stand amended as contained in this office earlier O.M. No. DE 41/Sports/2010/CWG/12913-13012 dated 14th January, 2011. However, other membership categories as circulated vide the above referred O.M. will continue to be available on already circulated rates.

(Padmini Singla)
Director (Education & Sports)

Copy to:

1. Secretary to Chief Minister, Delhi.
2. Pr. Secretary (Finance), Delhi.

3. Secretary (PWD), Delhi
4. Secretary (Education), Delhi
5. Secretary to Dy. Chief Minister/Minister of Education, Delhi.
6. Engineer-in-Chief, Public Works Department, Govt. of Delhi, Delhi.
7. Chief Engineer, Public Works Department zone M-1, M-2, M-3 & M-4, MSO Building, ITO, New Delhi.
8. All Addl. DEs
9. All RDEs
10. All DDEs
11. All ADEs
12. All Eos
13. All SPEs
14. The venue Administrators/In-charges of all the above stadia/sports complex with the request to display the charges on the Notice Board of the stadia / complex.
15. Pay & Accounts Officer-IX
16. A.O. (Sports)
17. OS (IT) with the request to place the circular on website.

(Asha Aggarwal)

Dy. Director of Education (Sports)

Annexure-I

Process of entry and registration of Public:

1. Registration will be done on 'first come first serve' basis through admission forms available with the concerned person.
2. Once the particular venue is made open for starting sporting activities, individuals should approach the concerned In-charge/Administrator of the stadia/sports complex for admission. The application should be made on the application form giving all the details and enclosing the self attested copy of proof of date of birth. Registration will be done on working days from 11 a.m. to 4 p.m.
3. Efforts should be made to register maximum number of interested persons.
4. Each person will be registered for a period of at least 3 months and upto one year on payment of charges.

General Instructions:

(1) No sports material, furniture, crockery etc. will be provided by the Directorate.

(2) Players should bring their own sports material and sports kit.

(3) The complex will remain off on every Monday, 3 National Holidays i.e. Gandhi Jayanti, Republic Day and Independence Day and other days, as may be required from time to time, for the public. However, the complexes will remain off on every Sunday for the students, as usual.

(4) The persons can use/practice in the complex at their own. It will not be binding upon the Directorate to provide coaching during the usage taking into consideration the availability of limited coaches.

(5) Strict discipline should be maintained during the usage of the complex.

(6) The Directorate will not be responsible for any injury, loss or damage sustained or caused to any person in the sports complex while using the facilities.

(7) No refund / compensation on account of non-utilization of sports facilities will be made or adjusted against any future utilization.

(8) In case of any breakage or loss to the government property or equipments, full value will be charged from the responsible persons.

(9) Dogs / pets are not allowed in any part of the complex.

(10) Vehicles are required to be parked in the proper parking place.

(11) Persons will ensure that proper decorum with regard to wearing of dress in the complex is always maintained.

(12) Consuming liquor or alcoholic drinks and smoking within the premises of the complex is strictly prohibited.

(13) The Directorate of Education has the right to suspend the membership of any person on account of any indiscipline in the complex.

(14) No arms and ammunition are allowed within the premises of the complex.

(15) Silence should be observed while practicing Yoga.

(16) The members will ensure themselves that they are fit to play the particular game.

(17) No eatables/beverages (except drinking water) shall be brought in the premises.

(18) The Administrator / In-charges of respective complex will fix the number of memberships at their own level. They will determine their own procedure for allotting the days, duration of use and timings of usage, taking into consideration the applications received by them.

63. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा अपने बजट में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 10,000 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इसी धनराशि में से 100 नये स्कूल खोलने की भी दिल्ली सरकार की मंशा थी;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली सरकार द्वारा इस फंड का इस्तेमाल अब तक कहां-कहां और किस-किस मद में किया गया, विस्तृत ब्यौरा दें;

(घ) नये स्कूल खोलने की दिशा में अब तक क्या पहल की गई है; और

(ङ) दिल्ली में शिक्षा के गिरते स्तर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं ?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) फंड के इस्तेमाल का ब्यौरा प्रतिलिपि ''अ'' पर संलग्न है।

(घ) वर्तमान में 21 नये विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 25 और नये विद्यालय भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चार विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

पांच एकल पाली विद्यालयों को आगामी सत्र से दोहरी पाली में परिवर्तित करके पांच नए विद्यालय चलाये जाएंगे।

नए स्कूल खोलने की दिशा में पूरी दिल्ली में विद्यालय के लिए विभिन्न भूमि स्वामित्व वाले निकायों के साथ उपयुक्त भूमि तलाश करने के लिए संयुक्त निरीक्षण किये गये हैं। नये विद्यालय खोलने के लिए ग्राम सभा के 38 नये भूखण्डों को चिह्नित कर लिया गया है। जिनमें से 12 का स्वामित्व भी विभाग को प्राप्त हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से चर्चा करके स्कूलों के वास्ते 18 भूखण्डों हेतु मांग-पत्र उन्हें भेज दिया गया है।

(ङ) सूची ''ब'' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'अ'

Directorate of Education (Rs. in Lakh)

Sl. No.	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
	Plan		
A	General Education		
	Revenue	155445.00	67573.21
	Capital	179555.00	19899.57
	Total	335000.00	87472.78
B	Mid Day Meal	2907.00	1646.92
C	Sports & Youth Services		
	Revenue	2790.00	998.86
	Capital	1000.00	493.04
	Total	3790.00	1491.90
	Grand Total (A+B+C)	341697.00	90611.60

Sl. No.	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
D	CSS	22399.00	5658.59
E	Local Bodies		
	General Education	35200.00	8800.00
	Physical Education	260.00	65.00
	MDM	2188.00	547.00
	Total	37648.00	9412.00
	Grand Total (A+B+C+D+E) (Plan)	401744.00	105682.19
F	Non Plan	363726.00	2267.55
G	Grand Total (Plan + Non Plan)	765470.00	107949.74

Directorate of Technical Education (Rs. in Lakh)

Sl. No	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
Plan	(i) Revenue	31510,00	10212.03
	(ii) Capital	17200.00	1997.12
	(iii) Loan	5000.00	1250.00
	Total (Plan) (i)+(ii)+(iii)	53710.00	13459.15
Non-Plan	Revenue	17781.00	9574.88
	Grand Total	71491.00	23034.03

Directorate of Higher Education (Rs. in Lakh)

Sl.No	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
Plan	(i) Revenue	16650.00	5178.00
	(ii) Capital		
	(a) GGSIPU	600.00	0.00
	(b) PWD	12000.00	6205.00
	Sub Total Capital [(ii)=(a)+(b)]	12600.00	6205.00
	Total Plan (i) + (ii)	29250.00	11383.00
Non-Plan	Revenue	15900.00	11582.00
	Grand Total	45150.00	22965.00

अनुलग्नक 'ब'

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं—

1. विद्यार्थियों को संगीत डांस नाटक व खेलों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया गया है।

2. ''नो डिटेंशन पोलिसी'' का पुनः अवलोकन हेतु प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इस विषय से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

3. कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिणाम में सुधार के लिए वर्कशीट तैयार करना और कक्षा चौथी से आठवीं के गणित में वर्कशीट तैयार करना।

4. मुख्यमंत्री सुपर टालेंटेड स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 17 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों व 54 मॉडल स्कूलों के कक्षा 11 व 12 साइंस के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के हेतु विशेष प्रबंध किया गया है।

5. दिल्ली सरकार ने 54 सरकारी स्कूलों को पायलट स्कूलों का दर्जा दिया है। जिनमें हिन्दी व गणित के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 3 से 5 व कक्षा 6 से 8 के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

6. 31 सर्वोदय पायलट स्कूलों व 12 शकुरपुर क्षेत्र के सर्वोदय स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 2 तक गणित के स्तर को सुधारने का कार्यक्रम लागू किया गया है।

7. दिल्ली के सरकार स्कूलों के अध्यापकों को तनाव मुक्त करने के लिए विपासना प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है जिससे वह अपना कार्य और अच्छे से कर पायें।

8. कक्षा नौवीं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा हिन्दी अंग्रेजी व गणित के लिए ''लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम'' शुरू किया गया है।

9. विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक मूल्यपरक प्रश्नों पर आधारित सहायक सामग्री तैयार करना।

10. विद्यार्थियों में उच्च कौशल विकसित करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक समस्या समाधान मूल्यांकन (प्राब्लम सालविंग असैसमेंट) आधारित सामग्री तैयार करना।

11. शिक्षा में सामान स्तर मान बनाये रखने के लिए तीसरी से बारहवीं तक केन्द्रीयकृत परीक्षाएं करवाना।

12. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को SCERT द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

13. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्ग (NSQF) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 205 राजकीय विद्यालयों में नवीं कक्षा में वोकेशनल विषय लागू करने का प्रस्ताव है। इनमें से 179 विद्यालयों में 16.11.2015 से यह लागू कर भी दिया गया है। शेष 26 विद्यालयों में भी इसी सत्र से इसे लागू करने के लिए प्रयाास किये जा रहे हैं।

14. इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवनों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, 54 पायलट स्कूलों के पुनरूद्धार का कार्य डीटीटीडीसी को सौंप दिया गया है। विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकता का आंकलन करके, उनमें 7180 नये कमरे बनाना भी स्वीकृत कर दिया गया है। 205 विद्यालयों, (जिनमें पहले अन्य स्रोतों से जल उपलब्ध कराया जाता था) में दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन लेना स्वीकृत किया गया है।

15. विद्यालयों में साफ-सफाई एवं भवन के रख-रखाव इत्यादि के लिए उपयुक्त व्यक्ति लगाने/धन व्यय करने के लिए प्रधानाचार्य को और अधिक स्वायत्ता/अधिकार देने का भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

64. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार प्राईवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर का

लेखा-जोखा आन लाइन करने और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने जा रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार केपीटेशन फीस समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ज) सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य को कितना फण्ड रोजमर्रा के कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है;

(झ) क्या करकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ण) सरकारी विद्यालयों में किस-किस विषयों के कितने-कितने अध्यापकों की कमी है;

(ट) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ठ) सरकार द्वारा स्कूलों के लिए आवंटित बजट में से कितना व्यय हो गया है और शेष कितना है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा विभाग प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अनुचित फीस-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। निजी विद्यालय बच्चों द्वारा एकत्रित की गई फीस का खर्च Delhi School Education Act Rules 1973 के नियम 177 के तहत करने के लिए बाध्य

है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निजी विद्यालयों के लेखों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जोकि यह सुनिश्चित करें कि निजी विद्यालय बच्चों द्वारा एकत्रित की गई फीस राशि का व्यय निर्धारित नियम के अनुसार ही करें। इस के उल्लंघन की स्थिति में दोषी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान भी है। इसके लिए एक विधेयक वर्तमान विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) से (च) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत कैपीटेशन फीस लेना प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एवं रूल्स, 1973 में संशोधन करके कैपीटेशन फीस पर प्रतिबन्ध से संबंधित प्रावधानों को और कठोर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने माननीय सदन में एक प्रस्ताव भी पेश किया है।

(छ) सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर को ऊचा उठाने के लिए उठाए कदमों का विवरण प्रतिलिपि 'अ' पर संलग्न है।

(ज) सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कुल रकम 74.71 करोड़ रूपये रोजमर्रा के कार्यों (बिजली/पानी/फोन/सुरक्षा एवं सफाई हेतु)। के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराये गये हैं।

(झ) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(ण) सरकारी विद्यालयों में विषयानुसार अध्यापकों की कमी का विवरण प्रतिलिपि 'ब' पर संलग्न है।

(ट) इन पदों को भरने के लिए उठाये गये कदमों के विवरण की प्रतिलिपि 'स' पर संलग्न है।

(ठ) इसका ब्यौरा प्रतिलिपि 'द' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'अ'

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं—

1. विद्यार्थियों को संगीत डांस नाटक व खेलों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया गया है।

2. ''नो डिटेंशन पोलिसी'' का पुनः अवलोकन हेतु प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इस विषय से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

3. कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिणाम में सुधार के लिए वर्कशीट तैयार करना और कक्षा चौथी से आठवीं के गणित में वर्कशीट तैयार करना।

4. मुख्यमंत्री सुपर टालेंटेड स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 17 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों व 54 मॉडल स्कूलों के कक्षा 11 व 12 साइंस के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के हेतु विशेष प्रबंध किया गया है।

5. दिल्ली सरकार ने 54 सरकारी स्कूलों को पायलट स्कूलों का दर्जा दिया है। जिनमें हिन्दी व गणित के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 3 से 5 व कक्षा 6 से 8 के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

6. 31 सर्वोदय पायलट स्कूलों व 12 शकुरपुर क्षेत्र के सर्वोदय स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 2 तक गणित के स्तर को सुधारने का कार्यक्रम लागू किया गया है।

7. दिल्ली के सरकार स्कूलों के अध्यापकों को तनाव मुक्त करने के लिए

विपासना प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है जिससे वह अपना कार्य और अच्छे से कर पायें।

8. कक्षा नौवीं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा हिन्दी अंग्रेजी व गणित के लिए ''लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम'' शुरू किया गया है।

9. विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक मूल्यपरक प्रश्नों पर आधारित सहायक सामग्री तैयार करना।

10. विद्यार्थियों में उच्च्य कौशल विकसित करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कक्षा चौथी से बारहवीं तक समस्या समाधान मूल्यांकन (प्राब्लम सालविंग असैसमेंट) आधारित सामग्री तैयार करना।

11. शिक्षा में सामान स्तर मान बनाये रखने के लिए तीसरी से बारहवीं तक केन्द्रीयकृत परीक्षाएं करवाना।

12. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को SCERT द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

13. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्ग (NSQF) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 205 राजकीय विद्यालयों में नवीं कक्षा में वोकेशनल विषय लागू करने का प्रस्ताव है। इनमें से 179 विद्यालयों में 16.11.2015 से यह लागू कर भी दिया गया है। शेष 26 विद्यालयों में भी इसी सत्र से इसे लागू करने के लिए प्रयाास किये जा रहे हैं।

14. इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवनों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, 54 पायलट स्कूलों के पुनरूद्धार का कार्य डीटीटीडीसी को सौंप दिया गया है। विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकता का आंकलन करके, उनमें 7180 नये कमरे बनाना भी स्वीकृत कर दिया गया है। 205 विद्यालयों, (जिनमें पहले अन्य स्रोतों

से जल उपलब्ध कराया जाता था) में दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन लेना स्वीकृत किया गया है।

15. विद्यालयों में साफ-सफाई एवं भवन के रख-रखाव इत्यादि के लिए उपयुक्त व्यक्ति लगाने/धन व्यय करने के लिए प्रधानाचार्य को और अधिक स्वायत्ता/अधिकार देने का भी एक प्रस्ताव शीघ्र ही अनुमोदित होने वाला है।

अनुलग्नक 'ब'

Sanctioned Filled Statement of PGT As on 18.11.2015

Sl. No.	Post	Allocated Sanction	Filled	Vacant
1	Lecturer Agriculture	21	11	10
2	Lecturer Bengali	1	1	0
3	Lecturer Biology	207	153	54
4	Lecturer Chemistry	231	161	70
5	Lecturer Commerce	871	652	219
6	Lecturer Economics	1230	932	298
7	Lecturer Engg. Drawing	17	4	13
8	Lecturer English	1319	1016	303
9	Lecturer Fineart (Painting)	81	54	27
10	Lecturer Geography	423	321	102
11	Lecturer Graphics	1	1	0
12	Lecturer Hindi	1504	1114	390
13	Lecturer History	1189	836	353
14	Lecturer Home Science	538	188	350

Sl. No.	Post	Allocated Sanction	Filled	Vacant
15	Lecturer Math	653	484	169
16	Lecturer Music	22	16	6
17	Lecturer Physical Education	207	67	140
18	Lecturer Physics	233	163	70
19	Lecturer Political Science	1430	1025	405
20	Lecturer Psychology	1	1	0
21	Lecturer Punjabi	28	16	12
22	Lecturer Sanskrit	578	394	184
23	Lecturer Sociology	31	13	18
24	Lecturer Urdu	29	18	11
	Total	10845	7641	3204

Sanctioned Filled Statement of TGT/TGT (MIL) As on 18.11.2015

Sl. No.	Post	Allocated Sanction	Filled	Vacant	Male	Female
1	TGT Bengali	2	0	2	0	0
2	TGT English	5097	3352	1745	1529	1823
3	TGT Hindi	4606	3423	1183	1572	1851
4	TGT Math	5305	3554	1751	1712	1842
5	TGT Natural Science	5087	3503	1584	1488	2015
6	TGT Punjabi	253	137	116	36	101
7	TGT Sanskrit	4170	2288	1882	1235	1053
8	TGT Social Science	4637	3196	1441	1563	1633
9	TGT Urdu	263	90	173	40	50
	Total	29420	19543	9877	9175	10368

Sanctioned Filled Statement of Misc. Category Teacher as on 18.11.2015

S. No.	Post	Allocated Sanction	Filled	Vacant
1	Assistant Teacher (Nursery)	493	55	438
2	Assistant Teacher (Primary)	3997	2272	1725
3	Craft Teacher	7	1	6
4	Drawing Teacher	1053	835	218
5	Librarian	961	509	452
6	Music Teacher	326	239	87
7	PET	1368	917	451
8	Special Education Teacher	933	221	712
9	Domestic Science Teacher	600	369	231
10	Work Experience Teacher	1012	1	1011
11	TGT Computer Science.	2026	0	2026
12	Yoga Teacher	507	361	146

अनुलग्नक 'स'

पीजीटी अध्यापक—सीधी भर्ती कोटा वाले पदों को भरने के लिए समय-समय पर मांग पत्र दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होते ही खाली पदों सीधी भर्ती को भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। पदोन्नति कोटा वाले पदों को भरने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

टीजीटी अध्यापक—विभाग ने रिक्त पदों को भरने हेतु डीएसएसएसबी को रिक्वीजिसन भेज दी गई है।

विविध श्रेणी अध्यापक—विविध श्रेणी अध्याकपों के रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को मांगपत्र भेजा जा चुका है। नियुक्ति विवरिणका (DOSSIER) प्राप्त होने के पश्चात् उक्त रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

अनुलग्नक 'द'

Directorate of Education (Rs. in Lakh)

Sl. No.	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
	Plan		
A	General Education		
	Revenue	155445.00	67573.21
	Capital	179555.00	19899.57
	Total	335000.00	87472.78
B	Mid Day Meal	2907.00	1646.92
C	Sports & Youth Services		
	Revenue	2790.00	998.86
	Capital	1000.00	493.04
	Total	3790.00	1491.90
	Grand Total (A+B+C)	341697.00	90611.60
D	CSS	22399.00	5658.59
E	Local Bodies		
	General Education	35200.00	8800.00
	Physical Education	260.00	65.00

Directorate of Education(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Sector	Approved Outlay 2015-16	Expd. Upto Oct, 2015
	MDM	2188.00	547.00
	Total	37648.00	9412.00
	Grand Total (A+B+C+D+E) (Plan)	401744.00	105682.19
F	Non Plan	363726.00	2267.55
G	Grand Total (Plan + Non Plan)	765470.00	107949.74

65. **श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ 150 एकड़ का भूखण्ड खाली है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उसमें यूनिवर्सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पास नहीं है। दिल्ली टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालय शाहाबाद डेरी, बवाना रोड के विस्तार हेतु कुल 164 एकड़ भूमि आबंटित है, जिस पर योजना के अनुसार कार्य हो रहा है।

(ख) से (घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

66. **श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेज एवं पॉलिटेकनिक्स में से कितनी संस्थाओं में यूपीएससी द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल हैं?

(ख) सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेज एवं पॉलिटेकनिक्स एवं आई. टी. आई. में शिक्षकों के कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) बीपीआईबीएस में एमबीए/कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक स्थाई फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए गए हैं;

(घ) वर्तमान में बाजार एवं उद्योग की मांग को देखते हुए क्या सरकार का यूपलएससी के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले प्रधानाचार्यों के पदों के लिए उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) हाल ही में शुरू की गई कौशल विकास नीति के अन्तर्गत सरकारी तकनीकी संस्थाओं में कितने छात्रों ने दाखिला लिया; और

(च) इन संस्थाओं को रोजगार सृजन एवं कौशल विकास केन्द्र बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेज एवं पॉलिटेकनिक्स में से केवल 1 पॉलिटेकनिक में UPSC द्वारा नियुक्त नियममित प्रिसिंपल हैं।

(ख) वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज में 80 स्थाई पद पॉलिटेकनिक में 258 स्थाई पद एवं ITI में 423 स्थाई पद रिक्त है।

(ग) बीपीआईबीएस में एमबीए/कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 8 शिक्षक स्थाई फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस वर्ष 2015-2016 में 9 सरकारी संस्थानों जोकि प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग के अधीन है, में बी. वोकेशनल कोर्स शुरू किया गया है जिसमें कुल 200 छात्रों ने प्रवेश लिया है।

(च) निजी क्षेत्रों के सहयोग से कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु नीति पत्र विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् कौशल विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा।

अतारांकित प्रश्न सं. **67 श्री ओ. पी. शर्मा** के सदन से निष्कासित होने पर कार्यवाही से हटाया गया।)

68. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आली गांव के पास आगरा नहर पर लोहिया पुल (लोहे का पुल) की हालत मरम्मत उपरांत भी वास्तव में इतनी दयनीय थी कि उसे बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित विभाग द्वारा पुल बंद करने पर प्रतिदिन उसका उपयोग करने वाले लगभग 50 हजार यात्रियों हेतु किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या प्रशासन द्वारा लोहिया पुल बंद होने से मीठापुर चौक पर लगने वाले जाम से निपटने हेतु कोई इंतजाम किए गए हैं; और

(घ) जनता के उपयोग हेतु लोहिया पुल को दोबारा कब तक खोल दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री : (क) आगरा नहर व उस पर बना लोहे का पुल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। विभाग द्वारा प्रश्न से संबंधित जानकारी

अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खंड ओखला से ली गई है। प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) उपरोक्त।

(ग) उपरोक्त।

(घ) उपरोक्त।

अनुलग्नक

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला-नई दिल्ली-25

प्रेषित,

अधिशासी अभियन्ता

सी. डी.-पंचम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग,

पर्यावरण कम्पलैक्स, सैदुल्लाजब,

नई दिल्ली-30

पत्रांक -5164/हैवख/वि.स.प्र./ दिनांक 19/11/2015

विषय : माननीय विधान सभा, दिल्ली सरकार प्रश्न संख्या-68

सन्दर्भ : आपका पत्र संख्या-EE/CD-VDB/ विधान सभा/क्यू नं.68/2015/9947 दिनांक 18.11.15

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न वांछित सूचना निम्नानुसार है—

(क) आगरा नहर के कि.मी. 06.800 पर स्थित लोह पुल लगभग 125 वर्ष से अधिक पुराना एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो आवागमन के लिये सुरक्षित नहीं है व मरम्मत होने के उपरान्त भी आवागमन हेतु सुरक्षित नहीं है।

(ख) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वैकल्पिक पुल के लिये बजट व्यवस्था नहीं है। यदि

दिल्ली सरकार द्वारा वैकल्पिक पुल निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा तो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण किया जा सकता हैं

(ग) कोई कथन नहीं है।

(घ) पुल 125 वर्ष पुराना एवं जीर्ण शीर्ण होने के कारण आवागमन हेतु सुरक्षित नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा शहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

पत्रांक- /हैवख/ तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, कार्य, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला को उनके द्वारा प्रेषित किये गये उत्तरालेख के क्रम में प्रेषित है।

69. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बाढ़ के पानी को रोककर संचित करने की कोई योजना दिल्ली सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में अनेक स्थानों पर बरसाती पानी से होने वाले जल-भराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इन्टैक, Consultant को दिल्ली

में भूजल रिचार्ज के अध्ययन का कार्य दिया गया है जिसमें यमुना बाढ़ क्षेत्र में वाटर बोडीज के निर्माण की संभावना का अध्ययन भी शामिल है। इसकी रिपोर्ट जनवरी तक मिलने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात् आवश्यक योजना बनाई जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली में बरसाती पानी से होने वाले जल-भराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु आई.आई.टी. दिल्ली, Consultant को मास्टर प्लान ड्रेनेज का कार्य सौंपा गया है। जिसकी रिपोर्ट फरवरी, 2016 तक मिलने की संभावना है, जिसके पश्चात् आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

70. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कितने बारातघर/सामुदायिक केन्द्र सांचलित किये जाते हैं;

(ख) इन बारात घरों/सामुदायिक केन्द्रों के पुर्ननिर्माण एवं संचालन पर वर्ष 2014-15 में कितना फंड खर्च किया गया; और

(ग) एक बार सरकार द्वारा पूर्णतः पुर्ननिर्मित एवं विकसित किये जाने के पश्चात् इन सुविधाओं को बनाये रखने अथवा किसी अन्य तरीके से इन सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या बारात घर नीति के पुनर्गठन एवं इसमें निजी व्यक्तियों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

परिवहन मंत्री : (क) (1) दिल्ली सरकार में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा बारात घर/सामुदायिक केन्द्र को बनाया जाता है। बारात घर/सामुदायिक

केन्द्र संचालन के लिये संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंप दिया जाता है और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। (निदेशक पंचायत)

(2) अनु. जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निर्मित बारातघर/सामुदायिक केन्द्रों का संचालन बाढ़ एवं सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता वरन स्थानीय निवासियों एवं संस्थाओं द्वारा इनका संचालन होता है। (अ.जा./ज.जा./अ.वि./अलपसंख्यक कल्याण विभाग)

(ख) (1) बारात घरों/सामुदायिक केन्द्रों के पुर्ननिर्माण एवं संचालन पर वर्ष 2014-15 में कुल 3 करोड़ 58 लाख खर्च किया गया। (निदेशक पंचायत)

(2) वर्ष 2014-15 में अनु.जाति/जनजाति की बस्तियों के सुधारीकरण की योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कुल खर्चा 39.45 करोड़ है। बारात घरों और सामुदायिक केन्द्रों के संचालन पर खर्चा शून्य है क्योंकि यह विभाग इनका संचालन नहीं करता है। (अ.जा./अ.जा./अ.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

(ग) (1) बारात घर को पुनर्निर्मित एवं विकसित किये जाने के पश्चात उपयोग एवं संचालन के लिये संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंप दिया जाता है और खंड विकास अधिकारी द्वारा रख-रखाव किया जाता है। (निदेशक पंचायत)

(2) अ.जा./ज.जा./अ.वि./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नई मार्गदर्शिका बनाई गई है और उसकी कॉपी संलग्न है।

अनुलग्नक

URGENT

BY SPEED POST/HAND

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MIN.

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN,

I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.3(20)2009-10 /DSCST/Imp./20537-20646 Dated: 5/11/15

OFFICE MEMORANDUM

In super session of earlier order No. F. 3(20)2009-10/DSCST/(Imp.)/ 3872-4007 dated 25.06.10, a Committee is constituted with the prior approval of the Hon'ble Minister, Welfare of SC/ST for handing over and management of the chaupals/ Community Centers constructed under the scheme of" Improvement of SC/ST Basties" and related matters as follows:

1.	Hon'ble Minister (Welfare of SC/ST) or his nominee	Chairperson
2.	Area Superintending Engineer, I&FC Deptt/DUSIB	Member
3.	Area Executive Engineer, I&FC/DUSIB	Member
4.	Area SDM/Dy. Commissioner (Revenue) Office	Member
5.	Two representatives of the local area Society/ Association/RWA	Member
6.	Deputy Director concerned of the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.	Member-Secretary

Broad Guidelines:

1. The above committee shall meet as and when required at the venue decided by the Chairperson. Issues regarding selection of the organization/ change of the selected organization and settlement of complaints, if any be decided in the meeting.
2. The Area MLA can be a special invitee or co-opted member.
3. Period of handing over may be till further any decision by the committee.
4. All the chaupals constructed out of funds provided by this department shall be covered.
5. In these Chaupals, the vocational training courses and similar type of activities for women/girls may be allowed to be organized.
6. Proper accounts of income & expenditure has to be maintained and submitted to the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min. on yearly basis.
7. The amount to be charged of holding social/public functions has to be got approved from the above Committee.
8. The chaupal shall be open for inspection by the functionaries of Government of NCT of Delhi.
9. The Management Committee shall be responsible for the day to day maintenance and upkeep.
10. The I&FC Department/DUSIB shall be responsible for the repair & renovation, if necessary, of these chaupals. The funds to this effect shall be provided by the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.
11. The electric & water connection shall be in the name of the Management Committee of RWA/Association/Society of the local area to whom the chaupal has been handed over by the above Committee. The Management Committee shall be responsible for payment of electricity and water charges.

12. The Management Committee's responsibility is also to ensure that the government assets which have created are maintained and managed properly and is not put to any kind of misuse by any group or any of the individual.

13. The Chaupal shall not be used as the office of the RWA/Association/Society office to whom the chaupal has been handed over the above Committee.

Selection of RWA/NGO

1. Application/ representation of the organization preferably recommended by the Chairperson of the committee/ Area MLA or any other prominent person be considered for entrusting the management of the assets created.

2. If a registered RWA (not an NGO) is available whose governing body is fairly elected by local residents of the area, management of chaupals should be handed over to a subcommittee having majority of local SC persons constituted under such RWA. In future members of this Subcommittee will be elected by SC members of the parent RWA.

3. In the area where some registered organization of local SC residents is available management of chaupals may be handed over to the governing body of this organization.

4. Wherever available, preference may be given to the registered organization of local SC residents who actively participate in prompting the government to spend funds for the construction of the aforesaid chaupals/community centers or offer their plece of land in their custody for such sonstructions.

5. In the area where neither any registered/ fairly elected RWA nor any registered organization having majority of SC persons is available management may be handed oyer to group of 6 to 10 local SC residents nominated by the Chairperson of the committee. Time frame of 6 months may be given to these SC persons for constitution of a Society of local SC. residents for management of chaupals and its registration with the concerned authority.

6. Where more than one eligible registered organizations are available

Preference should be given to an organization having longer life.

7. The organization should not have been constituted for profit to any individual or body of individual.

Criteria for fixing rates for booking of the chaupal/community hall constructed of the funds from this Department

Handing over Committee may take into consideration the following for fixing of booking rates:

1. The floor of the chaupal/community hall
2. The standard of living in the local area.
3. The extra amenities provided in the chaupal/community hall like provision for AC, Parks, and Parking space etc.
4. Cost of construction
5. Cost of land.
6. Accessibility - width of the road adjoining the chaupal/community hall.

Further, the following different category of user charges may be fixed up for the welfare of poorest of poor.

- For Widow belonging to SC/ST Community.
- For BPL families of SC/ST Community.
- For SC/ST Communities (Other than BPL/Widow)
- Communities other then SC/ST, booking rates may be fixed at commercial rates prevailing in the area for the banquet hall etc. for organization such community's functions:

However, preference has to be given to SC/ST person for the booking and booking to the communities other than SC/ST may be allowed only when there is no booking for SC/ST person for the fixed day in last 10 days before

the day of booking.

Arrangement for water & electricity shall be made by the users themselves. If only applicant desires to make such arrangement by the management committee then the charges would be mutually agreed up on by the applicant and the management committee and these would be over & above the charges mentioned above for booking for one day.

- The application for booking by SC/ST persons may be made at least 10 days before the date of function before this no general member booking may be accepted.

(R.P. Meena)

Deputy Director (SC/ST)

No.F.3(20)2009-10 /DSCST/Imp./ 20537-20646 Dated: 5/11/15

Copy to:

1. Secretaries to Hon'ble Ministers, GNCT of Delhi.
2. All MLAs.
3. Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
4. All District Magistrates (Revenue), GNCT of Delhi.
5. Chief Engineer, I&FC Department, GNCT of Delhi.
6. All Executive Engineers, I &FC Department, GNCT of Delhi.
7. Chief Engineer. DUSIB, GNCT of Delhi.
8. All Executive Engineers, DUSIB, GNCT of Delhi.
9. P.S. to Principal Secretary (SC/ST).

(R.P. Meena)

Deputy Director (SC/ST)

71. श्री सोमनाथ भारती : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र विशेषतः जहांपनाह, कुम्हार बस्ती, खिड़की विस्तार, अधचीनी, मस्जिद मोठ तथा हुमायूं पर में कौन-कौन से कार्य हाथ में लिए गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा अधचीनी में स्थित सामुदायिक केन्द्र को तोड़कर उसके स्थान पर नया सामुदायिक केन्द्र बनाने का काम वर्षों से लम्बित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) विभाग द्वारा इसे जल्द से जल्द बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

परिवहन मंत्री : (क) वित्त वर्ष 2015-16 में अभी तक कोई भी नया कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अधचीनी में स्थित सामुदायिक केन्द्र को तोड़कर उसके स्थान पर नया सामुदायिक केन्द्र बनाने का काम धनराशि उपलब्ध न होने एवं अनधिकृत कब्जे से स्थल के मुक्त न होने के कारण इसका अभी तक टेंडर नहीं किया जा सका।

(घ) इस कार्य को कराने हेतु विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक योजना, शहरी विकास विभाग को संपूर्ण फंड एवं अनधिकृत कब्जा मुक्त कार्य स्थल उपलब्ध कराने हेतु तीन बार दिनांक 28.01.2014, 10.12.2014 एवं 15.04.2015 को प्रार्थना की गई। पत्राचार का विवरण संलग्न है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER: CIVIL DIVISION NO.V, GOVT. OF NCT OF DELHI: PARYAVARAN COMPLEX: NEW DELHI

No. EE/CD-V/DB/Sch.157/2013-14/11615-17 Dated: 28/01/2014

To

The Joint Director (Plg.),
Department of Urban Development,
Govt. of NCT of Delhi,
10th Floor, Delhi Sachivalya,
I.P. Estate, New Delhi.

Sub: Administrative Approval & Expenditure Sanction of Rs. 153.44 lakhs for "Demolishing & Reconstruction of Jat Chaupal at village Adhchini, New Delhi in Assembly Constituency (AC-43)".

Sir,

Please refer to your office letter No. 18A(43)/UD/Plg./Chaupal/2013-14/18876-18890 dated 04.10.2013 vide which an A/A & E/S was issued for an amount of Rs. 153.44 lakhs for the above cited work. Out of Rs. 153.44 lakhs, an amount of Rs. 50.00 lakhs will be met from the "MII-4217 AA-1(3)(1)(2) (Plan) Dev. of Urban villages" and the balance amount of Rs. 103.44 lakhs will be met from MLA, LAD Scheme with some conditions.

In this connection, we have finalized drawings & designs. You are therefore, now requested to issue the balance A/A & E/S which has to be met from M.L.A.,

LAD Scheme i.e. Rs. 103.44 lakhs so that tendering process could be initiated to execute the work.

Yours faithfully,

(Anil Kumar)

Executive Engineer.V

No. EE/CD-V/DB/Sch. 157/2013-14/11615-19 Dated:28/01/2014

Copy forwarded to:

1. The Chief Engineer (I&FC), Govt. of NCT of Delhi.
2. The Superintending Engineer, FC-IV, Govt. of NCT of Delhi.
3. Assistant Engineer.II, CD-V, Govt. of NCT of Delhi.
4. Guard file.

Executive Engineer.V

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CIVIL DIVISION NO.V

IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI,

NEAR PARAYAVARAN OF FICE COMPLEX: VILLAGE: SAIDULAJAIB, NEW DELHI

E-mail: ifccdv@gmail.com Telefax No. +91-011-29532144

No. EE/CD-V/DB/Appeal/2014-15/ 6756-60 Dated: 10/12/2014

To,

The Joint Director (Plg.)
Department of Urban Development,
10th Floor, Delhi Sachivalya,
I.P. Estate, New Delhi.

Sub: Administrative Approval & Expenditure sanction of Rs.153.-44 lakhs for "Demolishing & Reconstruction of Jat Chaupal at village Adhichini, New Delhi in Assembly Constituency (AC-43)"

Sir,

Please refer to this office letter No.EE/CD/V/DB/Sch.157/2013-14/11615-19 dated 28.01.2014 on the above mentioned subject and the copy of the decision of the 1st appellate authority vide No.CEF/SSW/CPIO/RTI/(Appeal-ID2696%)/J&FC/2014/4080 dated 12.03.2014 (copy enclosed). In this connection, following submission are made:-

(1) You are requested to issue balance amount of A/A & E/S i.e. Rs.103.44 Lacs.

(2) Hand over the possession of the land free from encroachment as per the decision of 1st appellate authority.

The above requirement may please be fulfilled at the earliest to initiate the tendering process as the drawing & design, have already been finalized.

Yours faithfully,

(Anil Kumar)

Executive Engineer-V

End: As above

No.EE/CD-V/DB/Appeal/2014-15/6756-60 Dated: 01/12/2014

Copy to:

1. The Chief Engineer (I&FC), Govt. of NCT of Delhi.
2. The Superintending Engineer, Flood Circle.IV, I&FC Department, Govt. of NCT of Delhi, Basaidara pur office complex, Ring Road, New Delhi.
3. The Assistant Engineer- II (CD-V), Govt. of NCT of Delhi.
4. Guard file.

Executive Engineer-V

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CIVIL DIVISION NO.V

IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI,

NEAR PARAYAVARAN OF FICE COMPLEX: VILLAGE: SAIDULAJAIB, NEW DELHI

E-mail: ifccdv@gmail.com Telefax No. +91-011-29532144

To

The Joint Director (Planning),
Department of Urban Development
10th level, Delhi Sachivalaya,
I.P. Estate, New Delhi.

SUB: Release of funds under MLA LAD: Demolishing and re-construction of Jat Chaupal at village Adhchini in AC-43.

Sir,

In continuation of this office letter No.EE/CD-V/Sch.157/2013-14/115 date 28.01.2014 (copy enclosed).

Out of Rs.153.44 lacs, Rs.103.44 lacs is to be met out from MLA LAD scheme and remaining Rs. 50.00 lacs from Major Head 4217 (Plan) Development of Urban villages. Advance Planning has already been initiated by this division by preparing drawing and design but tenders for the work has not called for want of funds under MLA LAD.

In view of the above, you are requested to release the funds to the tune of Rs.103.44 lacs under MLA LAD scheme to enable this office to initiate tendering process.

Yours faithfully,

(Anil Kumar)

Executive Engineer-V

No.EE/CD-V/DB/Sch.-157/2015-16/ Dated:........ /04/2015.

Copy forwarded for information to:

1. The Chief Engineer (I&FC) Zone. I, 4th Floor, ISBT Building, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
2. The Superintending Engineer (FC.IV), GNGT of Delhi Basidarpur office complex Ring Road New Delhi.
3. Guard File.

Executive Engineer.V

72. **श्री अनिल कुमार वाजपेयी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा लगाये गए बिजली मीटरों से संतुष्ट न होने पर बिजली उपभोक्ता स्वयं ही बाजार से खरीदकर बिजली मीटर लगवा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मीटर लगवाने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बिजली उपभोक्ताओं को ऐसी अनुमति देने पर विचार कर रही है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सप्लाई कोड के क्लॉज 35 के अनुसार उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह बाजार से स्वयं बिजली का ऐसा मीटर खरीद सकता है जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमन के अनुरूप हो तथा दिल्ली विद्युत विनयामक आयोग के द्वारा मंजूर किए गए सभी मापदंडों को पूरा करता हो।

(ख) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड

ने बिजली उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं बाजार से खरीद कर बिजली के मीटर लगवाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है—

—निम्नलिखित अनुमोदित मीटर बनाने वाली कम्पनी या उनके डीलर से उपभोक्ता बीआईएस मार्क वाला मीटर खरीद सकता है जोकि एक वर्ष से पुराना न हो।

क्रम स्वीकृत कम्पनी

1. सैक्योर मीटर लि.

2. शैनजैन कैफा टैक्नालॉजी लि.

3. जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

4. लैंडिस + जिर लि.

—उपभोक्ता खरीदे गये मीटर को लगवाने के लिए बिजली कम्पनियों के डिविजनल कार्यालय में निर्धारित फार्म भरकर जमा करवाना होगा जोकि http:èèwww.bsesdelhi.comèdocsèpdfèOwn Choice Meter.pdf पर उपलब्ध है।

—बिजली कम्पनी मीटर को लगाने से पहले इसकी जांच करेगी।

—वितरण कम्पनी मीटर लगाने की तिथि उपभोक्ता को बताएगी।

—बताई गई तिथि को वितरण कम्पनी द्वारा नया मीटर लगा दिया जाएगा।

—बीएसईएस की वितरण कम्पनियां पुराने मीटर को अपने पास रखेंगी।

हालांकि यह मीटर वितरण कम्पनी द्वारा परिक्षित, स्थापित तथा मोहरबंद किया जाएगा।

टीपीडीडीएल वितरण कम्पनी द्वारा अलग से कोई भी मीटर कम्पनी या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

73. श्री वेद प्रकाश : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा के पूंठ कलां गांव में स्थित ग्राम सभा में भवनों के ऊपर से तेज विद्युत वाली तारें जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार की इन आवासीय कालोनियों में भवनों के ऊपर से जा रही तेज विद्युत तारों को स्थानान्तरित करने की कोई योजना है, पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(ग) सरकार द्वारा इन विद्युत तारों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संदर्भ में विवरण कम्पनी से प्राप्त आवेदन के अनुसार मामला भूमि श्रेणी की जानकारी प्राप्त करने के लिए लम्बित है। तदनुसार संबंधित विभाग/बजट व्यय की स्वीकृति हेतु, लाइन स्थानान्तरण की नीति के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा।

74. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की बढ़ती हुई मांग एवं इसकी कमी को देखते हुए क्या सरकार ऊर्जा के किसी अन्य सस्ते एवं भविष्योन्मुख स्रोत जैसे, सौर, वायु या कूड़े से उत्पादन ऊर्जा के विकल्प पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) से (ख) दिल्ली में वायु से ऊर्जा बनाना संभव नहीं

है। दिल्ली में कूड़े से ऊर्जा उत्पादन का 16 मेगावाट क्षमता का एक संयंत्र ओखला में कार्यरत है तथा गाजीपुर (12 मेगावाट) और बवाना (24 मेगावाट) क्षमता के संयंत्र निर्माणाधीन हैं। जैविक कचरा से गैस एवं ऊर्जा उत्पादन के 2 संयंत्र दिल्ली सचिवालय एवं दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिसके लिए एक ड्राफ्ट सोलर नीति केबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं में सोलर ऊर्जा का प्रचार करने के लिए एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Generation based insentive Scheme) भी विचाराधीन है।

75. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस आधार पर और कितनी बिजली खपत पर प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के अलावा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कोई और कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या-क्या स्रोत हैं और उनसे किस प्रकार उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती दरों पर प्रदान की जा सकती है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी

जा रही है। इससे अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी लागू नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार द्वारा महंगी बिजली उपलब्ध करवाने वाले केन्द्रीय उत्पादन उपक्रमों के साथ हुए कुछ करार को त्यागने हेतु केन्द्रीय सरकार से आवश्यक पत्राचार किया है। प्रतिशत मूल्य-निर्धारण तंत्र (Administered Pricing Mechanism) के तहत मिलने वाली सस्ती गैस के आबंटन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को आवेदन किया गया है जिससे कि सस्ती बिजली बनाने हेतु हमारे गैस आधारित बिजली उत्पादक प्लांट का अनुकूलतम उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को खदान के मुहाने (Pit-Head) के नजदीक बिजली उत्पादक प्लांट स्थापित करने के लिए एक अच्छी कोयला खदान आवंटित करने हेतु भी आवेदन किया है।

76. श्री सोमनाथ भारती : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गरीब बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का लोड 2 किलोवाट से अंश मात्र भी बढ़ने पर बीएसवईएस द्वारा बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए स्वतः ही उनका लोड 3 किलोवाट या 5 किलोवाट कर दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दो किलोवाट से अधिक लोड बढ़ने पर गरीब उपभोक्ताओं का बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) सीएजी द्वारा बिजली कम्पनियों के ऑडिट में दिल्ली सरकार के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के निर्णय के विरूद्ध क्या सरकार ने अपील की है;

(घ) दिल्ली में लागू बिजली की दरों को नियंत्रित करने हेतु सरकार तथा अन्य उपाय कर रही है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार को अनुबन्ध के कारण एनटीपीसी से उंची दर पर बिजली खरीदनी पड़ती है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार एनटीपीसी के साथ किए गए एग्रीमेंट को चुनौती देने पर विचार कर रही है;

(छ) क्या यह सत्य है कि आउट सोर्सिंग एवं एएमसी के रूप में बिजली कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों को बीएसईएस कर्मचारियों की यूनियन को समर्थन देने के कारण स्थाई कर्मचारियों को मिलने वाले अनेक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है;

(ज) सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) वितरण कम्पनियां दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिशानुसार दिनांक 24.11.2011 के अनुसार उपभोक्ता के तीन अधिकतम खपत के पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता का स्वीकृत लोड़ बढ़ाती या घटाती है। दिल्ली सरकार ने इस प्रावधान के युक्तिसंगत बनाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश जारी किये हैं जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

(ख) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशानुसार दो किलोवाट से ज्यादा लोड का विद्युत कनैक्शन वाले उपभोक्ता, बहिष्करण की शर्तानुसार, बीपीएल राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश जारी किये हैं।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा अपील करना विचाराधीन है।

(घ) से (च) तक बिजली की दरों का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं अपितु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा महंगी बिजली उपलब्ध करवाने वाले केन्द्रीय उत्पादन उपक्रमों के साथ हुए करार को त्यागने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। प्रशासित मूल्य-निर्धारण तंत्र (Administered Pricing Mechanism) के तहत मिलने वाली सस्ती गैस के आबंटन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को आवेदन किया गया है जिससे कि सस्ती बिजली बनाने हेतु हमारे गैस आधारित बिजली उत्पादक प्लांट का अनुकूलतम उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को खदान के मुहाने (Pit-Head) के नजदीक बिजली उत्पादक प्लांट स्थापित करने के लिए एक अच्छी कोयला खदान आवंटित करने हेतु भी आवेदन किया है।

(छ) बीएसईएस की वितरण कम्पनियों के अनुसार एएमसी या आउटसोर्स कर्मचारियों से यूनियन में शामिल होने के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वितरण कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित एजेंसियां सभी वैधानिक शर्तों का अनुपालन करती है।

(ज) दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन के समय किये गए त्रिपक्षीय करार के अनुसार उत्तराधिकारी कम्पनियां निजीकरण के पश्चात् नौकरी पर रखे कर्मचारियों की पेंशन शर्तें निर्धारित कर सकती हैं।

DEPARTMENT OF POWER

GOVT. OF NCT OF DELHI

8TH LEVEL, B-WING, DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI - 110 002

No-F.11(90)/2010/ Power/........ Dated: 28.10.2015

The Chairman
Delhi Electricity Regulatory Commission
Viniyamak Bhavan, C-Block
Shivalik, Malviya Nagar
New Delhi - 110 017

Sub: Directions under Section 108 of the Electricity Act, 2003 regarding enhancement of sanctioned load by the Discoms in Delhi

Ref: Our letter no.F.11(90)/2010/Power/2402 dated 31.07.2015 followed by your letter no. F.17(243)/Engg/DERC/2015-16/4773/1605 dated 31.08.2015

Sir

A large number of public complaints are being received against arbitrary, suo-moto enhancement of sanctioned load by DISCOMS in Delhi. The methodology being followed also appears arbitrary as average of previous financial year's three highest Maximum Demand Indicator (MDI) readings are taken for enhancing the sanction load of the consumers. A reference in this regard was also sent to DERC vide letter no. F.11(90)/2010/Power/2402 dated 31st July 2015, in response to which a letter was received from DERC stating that the matter will be taken care of at the time of revising DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2007.

However, no further action seems to have been taken by DERC. There is huge public outcry against the arbitrary methodology used by Discoms.

Therefore in public interest, the Government issues the following policy direction to DERC under Section 108 of the Electricity Act, 2003 for the purpose of suo-moto enhancement of sanctioned load of domestic consumers:-

(i) Average of MDI readings of any four consecutive months in the past financial year be taken for computing the MDI for next financial year;

(ii) "Service line cum development charge" or Differential service line cum development charge shall be taken from the consumer only if the service line is actually changed by the Discoms;

(iii) Rounding-off for load below 3.00 kW shall be done on lower side and for all other loads as per the existing practice.

For example:

Sanctioned load in previous financial year	=	2kW
Average of MDI readings	=	2.99 kW
Revised sanctioned load	=	2 kW

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully

(Ajay Kumar Bisht)

Spl. Secretary (Power)

Copy to information to:

1. Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCTD
2. Secretary to Hon'ble Minister of Power, GNCTD
3. PS to Secretary (Power), GNCTD.

Spl. Secretary (Power)

77. सुश्री भावना गौड़ : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका-पालम फलाई ओवर पर अत्यंत भीड़ रहने के कारण सरकार इसे और चौड़ा करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पालम कॉलोनी के निवासियों के लिए इस फ्लाईओवर पर रैंप बनाने की सरकारी की कोई योजना है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वृद्ध एवं अस्वस्थ लोगों के लिए इस फ्लाईओवर पर लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियां बनाने की भी सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अभी कोई ऐसा विचार संज्ञान में नहीं है।

(ख) उपरोक्त अनुसार

(ग) उपरोक्त अनुसार

(घ) उपरोक्त दिए गए प्रश्न (ग) के उत्तर के अनुसार इस प्रश्न की कोई टिप्पणी नहीं है।

(ङ) इस फ्लाईओवर का डिजाइन टेक्नीकल कमेटी से पारित हुआ था तथा उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

78. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा मरम्मत की प्रकृति वाले छोटे-मोटे कार्यों को भी विधायक निधि से करने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छोटे-मोटे कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय प्रक्रिया के सरलीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि विधायक निधि एवं सांसद निधि को खर्च करने के नियम एक जैसे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निधि खर्च करने के नियम एक जैसा न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(च) सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है, क्या सरकार एसएमएस, ईमेल इत्यादि की सुविधा सरकार की ओर से विधायकों को दिये जाने की किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(छ) क्या विकसित देशों की तर्ज पर विधान सभा क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की ओर से रिसर्च वर्क हेतु रिसर्चर्स देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) विधायक निधि से करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरण विधायक कोष की गाईड लाईन्स अनुलग्नक 'अ' है। जो कार्य पहले विधायक निधि कोष से किए जा चुके हैं उनकी मरम्मत आदि कार्य पर प्रत्येक विधायक अपने विधायक निधि कोष का 15 प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च कर सकता है।

(ख) छोटे-मोटे कार्य करवाने का प्रावधान सभी विभागों के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(ग) लागू नहीं है।

(घ) नहीं, इनमें अन्तर है।

(ङ) विधायक निधि कोष की गाईड लाईन्स के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रस्थितियां एवं जरूरत को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं जबकि संसद निधि कोष की गाईड लाईन्स सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

Procedure for Street Lights work

The following procedures approved by the Cabinet of Delhi during 2001 will remain continue as per detailed below:

1. (a) The work of street light under MLA Fund should be carried out by the MCD, PWD or other road owning agencies and they may get this work executed by the DISCOMS on deposit basis or in any other manner subject to payment of electricity consumption charges.

2. (b) The work of high mast lights under MLA Fund may be carried out by the MCD, PWD or other road owning agencies subject to guidelines issued by the urban Development Deptt. For erection of high mast lights.

3. (c) The requisition for undertaking work relating to street lights and high mast lights would be placed before the road owning agency and in case no comments were received within 10 days of the receipt of the requisition, it would be presumed that deemed permission had been accorded by them and the DISCOMS would be asked to get the work initiated. The payment would be made directly to the DISCOMS under intimation to the road owning agency.

Sanction of Work

* The implementing agencies/departments will ensure that all preparatory steps are taken as per the established procedure and work order is issued within a period of maximum 60 (sixty) days after the funds are released by Urban Development Departments to them.

* It is to be ensured that the works pertain to be concerned ML As constituency and are to be executed in/on property belonging to the government or local body. The works to be executed should have a public purpose only and not a private purpose.

* "MLALAD Scheme can be converged with the scheme of Central Government, State Government/local Bodies. Wherever such pooling is done, funds from other schemes should be used first and the MLALAD/ MPLAD funds should be released later, so that MLALAD/MPLAD funds result in completion of the work. However, in case of such pooling of resources separate record of works in both physical and financial terms, will have to be maintained for the MLALAD Scheme for accounting purposes".

Maintenance:

* 15% of MLA fund can be utilized for the special repair and maintenance of assets created in the previous years subject to the production of a certificate to this effect and the date of completion of the work by a concerned officer not below the rank of Superintending Engineer of the concerned executing agencies to UD Department after duly recommended by the concerned area MLA.

* If, for any reason the concerned local body/departments/agency is unable to take up any work suggested by the MLA a report in this regard is to be sent to the Pr. Secretary (UD).

* Normal financial and audit procedure will apply to all expenditure incurred under this scheme.
* Procedure in the event of change of MLA
* When there is a change in the MLA, for whatever reason it may be, the following principles should be followed, as far as possible in execution of works, if the work identified by the predecessor MLA.
    (a) If it is under execution, it should be completed.
    (b) If it is pending sanction due to administrative reasons beyond a period of 45 days from the date on which advice was received for taking up the work, it should also be executed, provided the work is

79. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बोरेवेल के कनेक्शन के लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि नए कनेक्शन के लिए अनुमति जिला उपायुक्त की समिति द्वारा दी जाती है और इसमें जन प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ग) पिछले एक साल में यह समिति कितनी बार बैठी और कितने आवेदन स्वीकृत किए गए;

(घ) क्या यह सत्य है कि जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए लोग अवैध कनेक्शन लगावा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार नए बोरवेल कनेक्शन की आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाने के लिए कोई कदम उठा नहीं रही है; और

(च) यदि हां, तो कब तक इसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा और यदि नहीं तो क्यों?

उप-मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार ने अधिसूचना संख्या स.फ. 8(348)/ईए/पर्या/09/2246 दिनांक 12.07.2010 यथा संशोधित द्वारा संपूर्ण दिल्ली शहर भूमिगत जल विनियमन तथा प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया इस अधिसूचना के अनुसार समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भूमिगत जल दोहन के लिए दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर निगम के अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त (राजस्व) को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है और सलाहाकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमों के उल्लंघन की जांच, अवैध बोरवेल/ट्यूबवेल आदि का सील करना व अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर कार्यवाही की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

दिल्ली में बोरवेल के कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र क्षेत्र के अधिशासी अभियंता के कार्यालय से रुपये 500/- की निर्धारित राशि जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। इस आवेदन को उचित रूप से भरकर तथा मांगे गए जरूरी कागजात संलग्न कर अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जमा कराया जाता है। अधिशासी अभियंता सारे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित कमिटी में प्रस्तुत करता है। आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय का अधिकार जिलाकारी की अध्यक्षता वाली कमिटी को ही है।

यदि आवेदक नई दिल्ली क्षेत्र में रहता तो उसे नई दिल्ली नगर पालिका में आवेदन करना होता है।

(ख) जी हां।

सलाहाकार समिति के सदस्यों का विवरण—

1. उपायुक्त (राजस्व), संबंधित क्षेत्र—अध्यक्ष।

2. निदेशक (पंचायत)—सदस्य।

3. मुख्य अभियन्ता दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मनोनीत—सदस्य।

4. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि—सदस्य।

5. क्षेत्र का अधिकारी रखने वाले स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि—सदस्य।

6. पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि—सदस्य।

7. संबंधित उपायुक्त द्वारा मनोनीत प्रसिद्ध भूमि जल प्रबंधन की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के प्रतिनिधि-सदस्य।

(ग) पिछले एक साल में समिति ने 41 बैठकें की और 223 आवेदन स्वीकृत किये हैं।

(घ) जहां भी अवैध कनेक्शन की जानकारी मिलती है, वहां पर संबंधित अधिकारी कार्यवाई करते हैं।

(ङ) और (च) सरकार सभी प्रकार के आवेदन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उन्हें यथाशीघ्र सरल से सरल बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है।

८०. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को वैकल्पिक प्लाट देने की सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह सत्य है कि किसानों को वैकल्पिक प्लाट के लिए काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली के किसानों को छोटे वैकल्पिक प्लाट दिये जाते हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि वैकल्पिक प्लाट आबंटन अफसरों द्वारा किया जाता है और इसमें जन प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ङ) किसानों के हित की सुरक्षा के लिए क्या सरकार इस पूरी नीति को सुधारने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(च) यदि हां तो कब तक इसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा और यदि नहीं तो क्या ?

उप-मुख्यमंत्री : (क) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्कीम 'दिल्ली में विशाल स्तर पर भूमि अधिग्रहण निबटान की योजना' जो उनके पत्र संख्या नं0 37/16/60 दिल्ली (1) दिनांक 2 मई 1961 के द्वारा जारी हुई, के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के स्थान पर वैकल्पिक भू-खण्डों का आवंटन किया जाता है।

क्योंकि दिल्ली के भूमि संबंधी मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य होता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की 1961 की नीति के अधीन ही वैकल्पिक प्लाट आवंटित किये जाते हें। केवल वे व्यक्ति, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी सूचना के समय भूमि के स्वामी थे वही व्यक्ति वैकल्पिक भू-खण्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास दिल्ली शहरी क्षेत्र में कोई आवासीय मकान/भू-खण्ड इत्यादि नहीं होना चाहिए।

(ख) भूमि व भवन विभाग में वैकल्पिक आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की काफी बड़ी संख्या होने के कारण इनका समयबद्ध तरीके से निबटान नहीं हो

सका। ऐसे लंबित मामलों के निबटान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली की निगरानी में इस विभाग में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो केवल वैकल्पिक-भूखण्डों का अनुमोदन का कार्य देखता है। विभाग की टास्क फोर्स ऐसे लंबित मामलों के निबटान हेतु तेजी से कार्यवाही कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे 250 आवेदकों को हर महीने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए विभाग में बुलाया जाता है।

(ग) वैकल्पिक प्लाट आबंटन हेतु हर राज्य की अपनी-अपनी अलग नीति है। दिल्ली में लागू योजना एक कल्याणकारी योजना है जो केवल ऐसे विस्थापित किसानों को, जिनके पास शहरी क्षेत्र में रिहाईश नहीं है, वैकल्पिक प्लाट का आबंटन करती है।

दिल्ली के किसानों को अधिग्रहीत भूमि के हिसाब से 40 वर्ग गज से लेकर 250 गज तक के प्लाट आबंटित किये जाते हैं।

(घ) भूमि व भवन विभाग में वैकल्पिक प्लाट आबंटन हेतु गठित समिति में सभी सदस्य विभाग से है, जो अपनी अनुशंसा सक्षम अधिकारी को प्रेषित करते हैं। विभाग में लागू वैकल्पिक प्लाट आबंटन योजना में किसी जन प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा जारी की गई इसलिए इस योजना में सुधार हेतु भूमि व भवन विभाग, दिल्ली द्वारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

81. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या-क्या विशेष योजना बनाई गई है;

(ख) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित कर लिया जाएगा।

उप-मुख्यमंत्री : (क) और (ख) वर्तमान में दिल्ली सरकार के द्वारा 7 डिग्री तकनीकी कालेज/विश्वविद्यालय, 9 डिप्लोमा संस्थान एवं 19 आई टी आई चलाये जा रहे हैं।

इस वर्ष 2015-2016 में 9 सरकारी संस्थानों के अधीन B.Voc, कोर्स शुरू कर दिया गया है।

2. नये आई टी आई इस वर्ष प्रारम्भ किये गये हैं। यह मंगोलपुरी एवं नंद नगरी में हैं।

फार्मास्यूटीकल शिक्षा के लिए एक नया विश्वविद्यालय (DPSRU) प्रारम्भ किया गया है।

निजी क्षेत्रों के सहयोग से कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु नीति पत्र विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् कौशल विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा।

एक महाविद्यालय—दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—रनहोला, बक्करवाला, छतरपुर।

पांच बहुकला संस्थान—रजौकरी, बक्करवाल, कादीपुर, झड़ोदा माजरा, बुराड़ी तथा नन्दनगरी खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

ifronuk ij lgefr

v/;{k egksn; % प्रश्न काल पूरा हुआ। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति श्री राजेन्द्र पाल गौतम श्री गिरिश सोनी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 26 नवंबर 2015 को प्रस्तुतत विशेषाधिकार समिति (छठी विधानसभा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं। राजेन्द्र गौतम जी।

Jh jktsUnz xkSre % अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 26 नवंबर 2015 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें

जो इसके विरोध में है, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री सोमनाथ भारती जी, राजेन्द्र पाल गौतम जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन दिनांक 26 नवंबर 2015 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति छठी विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 26 नवंबर 2015 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

...(व्यवधान)...

Jh tujSy flag ¼राजौरी गार्डन½ % प्रस्ताव में जो विशेषाधिकार समिति के अधिकार है हमारे माननीय सदस्यों की जो प्रिविलेजिज हैं कोई भगोड़ा कह देता है जैसे हमारे तिलक नगर से हैं कभी उनको कुछ कह दिया जाता है और उसके बाद चुपचाप एक कह देते हैं कि हां जी, हम इस पर माफी मांग लेते हैं। हमसे गलती हो गई है, हम इसका ध्यान रखते हैं तो कोई ना कोई स्ट्रांग मैसेज भी जाना चाहिये कि ठीक है कि हमने स्वीकार कर लिया और मामले को खत्म कर दिया। लेकिन ये नहीं जाना चाहिये कि आप बार बार गलती करेंगे और विशेषाधिकार समिति जो है बस वो थोड़ा सा अफसोस जता देंगे और मान लेंगे ये एक मैसेज आपकी तरफ से भी जाना बहुत आवश्यक है।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें
जो इसके विरोध में है, वह ना कहें।
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

fo'ks"k mYys[k ¼fu;e 280½

विशेष उल्लेख नियम 280 में श्री राजू धिंगान जी

Jh jktw f/kaxku % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बड़े अरसे बाद मुझे समय

मिला है बोलने का। अभी अभी हमारे साथी माननीय सदस्यों ने शराब के ठेकों को लेकर बात आपके सामने रखी थी लेकिन वो शराब के ठेके सवेरे बारह बजे के आसपास खुलते हैं और रात को दस बजे बंद हो जाते हैं लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र त्रिलोकपुरी जहां तकरीबन दूसरी बार जब से हम जीत के आये हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के कुछ राजनीतिक लोग, छुटभैये नेता उससे जुड़े हैं और मेरे यहां त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन दस बारह जगह ऐसी हैं जहां पर स्मैक का, शराब का और जुए का, सट्टे का अवैध धंधा चल रहा है। इसको लेकर कई बार मैंने पुलिस के सामने भी ये बात रखी। एक दो बार इस पर कार्रवाई हुई लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं है। महीने दो महीने बाद फिर से ये धंधे चालू हो जाते हैं क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी सरकार के अंडर नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है या दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं या अन्य कोई भी ऐसा विभाग है जो आपके माध्यम से इस पर रोक लगा सके तो मैं आपका विशेष धन्यवाद करूंगा और आपका कृतज्ञ रहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दें और इस पर रोक लगााने का प्रयास करें। मेरे पास एक लिस्ट भी है सर जहां ये अवैध धंधे चलते हैं।

v/;{k egkn; % लिस्ट दे दीजिये। मैं देखता हूं।

Trilok Puri AC-55

1. Block No. 4 (wine)
2. Block No. 2 Jhuggi Satta
3. Block No. 9 (wine)

4. Block No. 10-11 (Market Satta)

5. Block No. 19 Jhuggis Satta

6. Block No. 27 Jhuggi Camp Satta

7. Block No. 28 Jhuggi Camp Smack and Satta

8. Block No. 29 Toilet (Ganja, wine)

9. Block No. 22 wine

10. Block No. 32 Smack, wine, Ganja, Charas

Jh jkt| f/kxku % अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % करतार सिंह जी तंवर। करतार सिंह जी तंवर। अनुपस्थित। प्रमिला टोकस भी अनुपस्थित। शिव चरण गोयल जी।

Jh f'ko pj.k xks;y % माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं मोती नगर क्षेत्र से आता हूं वहां पर कीर्ति नगर के अंदर एक क्लस्टर एरिया है जवाहर कैम्प। वहां पर एक नई पाईप लाईन जोड़ी गई जब उसको जोड़ने लगे तो वहां का फसेप जेड.ई. आया उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जोड़ने नहीं देते इसके लिये मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिये। मैंने कहा कि आप ले लें तो पंद्रह दिन के बाद पुलिस की प्रोटेक्शन मिली और उस पाईप लाईन को जोड़ा गया। पाईप लाईन जोड़ने के बारह घंटे बाद ही उस पाईप लाईन को तोड़ दिया गया। तब मैंने दोबारा जेड. ई. से बात की तो उन्होंने दो दिन के बाद फिर दुबारा जोड़ा फिर दो दिन

के बाद वह पाईप लाईन तोड़ दी गई उसकी कम्पलेंट थाने में भी करवा रखी है। हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी के पास भी है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जुलाई की वारदात है मैं माननीय अध्यक्ष जी से यह जानना चाहूंगा कि गर्वनमेंट की किसी भी लैंड के ऊपर हम अपना कोई भी कार्य करते हैं और कोई भी उसको तोड़ देता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी। हम पाईप लाईन जुड़वायें और कोई तोड़ दे और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो तो हमारा तो काम कराने का फायदा नहीं है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई कराई जाये ताकि एक संदेश मिले। आगे से कोई गलत काम ना कर सके। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % राजेश गुप्ता जी।

Jh jkts'k xqIrk % अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस के लिए हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान वजीरपुर विधानसभा जहां से मैं आता हूं उसकी पुलिस कालोनीज की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे यहां पर दो पुलिस कालोनीज आती हैं जो एक अशोक विहार के अंदर है जो नार्थ वेस्ट का हैडक्वार्टर भी है और एक केशवपुरम में आती है। अध्यक्ष जी, उस कालोनी की उन इमारतों की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर वहां की सड़कें देखी जायें तो कोई साफ नहीं करता क्योंकि वह एमसीडी को हैण्डओवर नहीं की गई हैं। एमसीडी उसके अंदर कोई सफाई नहीं करती है। हालात इतने खराब हैं कि वहीं के कुछ लोग जो शायद दो दो तीन तीन दिन के काम करके वहां पर वापिस आते हैं उसके बाद में एक संगठन सा बनाया है प्राइवेट तौर पर किसी को नियुक्त करते हैं जो सफाई कर दे। रोड बिल्कुल खराब हैं। कोई इनको मेन्टेन करने वाला नहीं है और पिछली बार जब मैंने अच्छी तरीके से इसे चैक करवाया तो यह पाया गया कि तकरीबन 135 करोड़ रुपयें पीडब्ल्यूडी के दिल्ली पुलिस पर बकाया है। आदरणीय मंत्री को मैंने उसकी रिपोर्ट

सौंपी है। अब जो बिल्डिंग्स का काम है वो पीडब्ल्यूडी उसके अंदर कर नहीं सकती क्योंकि वह कहते हैं कि पहले 135 करोड़ रुपये जो बकाया हैं, उसको पूरा करें और एक सम्मानीय न्यूज पेपर 'The Indian Express' में अगस्त में एक खबर छपी जिसमें उसने कहा "the department hascited insufficient funds for its inabililty to look after the upkeep of residential colonies used to maintain the buildings but now we are cash strapped and need funds moreover the police buildings fall under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs that should allocate funds, it have issued new directions that only fresh constructions will be funded by the Ministry that we should forget over dues.

सर, ये पैसे जो गृह मंत्रालय से आने चाहिये वो आ नहीं रहे हैं और बिल्डिंग्स के हालात ऐसे है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा आ जाये, उसकी कोई बड़ी बात है नहीं। इसके अलावा अब सिर्फ फ्रेश स्कीम के तौर पर ये काम हो सकता है तो उन्होंने जो पहले अभी पीडब्ल्यूडी को कुछ फ्रेश फण्ड दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है काम कीजिये उसमें भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है और ये कालोनीज ना सिर्फ अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो हमारे वोटर भी हैं और समाज के हिसाब से देखें तो ये समाज के पार्ट भी हैं जो बिल्कुल वजीरपुर विधानसभा के बीच में आते हैं। जो हालात पुलिस में हर जगह कुछ लोग अच्छे और बुरे होते हैं, उनके परिवार वहां पर रहते हैं, उनके बच्चे वहां पर रहते हैं। एक विधायक होने के नाते जब मैं वहां पर जाता हूं तो मैं उनको किस तरीके से जवाब दूं वहां पर किस तरीके से उन कामों को कराया जाये तो मैं आपके माध्यम से अगर हो सके तो आप केन्द्रिय सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक चिट्ठी लिखें और उनको ये रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि

आजकल जो बिल्डिंग्स का काम है वो National Buildings Construction Corpn. करती है NBCC Ltd. तो उनको एक चिट्ठी लिखें और कहें कि जल्दी से जल्दी इन सभी कालोनिज के लिये फण्ड्स दिये जायें ताकि इनकी बिल्डिंग्स, इनके सीवर सबका रख रखाव सही तरकी से हो सके और एमसीडी को भी एक डायरेक्शन दी जायें, एमसीडी को हैण्ड ओवर कराया जाये इन कालोनीज को ताकि इसके अंदर की जो सफाई है, जो नालियां हैं जो इनके हॉर्टिकल्चर का काम है, वह एमसीडी तरीके से करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। श्री महेन्द्र गोयल जी। आज तो आपका स्टार्ड क्वैश्चन में भी आ गया।

Jh egUn xk;y % हां जी धन्यवाद जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % किस तरीके से हाई–हैण्डेडनेस दिल्ली में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक आकाओं के लिये कर रहे हैं उसका एक एक्जाम्पल मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, एक बार ये नियम 280 का पूरा होने दीजिये। प्लीज। मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। 280 एक बार पूरा होने दीजिये।

v/;{k egkn; % मोहिन्दर गोयल जी, शुरू से लीजिये।

Jh egUn xk;y % धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज देश भर के अंदर सफाई अभियान चल रहा है लेकिन मेरी रिठाला विधानसभा एक ऐसी है जिस के अंदर सफाई के नाम पर और सीवर के नाम पर बहुत से एरिये में कुछ नहीं हैं। जैसे कि बुद्ध विहार फेस वन, फेस टू, विजय विहार, रिठाला। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसके अंदर सीवर नहीं है जो कि काफी समय पहले 88 करोड़ रूपये के

टेन्डर की मंजरी हो चुकी थी और टैण्डर काल भी हुआ था लेकिन इस समय प्रोजेक्ट अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, जल बोर्ड के जो भी प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं तो वह एन.जी.टी. का नाम ले के कहते हैं कि कोर्ट में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि अभी हम सीवर नहीं डाल सकते जब कि और विधानसभाओं के अंदर सीवर का काम चल रहा है तो ये मेरी रिठाला विधानसभा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है?

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये सीवर के लिये हमारा टेन्डर काल हुआ था, इसके ऊपर कार्रवाई करें। यदि कोर्ट ने कोई रोक लगा रखी है तो जल बोर्ड कोर्ट से इसकी मंजूरी ले ताकि वहां पर हमारे सीवर डलें। जिससे कि वहां पर सफाई की व्यवस्था हो। यही अपसे अनुरोध है। यही गुजारिश है।

v/;{k egkn; % अलका जी अनुपस्थित हैं। श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i/kku % माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जमना पर बन रहे सिग्नेचर ब्रिज की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय खजूरी चौक पर जो फ्लाई ओवर बना है फ्लाई ओवर बनने के बाद जो स्थिति पहले थी उससे भी बदतर हो गई है क्योंकि यूपी से आने वाले प्रतिदिन लाखों आदमी खजूरी फ्लाई ओवर के नीचे से गुजर के जाते हैं। चाहे वह गांधी नगर जाता है, सदर बाजार जाता हो। अधिकतर साईकिल, स्कूटर, बाइक सवार होते हैं और दो दो तीन तीन किलोमीटर प्रतिदिन वहां जाम पूरे दिन लगा रहता है। मैंने पीछे भी कई बार सदन का ध्यान, मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहा कि खजूरी फ्लाई ओवर के नीचे अंडरपास

बना दिया जाये ताकि वहां ट्रैफिक स्मूथली चल पाये। इसी तरह भजनपुरा रेड लाईट पर पूरे दिन जाम रहता है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी अगले साल शायद सिग्नेचर ब्रिज चालू होने वाला है, जब वह चालू हो जायेगा तो ट्रैफिक और तेजी से गाजियाबाद के लिये जाने वाला वजीराबाद रोड होते हुए, भजनपुरा होते हुए खजूरी फ्लाई ओवर से होते हुए जब नीचे उतरेगा तो भजनपुरा रेड लाइट पर जाम की स्थिति और बदतर हो जायेगी। लोगों को अभी भी वहां दो दो घंटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो भाई सर्विस पर जाते हैं, बसें तो वहां चल ही नहीं पा रहीं अंदर से तो। अगर वजीराबाद रोड पर भी बसें चलती हैं तो उन में भी आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आयेगी कि जब ट्रैफिक एकदम फ्लाई ओवर से नीचे उतरेगा तो वहां इतना जाम लगेगा कि संभालने में नहीं आ पायेगा।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही रिक्वेस्ट है कि फ्लाई ओवर का काम और खजूरी चौक के नीचे अंडर पास का काम जल्दी से जल्दी कराया जाये। दूसरा अभी पीछे अखबारों में मैंने पढ़ा कि सेन्टर गर्वनमेंट में यूडी मिनिस्ट्री ने 3250 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिया तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और दिल्ली सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जमनापार दिल्ली में अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके भी आज दो पार्ट हैं। अध्यक्ष जी, एक आपकी विधानसभा जिधर पड़ती है वहां वालिया जी मंत्री थे, लवली जी मंत्री थे। वहां उधर कई फ्लाई ओवर बन गये। वहां ट्रैफिक की जाम की इतनी समस्या नहीं है। आज यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो शाहदरा नार्थ के अंदर है कई साथी मेरे यहां बैठे हुए हैं चौधरी फतेहसिंह यहां बैठे हैं, जितना बुरा हाल हमारे

यहां ट्रैफिक को लेकर है, मैंने तो कई बार सदन से भी प्रार्थना की है। माननीय गोपाल राय से भी प्रार्थना की है कि जहां बसें भी नहीं चल पाती, वहां बसें चलाने का इंतजाम किया जाये। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जहां करावल नगर विधानसभा खत्म होती है, यूपी बार्डर से लेकर और गांधी नगर तक जो पुस्ता रोड है इसको कम से कम बारह लेन का किया जाये। इसकी समस्या को देखते हुए वहां के ट्रैफिक को देखते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, सेन्टर गवर्नमैन्ट को ये स्कीम बना कर भेजी जाये। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे, शहरी विकास मंत्रालय से पैसा मिले कि दिल्ली में जमनापार जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसका विकास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष महोदय, जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भी आल रेड्डी बहुत डिले हो चुका है मंत्री जी यहां उपस्थित हैं थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दें और सभी जो एलिवेटिड रोड आउटर रिंग रोड पर जिसकी 31 दिसम्बर तक आपने घोषणा की है, इसको शुरू कर दिया जायेगा मैंने भी पीछे उसका निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया था तो मैंने पाया कि जो ऐलिवेटिड रोड है वो तो फंक्शनल होने के लिये सारी गतिविधियां चल रही हैं लेकिन उसके एलाइड वर्क और जितने हैं नीचे के, सिर्फ रोड फंक्शनल हो पायेगी लेकिन बाकी सब चीजों के लिये भी कोई टाइम बाउण्ड व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो क्या होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो हाफ बेक्ड जनता के सामने आयेगा। मैं फिर भी एप्रिशिएट करता हूं आपके प्रयासों को, उसमें कोई दो राय नहीं है।

पर उस पर भी जरूर ध्यान दिया जाये कि बाकी सारी चीजें भी उसका भी टाइम बाउण्ड अरेन्जमेन्ट किया जाये तो 31 दिसम्बर को मुर्हत तो ही जायेगा पर बाकी वर्क भी टाईम पर पूरे किये जा सकें उसके लिये अधिकारियों से, अभी से कोई रोडमैप आप बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसी तरह से सिग्नेचर ब्रिज के मामले में भी अगर मंत्री जी कुछ बता सकते हैं क्योंकि वो भी एक लाइफलाइन है ट्रांस जमुना के एंगल से उस पर।

v/;{k egkn; % हां बता दीयिजे मंत्री जी।

LokLF; e=h ¼Jh lR;Un tu½ % सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेताजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है और उनका जो काम है कि हमारी चीजों की ओर उम्मीद करते रहना, बताते रहना बार–बार कि यहां पर ठीक कर रहे हैं, यहां पर ठीक नहीं कर रहे। इसको और अच्छा किया जाये और अगर ऐसा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सहयोग से हमारी परफॉर्मेन्स बहुत अच्छी रहेगी। आउटर रिंग रोड पर जो एलिवेटिड रोड बन रही है, उसका नीचे का जो हिस्सा है, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। दरअसल कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऊपर की रोड स्टार्ट होने के बाद ही नीचे हम कर पायेंगे। कारण क्या होता है कि नीचे का काम स्टार्ट करने से नीचे का ट्रैफिक रुक जायेगा। आज एलिवेटिड रोड भी बन रही है नीचे का काम भी अगर हम पूरे स्केल पर स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से सारा ट्रेफिक एकदम से बन्द हो जायेगा। वो हम नहीं करना चाहते हैं। **^tl gh ,fyofVM jkM LVkV gkxh fofnu 3 eUFk l lc dN lyku gk pdk g rhu&pkj eghu e uhp dk dke Hkh [kRe dj fn;k tk;xkA** मैं बिल्कुल सार्वजनिक रूप से एक बात कहना

चाहता हूं कि जीरो टॉलरेन्स होनी चाहिये उस तरह के एन्क्रोचमैन्ट पर क्योंकि यह सारी रोड्स ऐसी हैं जो पूरी दिल्ली की लाईफलाईन हैं, पूरी दिल्ली का एक सर्कल बन कर घूम के ट्रैफिक का फ्लो बनता है तो लोगों ने बहुत–बहुत ज्यादा एन्क्रोचमैन्ट की हुई है। मेरे क्षेत्र में भी की हुई है। मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि बिना किसी भाई–भतीजावाद के सब एन्क्रोचमैन्ट हटनी चाहिए। इसके लिये पहले मेरी बात हुई थी विजेन्द्र गुप्ता जी से। यह एन्क्रोचमैन्ट हटाने के लिये तीन एजेन्सीज का रोल है। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस का। तो अभी हम बड़े स्केल पर सड़कों के ऊपर जो लोगों ने अनअथोराइज्ड कब्जे किये हुए हैं, सड़क के ऊपर शॉप बनाई हैं। हम लोगों में से किसी एक ने अगर रेहड़ी लगा ली है, तो उसके खिलाफ तो बहुत शोर मचाते हैं, उस रेहड़ी वाले को हटाने के लिये तो पूरी दुनिया तैयार रहती है कि उसको वहां से हटाया जाये, इसने गड़बड़ कर दी है। परन्तु जिन लोगों ने अपनी दुकान के सामने ऐसी भी जगह है जो 50–50 करोड़ रुपये की जमीन है सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जब उसको सरकार हटाने की बात करती है तो किसी न किसी तरीके से अड़ंगे लगाये जाते हैं, पुलिस न होने के बहाने बनाये जाते हैं। एमसीडी सहयोग करने से मना कर देती है। मैं तो चाहूंगा कि पूरा सदन मिलकर यह कानून बनाये कि जिसके अधीन विपक्ष का भी सहयोग चाहेंगे कि कम से कम जो दिल्ली की लाईफलाईन जो बड़ी रोड्स हैं, जिसके ऊपर ट्रैफिक चलता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का अनअथोराइज्ड कब्जा न होने दें। उसकी पूरी की पूरी ताकत दिल्ली सरकार को दी जाये, एमसीडी के पास सारी एक्क्रोचमैन्ट हटाने की पावर्स है। आज लॉ के हिसाब से हमारी सारी पावर्स उनके पास हैं। मैं चाहूंगा कि उनके साथ बैठकर, मिलकर हम ऐसा

कानून लेकर आयें कि उनको सड़कों को कम से कम जो लाईफलाइन रूल्स है, साठ फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, उन सारी सड़कों को हम साफ करा सकें। सरकार इसके लिये कमिटेड है और मैं इस बात के लिये फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कम से कम सार्वजनिक रूप से विजेन्द्र जी ने कहा और माना कि सरकार के इस काम के लिए उन्होंने सरकार को सचेत भी किया है और उसे सहयोग भी करेंगे। इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी चीज इन्होंने कही है सिग्नेचर ब्रिज। सिगनेचर ब्रिज का काम 2008 में एक साइट पर स्टार्ट हुआ था। उसको साइट पर बनते हुए लगभग सात साल हो गये। हमारे मंत्री जी कपिल मिश्रा जो अभी नहीं है। मैं उनके साथ एक हफ्ता पहले खुद साइट को विजट करने के लिये गया था। पूरी तरह से रिव्यू किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट की परिकल्पना में ही कुछ खमियां रह गई थीं। जब सोचा गया था तब एक बात का ध्यान दिया गया कि एक ऐसी चीज बनाई जाये जो पूरे संसार में कहीं न हो। कब बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर कितना पैसा लगेगा, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। उस पर सोचने की जहमत भी नहीं उठाई गई कि क्या बेस्ट टैक्नॉलाजी होनी चाहिए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो ब्रिज 300–400 करोड़ रुपये में बन सकता था, उसकी प्लानिंग में 1000 रुपये करोड़ में क्यों बनाया जा रहा है और ऐसी जगह का चुनाव किया गया जहां पर कि प्रोब्लम पहले थी साइट की फाइनलाइजेशन करने से पहले सॉयल टेस्टिंग करनी चाहिए थी। वो टेस्टिंग नहीं की गई। और क्योंकि 2010 के कॉमन वेल्थ गेम्स के टाईम पर उसको पूरा करने का टारगेट था कि 2010 के कॉमन वेल्थ में कम्पलीट किया जायेगा। उसको बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के काम शुरू कर दिया गया। जब काम शुरू

हुआ, तब जाकर पता लगा कि इसमें दिक्कतें आ रही हैं। सरकार उसको बहुत अच्छी तरह से परसू कर रही है। अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो उसके ब्राइलॉज बन रहे हैं वह 135 मीटर ऊंचे 150 मीटर ऊंचे बन रहे हैं। वो सारे के सारे बन चुके हैं। इसमें नौ सेक्शन्स हैं इसमें से 6 सेक्शन्स इण्डिया में आ चुके हैं। तीन सेक्शन्स और इण्डिया में आने वाले हैं। अभी एक्जेक्ट डेट बताना जरा मुश्किल है। क्योंकि जो एक जगह पर पाइलिंग हो रही है उसमें समस्या है। यह डेढ़ महीने का काम है। जिस दिन डेढ़ महीने का काम पूरा हो जायेगा, तब हम एग्जेक्ट डेट बता पायेंगे क्योंकि उसी की वजह से पहले भी यह काम कई महीने तक डिले हो चुका है। पीछे रोक आ गई है उस रोक का पहले पता नहीं था और पाइल जब तक नहीं बन पायेगी। हमें डेढ़ महीने का टाईम दिया गया है जिस दिन डेढ़ महीने का काम पूरा हो जायेगा तब हम एग्जेक्ट डेट बता सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि जितने भी प्रोजेक्ट पहली सरकारों ने स्टार्ट किये हैं, उनको जल्द से जल्द समय पर पूरा किया जाये और सिग्नेचर ब्रिज उनमें से एक है। सरकार जल्द से जल्द उसको पूरा करेगी। सेन्टर गवर्नमैन्ट ने जो हमें 3250 करोड़ रुपये अभी आबंटित किये हैं, वह दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये यूज किया जायेगा और केन्द्र सरकार ने कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वन बाइ वन एप्रूवल लेनी होगी और हम उनके लिये जल्द से जल्द एप्रूवल लेकर सारे प्रोजेक्टस को सबमिट कर रहे हैं और उनके पैसे का पूरा का पूरा उपयोग किया जायेगा और उसमें से आधे से ज्यादा पैसा डीडीए को मिलेगा, लगभग आधा पैसा पीडब्ल्यूडी को मिलेगा।

v/;{k egkn; % उसमें से कुछ कॉरपोरेशन को भी तो दिया है।

LokLF; e=h % हां, कुछ कॉरपोरेशन को भी जायेगा। कई डिपार्टमेन्ट्स है, सबको जायेगा। वो आजाद मार्किट वाला है विजेन्द्र जी से मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा उसको बनते हुए 10–15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो गये होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं यह कह सकता हूं कि अगर एमसीडी उसको बना पाने में समर्थ नहीं है, तो कृपा करके हमें दे दें। हम उसको खत्म कर देंगे। एक्जेक्ट डेट से कर देंगे। कोई बात नहीं सर, मैं तो आपसे कह सकता हूं क्योंकि एमसीडी के पास यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको ठीक से पूरा कर सकें। मेरा केवल सुझाव है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। सर, सुझाव है बस और जो 1600 करोड़ पीडब्ल्यूडी को मिलेंगे हम उसको जल्द से जल्द 10–15 दिन में कोशिश रहेगी कि अपने सारे सुझाव, सारे प्रपोजल सेन्टर मिनिस्ट्री को देंगे। मैं चाहूंगा कि यह जो 3250 का इसके आगे एक जीरो और लग जाये तो ठीक रहेगा। दिल्ली में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं 32000 करोड़ हो जाये तो काम चल जायेगा। काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सर, देखियेगा मौका मिला है। हमारे विपक्ष के नेताजी ने इसका प्रश्न तो उठा ही दिया है कि दिल्ली देश का दिल है। जब दूसरे देशों से आते हैं तो वो यह नहीं कहते कि हम इंडिया जा रहे हैं वो कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। अगर कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं। कभी न्यूज पेपर हेडिंग देखियेगा दिल्ली विजिट कहा जाता है, इण्डिया विजिट नहीं कहा जाता। तो सर, दिल्ली के लिये केन्द्र सरकार के मन में थोड़ा सा नरम दिल होना चाहिये, थोड़ा साफ्ट कार्नर होना चाहिए। सर दिल्ली से 1,25000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स के रूप में केन्द्र सरकार को जाता है। उसमें से हमें यह 325 करोड़ रुपये मिलते हैं। सर मैं कहता हूं कि 325 करोड़ रुपये देते हो,

बाकी स्टेट्स को 42 प्रतिशत देते हो। हमारा 52–55,000 करोड़ रुपये बनते हैं सर जी। आधा दे दो, 26,000 रुपये करोड़ रुपये हर साल दे दो दिल्ली को। हम दिल्ली का दिल नहीं, संसार का दिल बना कर दिखायेंगे। पूरे संसार में नम्बर एक बनाकर दिखायेंगे और सर इनका तो था ही वादा, कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य बनायेंगे तो सर पूर्ण राज्य भी बना दीजियेगा और कैसा भी पूर्ण बना दीजियेगा और एमसीडी को पैसे की कमी नहीं होगी। एमसीडी को पैसे की जितनी बात करते हैं, हमें 42 प्रतिशत जो पैसा बनता है, सर्विस टैक्स और इन्कम टैक्स दिल्ली को भिजवा दीजियेगा और एमसीडी जितना मांग रही है, उससे दोगुना हम दे देंगे। हमारी तरफ से। धन्यवाद।

Jh fotUn xIrk % स्वार्थपूर्ण बातें हो रही हैं।

v/;{k egkn; % यह विषय चर्चा का विषय नहीं है।

Jh fotUn xIrk % नहीं, यह चर्चा नहीं है।

v/;{k egkn; % आपने खुद कहा कि मंत्री जी उत्तर दें।

Jh fotUn xIrk % केवल दो मिनट।

v/;{k egkn; % नहीं समय का भी तो देखिये। नहीं। दो विषय अभी रह रहे हैं प्लीज।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी, पहली बात तो एन्क्रोचमैन्ट में आपने विपक्ष की बात की। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री को कहना चाहता हूं कि जो कि

पीडब्ल्यूडी रोड्स है, उस पर पूरा अधिकार पीडब्ल्यूडी का है, हर प्रकार एन्क्रोचमैन्ट हटाने का भी और उसको बनवाने का भी और यह तो बड़े हाईवे हैं आउटर रिंग रोड्स वगैरह इसमें कोई भी एन्क्रोचमैन्ट है तो मैं सार्वजनिक रूप से इस सदन के समक्ष बिना किसी राजनीतिक द्वेष भावना के, राजनीतिक से ऊपर उठकर आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप टॉप प्रायरिटी पर जो लाइफ लाईन सड़कें हैं दिल्ली की, जिसपर हैवी ट्रैफिक है वहां पर एन्क्रोचमैन्ट पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारी मांग भी है। और चाहे मेरे क्षेत्र में भी उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। पहले भी मैंने आपसे कहा था। हम किसी सरमायेदार को इस तरह का प्रोजेक्शन देने के हक में नहीं हैं कि जिससे दिल्ली की जनता तकलीफ उठाये। इसलिये इस बात को बिल्कुल दिल में बांध लीजिये एक बात।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी कन्क्लूड करिये।

Jh fotUn xIrk % दूसरा आपने फ्लाईओवर की बात कही। आजाद मार्किट की...

v/;{k egkn; % दो माननीय सदस्य हमारे बाकी रह रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % आजाद मार्किट का जो फ्लाईओवर है, 2009 में सही मायने में उसका काम शुरू हुआ था लेकिन उसमें कम से कम एक हजार लोग ऐसे थे जिनके क्लेम थे जो क्लेम मांग रहे थे। क्योंकि उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें टूटनी हैं और टूट रही हैं। उनको बिना शटर डाउन किये, वो सम्भव नहीं था। आप तो जानते हैं आजाद मार्किट, बर्फखाना और यह पूरा सदर बाजार सारा इलाका उसमें आता है लेकिन वो काम अब गति पकड़ रहा है। निश्चित रूप

से आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें और 10 मिनट में वहां से करोल बाग पहुंचा जा सकता है।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। विजेन्द्र जी प्लीज। चौधरी फतेह सिंह जी।

pk/kjh Qrg flag % अध्यक्ष महोदय आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय को उठाने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष, जी मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली सरकार के अर्न्तगत कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी जैसे एडहॉक दानिक्स, ग्रेड–1, दास कैडर स्वीकृत पदों में से अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिये रोस्टर श्रृंखला जो नयी अपनाई गई है जब कि पहले से अनुसूचित जाति के बारे में रोस्टर प्रणाली को अपनाया जाता था। इन पदों पर कितने अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, पता नहीं चलता। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वर्गवार रोस्टर बनाया जाना चाहिए जिससे कि खाली पदों के बारे में तत्काल पता चल सके और उनको भरा जा सके। अध्यक्ष जी, उपरोक्त पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के विजलेन्स के मामलों को कई सालों तक पेन्डिंग कर दिये जाते हैं। जिससे इन वर्गों के अधिकारियों को वेतन एवं पदोन्नति में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अन्त में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित मामलों को छह महीने की अवधि में निपटाने की कोशिश की जाये तथा अनुसूचित जाति के जिन मामलों में जांच बैठाई जाती

है, उस जांच में अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी को भी रखा जाना चाहिए जिससे कि जांच सही और पारदर्शी हो सके। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री अवतार सिंह कालकाजी।

Jh vorkj flag dkydkth % धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने नियम 280 के पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं कालकाजी विधान सभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जो रहे हैं, उसके विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां आये दिन हत्या, छीनाझपटी, डकैती, चेन स्नैचिंग जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण यहां के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खास तौर से वरिष्ठ नागरिक जैसे की आपको संज्ञान में होगा कि अभी कुछ दिन पहले कालका जी विधानसभा क्षेत्र में ईस्ट ऑफ कैलाश में दो वरिष्ठ नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। रात तो रात, दिन में भी पुलिस वाले पैट्रोलिंग करते नजर नहीं आते। पुलिस के बीट बाक्स खाली नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि चोर डकैतों पर इसका भय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपने कार्यों को ईमानदारीपूर्वक निभाने में असमक्ष है। अगर दिल्ली पुलिस अपने कार्यों को ईमानदारीपूर्वक निभाती तो दिल्ली में जो वारदातें हो रही हैं, वो नहीं होती। अध्यक्ष जी, मेरे सामने की बात है कि मेरे सामने चैन स्नैचिंग हुई। पर हमारे विधान सभा क्षेत्र में इन्क्रोचमैन्ट बहुत बढ़ चुकी है। पहले तो बाईक पर छीनाझपटी करते थे लेकिन अब पैदल चलते लोगों की चैन स्नैचिंग हो जाती है और वह वारदात करके निकल जाते हैं और कोई पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि रास्ते में इतनी पब्लिक होती है। इनक्रोचमेंट इतनी बढ़ चुकी है, रेहड़ी इतनी लग चुकी हैं और पुलिसवाले बिल्कुल भी वहां पर कार्य करने को तैयार नहीं

हैं। कोई अपना बीट बाक्स पर नजर नहीं आता अपनी ड्यूटी पर। अगर मैं ओखला क्षेत्र में देखता हूं तो वहां इतने लोग पैदल आते हैं। वहां मैंने जाकर खुद देखा कि पुलिस का जो बीटबाक्स बना हुआ है वहां पर कोई अधिकारी है ही नहीं। तो ऐसे में लोगों के मन से पुलिस का डर बिल्कुल निकला हुआ है। आने वाले समय में यह बहुत नुकासनदेह हो सकता है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत की।

Jh lkjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कालकाजी थाने के एस.एच.ओ. को आप हिदायत दीजिये कि मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियन्स रहा है।

v/;{k egksn; % आप जरा लिख कर दे दीजिये। अपने विषय में।

v/;{k egksn; % श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nÙk % मैंने कल एक क्वैश्चन दिल्ली पुलिस पर लगाया था। नियम 280 में नहीं लिया गया।

v/;{k egksn; % नहीं, वो आया नहीं है। जो अभी आज तीन सदस्य अनुपस्थित थे, इसलिये मैं 10 पूरे हो जायें, यह प्रयास कर रहा हूं। मैं शुरू के ले रहा हूं जो वैलेटिंग हुआ है।

v/;{k egksn; % सोमदत्त जी।

Jh lkenÙk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र

से जुड़ा हुआ प्रश्न रखने की अनुमति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल दिसम्बर 2014 में जबकि दिल्ली में केन्द्र का शासन था यानी कि भाजपा का शासन था उस दौरान दिल्ली में 'My Delhi I Care Fund' से जोकि एसडीएम दफ्तर से रिलीज होता है, दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के लाखों रुपये खर्च करके उस फंड के तहत लाईटें लगाई गईं जो कि बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुई और अभी तक ऐसे ही बेकार पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि मेरी विधानसभा ही क्या और भी दिल्ली के अन्दर बहुत सारी विधानसभाओं में 'My Delhi I Care Fund' के तहत ऐसा पैसा रिलीज किया गया होगा जिसमें किसी प्रकार की मेन्टेनेन्स का कोई प्रोविजन नहीं था। वो लाईटें हाईमास्ट लाईटें आज तक सिर्फ खड़ी हुई तैयार हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हुई हैं। न तो बीएसईएस उनको बिजली सप्लाई कर रही है और किसी प्रकार से बहुत तकलीफ होती है उसको देखकर कि लाखों रुपये बर्बाद हो गया, टैक्स पेयर्स का, मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लाईटों को किसी न किसी एजेन्सी को हैण्डओवर किया जाये जैसे कि पीडब्ल्यूडी वगैरह को ताकि वो लाईटें जो बिल्कुल रेडी हैं उनको स्टार्ट किया जा सके, जनता को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र गर्ग जी।

Jh fotsUnz xxZ % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में वृद्ध स्त्री पुरुषों को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में मिलने में हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में जुलाई में मात्र 124 लोगों को ही नई वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई जबकि लगभग 2,500 आवेदकों ने हमारे विधान सभा कार्यालयों में नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए गुजारिश की थी। अब तक कुल 2,360 वृद्धावस्था पेंशन मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत की गई हैं जो कि बहुत कम है जबकि अन्य विधान सभाओं में ये संख्या दस हजार तक है जो कि न्याय संगत नहीं है। इतना ही नहीं, काफी संख्या में ऐसे वृद्ध नागरिक भी हैं, जिनकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी है और उन्होंने सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर दी है लेकिन फिर भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलनी आरंभ नहीं हुई है। जिसके कारण उन गरीब वृद्ध महिला–पुरुषों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस समस्या के हल की दिशा में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली नगर निगम में पार्षदों के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन भी पिछले 18 महीनों से नहीं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाए क्योंकि ये बेसहारा लोगों के हक का सवाल है। बहुत गंभीर विषय है, इस पर तुरंत कोई हल किया जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने इस लोक महत्व के विषय को उठाने का मुझे समय दिया। धन्यवाद

v/;{k egkn; % धन्यवाद, अब तीस मिनट के लिए चाय का ब्रेक, प्लीज।

¼lnu dh dk;Zokgh 30 feuV ds fy, pk; dky ds fy, LFkfxr dh xbZA½

lnu vijkgu 4%15 cts iu% leor gvk

अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xk;y½** *पीठासीन हुए*

v/;{k }kjk 0;oLFkk

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xlrk % मैं तो चाहता हूं कि एक स्क्रीन लगाके हम उस दिन की पूरी कार्यवाही चलाकर के यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करवा लें और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट रूप से हो जाएगा। पर इस तरह।

v/;{k egkn; % वो विषय एथिक्स कमेटी में चला गया है। एथिक्स कमेटी में दे दिया है।

Jh fotUn xlrk % नहीं, तो फिर यह बात आप उनको समझाइये और नहीं तो हम खुद इस बात के लिए राजी है कि स्क्रीन लगा के और पूरी कार्यवाही चलाके और उसको रोक–रोक के उस पर बात कर ली जाए।

v/;{k egkn; % वो एथिक्स कमेटी को चला गया है।

Jh fotUn xlrk % वो हमसे भी आग्रह कर रही थी। आपसे भी कर रही थी। आपसे भी कर रही हैं तो पूरी रिपोर्ट एकदम सामने आ जाएगी। एथिक्स कमेटी अपना काम करती रहेगी।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, वो सारा विषय हो गया। अब उस विषय को छोड़कर के हम आगे बढ़ें।

Jh fotUn xlrk % मैं तो आपको अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहा

हूं। अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव दे रहा हूं कि अगर वास्तविकता में इस तरीके से राजनीति करनी है तो वो कर लीजिये।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % Politically Motivated लोग हैं Politically Charged लोग। किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, उसका मैं एक उदाहरण आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं। 21 नवम्बर को एक झंकार बैंक्वेट जो कि सीरीफोर्ट के पास है, उसमें एक फंक्शन किया गया। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आर्डर है कि झंकार बैंक्वेट के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता जब तक कि उसमें लगा टॉवर रेस्टोरेंट भी ऑपरेटिव हो। और साथ में ये भी मालूम पड़ा कि जब तक झंकार बैंक्वेट को दिल्ली फायर सर्विसेज से फायर क्लीयरेंस न मिल जाए जब तक दिल्ली पुलिस लाईसेंसिंग से उनको पर्मीशन न मिल जाए तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता। इन सबके बावजूद, और ये पूरी की पूरी जो आर्डर थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की ये बकायदा वी.सी. डीडीए को दी गयी हैं। चीफ इंजीनियर साउथ डीडीए को दी हैं। डायरेक्टर हॉर्टीकल्चर, डीडीए को दी गई है। कमशिनर पुलिस को दी गयी है। कमिश्नर एस.डी.एम.सी. को दी गई है। एक तब भी दिया गया और एक इस नवम्बर को भी दिया गया। इन सभी नियम कानून को ताक पर रखते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय...

v/;{k egksn; % सोमनाथ जी, ये प्लीज। ये विषय अब छोड़िये। आप जहां तक पढ़ रहे थे।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, बैठिये। प्लीज बैठिये। आप ये लिखित में दे दीजिए। अब इस विषय को मत उठाइये। मेरी प्रार्थना है प्लीज। बैठिये, धन्यवाद।

Jh lkseukFk Hkkjrh % नेश्नल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन किया क्योंकि इस आदेश में बकायदा मनाही है और चूंकि पुलिस उनके अंडर में है डीडीए उनके अंडर में है कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय...व्यवधान...

v/;{k egkn; % आप इस विषय को छोड़िए प्लीज, सदन का आगे बढ़ाने दीजिए प्लीज।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ये उलाउ नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी, आप बैठिए प्लीज, धन्यवाद। अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

lnu iVy ij izLrqr dkxtkr

Jh euh"k fllkfn;k] mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदू क्रमांक 4 के उपबिंदू 1 तथा 2 से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर रखता हूं* :

1. ''दिल्ली की मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का अधिनियम संख्या 03)'' की धारा 103 के तहत प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत जारी

---

* पुस्तकालय में सदर्भ सं. R 15486–87 पर उपलब्ध

अधिसूचना एफ 3(22)/वित्त (राज–1)/2015–16/डी.एस.–VI/913 दिनांक 16.11.2015।

2. ''दिल्ली की मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का अधिनियम संख्या 03)'' की धारा 102 के तहत प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत जारी एफ 3(23)/वित्त(राज–1)/2015–16/डी.एस.–VI/914 दिनांक 16. 11.2015।

v/;{k egkn; % विधेयक का पुरः स्थापन श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)' को सदन में पुरः स्थापित करने की करने अनुमति मांगेंगे।

Jh euh"k fl lksfn;k] mi e[;ea=h % अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15), को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें

जो इसके विरोध में है, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री जी विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करेंगे।

fo/k;d dk iqu%LFkkiu ,oa mi eq[;ea=h dk oDr0;

Jh euh"k fllksfn;k] mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है वो देश में मैं अपनाई गई शिक्षा को लेके नोडिटेन्शन पॉलिसी से संबंधित है। यह बिल को पुरःस्थापित करने से पहले मैं साफ करना चाहता हूं सदन के समक्ष और सदन के माध्यम से जहां तक ये सूचना पहुंचे कि ये सरकार बहुत इस पक्ष में नहीं है कि बच्चों की एवेल्युएशन के लिए पास/फेल के तरीके अपनाए जाएं, पास–फेल के एग्जामिनेशन के तरीके बहुत आर्थाडॉक्स तरीके हो चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से जब ये पॉलिसी देश में लागू हुई थी तो मुझे अच्छा लगा था लेकिन धीरे–धीरे दो–तीन साल के अंदर–अंदर जिस तरह के नतीजे इससे सामने आए और शिक्षा प्रणाली पर जिस तरह का फर्क पड़ा, उससे मुझे लगता है पूरे देश में कम से कम हमको क्योंकि, संविधान के मुताबिक शिक्षा इस विधान सभा के अंतर्गत आता है, इसका दिल्ली की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसी सम्बन्ध में यह विधेयक है। नो डिटेन्शन पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, ये सोचना कि किसी भी बच्चे को हम एक साल पढ़ाएं और उसके बाद एक साल बाद ही उससे पूछें कि भई क्या सीखा, क्या नहीं सीखा और वो बच्चा एक पर्टिकुलर समय में अपने उस वातावरण के दौरान हमारे सवालों के जवाब दे और उन सवालों जवाबों के आधार पर हम ये तय करें कि वो बच्चा एक साल के लिए पास–फेल हो गया तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसकी जगक कन्सेप्ट लाई गई थी कम्प्रिहैन्सिव एण्ड कन्टिन्युअस एवेल्युएशन जिसको हम सी.सी.ई. बोलते हैं तो सी.सी.ई. एक अच्छा एग्जामिनेशन

प्रोसेस है खासतौर से बहुत छोटे बच्चों के लिए जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम की पोलिसी में क्या है मैंने पाया कि दुनिया में अधिकतर जो खासतौर से जिनको हम विकसित देश कहते हैं, जहां कि एजूकेशन पोलिसी को हम बहुत समझने के क्रम में रहते हैं, वहां भी मैं सबके बारे में नहीं कह रहा लेकिन जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड इन लोगों ने भी अपने एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट रखा है मतलब उसके एवेल्युएशन को। एक वो सोशल प्रमोशन देखते हैं कि बच्चे का जो सामान्य एटिट्यूड है जो सोशल इम्प्रूवमैन्ट है, पर्सनेलिटी इम्प्रूवमैन्ट उसके एटीट्यूड में इम्प्रूवमैन्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें वैल्यूज आई की नहीं आई। ये सोशल प्रमोशन के रूप में कन्टियुअस ऐवेल्युएशन कर रहे हैं वो तरीके उन्होंने एवेल्युएट कर रखे हैं उन्होंने एवाल्व कर रखे हैं, लेकिन जब मैथ्स पढ़ाने की बात आती है, साईन्स पढ़ाने की बात आती है, लैग्वेज पढ़ाने की बात आती है तो वहां वो भी अभी कोई बहुत कन्टिन्युअस एवेल्युएशन का तरीका डेवलप नहीं कर पाए हैं। हम लोग भी नहीं कर पाए हैं और हमने ये पोलिसी अचानक लागू कर दी पूरे देश में। उसका नुकसान बहुत हुआ। नुकसान ये हुआ कि मैं डाटा रख रहा हूं सदन के सामने, मैंने पहले भी रखा है कि दिल्ली में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर छठी क्लास में 2011–12 में जब बच्चों का एक सामान्य एग्जाम लिया गया तो 14 परसैंट बच्चे फेल हुए, 2012–13 में करीब 18 परसैंट बच्चे फेल हुए 2013–14 में, ये आंकड़ा बढ़कर 25 परसैंट तक पहुंच गया यानी की असफल होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ गई मैं सिर्फ डेटा रख रहा हूं। उस पर एनलाइसिस अभी करते हैं। सातवीं क्लास में 2011–12 में उस दौरान लगभग 14 परसैंट बच्चे फेल हुए। सात के अंत में जो एग्जाम

लिया गया, 2012–13 में करीब 16 परसैंट बच्चे फेल हुए और 2013–14 में ये संख्या करीब 24 परसैंट पहुंच गई। इसी तरह ये कक्षा आठ में 2011–12 के दौरान करीब 12 परसैंट बच्चे फेल हुए थे, 2012–13 के दौरान 13 परसैंट बच्चे फेल हुए और 2013–14 के दौरान 21 परसैंट बच्चे फेल हुए। ये सिर्फ डेटा भर होता तो हम सोचते कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं। पर अध्यापकों से, अभिभावकों से जो लोग शिक्षा के काम में एजूकेशन के काम में लगे हुए हैं, मैं स्वयं भी पिछले नौ–दस महीने में खूब स्कूल्स में गया हूं। वहां मैंने ये देखा है कि पढ़ने के लिए जो तैयारियां हमारी होनी चाहिए इस तरह के कन्टिन्युअस एवेल्यिुएशन के लिए, वो है नहीं। अभी हम उन्हीं पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा रहे हैं जिनसे हम उसी पैटर्न से, हो सकता है पाठ्य पुस्तकों का कन्टेन्ट बदल दिया हो, बीच–बीच में बदला गया होगा, लेकिन उसी पैटर्न पर तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे हम 10 साल, 20 साल पहले पढ़ा रहे थे। उसी पैटर्न पर तैयार की गई, उसी पैटर्न पर हमारी टीचर ट्रेनिंग तैयार हुई है। कन्टिन्युअस एवेल्युएश्न करने के लिए टीचर के अंदर ट्रेनिंग के माध्यम से जो योग्यता हमको डालनी थी उसके माध्यम से हमने काम किया ही नहीं, हमने इस पर काम नहीं किया कि हम पाठ्य पुस्तकें बदलते, हमने इस पर काम किया कि हम अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते उसको कन्टिन्युअस एवेल्युएशन के लिए। हमने टीचर प्यूपिल रेशियो को ठीक नहीं किया। पहले उसके सबसे बड़े विक्टिम अगर हम कहें, तो हमारे जगदीश भाई और कपिल भाई बैठे हैं, छात्र–अध्यापक रेशियो का सबसे खराब अनुपात जिन क्षेत्रों में है, दिल्ली में, उन विधान सभा क्षेत्रों के दो प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। इन सबके बीच में अचानक एक किसी नोबल आइडिया को उतार देना, एक आईडियलिज्म के तहत सब

जगह उतार देना ठीक ऐसे ही है, जैसे कि किसी शहर में पैट्रोल और डीजल की गाडियां चल रही हों और अचानक किसी को ख्याल आए कि भई सीएनजी इजाद हो चुकी है तो कल सुबह से सारी गाड़ियां सीएनजी से चलेंगी, कल सुबह से कोई पैट्रोल और डीजल से नहीं चलेंगी। अब आपने सीएनजी की पाईप लाईन नहीं लगाई, सीएनजी के पंपिंग स्टेशन नहीं लगाए। उदाहरण है, आपने गाड़ियों में सीएनजी वाले इंजन नहीं लगाए बस ऑर्डर पास कर दिया। अब अगली सुबह से गाडियां सीएनजी से कैसे चलेंगी वो तो पैट्रोल– डीजल की गाड़ियां कैसे चलेंगी। अच्छी चीज थी। मैं बिल्कुल फिर से दोहरा रहा हूं, अच्छा आइडिया था लेकिन बहुत तैयारियों की जरूरत थी। इसीलिए मैंने एक सटीक उदाहरण दिया जैसा सीएनजी का शहर खड़ा करने के लिए सटीक आप डिसीजन कर टाईम देते अगले एक साल में हम ये करेंगे, दो साल में ये करेंगे, तीन साल में हम सारी गाड़ियों को सीएनजी में कर देंगे। पर अभी भी नहीं सारी नहीं हो रही है, धीरे–धीरे फेज वाइज हो रही हैं, वैसे आपको फेज वाइज आना चाहिए था। आप अचानक आ गए और उसका नुकसान ये हुआ की टीचर्स को समझ नहीं आया, पैरेंट्स को समझ नहीं आया, बच्चों को समझ नहीं आया, पाठ्य–पुस्तकों को लिखने वालों की समझ में नहीं आया कि क्या करें? लेकिन वाल्युमिनस है। 50 हजार, 60 हजार टीचर्स है, सारे मिला के एक लाख टीचर्स, 26 लाख बच्चे इतने सारे स्कूल इतना सारा स्टाफ कहीं कोई ट्रेनिंग और उस तरह की चीजें डवलप नहीं की गईं। छोटे–मोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम खारिज करके कोई लेके आये कि देखो जी, चार ट्रेनिंग प्रोग्राम तो इस रिकार्ड में हुए हैं। तो हम लोगों ने सरकार में आने के बाद ये सोचा कि पहले इसकी तैयारी की जाये। पहले शिक्षा का जो कोर इश्यू

है कि बच्चों का पढ़ाया कैसे जाए, उनका एक्जाम कैसे लिया जाए, ये कैसे तय किया जाये कि जो उनको पढ़ाया गया, उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लर्न हुआ कि नहीं हुआ। उसके नये तरीके डेवलप किये जाएंगे और उसको लागू किया जाएगा। इसके लिए हम नए सिरे से टीचर ट्रेनिंग भी डिजाईन कर रहे हैं यहां तक कि अभी मैं एश्योरेन्स के रूप में नहीं कहना चाहता लेकिन के शेयर करने का इच्छा है कि हम टीचर्स के लिए पाठ्यक्रम के साथ–साथ एक टीचर यूनिवर्सिटी भी सोच रहे हैं दिल्ली में या जो इक्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, उन्हीं को और काम्प्रेहेन्सिव बना के इस दिशा में लाया जाये कि नये युग की शिक्षा कैसे दी जाए? आज बच्चा सिर्फ अपने क्लास रूम में बैठे बच्चों के साथ आज कम्पीटीशन में नहीं है। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बच्चे के साथ काम्पीटीशन में है क्योंकि इण्टरनेट से जुड़ा हुआ है। टेक्नॉलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और उसकी जो लर्निंग है। वह सिर्फ क्लास से नहीं हो रही है। घर से हो रही है, टी.वी. से हो रही है, इन्टरनेट से हो रही है, अखबार से हो रही है, पियर लर्निंग चल रही है समाज में, क्लास रूम में। ये सब चल रही है। उसमें जो कुछ हम इस 'नो डिटेन्सन पॉलिसी' के तहत या इन सब किताबों के या एक चार घण्टे की विन्डों के तहत जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे है, वह तो बहुत सीमित है। चारों तरफ से लर्निंग होती है और बाकी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमने क्लास रूम का माहौल नहीं देखा तो पहले वो सब खड़ा करना पड़ेगा। 170 बच्चों वाली क्लास को 45–50 बच्चों वाली क्लास रूम में लाना पड़ेगा। पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, मुझे तो लगता है टीचर्स की ट्रेनिंग को भी नये सिरे से लिये जाने की जरूरत है। आज एक डाक्टर तैयार करने के लिए हम चार से छह साल लेते हैं, इन्जीनियर

तैयार करने के लिए चार से छह साल लेते हैं, एडवोकेट तैयार करने के लिए चार से छह साल होते हैं। एक टीचर तैयार करने के लिए हमने छह महीने का कोर्स चला रखा है, दो साल का कोर्स चला रखा है। कैसे होगा? जब डाक्टर को तो फिर भी शरीर का कोई अंग ठीक करना होगा। इन्जीनियर को हो सकता है कोई मशीन डेवलप करनी हो, ठीक करनी हो। टीचर को तो पूरा का पूरा इन्सान खड़ा करना है। उसका काम छह महीने! टीचर ट्रेनिंग छह महीने में कैसे हो सकती है? तो जो इक्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उनको भी कॉम्प्रिहेन्सिव ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकालें। उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि आज हम 'नो डिटेन्शन पालिसी' के लिए हम नये क्लास टीचर तैयार कर लिये है। अब आइये इसको लाते हैं। अब काम्प्रिहेन्सिव, नो डिटेन्शन तो एक शब्द यूज हुआ है। कॉम्प्रिहेन्सिव लर्निंग, कॉम्प्रिहेन्सिव एण्ड कान्टीन्युअस एक्जामिनेशन, इवैलुएशन उसका तरीका। तो जब तक ये नहीं होता और ये करना पड़ेगा। हम कमिटेड है इसके लिए। हम करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हम क्लास रूम के माहौल को बिगाड़े रखे? छठी में बच्चा फेल नहीं होगा, सातवीं में उसको नहीं रोका जाएगा, आठवीं में नहीं रोका जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये अचानक एक साल के अन्दर–अन्दर बच्चे के अन्दर वो कौन से हार्मोन्स बन जाते हैं। या उसकी कौन सी लर्निंग एक्सपर्टीज आ जाती है कि नवीं में फेल हो सकता है। नाईन्थ में फेल कर लेंगे। अब नाईन्थ क्लासेज ओवर बर्डन है। ओवर बर्डन। जब से ये 2011–2012, 2012–2013 वाला लॉट आना शुरू हुआ धीरे–धीरे ऊपर, मैथ की क्लासेज पर हालत खराब है। हम सारे विधायक जानते हैं और सब अफसर जानते हैं कि जब भी एडमिशन का समय आता है, नाईन्थ में फेल होने वाले बच्चों के पैरेन्ट्स दुखी होके घूमते हैं। एक शब्द

का संशोधन है। तो ये जरूरी है। क्योंकि ये क्यों रखा जा रहा है? क्यों ये संशोधन ला रहे हैं हम इसके लिए जरूरी है। तो नाईन्थ क्लास में बहुत प्रेशर है। उस प्रेशर को क्या हम कन्टीन्यू रखें? क्या हम छठी, सातवीं, आठवीं में उसी तरह का करें और बहुत रिसर्च हुई है इस पर। मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था नो डिटेन्सन पर। उसमें किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एनलासिस किया है। उसमें चार—पांच फैक्टर बताये कि एजूकेशन स्टैन्डर्ड नीचे गया, टीचर्स में थोड़ी लापरवाही आयी। पैरेन्ट्स में थोड़ी लापरवाही आयी। बच्चों के अन्दर भी लापरवाही आयी कि जब पास होना है तो फिर ध्यान देने की क्या जरूरत है। मैं बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं लेकिन काफी हद तक ये भी हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार 'राइट टू एजूकेशन' में ये बदलाव का बिल प्रस्तुत कर रही है और इस उम्मीद के साथ कर रही है कि हम बहुत जल्द एजुकेशन की पॉलिसीज को, एजुकेशन के तौर—तरीकों को बदलेंगे और बदल के वहां लेके चलेंगे जहां एक आदर्श शिक्षा प्रणाली की कल्पना करके उस तरफ लेकर चलेंगे। पर फिलहाल इसको बदल कर लाने की जरूरत है और हम सिर्फ इतना प्रस्ताव कर रहे है कि सरकार अगर चाहे, मतलब सरकार माने जो है क्लास रूम में अगर जरूरत पड़े तो उस बच्चे को रोका भी जा सके। इतने के लिए हम 'राइट टू एजूकेशन एक्ट' में एमेन्डमेन्ट करते हैं और ये प्रस्ताव मैं आपकी अनुमति से ये बिल सदन के समक्ष रखता हूं। धन्यवाद।

c/kkbZ iLrko ¼fu;e&114½

v/;{k egksn; % श्री अनिल वाजपेयी जी से मुझे एक धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अनिल वाजपेयी जी।

Jh vfuy oktis;h % माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उस शख्सियत के लिए कि अगर आप आजादी से लेके और आज तक का इतने वर्षों का उदाहरण देखें आप तो चाचा नेहरू के बाद अगर इस देश के अन्दर, इस देश के युवा, इस देश के वैज्ञानिक और इस देश के स्कूली बच्चे अगर किसी को याद करते हैं तो हमारे कलाम साहब को याद करते हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी भी है तथा मुझे मन में बड़ा दुख भी है और मैं समझता हूं वहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों को भी इस बात का दुख होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया और उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका जो बंगला था, वो खाली करा लिया गया और उनका सामान, उनके पैतृक घर में भिजवा दिया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। (व्यवधान)...अच्छी बात नहीं है। गुप्ता जी, इसमें आप भी सम्मिलित नहीं है।

v/;{k egksn; % एक सेकेण्ड। उनको रख लेने दीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % ये मिस यूज है सदन का। इस प्लेटफार्म का मिसयूज हो रहा है।

v/;{k egksn; % चर्चा का आपको समय मिलेगा। चर्चा का विषय आपको मिलेगा। समय मिलेगा। दो मिनट बैठिए। उनको अपनी बात रखने दीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % एजेन्डे पर चर्चा है जी। ये जो इश्यू है। ये इस समय क्या है? ये जीरो आवर है, क्या है ये? मैं ये जानना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % अभिनन्दन प्रस्ताव के लिए।

Jh fotUn xIrk % फिर इस तरह का मिस यूज नहीं है तो क्या है ये?

v/;{k egkn; % अभिनन्दन और शोक प्रस्ताव के लिए।

Jh fotUn xIrk % शोक प्रस्ताव थोड़ी न है ये।

v/;{k egkn; % मैं दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अभिनन्दन या धन्यवाद अथवा शोक प्रस्ताव। इसके लिए कभी भी कोई सदस्य दे सकता है। उसी के अन्तर्गत उन्होंने दिया है।

Jh fotUn xIrk % पहले मूव तो करेगा या ऐसे ही खड़े होकर धन्यवाद करना शुरू कर देगा, कुछ भी।

v/;{k egkn; % नहीं, मूव किया है उन्होंने।

Jh fotUn xIrk % बताइये कौन से सेक्शन में मूव किया है उन्होंने। हमें भी कापी मिलनी चाहिए उसकी। बताइये।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आपको चर्चा का समय मिलेगा। विजेन्द्र जी, लॉ बुक ले लीजिए। पृष्ठ संख्या 43। एक सेकेण्ड रुक जाईये भाई। ऐसे नहीं। रूल बुक का पेज 43 बोला मैंने। हाँ 114। मैंने आपको बताया मुझे जबानी याद है। बुक मैं आपको दे रहा हूं। बिना सूचना दिये प्रस्ताव। यदि अध्यक्ष अनुवज्ञा दें तो निम्नलिखित प्रस्ताव बिना सूचना के लिए जा सकेंगे। संवेदना या बधाई प्रस्ताव। बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव। ये आ सकते हैं बिना सूचना दिये भी।

Jh fotUn xIrk % न तो इसमें बधाई है और न ही कोई कन्डोलेन्स है। (व्यवधान) एक तो बीजेपी के बारे में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं आप।

v/;{k egkn; % उनकी बात तो पूरी सुन लेने दीजिए। उनकी पूरी बात तो सुन लेने दीजिए। देखिए, विजेन्द्र जी। उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। फिर आपको समय मिलेगा।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, आपने अनुमति दी है न। उन्होंने आपको लिखित में कोई बात दी है। (व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड रुकिये। विजेन्द्र जी, सोमनाथ जी, एक सेकेण्ड। मेरी बात सुनिये। अभी चाय ब्रेक में वो मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बधाई सन्देश देना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % अनिल जी एक बार दोबारा से बधाई संदेश है नेता विपक्ष की बात मानकर वहां से शुरू कर दीजिए।

Jh vfuy oktI;h % मैं आदरणीय कपिल मिश्रा जी को इस बात की बधाई देता हूं और जिन्होंने वो अग्रणी कदम उठाया है और एक बहुत अच्छी पहल की है मैं माननीय गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा विषय है जो राजनीति से ऊपर उठकर आपको कम से कम हमारे साथ खड़े होना चाहिए...(व्यवधान) आप भाजपा के लोगों ने आपके लोगों ने ही कलाम साहब को ...(व्यवधान)।

v/;{k egkn; % अनिल जी, आप विषय पर आ गए हो विजेन्द्र जी वो बता तो रहे है, आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे। समझ गए कि विषय

क्या है? विजेन्द्र जी आप समझ गए हो विषय क्या है? बिल्कुल समझ गए हो। आप बहुत समझदार है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अब्दुल कलाम जी नाम लिया है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए विषय क्या है और कपिल मिश्रा जी का अखबारों में बहुत स्टेटमेंट आया है। अभी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बैठ जाइए प्लीज।

Jh vfuy okti;h % एक बार में कपिल जी को दुबारा बधाई देता हूं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % शांत हो जाइए, देखिए बहुत ज्ञान का विषय है ये।

Jh vfuy okti;h % आज जो कलाम साहब की जो किताबें थीं और उनके जो पैन थे, उनका जो सामान था, जिस तरीके से उनके पैतृक गांव भाजपा के लोगों ने भिजवा दिया। आज कम से कम कपिल जी उसको लाने में सफल हुए है, मैं चाहूंगा सब लोग धन्यवाद करें और आप लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए और एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम इस सदन में ले रहे है जो आज देश के अन्दर नेशन इन्टीग्रेशन कॉमन हारमोनी का जनक माने जाते है जो मिसाइल मैने माने जाते है। आज गर्व होना चाहिए, आज उनकी डेथ के बाद देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों ने उनको सलाम किया है और आपको भी सलाम करना चाहिए। ये मेरा भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। कुछ बातें ऐसी होती है और जिस तरीके से आज इस देश के अन्दर कितने नेताओं के मकान है, क्या वो आज तक खाली कराए गए?

v/;{k egkn; % वाजपेयी जी, आप मेरी ओर देखकर बात करें।

Jh vfuy oktis;h % आज बहुत से राजनेताओं के मकान हैं, जो उनकी डेथ के बाद भी खाली नहीं हुए सर ये। जब उनके मकान खाली नहीं कराए गए तो कलाम साहब का मकान क्यूं खाली कराया गया? मैं तो आपके सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव भेजकर इस देश के राष्ट्रपति को भेजा जाए कि कलाम साहब की स्मृति में उस कोठी को खाली न कराया जाए और उनका स्मारक वहां पर बनाया जाए, ऐसी हम लोगों की मांग है और मैं चाहूंगा कि सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके इस देश के राष्ट्रपति डा. प्रणवमुखर्जी साहब को भेजेंगे। मैं पुनः कपिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई आपको।

v/;{k egkn; % हां, मैं आपको समय दे रहा हूं सोमनाथ जी। पहले विजेन्द्र जी को बोल लेने दीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं वाजपेयी जी के प्रस्ताव में कुछ जोड़ना चाहता हूं मैं चाहता हूं केन्द्र सरकार को भी बधाई भेजी जाए कि उन्होंने तुरन्त अब्दुल कलाम जी के नाम से एक सड़क का नामकरण किया और बहुत दिक्कत आने के बावजूद भी आज ऐपीजे अब्दुल कलाम रोड जो केन्द्र सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो पूरी दिल्ली को और देश को जोड़ती है, उसका नामकरण किया है और...

v/;{k egkn; % उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी पहले ही बधाई दे चुके हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % क्योंकि आगे बधाई दी जा रही है।

v/;{k egksn; % ये तो विषय दूसरा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी।

Jh fotsUnz xqIrk % और दूसरा क्या करने के लिए?

v/;{k egksn; % नहीं, कुछ नहीं आप बोलिए। विजेन्द्र जी कुछ नहीं आप बोलिए।

Jh fotsUnz xqIrk % दूसरा, मेरा कहना है कि इस तरह के प्रस्तावों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये महान पुरुषों से जुड़ा हुआ मामला है और अब्दुल कलाम साहब होते तो शायद उनको दुख होता कि दिल्ली की असेंबली में उनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो इनका मूल प्रस्ताव था कि कपिल मिश्रा जी को बधाई देने का और उसमें जो बात पोजिटिव हमने जोड़ी है, पोजिटिव में पोजिटिव जोड़कर उसको पारित किया जाए। लेकिन जैसे ही ये खाली करा लिया, भर दिया, ये बोल रहे है ये राजनीति से प्रेरित है। ये ठीक नहीं है। तथ्य आपके पास नहीं है। जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर आप हर चीज में से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोड़कर चलेंगे तो वो भी सही नहीं है।

v/;{k egksn; % सोमनाथ भारती जी। देखिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसमें गंभीरता दिखाएं प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय,

v/;{k egkn; % वो अनिल जी आपकी बात पूरी हो गयी? अब सोमनाथ जी को उत्तर देने दीजिए प्लीज। सोमनाथ जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी अनिल जी जो प्रस्ताव लेकर के आए है उसका मैं तहेदिल से, दिल की गहराईयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारी सरकार ने हमारे मंत्री श्री कपिल जी ने जो ये महान कार्य किया है आने वाले समय में पूरे दिल्लीवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विजेन्द्र जी कह रहे थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता ने कहा। विजेन्द्र जी इसको बुरा मत मानियेगा। जो तथ्य है, वो तथ्य है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी आपको कोई टोक नहीं रहा था। विजेन्द्र जी, चर्चा हो रही है प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh % लेकिन अगर आप उनकी तरफ से आज माफी मांग लें।

v/;{k egkn; % भई सोमनाथ जी आप चर्चा को डायवर्ट मत करिए। बिल्कुल डायवर्ट मत करिए। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी मत करिए। आप अपनी बात रखिए।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, ऐसी शख्सियत को सबको सलाम करना चाहिए। देखिए मैं उनको पर्सनली जानता था आईटी के दिनों से। मुझे

मालूम है किस तरह के वो इंसान, सब कुछ एक तरह के इंडीकेटिवली अगर आप देखें उनकी जिंदगी को, उनसे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा जो बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा था विजेन्द्र जी आपने बोल लिया। जब मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % वो अनिल जी ने बोला आपने सुना नहीं। अनिल जी ने फिर बोला है एक सेकेण्ड सोमनाथ जी। महेन्द्र जी, एक सेकेण्ड रुकिए। देखिए विजेन्द्र जी, उन्होंने बोला था भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, ये बात उन्होंने बोली है उसके बावजूद भी उनका सामान उठाकर बाहर किया गया, ये उन्होंने बोली है

...(व्यवधान)

Jh fufru R;kxh % अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा दो मिनट का प्रस्ताव है। वो विजेन्द्र जी की कुर्सी से लेकर उनकी टेबल तक खड़े होने का जो मार्ग है उसे विजेन्द्र गुप्ता लेन के नाम से वो जाना जाए। जितनी बार वो उससे गुजरते है एक दिन में।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जिनको सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है उनकी नीतियों के कारण। उन्होंने भी कहा था माननीय मोदी के बारे में राजधर्म का पालन करना चाहिए।

वाजपेयी जी की बीजेपी से, मोदी जी की बीजेपी की जो यात्रा है, वाजपेयी जी उनको लेकर आए थे राष्ट्रपति भवन और मोदी जी की बीजेपी उनको सड़क पर ले आयी। आज वो घर अगर एक प्रेरणा स्रोत की जगह बनता स्मारक बनता या कोई ऐसा इन्सटीट्यूशन बनता जो ग्रेट लर्निंग बनता। जहां पर उनकी किताबें, जो उनकी लिखी गई किताबें हैं, जिस तरह से उन्होंने जिन्दगी को जिया। एक

संत के तरह उन्होंने जिन्दगी को जिया। हम में से जिन–जिन को मौका मिला हमारे मनीष भाई भी गए थे, अरविन्द जी भी गए थे मिलने के लिए। उनका आखिरी भाषण, मैं बधाई देता हूं। दिल्ली सरकार ने आखिर भाषण जो टीचर्स का प्रेरणा का स्रोत है, वह उन्होंने किया। ये बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। इस में कोई राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। मुझे याद है कि ये बात हुई थी उस वक्त कलाम साहब की आंखें भी नम थी। तो आज दिल्ली सरकार कपिल भाई अनिल बाजपेयी बधाई के पात्र है इन्होंने जो दिल्ली से उनकी विरासत मिटाने का प्रयास किया गया, उसको वापिस लेकर आए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक सड़क उनके नाम से करके सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। अरे भई जो प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, उनकी किताबें, उनकी रचना, वो बच्चों को भी दिखें। टीचरों को मिलें। सब देख पाएं, सब पढ पाएं। यह बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि आज जो चीज मिटाने का प्रयास किया गया उसको कपिल भाई के जरिए, दिल्ली सरकार के जरिए बसाने का प्रयास हो रहा है। बहुत–बहुत बधाई।

v/;{k egkn; % जरनैल सिंह जी। जरनैल जी आपने हाथ उठाया था।

Jh tjuSy flag ¼राजौरी गार्डन½ % मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं खास कर कपिल मिश्रा जी का। एक डिफेंस कॉरसपोंडेंट के तौर पर भी जब भी काम करता रहा तो कलाम साहब से मुलाकात का मौका भी मिलता रहा और डीआरडीओ में किस तरह से उन्होंने काम किया, ये जानने का मौका भी मिला। किस तरह से अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, आकाश मिसाइल हो किस तरह से काम किया वो पक्ष भी जानने का मौका मिला। साथ के साथ

वो एक संत भी थे। जीवन उनका कैसा था, देश के लिए था और एक ऐसे व्यक्ति को वाकई आज के समय में खास कर जब देश में कहा जा रहा है कि इनटॉलरैन्स बहुत बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है। मुझे लगता है कि वो देश की सहिष्णुता के प्रतीक थे। उस प्रतीक को सम्मान देने का काम जो दिल्ली सरकार ने किया। मैं बहुत—बहुत बधाई देता हूं।

v/;{k egksn; % बस अन्तिम है ये।

Jh _rq jkt xksfoUn % क्योंकि डा. कलाम की बात हो रही है। बहुत—बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी का जिन्होंने कि इतना अच्छा काम किया और हम लोग तहे दिल से सराहना करते हैं और एक प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं इस सदन के सामने क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ, महात्मा गांधी जी का फोटो है और भी बहुत बड़े नेताओं के फोटो हैं, सुभाष चन्द्र बोस वे सभी लोग जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कभी न कभी तो इसी विधान सभा परिसर में क्यों एक डा. अब्दुल कलाम जी का भी एक फोटो हो, क्योंकि सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत है। हम नौजवानों के, इस देश के बच्चों के और आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा के स्रोत है। तो मेरा यह प्रस्ताव है इस सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये पॉसिबल हो तो हम सब लोग आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। ये चीज में रखना चाहता हूं, अगर आप सभी सदस्यों की मर्जी हो तो। धन्यवाद।

Jh lkseukFk Hkkjrh % ये 10, राजा जी मार्ग एक तरह से तीर्थाटन बन गया है। हर आदमी जिसको प्रेरणा चाहिए होती थी, चले जाया करता था। आज 10 राजा जी मार्ग xxxxxxx जिसने...

---

[1]xxxxचिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। आप विषय की गंभीरता को। आपने स्वयं कहा राजनीति में नहीं जोड़ें। प्लीज बैठ जाइए। मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रहा। मैं इस विषय को लेकर सोमनाथ जी बैठ जाइए। ये सोमनाथ जी ने जो बाद में बोला है xxxxxxxx ये हटा दीजिए। ये शब्द में निकाल रहा हूं। मैं इतने पवित्र व्यक्ति की इस चर्चा में यह नहीं जोड़ना चाहता। सोमनाथ जी बैठ जाइए प्लीज। सोमनाथ जी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज बैठिए। नहीं प्लीज बैठिए। नहीं। आप बैठिए। मैंने निकलवा दिये ये शब्द अमानतुल्लाह जी बैठिए। प्लीज बैठिए। अमानतुल्लाह जी बैठिए। अमानतुल्लाह जी बैठ जाइए प्लीज। मत लेकर जाइए इसको राजनीति में। सोमनाथ जी बैठिए।

...(व्यवधान)...

अमानतुल्लाह जी बैठिए प्लीज। अरे भैया छोड़ दीजिए इस विषय को अमानतुल्लाह जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं इस पर, अगर ये कार्य दुष्कार्य नहीं हुआ होता आज आपको सदन में चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। ये सौभाग्य है आपका। आप उसके लिए स्थान दे रहे हैं। बैठ जाइए।

Jh vt; nÙk % डा. साहब इस दुनिया में अपने काम की वजह से जाने जाते थे न वो अपनी किसी कास्ट की वजह से जाने जाते थे। एक ऐसे महान व्यक्ति के स्मारक बनाने के विषय में जो प्रश्न हमारे सदस्य उठा रहे हैं, बहुत ही इम्पोरटेंट है और मैं अपने बचपन का किस्सा बताता हूं जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बताया गया कि डा. कलाम साहब हैं कोई। तो मुझे

ये नहीं समझ आया कि वो किसी जाति या धर्म से लिंक हैं। मैं डा. साहब से दो बार मिला एक बार कोलकत्ता में उनका भाषण सुन रहा था और वो उनके गार्ड के साथ जा रहे थे और सडनली मैंने उनसे हाथ मिलाया उन्होंने कहा कैसे हो बच्चे और वो चले गए। एक बार बंगलौर में मिलने का मौका मिला। तो उनको इस युग का महान पुरुष बताया जाता था और कहा जाता था और उनके बारे में जो मैंने एक पर्सनली उनके एक बहुत पुराने मित्र हैं, जो चैन्नई में अभी भी जीवित है, उनसे मिलने का मौका मिला उन्होंने कहा कि वो कम खाते थे, कम सोते थे और कम जगह में रहते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति का इस हमारी विधान सभा में जो एक जितने हमारे महान स्वतन्त्रता सेनानी और महान पुरुष हैं, उनका चित्र लगाने का जो विषय जो हमारे ऋतुराज भाई ने उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि इस पूरी इस प्रस्ताव का बाजपेयी जी ने एक हमारे बीजेपी के वाजपेयी थे, उन्होंने उनको सम्मान दिया। दूसरे हमारे वाजपेयी है, उन्होंने भी एक सम्मान का विषय उठाया। मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई राजनीति न हो और उनका गर्व से स्मारक बनाया जाए। इसके पक्ष में सभी हमारे सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि वो अपना समर्थन जताएं और एक बार जोरदार बैंच थपथपाकर अपना समर्थन जताएं और हमारे कपिल भाई को भी धन्यवाद दें कि उन्होंने उनका सामान जिसे कोई वैल्यू न समझ करके उन्होंने वापिस भेज दिया गया था, उन्होंने मंगाया। इस महान व्यक्ति को हम शत–शत नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % कपिल जी चर्चा में उत्तर दें। इससे पहले दो शब्द

मैं भी मन की भावनाएं रखना चाहता हूं सदन के सामने। विजेन्द्र जी ने जैसा कहा ये एक ऐसा व्यक्तित्व था, जिसको देश नहीं, विदेशों में पहचान बनने का अवसर अटल विहारी वाजपेयी जी ने दिया और वे जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे, उस वक्त सभी दलों ने उसका समर्थन किया। केवल वामपंथी दलों ने छोड़कर। छोटे से छोटा दल भारत का सारा सदन, पूरी की पूरी संसद समर्थन में लगी थी और ऐसा व्यक्तित्व आया। वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नेहरू के बाद बच्चों में वो लोकप्रिय हुए। वैज्ञानिक जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनमें लोकप्रिय हुए। उनके घर पर बच्चे अध्ययन के लिए जाते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व अब्दुल कलाम थे जिनके घर में गीता भी थी, जिनके घर में रामायण भी थी, जिनके घर में कुरान भी थी, जिनके घर मे बाईबल भी थी। और वो अध्ययन करते थे गीता का। वो अध्ययन करते थे रामायण का भी। ऐसा व्यक्तित्व। ये दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, दिल्ली वासियों का विशेष तौर पर कि उनका सामान भेजा गया। कपिल जी से मैंने चर्चा की, वो आए थे, मेरे चैम्बर में आये। जब अखबार में मुझे पढ़ने को मिला कि कपिल जी ने ऐसा निर्णय लिया है। मेरी चर्चा हुई, मैंने कपिल जी से कहा कि उनका सामान सुरक्षित रहे, तब तक आप स्थान ढूंढे, कोई बनाये। मैं विधान सभा में जहां आप पैक करके ला सकते हैं उसको लायें। सुरक्षित स्थान हम आपको उपलब्ध करायेंगे। यह कपिल जी से मेरी चर्चा हुई है। यह व्यक्तिगत मेरी चर्चा थी, लेकिन मंजूरी तो इस सदन से लेनी पड़ेगी। एक प्रस्ताव अभी आया है, इस सदन में उनका बहुत सुंदर चित्र लगे, मैं इस प्रस्ताव पर आप सब की राय चाहता हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ।

राजनीति से ऊपर उठकर पारित हुआ। बहुत–बहुत बधाई। दूसरा, जो मैंने बात कही है कि जब तक कपिल जी को कोई उचित स्थान, बनाने में समय लगेगा, जैसा उनके परिवार के लोगों को बयान अखबार में पढ़ा कि सामान की दुर्गति हुई है, वहां जिस ढंग से भेजा गया है। किताबें, पुस्तकें वो सुरक्षित रूप में यहां लाना चाहे, सदन में कोई कमरा, इस विधान सभा के प्रांगण में एक कमरा, दो कमरा कुछ भी करना पड़े हम खाली करके उनका सामान यहां सुरक्षित रखेंगे, देखभाल रखेंगे और इसकी भी अगर कपिल जी चर्चा में लेंगे यह विषय तो सदन की इजाजत उसके बाद मैं ले लूँगा। कपिल मिश्रा जी।

i;Vu e=h ¼Jh dfiy feJk½ अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और इस सदन का धन्यवाद जो चर्चा यहां पर हो रही है। जब यह सुनने को मिला था कि 31 अक्टूबर की एक डेडलाइन दी गई है, 10, राजाजी मार्ग को खाली करने के लिए तो ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। यह बात बार–बार इस सदन में कही जा रही है कि ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे विषय को राजनीति से दूर रखना चाहिए लेकिन मेरा मानना है कि हम किसको याद करेंगे और किसको भूला दिया जायेगा। किसका स्मारक बनेगा और किसका नहीं बनेगा, किसकी समाधि बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसको इतिहास में पढ़ाया जायेगा, किसको नहीं पढ़ाया जायेगा, ये सारे फैसले राजनीतिक होते हैं। जब यह निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर से

पहले—पहले 10, राजाजी मार्ग को खाली करा लिया जाये तो वो भी एक राजनीतिक निर्णय था। एक युवा राजनेता होने के नाते मुझे यह लगा कि यही शायद, हमारे बच्चे आगे क्या पढ़ेंगे, दिल्ली में आने वाले लोग क्या देखेंगे, इस मुद्दे पर एक राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय होना बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर, इसीलिए एक संस्था है www.change.org उस पर एक पेटिशन डाली लोगों ने। पेटिशन में लिखा गया कि इस प्रकार से सामान खाली नहीं कराना चाहिए, उनकी यादों को संजो कर रखना चाहिए, वहां चार हजार किताबें हैं, एक वीणा है और बहुत सारा सामान जो उनसे जुड़ा हुआ है, उस वक्त जो अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे उसके पेपर हैं, तो मैंने उस वेबसाइट पर जाकर उस पर साइन किया पेटिशन पर, एक आम नागरिक होने के नाते साइन किया। कुल 32 हजार लोग इस पेटिशन पर साइन कर चुके हैं। उसके बाद यह निर्णय, उन लोगों ने आपस में जो पेटिशन साइन कर रहे थे, उन्होंने उसमें दिल्ली सरकार को भी एक पक्ष बना लिया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने वो पेटिशन एड्रेस की हुई है और दिल्ली सरकार को भी वो पेटिशन एड्रेस की हुई है और यह देखना था उन लोगों को जो देश का आम नागरिक पूरे देश के लोग उसमें साइन कर रहे थे कि क्या कोई जवाब देगा। www.change.org की तरफ से एक जवाब भी आया मेरे पास कि देश के इतिहास में ऑनलाइन पेटिशन पर जवाब देकर किसी डिसिजन मेकर ने कोई निर्णय लिया हो, यह भी पहली बार हुआ है। मैं कलाम साहब से तब मिला था, जब 2006 में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे थे और युवाओं का एक आंदोलन इस शहर में चल रहा था, तब एक ई—मेल भेजी थी बस कलाम साहब को और उसका अगले दिन जवाब आ गया था देश के राष्ट्रपति

महोदय की तरफ से और फिर मिलने के लिए भी बुलाया गया। तब से लेकर अब तक हम सब लोग सीखते आये हैं, समझते आये हैं और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा गीता और कुरान एक साथ पढ़ने वाला व्यक्ति जब भारत के शीर्षस्थ पद पर बैठा तो शायद जैसे हिंदुस्तान की कल्पना कभी आजादी के लिए लड़ने वालों ने की होगी, ऐसा लगा कि साकार होने लगी है। आज रामेश्वरम में वो जो सारा सामान है, वहां उनके परिवार के पास जगह नहीं है, उस सामान को रखने के लिए और बड़ा बारिश और तूफान का माहौल है वहां पर। कलाम साहब के परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और एक सी.सी. करके कॉपी एक पत्र मुझे भेजा गया और उस पत्र में उन्होंने यह कहा कि अगर दिल्ली सरकार कलाम साहब के सारे सामान को, यादों को संजो कर रख सकती है और अगर एक नॉलिज सेंटर, एक ज्ञान केन्द्र दिल्ली में बनाये, जहां पर लोग न केवल कलाम साहब को समझे, पढ़े, देखें बल्कि और अगर कोई अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए भी उनके पास सुविधाएं हों, तो वो कलाम साहब के सारे सामान को दिल्ली सरकार को देना चाहते हैं। यकीन मानिये जिस दिन कलाम साहब के परिवार से वो पत्र प्राप्त हुआ, शायद जब से मंत्रालय संभाला है, उससे ज्यादा गर्व का कोई दूसरा दिन नहीं था। बहुत ही ज्यादा गर्व का अनुभव हुआ। हमने अपने मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जो कलाम साहब के परिवार में संपर्क में हैं, उनकी सुविधा के अनुसार हमारे अधिकारी वहां जायेंगे रामेश्वरम और सभी सारे सामान को लेकर दिल्ली आयेंगे। आपने जो प्रस्ताव दिया है, आपसे मेरी चर्चा हुई थी क्योंकि जब तक दिल्ली में कोई जगह निश्चित न हो जाये, नॉलिज सेंटर बनाने की, तब तक ऐसी जगह रखनी है, जहां देश भर से लोग आ सके और देख सकें। हमारे पास एक जगह है दिल्ली हॉट

में, वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जिविशन वहां पर लगा सकते हैं और दिल्ली विधान सभा का अगर स्थान मिलता है तो शायद उससे ज्यादा ऐतिहासिक कोई और शुरूआत नहीं हो पायेगी। आपने यह जो प्रस्ताव किया है, मुझे यह लगता है कि अगर ऐसा सम्भव हो पाये और सदन अनुमति दे तो एक ऐतिहासिक पल होगा, जब कलाम साहब की यादें दिल्ली विधान सभा के प्रांगण में हों और लोग उसको देख पायें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत—बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मुझे लगता है कि कलाम साहब केवल दिल्ली के नहीं है, पूरे देश के हैं और जब कोई पूरी दुनिया से भी आता है दिल्ली तो वो समझना चाहता है कैसा देश है, कलाम साहब का एक अच्छा सा नॉलिज सेंटर दिल्ली में हो, उनकी यादें संजो कर रखी जाये। मुझे लगता है इतिहास में यह नाम जाये और राजनीतिक रूप से ऐसा एक दृढ़ संकल्प लिया जाये कि कलाम साहब की शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। यह बहुत जरूरी था। आज के इस प्रस्ताव के लिए इस सदन का बहुत—बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जयहिंद।

v/;{k egkn; % कपिल जी का जो विषय है, जब तक स्थाई नॉलिज सेंटर कलाम जी के नाम से नहीं बन जाता, तब तक उनका सामान विधान सभा के दो कमरे, तीन कमरे जितनी आवश्यकता होगी, हम सब उसमें सहयोग करेंगे। यह प्रस्ताव आपके सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

यह प्रस्ताव पारित हुआ।

जरनैल जी कुछ कहना चाहते हैं।

Jh tjuSy flag ¼रा.गा½ % अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में हूँ, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश जरूर है कि कलाम साहब का सामान, उनकी पुस्तकें वहीं होनी चाहिए, जहां पर एक आम नागरिक बिना किसी रुकावट के जा सकता हो। विधान सभा वो जगह नहीं है, यहां पर अस्थाई तौर पर जाये। स्थाई तौर पर न रखा जाये।

v/;{k egksn; % मैंने अस्थाई कहा है। मैंने कहा जब तक कपिल जी, मैं फिर दोहरा देता हूं, अस्थाई शब्द जोड़ लें उसको। जब तक कपिल जी स्थाई रूप से नॉलिज सेंटर कलाम जी के नाम से नहीं निर्मित कर पाते, तब तक अस्थाई रूप से वो सामान सुरक्षित यहां रखेंगे। सोनी जी, चर्चा हो गई।

Jh fxjh'k lksuh % अध्यक्ष जी, उनके घर को, जहां वो रहते थे, उनके घर को नहीं बनाया जा सकता स्मारक?

v/;{k egksn; % नहीं, वो विषय ही खत्म हो गया। सोनी जी, आप कमाल कर रहे हैं। अब कहां बैठे हैं? वो विषय खत्म हो गया। फिर वही बात हो गई सोनी जी। प्लीज।

तो पुनः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है एक बार पुनः हां कहे,

जो इसके विरोध में है वो ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

xSj ljdkjh lnL;ksa ds ladYi

कपिल जी, मैं इससे एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे सदन के एक विधायक को, जिसको आप चाहे उस कमेटी में जो तीन अधिकारी आपने दिए हैं, ताकि किताबों को सुरक्षित रखा जाए, देखभाल ठीक से हो सके, एक विधायक को और उस कमेटी में जोड़ दीजिए। ये आप स्वयं जोड़ लीजिए, किसी भी एक विधायक को।

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, अगर सदन की अनुमति हो और आपकी अनुमति हो तो क्या हम सदन की जो इस वक्त फीलिंग है, क्या कम्युनिकेट नहीं कर सकते सैंट्रल गर्वमेंट को कि 10 राजाजी मार्ग को रेस्टोर किया जाए। अगर सदन चाहता है...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % सोमनाथ जी, जब सदन पास कर चुका है, हमने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हम जा रहे है, हम क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं, नहीं सोमनाथ जी बैठिए, प्लीज...(व्यवधान)...

Jh lkseukFk Hkkjrh % लेकिन अगर 10 राजाजी मार्ग को रेस्टोर किया जाए। सदन आपके जरिए इस बात को कम्युनिकेट करता है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % अब बैठिए, सोमनाथ जी बैठिए, नहीं सोनी जी बैठिए प्लीज, सोमनाथ जी बैठिए, प्लीज। आज शुक्रवार है। समय जितना है उसमें लिमिट में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प। भावना गौड जी उपस्थित नहीं है। श्री सोमनाथ भारती जी निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन संकल्प करता है कि ‘‘केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए कि वे दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

पर स्कूल के लिए निर्धारित भूमि को भारतीय जनता पार्टी को देने के निर्णय को वापस ले और वहां पर डाक्टर ए.पी.जे.अब्दुल कलाम की स्मृति में स्कूल बनाया जाए।'' श्री सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। ये एक coincidence ही लग रहा है कि पीछे भी अब्दुल कलाम जी की बात कर रहे थे और उस को कन्टिन्यू करना पड़ेगा। जब ये, पीछे भी चर्चा में ये विषय रहा। डी.डी.ए. की मीटिंग में भी ये विषय उठाया गया। वो डी.डी.ए. के मिन्टस मैं लेकर आया हूं। जिसमें कि ये फैसला हुआ था, कि लाया गया था, कि किस तरह से भाजपा की जो दिल्ली इकाई है, उस एक स्थाई ऑफिस यहां पर दिया गया। मैं कुछ तथ्य उस मिन्टस एजेंडा से सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसमें जो डेटस है, बड़ी इन्ट्रस्टिंग हैं। क्या ऐसे डेटस, इस तरह की प्रोसीडिंग्स, इस तरह के प्रोसेस, इतने फास्ट आज तक कभी किसी और काम में हुए कि नहीं हुए, ये सदन के सामने मैं रखना चाहता हूं। इसका बेकग्राउण्ड ये है कि 19.12.2014 को एलएनडीओ ने एक मेमोरेन्डम इश्यू किया और उसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमैन्ट को भेजा गया। 19.12.2014 को इश्यू किया और 19.12.2014 को ही भेज दिया और 19.12.2014 को ही मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमैन्ट को उसी दिन मिल गया जिस दिन भेजा गया, इसमें स्पीड देखिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमैन्ट ने 19.12.2014 को ही डी.डी.ए. को रिक्वेस्ट भी कर दिया तो ये दिन डिपार्टमेंट्स, जो देश के बड़े–बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों ने एक ही तारीख में ट्रान्जेक्शन को कम्पलीट किया। उसके बाद डी.डी.ए. ने 24.06.2015 को, उसके बाद 29.07.2015 को उसकी इन्फार्मेशन भेजी। ...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % छह महीने बीच में डिले है, उसका तो बताओ। . ...(व्यवधान)...

Jh lkseukFk Hkkjrh % बता रहे है ना। बता रहे है, आप रुक तो जाओ। ये जो छः महीने का जो बता रहे है विजेन्द्र गुप्ता जी, वैसे तो आपको अध्यक्ष के माध्यम से मुझे संबोधित करना चाहिए। आप डायरेक्टली बात कर लेते है...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी अधिकार देते है...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % मैं तो अधिकार दे रहा हूं आप बताइये, मैंने कहा वो चर्चा कर लें, उसके बाद आपको समय दूंगा चर्चा के लिए। वो विषय रख रहे है, चर्चा में आप भाग लीजिए।

Jh lkseukFk Hkkjrh % ये जो छः महीने का डिले इसलिए हुआ, कि चुनाव दिल्ली का उस वक्त चल रहा था और आप बहुत बिजी हो गए थे। फरवरी 2015 को दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आउट हुआ और चार महीने आप उसके, उसका जो शॉक लगा आपको, उस शॉक से उबरने में आप लगे रहे तो छः महीने ऐसे गुजरे आपके। अब उसके बाद की जो कार्यवाही है, उसको मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया कि एक लैंड इनके पास ऑलरेडी अलोटेड था। Plot No. 4 & 5, Kotla Road, New Delhi was already allocated to Delhi BJP State Unit, उसको बदलकर, पता नहीं क्यों बदला गया? क्योंकि किसी भी रिपार्ट में मैं डी.डी.ए. का मैम्बर भी हूं। वहां भी मैंने डिमांड की थी कि कोई फिजीबिलिटी स्टडी हुई क्या? क्योंकि मुद्दे की बात इसमें ये है। अध्यक्ष महोदय, जो लैंड दिल्ली भाजपा को एलाट की गयी, वो

नर्सरी स्कूल के लिए चिन्हित थी। नर्सरी स्कूल के चिन्हित लैंड को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? ऐसी क्या आन पड़ी और उसका परपज भी बड़े इन्ट्रेस्टिंग सा है। आज सदन जाने कि क्या–क्या हो रहा है, डी.डी.ए. में। चूंकि डी.डी.ए. अभी मूलभूत तरीके से भाजपा के पास है तो भाजपा कुछ भी कराए जा रही है वहां पर। अब अध्यक्ष महोदय, ये जो लैंड है जो दी जा रही है, ये तो आलरेडी नर्सरी स्कूल के लिए चिन्हित है लेकिन उसके अगल बगल में दोनों तरफ स्कूल्स ही हैं। अब दो स्कूलों के बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बनेगा और उस पॉलिटिकल पार्टी के आफिस में किस–किस तरह के लोग आएंगे और किसी तरह का प्रभाव बच्चों पर डाला जाएगा, इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए। 24 घंटे बाजे बजेंगे, होर्डिंगस लगेंगे तो वो जो दोनों तरफ स्कूल हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर क्या गुजरेगी?

तीसरी और जो बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार ने कई बार डी.डी.ए. से डायरेक्टली भी और एल.जी. साहब के माध्यम से भी स्कूलों के लिए, अस्पतालों क लिए जगह मांगने का बहुत प्रयास किया। मैं उस दिन डी.डी.ए. की मीटिंग में वो सारे रिक्वेस्ट लैटर ले गया था और कहा था कि ये जो लैटर्स माननीय मुख्यमंत्री ने लिखे हैं, जो डिपार्टमेंट्स ने लिखे हैं, इसका जवाब कब मिलेगा? इसके एवज में लैंड कब मिलेगी? दिल्लीवासियों की एजुकेशन की चिंता करनी है या दिल्ली भाजपा को ऑफिस देना है? मैंने ये भी कहा कि दिल्ली भाजपा के पास माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष है, ओ.पी. शर्मा जी जो इस वक्त नहीं हैं, वो इनके उप–नेता है और एक वो सचेतक है। मैंने कहा तीन तो आदमी है आप, आपको हमने विधान सभा में काफी जगह दे रखी है कितनी बड़ी जगह चाहिए आपको और इसमें एक रिपोर्ट जो डी.डी.ए. ने दाखिल की

वो भी बड़ी इन्ट्रेस्टिंग है। इसमें लिखा है what is the public purpose ...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % सर, कोरम पूरा नहीं है सदन में।...(व्यवधान)...कोरम पूरा नहीं है, ये मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है, ये हाउस को एडजार्न किया जाए। कोरम पूरा नहीं है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % बैठिए, दो मिनट बैठिए। विजेन्द्र जी मैं अपनी बात बोल रहा हूं, कोरम पूरा हो गया।...(व्यवधान)...राजेश जी मेरी बात सुनिए, जरनैल सिंह, राजेश जी, महेन्द्र जी बैठिए आप। मैं एक बात कह रहा हूं।

...(व्यवधान)...

ये चीफ व्हिफ की जिम्मेदारी है, विजेन्द्र जी दो मिनट रुक जाइये ...(व्यवधान)...विजेन्द्र जी आप दो मिनट रुक जाइये, विजेन्द्र जी मैं कह रहा हूं दो मिनट रुक जाइये। बैठिए महेन्द्र जी। ये कोरम पूरा रहे सदन का ...(व्यवध ाान)...महेन्द्र जी बैठ जाइये प्लीज। मुझे परेशानी हो रही है इस चीज से। नहीं ऐसे नहीं, नहीं, आप बैठ जाइये, मैं बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगा। आप बैठ जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)...

प्रवीण जी, प्रवीण जी देखिए मैं कहना चाह रहा हूं माननीय सदस्यों से सदन में कोरम पूरा हो, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे चीफ ह्विप की जिम्मेदारी है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % देखिये मैं माननीय सदस्यों से कहना चाह रहा हूं कि सदन में कोरम पूरा हो ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारे चीफ व्हिप की जिम्मेदारी है। बस इससे आगे और कुछ नहीं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % वो गेम खेलेंगे। वो गेम खेलने के लिए आए हैं? हमारी जिम्मेदारी है यहां। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है।

...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % आपके बस का नहीं है 67 में बोलने का। इतना सीरियस टॉपिक है और कोरम ही पूरा नहीं है।

...(व्यवधान)...

Jh lkseukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी किताब लेकर बैठते है और किताब का बकायदा अध्ययन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शायद जिस दिन ये फैसला लिया जा रहा था डीडीए में। उस दिन अगर आप ने इसको पढ़कर के वहां पर आब्जेक्शन कर दिया होता और कहते नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। दिल्लीवासियों को स्कूल की जरूरत है। हम काम चला लेंगे। बड़ा अच्छा रहा होता। 23.09.2015 को बड़े फास्ट तरीके से, उस मिनटस की कापी लेकर आया हूं मैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये टेबल कर दूंगा। बड़े फास्ट तरीके से इसे उस दिन पास कर दिया गया। तनिक

चिंता नहीं रही कि दिल्लीवासियों को अच्छी शिक्षा का अभाव, जो गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूलों की कमी है। दिल्ली सरकार किस तरह से इतने प्रयास कर रही है कि स्कूलों को डबल शिफ्ट में चलाया जाए। इस सबकी बिल्कुल चिन्ता न रही। अपने पॉलिटिकल परपज के लिए जबकि उनके पास कोई लैण्ड आलरेडी अलॉटेड था। ऐसा भी नहीं है कि लैण्ड नहीं था। अलॉटेड लैण्ड को छोड़के इस लैण्ड का दिया जाना और वो भी जब देते वक्त कोई फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ। क्यों जरूरत है और खासकर के इसी साइट पर क्यों जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कह रहे थे 6 महीने, 6 महीने नहीं हैं। उसके पहले भी एक्शन लिया गया था। मिनिस्टरी ऑफ अरबन डेवलपमेंट द्वारा 7 अप्रैल को मतलब 4 महीने बाद ही एक इंस्ट्रक्शन इश्यू किया गया जिसके तहत इसकी इन्सपेक्शन की गई और रिप्लाई तैयार किया गया डीडीए के द्वारा। उसमें एक बड़ा इन्ट्रेस्टिंग सा क्वेश्चन का जवाब सदन के पटर पर रखना चाहूंगा। सवाल यह है कि what is the public purpose proposed to be served by modification of MPD (Master Plan of Delhi) and/or change of land use. इसका interesting सा जवाब भी है The Poposed Party Office of Bhartiya Janta Party will be utillized by the public representatives of the party for the welfare of the citizens of Delhi. अब तीन मेम्बरान। उनके लिए एक ऑफिस बन रहा है। विजेन्द्र गुप्ता जी के पास डीडीए में भी ऑफिस है। यहां भी ऑफिस है। इनके पास बंगले भी हैं।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, आप विषय को डाइवर्ट मत करो। प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh % तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन ऑफ दिल्ली मुझे

समझ में नहीं आ रहा कि दिल्लीवासियों की कौन सी भलाई हो जाएगी और ऐसा कौन सा भलाई का कार्यक्रम ये पेश करेंगे वहां से? नर्सरी स्कूल से बेहतर क्या भलाई हो सकती है। नर्सरी स्कूल बच्चों को मिल पाए और हम सब दिल्लीवासियों की शिक्षा की चिन्ता करें, वो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और इसमें जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया कि उसमें पॉलीटिकल रिप्रजेन्टेटिव्स बैठकर के वहां भलाई करेंगे। पता नहीं कौन सी भलाई रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कन्क्यूड कीजिए सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : उसके बाद ये जो अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2015 को ही site under reference was inspected on 31st August, 2015 and on the same day, Technical Committee meeting was also held on 31st August, 2015. ये मिटिंग्स जो कि साल–साल भर नहीं होती हैं। इतनी हड़बड़ी में मीटिंग्स हो रही हैं और बगैर क्षेत्र के लोगों को इन्वाल्व किये। बगैर किसी फिजीबिलिटी स्टडी को पेश किये। बच्चों का हक मारकर शिक्षा का अधिकार छीनकर यह कहां तक जस्टिफाई हो रहा है? मैंने शर्म से उस दिन वाली अगली मीटिंग में कहा एल.जी. महोदय को। मैं डीडीए की मीटिंग में था क्योंकि उस दिन कन्फर्मेशन ऑफ मिन्ट्स था। मैंने कहा साहब ऐसा है। एक 5 अक्टूबर की मीटिंग थी कि जब तक आप इस फैसले को, क्योंकि आपको मिनटस को कन्फर्म करना है।

विजेन्द्र गुप्ता : 5 नवम्बर, 2015

श्री सोमनाथ भारती : 5 नवम्बर को जो मीटिंग हो रही थी मैंने कहा पहले मिनटस को कन्फर्म करिए। Kindly open it up for discussion. कहते हैं

जी नहीं करेंगे। तो फिर मैं बोलता ही रहा। मैंने कहा आपको खोलना पड़ेगा इसको डिस्कशन के लिए। क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं ढेर सारे पेपर्स ले गया था। दिल्ली सरकार के द्वारा जो लिखी गई चिट्ठियां हैं। उसके बावजूद इन्होंने नहीं खोला और यहां तक बात बन पड़ी कि एल.जी. महोदय ने सबके सामने कह दिया उन्होंने कि अगर अब बोलना बंद नहीं किया सोमनाथ तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। एफ.आई.आर. दर्ज करवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। अगर अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने चुनके भेजा है। सदन ने चुनके मुझे भेजा है। बग्गा जी और मुझे सदन के द्वारा भेजा गया है। अगर सदन के द्वारा भेजे गये नुमाइंदों को अपनी बात रखने का हक नहीं होगा यहां पर। तो हम क्या करने गये वहां पर? अगर हमें एफ.आई.आर. का डर दिखाकर के हमारा मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे ये, तो हम क्या कर लेंगे? यहां उनके देखा–देखी चूंकि एल.जी. महोदय ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया और सबके सामने किया तो भाजपा के जो तीन मित्र थे वहां पर। जो मेम्बरान हैं डी.डी.ए. के वो भी खड़े हो गये और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई ये आदमी जेल में ही अच्छा था। तो अगर जेल का डर दिखाकर और एफ.आई.आर. का डर दिखाकर आप हमारी जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं तो ऐसे जेल नहीं बनी। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने आपके सदन के नुमाइंदों के साथ बदतमीजी की। इंसल्ट किया। डराया धमकाया। किसके लिए? हम क्या कोई अपनी बात कर रहे थे? क्या कोई हम अपने लिए जमीन मांग रहे थे? हम बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बाद वो सारा का सारा इवेंट वीडियो रिकॉर्डेड है। कह रहे थे वो। उन्होंने शुरू में ही कह दिया एल.जी. महोदय ने कोई आदमी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा कहा कि हम रिकॉर्ड

कर रहे हैं। तो हम सबने कहा कि एक रिकॉर्डिंग कापी हमें दे दीजिए। तो आज भी, हम तब से मांग रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कॉपी जारी कर दीजिए। हम देख भी लें कि किसने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करता हूं। अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो लैण्ड अलाटमेंट हुई है इसको रिवर्स कर दिया जाए। नर्सरी स्कूल वापस लाया जाए। चूंकि आज सदन में डॉक्टर कलाम की बार–बार चर्चा हुई। आज हमने बहुत बड़ा फैसला भी लिया। बहुत ऐतिहासिक होगा। डाक्टर कलाम की फोटो सदन में लगेगी बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। चूंकि बच्चों से उनको बहुत प्यार था। बहुत लगाव था और ऐसे शख्स थे कि कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का आदमी हो, बेहिचक उनके पास चला जाया करता था। एक ऐसी मिसाल उन्होंने पेश की तो उनके नाम से वहां पुनः अगर सदन आपके माध्यम से यह बात बता पाये, केन्द्र से इस फैसले को रिवर्स करके उस जगह पर एक नर्सरी स्कूल डाक्टर कलाम के नाम पर खोला जाए। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और इससे बड़ा योगदान मेरी नजर में उस क्षेत्र के लिए नहीं हो पाएगा। मैं ये भी चाहता हूं। चूंकि आपके संज्ञान में ला चुका हूं।

v/;{k egkn; % अब सोमनाथ जी, कन्क्लूड करें। चर्चा में भाग भी लेना है।

Jh lkseukFk Hkkjrh % क्योंकि सदन के नुमाइंदों को अगर अपनी बात रखने का हक नहीं होगा और एफ.आई.आर और जेल का डर दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सदन संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करने का फैसला करे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री राजेश गुप्ता जी।

Jh xqykc flag % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि ये जो डीडीए से जुड़ा मामला है, ये बहुत गम्भीर है और अब मैं चाहता हूं कि हम सब विधायक इक्ट्ठे हो के एलजी साहब से एक बार डीडीए को लेकर अपनी शिकायतें लेकर जाएं। मैं कई सारी चिट्ठियां खुद भी लिख चुका हूं। द्वारका जैसी उप नगरी में हजारों करोड़ रुपये पिछले तीन फाइनैसियल ईयर में लगे हैं। उसके डिटेल एस्टीमेंट मैंने वहां के चीफ इंजिनियर से जब मांगे, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। उसने ये तक कहा कि आपको इनका करना क्या है? आप अपने काम से काम रखिए। एलजी साहब को मैं चिट्ठी लिख चुका हूं, उसका कोई जवाब अभी नहीं आया है और अगर ऐसे हममें से चुने हुए एक साथी को जो मैम्बर बन कर आते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सब सारे के सारे विधायक इक्ट्ठे होकर चलेंगे। आप एलजी साहब से टाईम ले लीजिए। एलजी साहब से अपनी शिकायतें एक बार लेकर जाना चाहते हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

Jh jkts'k xqIrk % अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। अपनी बात में डीडीए पर एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी जी की एक बार मैंने एक स्टेटमैंट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चीजें कानूनी या गैर–कानूनी नहीं होती। चीजें सही और गलत होती हैं, ये मैं उस बात पे कहना चाहता हूं जो बार–बार किताब दिखा के बताया जाता है कि चीजें सही और गलत जरा देखें उसकी हम जो बात करते हैं। वो सही के लिए करते हैं या गलत के लिए करते हैं। खैर

एक न्यूज पेपर की डीएनए की आपको बताएंगे अध्यक्ष जी, political parties occupy prime land in Delhi ये डीएनए की खबर है besides central and state offices, political parties across the divide are occupying dozens of government owned houses and properties in the National Capital. In lutyens Delhi, both Congress and BJP occupy 8 properties each in BP House, within a stone's throw from Parliament House. All these houses in the heart of the capital come to these political parties at throw away prices. Despite getting them at cheap prices, the parties have failed to pay rents or clear dues. सर, ये जगह जो इनके पास में इतनी सारी है और दिल्ली की जैसा कि इस अखबार के माध्यम से भी पता चलता है और हम सभी को पता है वो कितनी महंगी जगह है, जहां बिजली के बिल नहीं भरे जाते हम सब अखबारों के माध्यम से जानते रहते हैं मिडिया हमको बताती रहती है, ना ये बिल भरते, उन जगहों को घेरे रहते हैं। चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी वो जगह खाली नहीं होती और किसी न किसी माध्यम से उसको घेरे रखा जाता है, लेकिन तब भी कहीं मन नहीं भरता। तो गांधी जी को एक बार ओर कोट करूं वो कहते हैं कि जरूरतें पूरी दुनिया की हर इंसान की जरूरतें यह प्रकृति कर सकती है, लेकिन लालच एक आदमी का भी नहीं। कि लालच है कि सब कुछ हम हथिया लें। आज अगर हम विधायक यहां बैठे हैं सबका दर्द सेम होगा जब हम डीडीए की किसी मिटिंग में जाते हैं अब हम कहते हैं, कि हमको ये लैंड दे दो, हम इस पर कुछ बनाना चाहते हैं तो बार–बार जवाब क्या आता है कि 2021 का जो मास्टर प्लान है वे बहुत स्ट्रिंजेण्ट यानि उसमें जगह कुछ नहीं है कुछ नहीं मिल सकता और मिलने की सम्भावना अगर बन भी जाए

तो उसमें जमाना लग जाता है। एक टर्म में तो लेना मुश्किल हो जाता है और फिर मिल भी जाए तो आपको खरीदनी पड़ती है। अब दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लिए जगह लेने जा रही है और उसे खरीदेगी। ये पूरे हिन्दुस्तान में ये कहीं नहीं होता और मैं नहीं मानता पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा होता होगा। वो जमीन हमें अपने लिए नहीं चाहिए। सामाजिक कामों के लिए चाहिए। हम अपने लिए बंगला नहीं बनाना चाह रहे, हम अपने लिए कुछ घर नहीं मांग रहे, हम लोगों के लिए स्कूल चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं लेकिन वो जमीन हमें खरीदनी पड़ती है और वो भी दुनिया भर की मेहनत के बाद में। आपने, सबने हमने बहुत सारी पिक्चरें देखीं एक पिक्चर देखी थी मैंने भी मुन्ना भाई एमबीबीएस और बहुत लोग उसमें भावुक हुए तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी थी, बिल्कुल सेम कहानी जहां पर एक औरत बच्चों के लिए स्कूल था और उसमें कहानी ऐसी थी जिसमें शायद सीनियर सिटिजन के लिए भी जगह थी और एक गुंडा जो अपने आपको बताता है कि जी मैं तो बिल्डर हूं तो कुछ गुन्डे अपने आपको कुछ और बताते रहते हैं कोई बिल्डर बताते हैं, कोई नेता बताते हैं लेकिन होते गुंडे ही हैं वो इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन घेरने की कोशिश करते हैं कि वो जमीन उन्हें मिल जाए और उसमें वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लें और पैसा कमा लें ये सब जमीन घेरने के तरीके हैं और बिल्कुल वही कहानी हम सबने देखी हम सब भावुक हुए पिक्चर देख के आए और शायद फिर कुछ लोग भूल गए। शायद इस तरफ के बैठे हुए लोग जो एक आंदोलन से निकल के आए हैं, उस चीज को भूले नहीं है, वो बात हमारे दिल में आज भी है कि जो जमीन गरीब को बिलोंग करती है, जो किसी बच्चे से बिलोंग करती है, जो किसी बुजुर्ग के लिए है जहां शायद

वो कुछ कर पाएं उसको छीनने का अधिकर किसी का नहीं है और जमीन ली भी तो किससे, बच्चों से, नर्सरी स्कूल अरे! किसी क्लब की ले लेते साहब आपको लेनी थी तो, ठेके की ले लेते लेकिन नहीं, आपने जमीन ली उन बच्चों से जो शायद कल के अब्दुल कलाम बने। मैं आपको कहता हूं वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहा हूं मैं थोड़ी कंफ्यूजन होती है वाजपेयी और बाजपेयी में और आप में और मेरे में भी है वो बहुत लोग मुझसे बेमतलब लड़ते रहते हैं, गुप्ता जी, गुप्ता जी तो आपसे मेरी रिक्वैस्ट है कि पूरा नाम लें, आधा गुप्ता जी कहते हैं बाद में मेरे से लड़ते हैं। सर आम आदमी पार्टी में इन व्यावहारिक चीजों को बहुत अच्छी तरह देखती है अब शायद इसीलिए पार्टी ने एक कैबिनेट नोट भी निकाला है जिसमें पार्टी ने ये कहा कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनको सरकार जो लैंड देंगी दे, ये ऊपर से मांगने के लिए जाएं। किससे मांगने के लिए जाए? हम चुनी हुई सरकार हैं, हम किसलिए वो जमीन मांगने के लिए जाएं, हमें वो जमीन मांगनी पड़ रही है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जनता में बार–बार जाते हैं हम स्वराज की बात करने वाले लोग हैं कि मेरा ये कहना है कि आप जनता में ये बात डाल करके देख लीजिए, एक बार आप पूछ लीजिए जनता से आप तीन चुने हुए विधायक है। मेरा आपके माध्यम से इनको कहना है कि अपनी विधान सभा में एक बार एक छोटा सा रैफरैंडम करा लें कि जी हम नर्सरी स्कूल की जगह लेना चाहते हैं और उसके ऊपर एक पोलिटीकल पार्टी का ऑफिस बनाना चाहते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है सर। अगर लोग आपकी बात मान जाएं, मैं कहता हूं 20 परसैंट लोग आपके हक में आ जाएं तो हम अपना सवाल वापस ले लेंगे...(व्यवधान)...

Jh jkt:'k x|rk % अरे सर घर में तो बारात आएगी या किसी और के चली जाएगी?

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % राजेश गुप्ता जी कन्क्ल्यूड करिए।

Jh jkts'k xqIrk % सर, मेरा ये कहना है, जैसे कपिल भाई ने मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हर चीज में कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति को इन्होंने एक बुरा सा शब्द बना दिया है, राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, राजनीति ऐसी नीति जो दूसरों के हित के लिए काम करे ऐसी नीति। ये राजनीति का मतलब ये नहीं है कि छीन लो, बच्चों की जमीन छीन लो, उसके ऊपर अपना ऑफिस बना लो ये राजनीति को आज गंदा रूप दे दिया जब हम छोटे बच्चो में कोई झूठा बेईमान होता है तो बोलेंगे भाई, ये तो राजनेता बनेगा। ये माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया है कि आज हम ये नहीं बता सकते कि हम राजनीति करते हैं। हममें से बहुत सारे साथी हैं जिनको ये कहना पड़ता है कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं। जब कि हम राजनीति कर रहे हैं लेकिन ये राजनीति उन बच्चों के लिए है, जो नर्सरी में पढ़ने वाले, जिनकी जमीन इन्होंने छीन ली, ये राजनीति वो जमीन छीनने के लिए नहीं है। एक बात और करना चाहता हूं सर की इन्होंने कहा कि रोड का नाम केन्द्र की सरकार ने बदला, शायद ये भूल गए कि रोड का नाम तो एनडीएमसी ने बदला था, जिसमें अरविंद जी उसके सदस्य भी हैं और उन्होंने बहुत पहले नाम बदल लिया था, ये प्रपोजल भी हमारे पार्टी की तरफ से ही आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो शायद बिजेन्द्र जी की यादाश्त बार–बार कमजोर हो जाती है, किताब को बार–बार उठाते हैं, पहले भी कहा था और एक बात कह रहा हूं बहुत ज्यादा कानून पढ़ने की जरूरत नहीं होती कुछ लोग...(व्यवधान)...

श्री राजेश गुप्ता : कोई बात नहीं क्रेडिट ले लें बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं कि ये क्रेडिट ले लें कि इन्होंने ये जमीन छोड़ी। इनको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें कानून की जानकारी नहीं होती है, हमें कानून पढ़ना चाहिए, हमें संविधान पढ़ना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हम देखें जो एजूकेटिड लोग होते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है एजूकेशन और क्वालिफिकेशन से कुछ लोग क्वालिफाइड तो हो जाते हैं, वो डाक्टर है, इंजिनियर है लेकिन एजूकेटिड नहीं है शायद वो 5–6 साल का बच्चा जो ये जानता है कि झूठ मत बोलो, पापा रैड–लाइट मत तोड़ो गंदगी मत फेंको, वो ज्यादा एजूकेटिड है। तो कानून मत पढ़िए मेरा आपके माध्यम से ये कहना है विपक्ष के नेता को कि आप कानून ज्यादा ना पढ़िए। आप उसके भाव को समझिए। भाव अगर अच्छा है। इमानदारी का है तो आप उसे मानिए नहीं तो आप विरोध करिए। वो उसका अधिकार है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो मैं सोमनाथ भारती जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से डीडीए की मीटिंग में बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश की, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सोमनाथ भारती जी का। अध्यक्ष महोदय जिस तरीके का इशू चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, एक तरफ तो दिल्ली सरकार है, जो कि कन्टीन्युअसली और लगातार दिल्ली का एजूकेशन सिस्टम कैसे बदला जाए और एजूकेशन सिस्टम और बच्चों को

अच्छी एजूकेशन कैसी दी जाए, इसके लगातार प्रयास किए है और इसी सैशन में हमने एजूकेशन के लिए तीन बिल पास किए है ये दिल्ली गवर्नमैंट की काबिले तारीफ है कि एक सैशन में एजूकेशन के लिए तीन बिल पास करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। एक तरफ तो दिल्ली सरकार एजूकेशन सिस्टम को डवलप करने के लिए, बच्चों को डवलप करने के लिए आज मंत्री महोदय ने भी टीचर यूनिवर्सिटी की बात की, इतनी अहम बात की, एक तरफ तो हम दिल्ली की एजूकेशन को आसमान तक पहुंचने की, बुलंदियों तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार और एक रिमोट द्वारा संचालित एलजी साहब, इनका रिमोट सबको पता है कहाँ है, रिमोट के बटन कहां है वो दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इससे कम में वो काम चलेगा नहीं। वो बात कही नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, ये तो वो बात हो गयी। मुंह में राम, बगल में छुरी। अध्यक्ष महोदय, ये छुरी अब जनता ने समझ ली है, जनता ने जान ली है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार डीडीए के सामने गिड़गिड़ा रही है। मैं आपको कुछ वायके बता दूं। अभी थोड़े दिन पहले ये शर्मा जी बगल में बैठे हुए हैं। शर्मा जी मेरे पास आये। एन.डी.शर्मा जी, बदरपुर वाले। शर्मा जी मेरे पास आये की प्रवीण भाई एक कलेक्टर को फोन कर दीजिए कि वहां पर स्कूल की लैण्ड जो है, उसका क्या स्टेट्स रहा जो कि उनके एरिये में लगभग पैंतालीस हजार बच्चे लगभग एक ही स्कूल, एक ही प्रिमाईसेज जहां दस–दस स्कूल हैं, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं पैंतालीस हजार। क्योंकि स्कूलस की बहुत ज्यादा कमी है तो एक तरफ तो मैंने उनको बताया कि डीडीए वहां पर लैण्ड नहीं दे रही है। एक तरफ तो हमारे पास स्कूल खोलने के लिए लैण्ड की इतनी ज्यादा

स्केअरसिटी आ रही है, इतनी ज्यादा कमी आ रही है और दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के बच्चों का भविष्य और नर्सरी बच्चों का भविष्य इस तरीके से ताक पर लगाया गया है कि उनकी लैण्ड बीजेपी को दे दी जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और इससे ज्यादा दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है। यह आने वाली जनरेशन जो कि कुछ सालों में पढ़ते हुए, कुछ सालों में बारह साल पढ़ते, बारह से पन्द्रह साल उस क्लास में पढ़ती, उस स्कूल में पढ़ती। उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है। ये आसान घटना नहीं है ये बहुत बड़ी घटना है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतान पड़ेगा। जिस तरीके के अच्छे दिन के वादे उन्होंने दिखाने चाहे थे। अगर यही वादे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि ये दिल्ली के मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

अध्यक्ष महोदय, एक और मसला मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ तारीखें तो सोमनाथ भारती जी ने गिनवायीं कि किस तरीके से कुछ दिनों के अन्दर ही मीटिंग पर मीटिंग, आर्डर पर आर्डर निकालते चले गये लेकिन कुछ मैं भी आपको बता देता हूं। लॉल कुंआ तेहखण्ड विलेज है, जहां पर दो एकड़ प्लाट, क्योंकि सेंक्शन हो रखा है स्कूल के लिए, लेकिन उसका लैण्ड यूज अभी तक चेन्ज नहीं किया गया है। एक तरफ तो लैण्ड यूज कुछ घण्टों में चेन्ज हो जाता है। समय सीमा में चेन्ज हो जाता है। कुछ दिनों में चेन्ज हो जाता है लेकिन एक जगह सालों लग जाते हैं सिर्फ एक लैण्ड यूज चेन्ज कराने के लिए। अध्यक्ष महोदय, और ये सिर्फ सारी चीजें हो रही हैं रिमोट द्वारा संचालित एल.जी.साहब के कारण और अध्यक्ष महोदय, इस तरीके के सिर्फ यही इश्यू नहीं है इस तरीके के डीडीए के साथ सैकड़ों इश्यू आते हैं जो कि हम सारे विधायक

अपने–अपने क्षेत्र में जनता के लिए हम काम करने के लिए सोचते हैं उस समय। जैसे मेरे क्षेत्र में ही मुझे एक मुहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए जमीन चाहिए थी। उस समय दिल्ली सरकार से गुजारिश की कि अगर आपके पास दिल्ली सरकार वाली जो डिपार्टमेन्ट है, उनकी अगर लैण्ड है तो आप बता दीजिए ताकि हमें लैण्ड एक्विजिशन करने में आसानी हो। अध्यक्ष महोदय, क्या अब दिल्ली की जनता को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एल.जी साहब के पास गुजारिश करनी पड़ेगी कि वो दिल्ली की जनता के वेलफेयर के लिए एक जमीन का टुकड़ा दिल्ली की जनता के लिए एवेलेवल कर दें। अध्यक्ष महोदय, इससे बुरी स्थिति मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता की कभी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी के माध्यम से तहे दिल से वैसे तो बहुत कम ही प्वाईन्ट आउट करता हूं लेकिन आज मैं गुप्ता जी को प्वाईन्ट आउट इसलिए करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता डेवलपमेन्ट के लिए सोच रही है और डेवलपमेन्ट के लिए आशा की किरण एक आप भी हैं और आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से उस केन्द्र सरकार और एल.जी. साहब के कानों में यह बात डालना चाहता हूं कि डीडीए की लैण्ड जो है, वो दिल्ली की जनता की लैण्ड है। वो बहकावे में न रहें कि ये केन्द्र सरकार की लैण्ड है। ये दिल्ली की जनता की लैण्ड है। दिल्ली के टैक्स के पैसों से उस पर काम होना है। इसलिए जो प्रस्ताव सोमनाथ भारती जी ने रखा है कि उस प्रिमाईसेस पर कलाम साहब के नाम से स्कूल बनाया जाये तो मेरी इस सदन से गुजारिश है कि इस प्रस्ताव को पास करें और उस बीजेपी का दफ्तर हटा कर उस भूमि को एक पवित्र भूमि के रूप में स्कूल खोलकर उसे कलाम साहब के नाम से अवतरित करें।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी। इसके बाद वेद प्रकाश

जी का है फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। एक ही बात है। देखो छह बजने वाले है प्लीज।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, पहले तो सोमनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सदन के समक्ष यह विषय रखकर यह मौका दिया। मैं सच सदन के माध्यम से सब लोगों को बता सकूं और किस तरह का झूठ फैलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती है। और किस तरह की राजनीति करती है उसका भी खुलासा कर चुका हूं। अध्यक्ष जी 1 अप्रैल, 2000 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि जितनी रिकागनाइज्ड राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उनके दफ्तर दिये जाएं। और जो सरकारी भवनों में दफ्तर चल रहे हैं, वो उनसे खाली कराए जाएं। उसी तत्वाधान में 2001 में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता को 1 हजार 87 स्केयर मीटर लैंड अलाट की गई।

v/;{kk egkn; % कब अलाट की गई?

Jh fotUn xIrk % 2001 में। कुल 1 हजार 87 स्क्वैयर मीटर लैंड अलाट की गई। 23 मई 2001 को उस लैंड के लिए 10 लाख रुपया जमा कराया गया। क्योंकि उस लैंड को लेकर डिस्प्यूट था। पैसा जमा हो गया और इस लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस लैंड का पजेसन लेने से इन्कार कर दिया। उसके बाद लगातार ये गुहार एल एंड डी ओ से लगाते रहे कि हमारा पैसा गया हुआ है, हमें लैंड दी जाए। जब नहीं मिली तो 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में एक पैटिसन फाईल की। उसके बाद 2007 में जिसका जिक्र अभी किया गया था 2004—05 में वो हमको अलाट की गई और उसके

लिए एक करोड़ 37 लाख रुपया 9 मई, 2007 को उस 10 के अलावा हमसे लगभग डेढ़ करोड़ रुपया और ले लिया गया 2007 में जब हम पजेसन लेने गए।

v/;{k egkn; % 2007 में कौन से लैंड अलाट की गई?

Jh fotUn xIrk % चार और पांच कोटला रोड। जिसका जिक्र यहां किया गया। लेकिन जब कब्जा देने से पहले। एरिया वही 1 हजार 87 स्केवयर मीटर के करीब। उसके बाद वो जगह वक्फ बोर्ड की थी विभाग ने अपनी गलती को सुधारा और उस जगह का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। फिर तीन साल हम इंतजार करते रहे। हमारो डेढ़ करोड़ रुपया भी चला गया। 2001 से हमें जगह अलाट होनी थी। 2010 में हम फिर कोर्ट गए कि हमसे पैसा भी ले लिया और हमको जगह भी नहीं दी जा रही है। और हम अपना दफ्तर बनाकर पंत मार्ग को खाली करके सरकार को देना चाहते हैं। उसके बाद भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जब हमको जगह नहीं मिली तो 2011–12 में हमने कंटैमप्ट फाइल किया कि हमारा पैसा भी ले लिया और हमें जगह भी नहीं दी जा रही है। उसके बाद उसे प्रोसीडिंग के बाद कोर्ट ने स्पेसिफिकली भारत सरकार के ए.एंड.डी.ओ. विभाग को यह आदेश दिया कि 6 महीने के अन्दर इनको जगह अलाट की जाए। अब जो जगह अलाट की गई उसके बारे में ज्ञान वर्धन करना चाहता हूं। ये जो पूरा प्लाट है, इस्टीट्यूशनल प्लाट है। इसका साईज है 16924 स्केवयर मीटर। 16924 स्केवयर का एक बड़ा इस्टीट्यूशनल प्लाट है। उसमें आलरेडी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। इनस्पाइट ऑफ वहां पर कोई डेनसिटी ऑफ पापुलेशन नहीं है। पूरा इस्टीटयूशनल एरिया है आईटीओ से लेकर

के मिन्टो ब्रिज तक और आमने सामने टोटल एल एंड डीओ की लैंड है खाली और वो पूरी इस्टीट्यूशनल लैण्ड है आपकी जानकारी के लिए। वहां पर आलरेडी स्कूल जिसका जिक्र मेरे साथी सोमनाथ जी ने भी किया कि बराबर में स्कूल है। उन्होंने खुद कहा।

v/;{k egkn; % उन्होंने दो स्कूलों का जिक्र किया। अगल–बगल में दो स्कूल हैं।

Jh fotUn xIrk % उन्होंने कहा अगल बगल में दो स्कूल हैं। आप ने अपनी बात कह दी। मैं पूरी बात कह दूं।

Jh lkseukFk Hkkjrh % वो सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल है। वहां सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल में जाने वाले बच्चे नर्सरी स्कूल में जाएंगे।

Jh fotUn xIrk % 16924 स्केवयर मीटर के एक सिंगल प्लाट में से हमारे साथ फिर ज्यादती हुई। क्योंकि हमसे 1 हजार 87 स्केवयर मीटर के पैसे लिए गए और हमको दिया गया है सिर्फ 809 स्केवयर मीटर।

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड रुकिए। 16924 में से जो दोनों स्कूल चल रहे हैं, उनको कितनी जगह एलाट है?

Jh fotUn xIrk % दो हजार स्केवयर मीटर का एक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल है वहां लगभग...चल रहा है। 2924 में से। बाकी सारी जगह ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और बाकी जो भी उसमें और काम करने हैं, उसके लिए वह उपलब्ध है।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % मैं मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं। शेरो शायरी नहीं कर रहा हूं। इसके बाद हमें कम जगह दी गयी और अभी भी वहां पर...अभी भी...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अमानतुल्लाह जी, इसको छोड़ दीजिए। आप बैठ जाइये प्लीज। सोमनाथ जी, बैठ जाइये प्लीज। ये लफ्फाजी असंसदीय शब्द नहीं है। बैठ जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। वे अपनी बात पर खुद घिर रहे हैं। आप अपनी बात जोड़ रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं और इसको रिकॉर्ड पर भी लिया जाये कि हम जल्दी से जल्दी उस एक एकड़ जगह को जो हमें सैन्ट्रल दिल्ली में गोल डाकखाने के पास हमारे पास है। 14 पं. पंत मार्ग। हम सदन को बताना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए। कुछ सीखे भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों से। उसको हम छोड़ना चाहते हैं और 809 मीटर में अपना कार्यालय ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम भारत के राष्ट्रपति जी की भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब आ जाइये आगे। पंडित पंत मार्ग को आप लिख लीजिए। जैसे ही हमारा कार्यालय वहां बनकर तैयार होगा, हमारी कोशिश है कि 12 महीने में हम कार्यालय बनायें और एक एकड़ जगह

जो कि कई सौ करोड़ की है, उसको हम भारत सरकार को वापस करना चाहते हैं एक आदर्श के लिए और अब आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ कुछ। जिसका मैं भी चाहूंगा कि आप संकल्प लें। आपकी पार्टी ने भी क्योंकि उस रोड पर सभी पार्टियों के कार्यालय हैं, इसलिए आपकी पार्टी ने भी अपने कार्यालय के लिए एप्लाई किया और मुझे जो जानकारी मिली है, आपकी पार्टी को भी वहीं कहीं जगह दी जा रही है। अगर आपको आपत्ति है तो आप यहां सदन में प्रस्ताव पारित कीजिए जिससे कि एलएण्डडीओ आपके प्रस्ताव के अनुसार ध्यान रखे। अब आइये और आगे।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % बोलिए बोलिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, मैं तो खत्म कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अमानतुल्लाह जी, आप बैठिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, अब मैं सोमनाथ जी की बात पर जाना चाहता हूँ। सोमनाथ जी को मैं जानकारी दे दूं कि ये जगह डीडीए की नहीं है। दूसरा ये हमारा कहना है कि जब तथ्यों की जानकारी न हो तो सदन में भ्रम पैदा न करें और आपने कहा अभी 5 अक्टूबर जिसको मैंने करेक्ट किया कि 5 अक्टूबर नहीं, 5 नवम्बर। ये मामला वास्तविकता में 5 अक्टूबर को एजेन्डा में था ही नहीं। और आम आदमी पार्टी के समर्थन से 23 सितम्बर को...यहां बग्गा जी बैठे हैं, मेरे बराबर में बैठे थे।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मुझे लगता है यह अन्याय है। यह जो सदन की पॉलिसी है, इसको बदलिये आप। मंत्री जी, समझाइये। अगर आप वाकई में यहां कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए आये, बात करने दो। आप अपनी बारी में बोलना, मैं इतनी देर चुप रहा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % झा साहब, आप बैठ जाइये। वो रिकार्ड में आ रहा है सारा विषय। सोमनाथ जी, जरा शांति से सदन को एक बार चलने दीजिए। आप दो मिनट बैठिये।

Jh fotUn xIrk % बात तो पूरी करने दीजिए ना। अब आप बात पूरी नहीं करने देंगे?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, उनको बात पूरी करने दो प्लीज।

Jh fotUn xIrk % मैं सत्ता पक्ष की तरह करूँगा, कैसे चलेगी बात?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % जरनैल सिंह, जी, बैठिये।

Jh fotUn xIrk % मैं आपके सवालों के जवाब दूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप विषय पर आइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सोमनाथ जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं। उन्होंने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, यह आइटम एलएनडीओ का आइटम है एक बात। यह स्कूल की जगह नहीं है, नहीं है। स्कूल की नहीं है, पूरा प्लॉट है, इस्टिट्यूशनल प्लॉट है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। एक पूरा बड़ा प्लॉट है, उसका एक हिस्सा है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप गलतफहमी पैदा मत करें। दूसरा अध्यक्ष जी, यह जो पूरा मामला है यह एलएनडीओ का एक आइटम था जो 23 सितंबर को प्रातः 10 बजे एलजी हाउस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में एक एजेंडे पर था और उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के एमएलए भी उपस्थित थे। उनके सामने यह डिस्कस हुआ और उन्होंने भी ताली बजा कर इसको पास किया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एक ही पार्टी में दो व्यू क्यो हैं? भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं बोलने का मौका दूंगा। सोमनाथ जी, उनका नाम आया हुआ है मेरे पास।

Jh fotUn xIrk % मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास 23 सितंबर का एजेंडा भी है और 5 नवंबर का मिनट्स भी है, कनफर्मेशन।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी, आप दो मिनट बैठ जाइये। महेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % और 5 नवंबर को मिनट्स कनफर्मेशन में भी इनका दिया हुआ है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % जगदीप जी, आप अपनी सीट पर आइये। महेन्द्र जी, अपनी सीट पर चलिये प्लीज।

Jh fotUn xIrk % बग्गा जी, बताइये। मैं चाहूँगा बग्गा जी बतायें कि वो इसके पक्ष में हैं, इन्होंने पक्ष में मतदान किया था उस दिन?

v/;{k egkn; % आप की बात पूरी हो गई?

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मेरी बात पूरी हो गई, लेकिन मैं चाहूँगा, बग्गा जी, इसके बारे में बतायें।

v/;{k egkn; % हां, बग्गा जी की चिट्ठी आई है।

Jh ,l-d- cXxk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय,

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कमांडो सुरेन्द्र जी, आपके अपने विधायक बोल रहे हैं।

श्री एस.के. बग्गा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपको कुछ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बैठिये, दो मिनट। बिजेन्द्र जी, बैठो। बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको डीडीए के बारे में बता रहा हूँ एक मीटिंग 2 बजे तय हुई थी। इन्होंने दो दिन पहले उसको चेंज करके 10 बजे का टाइम रखा था, जिसकी इंटिमेशन नहीं थी हमारे को। उस समय जब मैं गया तो कहा कि मीटिंग हो चुकी है, ऐसे ये काम करते हैं 600 पेज की किताब...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब वो सत्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। उनकी आवाज तो आने दो, बग्गा जी क्या कर रहे हैं, सुन तो लो। बग्गा जी को सुन तो लो, क्या बोल रहे हैं वो।

श्री एस.के. बग्गा : उनका कंडक्ट देखिये डीडीए का, 400–500 पेज की किताब दो दिन पहले देते हैं पढ़ने के लिए कि आप इस पर चर्चा करिये या इसके ऊपर डिस्कस करिये। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? 400 पेज की किताब और टाइम भी चेंज कर देते हैं कई बार। ये पूरी मनमानी चला रहे हैं एलजी साहब। जो उस दिन लफ्ज कहे एलजी साहब ने, इन्होंने भी जो लफ्ज कहे मेरे वाट्स–अप में कहां है आपका भारती जेल में होना चाहिए। ओमप्रकाश शर्मा जी ने कहा उस समय, ओ.पी. शर्मा जी ने कहा।

...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % मैं आपको मिनट्स लाकर दिखा दूँगा।

v/;{k egksn; % कोई बात नहीं। अभी चलने दीजिए।

Jh ,l-ds- cXxk % ओ.पी. शर्मा जी ने कहा कहां है वो आपका भारती ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। इतनी मोटी किताब दो दिन पहले ही देते हैं, सब मैनेज कर रखा है इन्होंने डीडीए को भी। डीडीए को अपनी मर्जी से चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा वो जो जगह है, वो स्कूल ही होना चाहिए सब की डिमांड है, हाउस की भी डिमांड है वो स्कूल होना चाहिए। वहां अब्दुल कलाम जी का संग्रहालय बनाना चाहिए, उस नाम से स्कूल बनायें वहां पर। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % सोमनाथ जी। नितिन जी, अब नहीं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। जो विषय है, माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दो। 6 बज चुके हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % 6 बज चुके हैं मैं आधा घंटा समय बढ़ाने की सदन के सामने प्रार्थना रख रहा हूं। सभी सहमत हैं तो हां कहें। चलिए, सोमनाथ जी, दो मिनट में उत्तर दीजिए।

¼lnu dk le; 6%30 cts rd c<+k;k x;k½

Jh lkseukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी ने जिस तरह..

v/;{k egkn; % भाषण नहीं, दो मिनट में।

Jh lkeukFk Hkkjrh % मैं सिर्फ जो एजेण्डा आइटम है। जैसे का तैसा। माननीय सदन को आपके जरिए बताना चाहता हूँ। आइटम था proposed change of land use of an area measuring 809 square meter allotted to Bhartiya Janta Party, Delhi Pradesh at Pocket 5, DDU Marg from residential nursery school to public and semi public facilities falling in planning...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ये बात मत बोलिये। मैं कई बार कह चुका हूं, झूठ ये वो।

Jh lkeukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस तरह से गुप्ता जी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नितिन जी। एक सेकेण्ड बात सुनिये। माननीय मंत्री जी की ओर से संदेश आया है। कैबिनेट मीटिंग है। उनको जल्दी जाना है। अगर हम इसी ढंग से डिस्टर्ब करेंगे तो विषय लंबा हो जाएगा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % चलिए अब बोलते रहिए फिर।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अगर डीडीए की मीटिंग में ये फैसला होता कि जो चेन्ज ऑफ लैण्ड यूज आया है, हम उसको अलॉउ नहीं करेंगे। तो नेचुरली ये काम नहीं होता। डीडीए के पास जो अथॉरिटी है। एलएनडीओ भी इनका

है। डीडीए भी इनका है। मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी इनका है। ये सब कुछ तो इनका अपना ही है। जिस गति से एक ही तारीख को तीन–तीन विभागों ने इसको प्रोसेस कर दिया। एक ही तारीख को इन्सपेक्शन भी कर दी गई और एक ही तारीख को टेक्नीकल सब–कमेटी ने फैसला भी सुना दिया। ये अगर मिसयूज ऑफ पावर अब्यूज ऑफ पावर नहीं है तो क्या है ये? और ये शब्दों में उलझाना चाहते हैं कि एलएनडीओ या डीडीए मूलतः नर्सरी स्कूल की जगह आपने पॉलीटिकल पार्टी का ऑफिस खोलने का फैसला किया, यह सत्य है। यह तथ्य है।

v/;{k egksn; % प्लीज सोमनाथ जी, अब बैठिये।

Jh lkseukFk Hkkjrh % ये जो अक्टूबर और 5 नवम्बर में फंसाना चाह रहे थे। इतने बड़े मुद्दे में अगर ये तिथि के पीछे फंसाना चाहते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी?

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % दो मिनट के लिए मैं बात रख रहा हूं। विजेन्द्र जी, आपके द्वारा दिये गये तथ्यों के विषयों में दो मिनट मैं भी अपनी बात रख रहा हूं। पहली अप्रैल, 2000 को तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। राष्ट्रपति का आदेश आया था केन्द्रीय सरकार के माध्यम से। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रध ाानमंत्री थे। निर्णय हुआ था। केन्द्रीय सरकार का सभी राजनीतिक दलों को। आप ये विषय बीच में छोड़ गये। सभी राजनीतिक दलों ने जो कब्जा किया हुआ है या किसी भी कारण उनको सरकारी जगह उनके पार्टी ऑफिस चल रहे हैं। डीडीए उनको पार्टी के लिए अलग से जगह अलॉट करे। ये विषय

बिल्कुक ठीक है। लेकिन उसमें एक वो तथ्य गड़बड़ कर गये थोड़ा सा। हां, विजेन्द्र जी, अब मैं जो बात कह रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अभी दो मिनट रुकिये विजेन्द्र जी। अब आप जो मनाएंगे वो रख दीजियेगा लेकिन मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 2001 से 14 साल हो गये आज। 1087 गज आपको जगह अलॉट की गई और वो भी प्लॉट दिया गया। किसी और का था। आपसे वापस ले लिया गया। डीडीए की कार्यप्रणाली पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। दो मिनट रुकिए जरा प्लीज उसके बाद आपने बोला 2005 में हम हाईकोर्ट गए, 2007 में इन्होंने 4–5 कोटला रोड पर वक्फ बोर्ड की हमको जगह दे दी, इसका मतलब हां, वो वक्फ बोर्ड की जगह थी, इसका अर्थ ये हुआ कि डीडीए के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे थे। ये टिप्पणी कर रहा हूं। ये डीडीए की कार्यप्रणाली है, 2010 में फिर आपको कोर्ट जाना पड़ा, 2011 में फिर आपको जगह अलॉट की गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : डीडीए इसमें नहीं है अध्यक्ष जी, ये डीडीए के पास नहीं है ये जो फैक्ट दिये है, ये इसमें नहीं है अध्यक्ष जी। एलएनडीओ के कंट्रोल में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं 2007 तक की बात कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 2000 से 2013 तक कहीं नहीं है, एलएनडीओ की है, आप एलएनडीओ कहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा शांत हो जाए। चलो एलएनडीओ कह देता

हूं वो भी तो एक सरकार का हिस्सा है एलएनडीओ। लेकिन ये जो विषय उठा है, जो तथ्य आपने दिए हैं ये सरकारों की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। आज डीडीए भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, दिल्ली उससे जुड़ी हुई है, डीडीए की कार्यप्रणाली, जैसा हम देखते आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सुधार हो ये अच्छी बात रहेगी।...(व्यवस्था)...

v/;{k egkn; % केंद्रीय सरकार में कौन है? मैं एक बात कहके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि ये विषय सारा जांच का विषय ही बहुत बड़ा विषय है इसमें एलजी स्वयं पार्टी बने हैं, सोमनाथ जी ने मुझे राइटिंग में दिया था मैंने कहा कि विषय को सदन में रखिए चर्चा करवाएंगे, अब मैं माननीय मंत्री जी गोपाल राय जी से प्राथना कर रहा हूं उत्तर दें।

fodkl e=h ¼Jh xkiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय अभी सदन के अंदर माननीय सोमनाथ भारती जी ने दीन दयाल मार्ग पर स्थित स्कूल के लिए निर्धारित भूमि को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए देने का जो प्रश्न उठाया है, सदन में अन्य सदस्यों ने भी इस पर अपनी बात रखी है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपनी बात रखी है। दिल्ली के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं उन सबको अपने कार्यालय को संचालित करने के लिए जगह मिले, दिल्ली सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है और दिल्ली के अंदर इसको एक पॉलिसी के रूप में हम लेकर आ रहे हैं कि सभी राजनीति दलों को दिल्ली के अंदर उनके कार्यालय संचालित करने के लिए जगह मिले लेकिन वो जगह स्कूल की हो या हॉस्पीटल की हो या फिर पब्लिक हित के कार्यों के लिए हो, उन जगहों को पार्टी के कार्यालय के लिए दिया जाए। सरकार इसके पक्ष में नहीं है। हम

पॉलिसी लेके आ रहे हैं, सभी राजनैतिक दल जो दिल्ली में सक्रिय हैं। देश के अन्य हिस्सों में कार्यालय के लिए जगह राजनैतिक पार्टियों को मिलती है और दिल्ली में भी हर राजनैतिक दल को उसके पोलिसी के अनुरूप दिल्ली सरकार उनको कार्यालय उपलब्ध कराएगी लेकिन किसी और के लैंड यूज की जगह को अगर कोई पार्टी सत्ता के द्वारा अफरा–तफरी में किसी तरह से कब्जा करना चाहती है, वो ठीक नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। इसी सन्दर्भ में अभी चर्चा हुई और प्रतिपक्ष के नेता ने काफी जोर दिया। एल एण्ड डी ओ की चर्चा काफी हुई। आपको बता दूं दिल्ली के अन्दर आज जिस तरह से प्रदूषण में बढ़ौत्तरी हो रही है और दुनिया का हर साइंसटिस्ट, हर अध्ययनकर्ता ये बात कर रहा है कि जब तक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को मजबूत नहीं किया जायेगा, तब तक उसका निदान नहीं हो सकता। दिल्ली के अन्दर बीबीएम में एक हजार बसों के लिए दो सौ करोड़ रुपया खर्च करके डिपो निर्मित हुआ है, वो भी जमीन एल एण्ड डी ओ की है दिल्ली के अन्दर। पहले वहां पर कूड़ा फेंका जाता था। कोई काम वहां नहीं होता था। उस कूड़े की जगह को दिल्ली वालों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने के लिए दो सौ करोड़ रुपये लगाकर के एक हजार बसों को रखने के लिए वहां डिपो बनाया गया। आज हमने जब स्टडी किया और हम अदालत के पास गये कि उस बीबीएम डिपो को रहने दिया जाए। हम केन्द्र सरकार के पास गये। माननीय शहरी विकास मंत्री से भी हम मिले कि एल. एण्ड. डी. ओ. की जो जमीन है, उसे रहने दिया जाए क्योंकि उस इलाके में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां एक हजार बस कर सकें। एक हजार बसें का मतलब है कि रोजाना वह साठ लाख पैसेन्जर को दिल्ली के अन्दर यात्रा कराती है लेकिन उस बस के लिए, बस डिपो के लिए

एल.एण्ड डी.ओ. की जमीन है, डीडीए के सामने दस बार मैं हाथ जोड़ चुका कि उसका लैण्ड यूज चेन्ज कर दो तो डीडीए तैयार नहीं है लेकिन इस जमीन का लैण्ड यूज चेन्ज करने के लिए तैयार हो गयी और वो देने के लिए तैयार हो गयी। ये बात जरूर आश्चर्यजनक है और इसको मैं दर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। दोहरा मापदण्ड डीडीए क्यों अपना रही है? साठ लाख पर डे लोगों के लिए परिवहन व्यवस्था दिल्ली के अन्दर ध्वस्त करने के लिए डीडीए क्यों तैयार है। जब कि पहले वो तैयार था लैण्डयूज चेन्ज करने के लिए और जब हमने दुबारा अभी रिक्वेस्ट किया अदालत के सामने तो अदालत ने भी कहा कि भई, इसका आप चेन्ज कर दो। डीडीए कह रहा है कि हम लैण्डयूज चेन्ज नहीं करेंगे। आज स्थिति ये आकर खड़ी हुई है कि (व्यवधान)...। बीबीएम डिपो जो एक हजार बसों का डिपो है, एक हजार बसें वहां खड़ी होती हैं। दो सौ करोड़ रुपये में वो बस डिपो बनकर तैयार हुआ है। वहां पर एक हजार बसें आज वहां पर रखी जा रही हैं।

v/;{k egkn; % कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। (व्यवधान)...

fodkl e=h % बीबीएम डिपो, वो एल एण्ड डी ओ की जमीन थी जिस पर बस डिपो बना। एक हजार बसें वहां खड़ी होती हैं। दो सौ करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है। हमने अदालत के अन्दर गुहार लगायी कि इसका लैण्ड यूज चेन्ज करके यहां डिपो रहने दिया जाए। डीडीए ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसका लैण्डयूज नहीं चेन्ज हो सकता। अदालत ने आज फैसला कर दिया कि सारी बसों को वहां से खाली करो। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर हम गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के नब्बे लाख लोगों को पर

डे की सुविधा सरकार कैसे देगी? मैं जरूर कहना चाहता हूं और सदन से कहना चाहते हैं कि एक बार जरूर आपकी तरफ से भी जाये कि डीडीए के जो मेम्बर्स सदन में बैठे हैं। (व्यवधान)...हमारी बात पूरी सदन में रखने दीजिए।

Jh fotUn xIrk % क्यों कर रहे हो? कोर्ट को फैसला कर लेने दो। अगर जूडिशियरी में चला गया ये मामला। आप कोर्ट में जाइये न। आप कोर्ट के बाहर सदन में (व्यवधान)...एक सेकेण्ड।

fodkl e=h % डी.डी.ए. सारे लोग तैयार हैं। (व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % अदालत में कोई मामला विचाराधीन है। (व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड, विजेन्द्र जी। एक सेकेण्ड, आप या तो। माननीय मंत्री जी। विजेन्द्र जी। एक बात सुन लीजिए। आपने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पूरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सदन में रखा और जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया। एक सेकेण्ड बात सुन लीजिए। अभी तक वो निर्णय जब आ गया। जब वो कोर्ट में नहीं गये क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो हाईकोर्ट। (व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % हाईकोर्ट पर जब उन्हें विश्वास नहीं है।

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है। आप गलत स्टेटमेन्ट दे देते हैं। (व्यवधान)...जरनैल सिंह जी, केवल माननीय मंत्री जी। आप बैठिए प्लीज विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, बैठिए। हाँ, माननीय मंत्री जी। जरनैल जी प्लीज। हाँ बैठिए।

fodkl e=h % माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी को बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है। उस फैसले को दिल्ली की जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां गुहार लगाने जा रहे हैं।

fodkl e=h % माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी को बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, कि माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले को दिल्ली की जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट में हम दोबारा सर्वोच्च न्यायालय है, वहां गुहार लगाने जा रहे हैं। जो हम निवेदन करना है आपसे भी और इस सदन से भी हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि ये जो डिपो है, इस मिलेनियम डिपो को दिल्ली के अन्दर एक हजार बसों के लिए और जगह नहीं है। इसमें सिर्फ एक बाधा आकर के खड़ी हुई है। ए एंड डी ओ तैयार है, सरकार तैयार है केवल डीडीए ने जो ओब्जेक्शन लगाया। मैं गुहार करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अब अपील करने जा रहे हैं। डीडीए से गुजारिश ये है दिल्ली वालों के हित में डीडीए सुप्रीम कोर्ट पर फैसला करे अगर पार्टी कार्यालय के लिए लैंड यूज चेंज करने में इतनी जल्दी है तो दिल्ली के 90 लाख लोगों के हित के लिए उस डिपो को खाली करवाने के लिए जो लगातार बार–बार जिद कर रही है, डीडीए उसको छोड़ दे। इसमें दिल्ली का भला है। दिल्ली के लोगों का भला है और जरूर ये गुजारिश करना चाहते है यहां पर जो डीडीए के मैम्बर हैं, कि अगली मीटिंग में जरूर इस बात को उठाया जाए कि आखिर डीडीए एक हजार बसों को बेदखल करके 90 लाख लोगों को पर–डे परेशान करना क्यों चाहती है? हम इस बात को रखना चाहते हैं अध्यक्ष जी और इतनी बात को मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी को पार्टी कार्यालय

की जमीन जो चाहिए, उसको नियमानुसार सारी पार्टियों को सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो जमीन पर अनाधिकृत कब्जा की जा रही है उस पर एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति में स्कूल बनाया जाए। दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % सोमनाथ जी, बस अब प्लीज। अब श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत संकल्प संशोधन कोई इसमें आया नहीं है, स्वीकार किया जाता है। तो यथा संशोधित संकल्प सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वो ना कहें,

(सभी सदस्यों के हां करने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संकल्प : पारित हुआ।

vc lnu dh dk;Zokgh lkseokj fnukad 30 uoEcj] 2015 dks vijkg~u 2%00 cts rd ds fy, LFkfxr dh tkrh gSA

cgqr&cgqr /kU;oknA